दशम माला

4 अगस्त, 1992
श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 4 अगस्त, 1992/13 श्रावण, 1914 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
13	21	"स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री" के स्थान पर "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री" पढ़िये।
30	8	"श्री केवल हरि प्रसाद" के स्थान पर "श्री हरि केवल प्रसाद" पढ़िये।
30	नीचे से 1	"(थ)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
65	3	"इजराइल में सहायता" के स्थान पर "इजराइल से सहायता" पढ़िये।
72	1[illegible]	"(क) और (ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये।
127	3	"(ख) और (घ)" के स्थान पर [illegible] (ग)" पढ़िये।
158	नीचे से 7	"(ड॰)" के स्थान पर "(ख)" पढ़िये।
160	4	"(ड॰) के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।
160	नीचे से 3	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये।
178	8	"(घ)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये।

182	6	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
182	नीचे से 7	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
186	नीचे से 10	"श्रीमती पुष्पा देवी सिंह" के स्थान पर "कुमारी पुष्पा देवी सिंह" पढ़िये ।
188	7 और 8 के बीच	"(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच कराई गई है, और" अंतःस्थापित करिये ।
188	8	"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" पढ़िये ।
192	नीचे से 3	शीर्षक में "भिवंडी" के स्थान पर "भिवाड़ी" पढ़िये।
193	1	"भिवंडी" के स्थान पर "भिवाड़ी" पढ़िये ।
205	13	"जी हां।" और वित्त मंत्रालय" के बीच "(ख) और (ग)" अंतःस्थापित करिये ।
228	नीचे से 5	"अनुपूरक व्यय (सामान्य), 1992-92" के स्थान पर "अनुपूरक व्यय (सामान्य), 1992-93" पढ़िये ।

© 2003 By Lok Sabha Secretariat
les 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Tenth Edition) and Printed by M/s. Jainco Art India, New Delhi.

विषय-सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 20, मंगलवार, 4 अगस्त, 1992/13 श्रावण, 1914 (शक)

विषय			पृष्ठ
रूसी परिसंघ के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	...	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	2-21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 387 और 389 से 393	...		2-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	21-210
तारांकित प्रश्न संख्या : 394 से 406	...	...	21-30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4007 से 4009, 4011 से 4075, 4077 से 4125, 4127 से 4170 और 4172 से 4220	...	...	30-210
मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों में प्रावेशिक शुल्क (केपीटेशन फी) लिए जाने के बारे में	...	...	211-220
पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में हुई हत्याओं की घटना के बारे में	...	...	220-227
राज्य सभा से सन्देश	...	...	227
बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथा पारित—सभा पटल पर रखा गया	...	...	227
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	...	...	228
समिति के लिए निर्वाचन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	...	...	228
अनुपूरक व्यय (सामान्य), 1992-93—प्रस्तुत	...	...	228

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय			पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	230-234
(एक) देश में बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाने वाले कानून को कारगर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता			
श्री सुबास चन्द्र नायक	...	...	230-231
(दो) सम्बलपुर, उड़ीसा में सभी सुविधाओं युक्त दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता			
डा० कृपासिन्धु भोई	...	...	231
(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता			
श्री रामपाल सिंह	...	...	231
(चार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत सभी श्रेणियों के वैज्ञानिकों के लिए एक समान वेतन-मान और सेवा शर्तें लागू किए जाने की आवश्यकता			
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	...	...	232
(पांच) तमिलनाडु के पेरियार जिले में उत्तुकुली मुख्य मार्ग पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता			
श्री पी० जी० नारायणन	...	...	232
(छः) विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता			
श्री सनत कुमार मंडल	...	...	232-233
(सात) कोहिनूर मिल्स, मुम्बई के कर्मकारों को बहाल किए जाने की आवश्यकता			
श्री शरद दिघे	...	...	233
(आठ) देश में बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए विभिन्न नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता			
श्री रामेश्वर पाटीदार	...	...	233-234
(नौ) नागपुर, महाराष्ट्र स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के आवर्ती व्यय में महाराष्ट्र राज्य सरकार के अंश पर जोर न दिए जाने की आवश्यकता			
श्री अन्ना जोशी	...	...	234

विषय			पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	..	235-239
नियम 193 के अधीन चर्चा	...	...	239-339
सरकारी प्रतिभूतियों में घोटाला			
श्री जार्ज फर्नान्डीज	...	...	239-262
श्री मणि शंकर अय्यर	...	...	262-277
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	277-292
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम	...	...	292-294
श्री एस० एम० लालजान बाशा	...	...	294-296
श्री के० पी० सिंह देव	...	...	296-302
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	...	...	303-307
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	...	...	308-313
श्री रवि राय	...	...	314-320
श्री चेतन पी० एस० चौहान	...	...	320-323
श्री मनमोहन सिंह	...	...	324-339

लोक सभा

मंगलवार, 4 अगस्त, 1992/13 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

रूसी परिसंघ के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आरम्भ में ही मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से रूसी परिसंघ की सुप्रीम सोवियत के चेयरमैन महामहिम श्री खसलाव इमरानोविच खस बुलातोव और रूसी परिसंघ के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का जो इस समय भारत को यात्रा पर हैं और हमारे सम्मानित अतिथि हैं, स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

इस शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :

1. श्री लियोनिद येमिलेविच पोटा ोव
2. श्री मुर्तजा गुबायदुलोविच एद्दिमोव
3. श्री वेलिइनटिन एलेक्सीविच अगाफोनोव
4. श्री गोर्गी सौमेनोविच जोकोव
5. श्री रसूल कजवेकोविच मिखेलोव
6. श्री बोरिस निकोलेइविच पास्तुखोव

शिष्टमंडल 3 अगस्त, 1992 को प्रातः दिल्ली पहुंचा था। इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनकी मंगल यात्रा की कामना करते हैं। उनके द्वारा हम रूसी परिसंघ की सुप्रीम सोवियत के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और रूसी परिसंघ की हमारी मित्र जनता के प्रति अपनी सद्भावनायें और मंगलकामनाएं भेजते हैं।

———

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 387, श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री बसुदेव आचार्य : उग्रवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या की गयी थी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं पहले प्रश्न करूंगी।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.03 म०पू०

[अनुवाद]

कोबाल्ट चिकित्सा इकाइयां

*387. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोबाल्ट चिकित्सा इकाईयों वाले अस्पतालों और क्षेत्रीय केन्द्रों में ऐसी इकाइयों के सुचारू कार्यकरण हेतु पर्याप्त अपेक्षित सुविधाएं और प्रशिक्षित अर्हताप्राप्त चिकित्सक और सह-चिकित्सीय कार्मिक हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली में रेडियोथिरेपी विभाग में ऐसी इकाईयों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण वहां कैंसर का उपचार ठीक से नहीं हो पाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि अस्पतालों और क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों में कोबाल्ट थिरेपी यूनिटों को संचालित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं और काफी अर्हता प्राप्त चिकित्सीय और पराचिकित्सीय कार्मिक हैं।

(ग) और (घ) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली में दो टेली कोबाल्ट यूनिटें हैं और इन यूनिटों को चलाने के लिए पर्याप्त चिकित्सा और पराचिकित्सा कार्मिक हैं। तथापि, रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए कभी-कभार टेली-थिरेपी यूनिटों की कमी महसूस की जाती है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि गुरू तेगबहादुर अस्पताल, शाहदरा में विकिरण चिकित्सा विभाग के कार्य आरम्भ करने पर स्थिति में काफी हद तक सुधार हो सकेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, आपके जरिए मैं माननीय मंत्री से यह जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र जो कि एक प्रमुख एजेन्सी है तथा इस कार्य के सुरक्षात्मक पहलू को सुनिश्चित करती है ने यह जानकारी दी है कि जो शर्तें इसके अन्तर्गत रखी गयी है उनके मुताबिक एक टेली-कोबाल्ट इकाई में प्रतिवर्ष केवल 500 रोगियों का ही उपचार किया जाना चाहिए और इसके लिए इस तरह की प्रत्येक इकाई में तीन चिकित्सक और तीन रेडियोग्राफर होने चाहिएं ? यदि हां तो देश के अन्य भागों को छोड़कर राजधानी में कितने अस्पताल हैं जहां ये शर्तें पूर्ण की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : जहां तक मुझे जानकारी है सफदरजंग अस्पताल इन शर्तों को पूर्ण करता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सफदरजंग अस्पताल इसके बाद आता है।

श्री एम० एल० फोतेदार : इसी तरह मुझे बताया गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

संस्थान ने ये आवश्यकताएं पूरी कर ली थीं लेकिन कोबाल्ट इकाई तब तक नहीं लगाई जा सकती है जब तक की भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा भवन डिजाइन और अन्य चीजों के बारे में मंजूरी न दे दे। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही इसकी स्थापना की जा सकती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के अनुसार दूसरी बात यह है कि इस तरह की इकाई को चलाने के लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने कर्मचारी उपलब्ध किए जाने चाहिए। जहां तक मुझे जानकारी है मुझे बताया गया है कि पर्याप्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि यह भाग (क) और (ख) का उत्तर है तो (ग) और (घ) के उत्तर इसके काफी विपरीत है। यह तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के बारे में है। मैं उत्तर नहीं पढ़ रही हूं। लेकिन मैं आपने प्रश्न में इसका जिक्र करूंगी। क्या यह सच है कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के प्राधिकारियों ने कुछ समय पहले दिल्ली प्रशासन को लिखा था कि उनके रेडियोथेरेपी विभाग में प्रत्येक वर्ष 3000 से अधिक रोगी उपचार के लिए आते हैं और उन्हें तीन या चार महीने इन्तजार करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उनमें से अधिकांश या तो अंतिम चरण पर पहुंच जाते हैं या मर जाते हैं? साथ ही क्या उन्होने प्रशासन को इस स्थिति को सुधारने के संबंध में भी अनुरोध किया है? उत्तर में यह कहा गया है कि जब गुरू तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा का रेडियोथेरेपी विभाग कार्य करने लगेगा तो स्थिति में काफी हद तक सुधार होगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल से शाहदरा कितनी दूर है? इससे लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल की स्थिति में कैसे सुधार आएगा। क्या मैं यह जान सकती हूं? शाहदरा अस्पताल कब तक कार्य करने लगेगा?

श्री एम० एल० फोतेदार : दिल्ली प्रशासन ने हमें सूचित किया है कि इसके पूरा होने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि यह कोबाल्ट यूनिट तीन पारियों में कार्य कर सकती है। यह चौबीसों घण्टे कार्य कर सकती है। इस समय यह दिल्ली में केवल दो अस्पतालों—एक तो सफदरजंग अस्पताल में और दूसरा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मे दो पारियों में कार्य कर रही है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन अस्पतालों में, जो कोबाल्ट यूनिट उपलब्ध हैं, इनमें कम से कम दो पारियों में तो कार्य होता रहे। इससे इन अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की प्रतीक्षा-सूची में कमी आयेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरे विचार से इन दो पारियों में जैसा कि मैंने पहले भी पूछा है, बी०ए०आर०सी० की सिफारिशों के अनुसार लगभग 1000 मरीजों का ही उपचार हो सकता है। जब कि एक ही अस्पताल में साल में 3000 मरीज आते हैं इससे देश में जो स्थिति बन रही है, वह कैसे पूरी हो सकेगी? आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्या को सूचित कर दूं कि एक मशीन 1500 मरीजों का उपचार कर सकती है; 3000 का नहीं। कैंसर के काफी मरीज प्रतीक्षा सूची में हैं। इसके साथ-साथ देश में कोबाल्ट यूनिट का वितरण भी एक समान नहीं है। हम निकट भविष्य में इस असन्तुलन को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कठिनाई तो धनराशि के अभाव की है; स्टाफ उपलब्ध कराने की भी कठिनाई है और ऐसे अस्पतालों, जहां ऐसी यूनिटें चलाई जा सकें, का भी अभाव है।

[हिन्दी]

श्री छोटे सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय

से जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष के किस क्षेत्र में सर्वाधिक कैंसर के केस पाए जाते हैं और वहां क्या मंत्री जी की सूचना के अनुसार कोई रेडियो थेरेपी का सेंटर या कैंसर सेल है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न जो आपने पूछा है इस प्रश्न में से निकलता है ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं इसकी सूचना इन्हें दूंगा । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि देश में कैंसर रोगियों की संख्या 15 लाख से 20 लाख के लगभग है । हर साल देश में कैंसर रोगियों की संख्या लगभग 5 लाख तक बढ़ जाती है ···**(व्यवधान)**···कृपया जरा मेरी बात सुनिए । मैं समझता हूं कि इस समय देश में लगभग 182 कोबाल्ट यूनिट हैं । विकसित देशों में, 10 लाख की आबादी के लिए एक कोबाल्ट यूनिट उपलब्ध है । यहां भी यदि हम वैसा अनुपात लगायें, तो इस हिसाब से हमारे पास 800 अथवा 900 कोबाल्ट यूनिट होने चाहिए । पर जहां तक भारत का संबंध है, हमने यह अनुमान लगाया है कि हमें 30 लाख आबादी के पीछे एक कोबाल्ट यूनिट का अनुपात तो पूरा करना ही चाहिए । इस प्रकार हमें कम से कम 300 कोबाल्ट यूनिटों की आवश्यकता है । मैंने आपको बताया है कि धनराशि के अभाव होने के कारण हम निकट भविष्य में इस अनुपात को पूरा नहीं कर सकेंगे ।

[हिन्दी]

श्री छोटे सिंह यादव : मेरा सवाल यह था कि किस क्षेत्र में कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है । मैं बता दूं, डब्ल्यू०एच०ओ० की रिपोर्ट है कि मैनपुरी, यू०पी० में दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पाए जाते हैं ।···**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

[हिन्दी]

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : मंत्री महोदय ने बताया कि सफदरजंग और मैडिकल इंस्टीट्यूट में यह सुविधा उपलब्ध है । मैं कहना चाहता हूं कि दोनों हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां आम साधारण व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता है । ये वी०आई०पीज या सिफारिशी हॉस्पिटल है । दिल्ली में सबसे प्रमुख अस्पताल एल०एन०जे०पी० है जहां सर्वसाधारण व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में इलाज कराने के लिए जाते हैं । जब इतना प्रमुख अस्पताल जनसाधारण के लिए दिल्ली में एक ही है तो वहां पर यह सुविधा कराने की इन्होंने क्यों नहीं सोची और कब तक जल्दी से जल्दी करा पाएंगे ?

श्री एम०एल० फोतेदार : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली की जान-पहचान बहुत कम रखते है,, जैसाकि सवाल से पता चलता है ।···**(व्यवधान)** मैं जवाब दे रहा हूं । सफदरजंग अस्पताल गरीबों का अस्पताल है और वहां वही लोग जाते हैं जो गरीब और वीकर सैक्शन के हों । मैं यह नहीं कहता हूं कि सिर्फ लोकनायक अस्पताल में गरीब लोग जाते हैं । आल इंडिया इंस्टीट्यूट भी कोई ऐलिटिस्ट हॉस्पिटल नहीं है लेकिन वह रैफरल हॉस्पिटल है । लेकिन गरीबों के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल है और हमने वहां दो शिफ्टस का इंतजाम रखा है । जो भी जिस वक्त जाना चाहे, मैं समझता हूं कि उसे कोई तकलीफ नहीं होगी ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

विदेशों में चिकित्सा उपचार

*389. श्री मोहन रावले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा जनवरी, 1992 से अब तक विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कितने व्यक्ति विदेश गये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन व्यक्तियों के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई;

(ग) क्या इन रोगों के उपचार के लिए भारत में सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें विदेशों में उपचार हेतु अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने के इच्छुक व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल में निहित प्रक्रिया का पालन करना होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इलाज करने वाले चिकित्सक अथवा सर्जन के अलावा मैनुअल के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किए जाने की व्यवस्था है कि बीमारी का इलाज विदेश में किए जाने की आवश्यकता है। तब भारतीय रिजर्व बैंक इलाज के लिए विदेश जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा प्रदान करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1989 से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए विदेश गए व्यक्तियों की संख्या और उन्हें मंजूर की गई विदेशी मुद्रा की कुल राशि इस प्रकार है :—

माह/वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	रिलीज की गई कुल विदेशी मुद्रा भारतीय रुपए में (हजार रुपए)
1989	1058	1,84,112
1990	990	1,74,420
1991	847	2,07,016
जनवरी, 1992 से मार्च, 1992	167	45,707

जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, संसद सदस्यों और उनके परिवारों का संबंध है, उन पर केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 लागू होते हैं और उनके विदेश में इलाज कराने संबंधी मामलों पर इन नियमों के अन्तर्गत गठित एक स्थायी समिति द्वारा विचार किया

जाता है जो मुख्य रूप से देश के अन्दर सुविधाओं की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए विदेश में इलाज कराने पर विचार करती है और इस बारे में सिफारिश करती है। ऐसे मामलों की संख्या उपाबंध में दी गई है। चूंकि ऐसे व्यक्तियों पर होने वाला व्यय संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा वहन किया जाता है इसलिए विदेशी मुद्रा का ब्यौरा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास नहीं है।

उपाबन्ध

स्थायी समिति द्वारा विदेश में इलाज के लिए स्वीकृत व्यक्तियों की संख्या

पिछले तीन वर्षों में कुल व्यक्तियों की संख्या	जनवरी, 1992 से व्यक्तियों की संख्या
55	9

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मंत्री महोदय ने सभा पटल पर जो विवरण स्पष्ट किया है वह भ्रम करने वाला है। मेरे प्रश्न के ग और घ भाग का कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज भारत में नहीं हो सकता है और जिसके लिए रोगी विदेश जाते हैं? क्या भारत में उन बीमारियों का इलाज करने के लिए कोई डाक्टर नहीं है? क्या वे डाक्टर विदेशी डाक्टरों से ज्यादा कम्पीटेंट नहीं है? यदि नहीं है तो भारत में यह व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? राज्य और केन्द्र सरकार के कितने मंत्री और गवनर्स पिछले तीन सालों में विदेश में इलाज करवाने के लिए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : 1986 में हमने रूल बनाए थे कि किस-किस बीमारी का इलाज करने के लिए मरीज को विदेश भेजा जाए। पेशेंट को बाहर कहां भेजा जाए। लेकिन अब उन बीमारियों का इलाज भारत में भी होता है। कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं और कुछ ऐसे भी पेशेंटस है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता है और उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है जो यह ऐग्जामिन करती है कि इस पेशेंट का इलाज भारत में किया जाए या भारत से बाहर भेजा जाए। उसके अलावा भी हमने दूसरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो यह देखे कि पेशेंट को क्या यहां सुविधा अच्छी होगी कि बाहर अच्छी होगी। एक एक्सपर्ट टीम जो डायरेक्टर जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज के अधीन है, यह देखती है और ऐसे पेशेंट बाहर जाते है।

जहां तक यह प्रश्न है कि कौन-कौन से मंत्री गए हैं या कौन-कौन से गवनर्स गए हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास नहीं है क्योंकि उनको राज्य सरकार भेजती है। उसके लिए उनको आर०बी०आई० से फौरन एक्सचेंज मिलता है। लेकिन जहां तक मेम्बर पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स का सवाल है, वह लिस्ट आप चाहें तो मैं टेबल पर रख सकता हूं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, भारत में चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ करने के लिए कौन से उपाय किए जा रहे है ताकि लोगों को इलाज करने के लिए विदेश में न जाना पड़े। यह व्यवस्था कब तक कायम हो जाने की सम्भावना है?

श्री एम० एल० फोतेदार : एक बीमारी है कार्डियो वेसकुलर सर्जरी जो कि हार्ट की बीमारी के लिए किया है।

श्री नीतीश कुमार : सीधा कहिए ओपन हार्ट सर्जरी···(**व्यवधान**)···

श्री एम० एल० फोतेदार : जी हां, ओपन हार्ट सर्जरी है। इसका इलाज भारत में और दिल्ली में तो बहुत अच्छा है। एस्कॉर्ट हास्पिटल में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में और बहुत से दूसरे हास्पिटल्स में इसका इलाज किया जा सकता है तथा इसमें कोई डिफीकल्टी नहीं है। इसी तरह किडनी ट्रांसप्लांटेशन का यहां भी इलाज और बाहर भी इलाज है लेकिन जब एक्सपर्टस यह कहते हैं कि इस पेशेंट की किडनी बाहर ही अच्छी हो सकती है, वहां एक्सपर्टस उन्हें बाहर जाने की इजाजत देते हैं। कुछ ऐसी और भी बीमारियां हैं, जहां इसका इलाज किया जा सकता है·· (व्यवधान)···

श्री नीतीश कुमार : मरीज का स्टेटस देखकर, या बीमारी देखकर···

श्री एम० एल० फोतेदार : मरीज का स्टेटस देखकर नहीं बल्कि मरीज की बीमारी देखकर ऐसा कहा जाता है।

[**अनुवाद**]

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की बात सुन कर मुझे खेद हुआ है। यह एक कुशल मंत्री हैं परन्तु दुर्भाग्यवश इन्होने प्रश्न पर गहराई से विचार नहीं किया और इन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या ऐसे रोगों के उपचार के लिए भारत में सुविधायें उपलब्ध हैं। क्या भारत में ऐसी उपचार सुविधायें उपलब्ध हैं, जब कि श्रेष्ठ हृदय रोग शल्यकिकित्सक डा० डेन्टन कूले के बाद भारत मे डा० वेनुगोपाल, डा० गिरिनाथ, डा० भट्टाचार्य जैसे कुशल हृदय शल्यचिकित्सक भारत में रहते है, और यदि मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह का देश में उपचार हो सकता है, तो किसी को हृदय प्रतिरोपण के लिए भी विदेश क्यों जाने दिया जाये? विशेषज्ञ समिति में कौन लोग शामिल है? क्या समिति में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एक सम्बद्ध हस्पताल है, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, से कोई विशेषज्ञ और डा० गिरिनाथ तथा डा० भट्टाचार्य जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं? और यदि नहीं है, तो क्यों नहीं हैं?

हृदय वक्ष शल्य चिकित्सा और गुर्दा प्रत्यारोपण पर अधिकाधिक धन व्यय किया जा रहा है; विश्व के जो गिने चुने श्रेष्ठतम सर्जन है, उनमें से एक सर्जन डा० पाण्डे हमारे यहां वेल्लोर अस्पताल में सेवा कर रहे हैं। तब कोई भी मरीज अपनी मर्जी से विदेश क्यों जाये?

इन्होंने एक और सूचना भी दी है कि स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय से कोई लेना-देना नहीं है। तो ये अधिकारीवर्ग विदेश क्यों जायें? ऐसा वे सी०एच०एस० की सिफारिशों पर करते है, और इस बुरे समय में कई करोड़ रुपया अनावश्यक खर्च करते हैं।

इसलिए क्या मंत्री महोदय इस सभा में इस बारे में स्पष्ट उत्तर देंगे कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभा के डाक्टरों को साथ मिलाकर कोई विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी जिससे बाहर जाने वाले रोगियों को इन डाक्टरों के पास भेजा जा सके? अन्यथा, इससे हमारी चिकित्सा शिक्षा का अपमान होगा और हमारे चिकित्सा व्यवसाय का अपमान होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य से इस हद तक सहमत हूं कि ऐसे कुछ जाने-माने विशेषज्ञ देश में उपलब्ध हैं। मैं डाक्टरों के नाम नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि देश में ऐसे बहुत

से डाक्टर हैं जोकि दिल की शल्य-चिकित्सा और अन्य चिकित्सा कर सकते हैं। यदि मैं किसी एक के नाम का उल्लेख करता हूं तो दूसरे यह महसूस कर सकते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा की है। (व्यवधान)

डा० कृपासिन्धु भोई : इसलिए मैंने आपसे कहा है कि प्राथमिकता इन तीन व्यक्तियों को ही दी जाये।

श्री एम० एल० फोतेदार : हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग उपलब्ध हैं। हमारे यहां एक विशेषज्ञ समिति भी है। सबसे पहले तो मैं यही बातें ही कहना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत छः महीनों अथवा एक वर्ष में मैंने कौन से कार्य किये हैं।

हमारे यहां एक विशेषज्ञ समिति है जिसके अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं — संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ; महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं; महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और इसके अतिरिक्त और भी कई व्यक्ति समिति के सदस्य हैं जोकि उन्हें उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इस बारे में सिफारिश करते हैं कि क्या फलां-फलां मरीज विदेश भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं। परन्तु मैं यह तो नहीं कह सकता कि ये बातें पूर्णतया ठीक हैं। मैंने इस प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है और इसके कड़ा करने से, अब बहुत ही कम लोगों को विदेश भेजा जाता है। यदि इस सभा की आम राय यह है कि कोई भी संसद सदस्य, भले ही विशेषज्ञ समिति उसकी सिफारिश करती है, विदेश नहीं भेजा जाएगा तो मैं इसका स्वागत करूंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है; मैं किसी को नहीं भेजूंगा।

मुझे माननीय सदस्य के एक विशिष्ट मामले के बारे में पता है। उनका यहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ही उपचार हुआ था।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं अपने मामले का जिक्र नहीं कर रहा था।

श्री एम० एल० फोतेदार : श्री अर्जुनसिंह जी जैसे व्यक्ति का भी यहीं दिल्ली में ही उपचार हुआ है। इसी तरह से मरीज पर भी निर्भर करता है कि वह क्या चाहता है। पहले हमारे पास ऐसी सुविधायें उपलब्ध नहीं थीं। अब तो हमारे यहां जाने माने विशेषज्ञों की सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ लोग विदेश में उपचार कराना पसंद करते हैं और कुछ लोग यह चाहते हैं कि उनका यहीं दिल्ली में ही उपचार हो जाये। पर जहां तक हमारा संबंध है, हम संबंधित सर्जन अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र के आधार पर ही अपना प्रमाण-पत्र देना पड़ता है कि क्या फलां-फलां व्यक्ति के विदेश में उपचार किये जाने की आवश्यकता है, अथवा नहीं। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि इसमें कितना विदेशी विनिमय आदि सम्बद्ध हैं परन्तु हमने प्रक्रिया को कड़ा कर दिया है। अब तो केवल उन्हीं मामलों में, जिनके संबंध में डाक्टरों की एक पूरी टीम प्रमाणित करती है कि फलां-फलां मरीज को उसके द्वारा चाहा गया उपचार यहां पर नहीं दिया सकना, केवल उन्हें ही विदेश भेजा जाएगा। अन्यथा हमने बहुत ही कड़े नियम बनाये हैं।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, गरीबी की रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले रोगियों में से अब तक कितने इलाज के लिए विदेश भेजे गए हैं?

श्री एम० एल० फोतेदार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का सवाल उनकी सरकार को रेफर करूंगा।...(व्यवधान)...

यह नेशन संबंधित है—मैम्बर पार्लियामेंट, जजेज आफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज आफ हाई कोर्ट एंड अदर्स···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : यह सवाल पूरे देश से संबंधित है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : यह अति विशिष्ट व्यक्तियों की संख्या का सवाल नहीं है बल्कि सवाल उन लोगों का है जिन्हें जनवरी 1992 तक विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष विभिन्न रोगों के उपचार के सिलसिले में विदेश भेजा गया है। इसमें संसद सदस्यों का उल्लेख नहीं है; उसमें राज्यपालों का भी उल्लेख नहीं है। इसलिए यह एक बहुत ही संगत प्रश्न है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस स्कीम के लाभभोगी विदेश जाने के हकदार हैं। जहां तक अन्य व्यक्तियों का संबंध है, राज्य सरकारें उसके लिए व्यवस्था कर सकती हैं। कई बार तो कई लोगों ने केन्द्रीय सरकार से, प्रधान मंत्री राहत कोष से भी कुछ धनराशि प्राप्त की है और विदेश गए हैं। इसलिए जहां तक इस स्कीम का सवाल है, यह उन लोगों पर लागू है जो इस स्कीम के लाभभोगी है और नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे डा० राम मनोहर लोहिया के आखिरी दिन याद आते हैं। विलिंग्डन हास्पिटल इस अस्पताल का नाम आज डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। उनके इलाज के लिए पांच-छह डाक्टर्स वहां खड़े होते थे तो वे अर्द्ध-होश अवस्था में बोले कि यह अजीब सा देश है कि लाखों लोगों के लिए एक भी डाक्टर नहीं है और मेरे लिए यहां पर छः-सात डाक्टर खड़े हैं। यह अजीब सा देश कह कर के वे बोले थे। उस समय से अब भी कोई बदली नहीं हुई है। मंत्री जी से जवाब से मालूम होता है। वे प्रश्न को भी न पढ़ते हुए यहां कहते हैं कि एमपीज और बड़े लोगों से यह प्रश्न संबंधित है। मेरा क्षेत्र मुजफ्फरपुर है, वहां एक मरीज जब अस्पताल में जाता है, तो औसतन दिन का मात्र 80 पैसे खर्च होता है। यह स्थिति सिर्फ मेरे ही क्षेत्र की नहीं है, समूचे देश में हर जगह यह वस्तुस्थिति है। यहां जो आपने हिसाब दिया है, वह हिसाब छापते हुए बड़ी खूबी दिखाई है। खूबी यह है कि यहां लिखा है—इन-थाउजेंन्ड्स और लिखने का ढंग ऐसा बनाया है, सरसरी तौर पर यदि उसको पढ़ा जाए तो लगता है कि पिछले साल में दो करोड़ रुपए खर्च हुए और पिछले साल आपने कुल मिलाकर 847 लोगों को विदेश भेजने के लिए 20 करोड़ रुपया आपने खर्च किया तथा वह भी विदेशी मुद्रा में। उनका टिकट वगैरह रुपए में जाता है और विदेशी मुद्रा में विदेश में खर्च करने के लिए आपने औसतन ढाई लाख रुपया दे दिया। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने यहां पर जो बात कही उसमें सदन को गुमराह करने की बात हुई है और इसलिए इस पर मेरा प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का कुछ तरीका है, जो कुछ मापदंड है जिस पर वह देखते हैं कि यहां ईलाज नहीं है। मैं मंत्री जी को डा० वेलायुदम पिल्लई, जो अमरीका के जार्ज टाउन यूनिवर्सिटी अस्पताल में बहुत मशहूर अनकोलोजिस्ट और हेमाटोलोजिस्ट हैं और जो इस वक्त केरल के मुख्य मंत्री करूणाकरण जी का वहां पर ईलाज कर रहे हैं। मेरी मंत्री महोदय से कोई शिकायत नहीं है उनका जो एक वाक्य है जब उनसे पूछा गया, उनसे अजीज हनीफा ने पूछा कि क्या यह ईलाज का इंतजाम हिन्दुस्तान में नहीं हो सकता है तो उनके यह शब्द हैं—

[अनुवाद]

ये तमाम चीजें विविध तरीकों में भारत में उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

तो मैं इतना ही मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब हिन्दुस्तान में इस प्रकार का इंतजाम है कि चाहे जिस प्रकार का ईलाज यहां पर हो सकता है, आपका जो मापदंड है, उस मापदंड पर पुनर्विचार करके जो ईलाज यहां पर संभव है, वहां विदेश जाने की जरूरत लोगों को न पड़े, ऐसा कुछ इंतजाम आप करेंगे ?

श्री पी० सी० चाक्को : महोदय, श्री फर्नान्डीज एक अनावश्यक मुद्दा उठा रहे हैं। मुख्य मंत्री को श्री चित्रा चिकित्सा केन्द्र, जो कि एक राष्ट्रीय संस्थान है, की सिफारिशों पर अमरीका ले जाया गया था। इन्होंने जो बात उठायी है, वह अनावश्यक है।

[अनुवाद]

मुख्य प्रश्न से इसका क्या संबंध है ? उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि उनके मामले की सिफारिश एक राष्ट्रीय संस्थान द्वारा की गयी थी। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स : इस मामले में व्यर्थ में ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों को घसीटा जा रहा है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। **(व्यवधान)** यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया इसको राजनीतिक रंग ना दीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, जार्ज जी ठीक बात कह रहे है। **(व्यवधान)**

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय जार्ज साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं किसी को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरी ऐसी नीयत नहीं है। मैं इस पर साफ तौर से बात करना चाहता हूं और करता हूं मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा कि सेंट्रल सर्विसेस में जो आते हैं उनको एप्लाई करना है, स्टेट्स का वायदा है, यह जो 20 करोड़ रु० है यह रिजर्व बैंक ने दिया है। हमारे पास सिर्फ ऐसे पेशंट की क्लियरेंस के लिए आता है जिनको सी०जी०एच०एस० बेनिफिशरीस के तहत, उस स्कीम के तहत, लाया गया है। उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं आते, जिस चीफ मिनिस्टर का आपने जिक्र किया है **(व्यवधान)** या जिस गवर्नर का आप जिक्र करेंगे······ **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चीफ मिनिस्टर वहां पर गए उसके बारे में मैंने आपत्ति नहीं उठाई। ···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स : उन्होंने श्री करुणाकरन के नाम का उल्लेख किया है। **(व्यवधान)** केरल के लोग उद्वेलित है। **(व्यवधान)** महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य से इतना हो कहना चाहता हूं कि यह मर्करी हैल्थ मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है, स्टेट गवर्नमेंट की जो कमेटी है वह रेकोमेंड करती है कि बाहर किसी पेशंट को जाना जरूरी है या नहीं है। ऐसे केस हमारे पास नहीं आते हैं। **(व्यवधान)** गवर्नर्स के केस हमारे पास नहीं आते हैं, हाई-कोर्ट के, जजिज के केस हमारे पास नहीं आते हैं।

अलाभप्रद रेल लाइनें

*390. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अलाभप्रद रेल लाइनों का गैर-सरकारीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

[अनुवाद]

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) हालांकि बहुत-सी शाखा लाइनें ऐसी हैं जिनसे रेलों को आवर्ती हानि हो रही है, फिर भी इन लाइनों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुछ गाड़ियां बन्द हो गई हैं या जो होने वाली हैं, आज उन जगहों की भोगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं और बहुत से कल-कारखाने लग गए हैं। वैसे ही एक बिहार का आरा-सासाराम लाइट रेलवे है जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी बाबू कुंवर सिंह और शेरशाह सूरी की राजधानी आरा और सासाराम को मिलाते हैं और जहां से बाबू जगजीवन राम जी आते थे, जिनकी अन्तिम ख्वाइश थी कि रेलवे लाइन को पुनः चालू किया जाए। उस लाइन को आज की विशेष परिस्थिति में पुनः जांच-पड़ताल कर चालू करने का प्रयास मंत्री महोदय करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष जी, जैसी कि माननीय सदस्य की इच्छा है, उन्होंने आरा-सासाराम लाइट रेलवे की पुन जांच करने की इच्छा जाहिर की है, हम इसका यत्न करेंगे कि इस रेलवे लाइन की पुनः जांच की जाए।

श्री रामलखन सिंह यादव अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश के अन्य भागों में कितनी ऐसी रेलवे लाइनें हैं जो घाटे में चल रही हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, 120 और ऐसी ब्रांच-लाइनें हैं जो घाटे में चल रही हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्निथला : महोदय, ऐसी कई रेलवे लाईन हैं जो आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसी रेलवे लाइन हैं जिन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ने रेलवे लाइनों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, इन अलाभप्रद ब्रांच लाइनों को लाभप्रद बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन रेलवे लाइनों पर बहुत कम यातायात है। 1983 में रेल सुधार समिति ने ऐसी 136 लाइनों का पता लगाया था। रेलवे सुधार समिति ने भी सिफारिश की थी कि ऐसी 40 लाइनों को तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस मार्ग पर जो सड़क परिवहन उपलब्ध है वह इन

अलाभप्रद ब्रांच लाइनों से कहीं बेहतर है।

साथ ही उन्होंने यह भी सिफारिश की थी कि 17 लाइनों को भी बंद किया जा सकता है बशर्ते कि इन मार्गों पर जो कच्ची सड़कें हैं उन्हें सब ऋतुओं में काम आ सकने वाली पक्की सड़कों में परिवर्तित कर दिया जाए।

रेल सुधार समिति ने कहा है कि 70 अन्य लाइनों को विभिन्न सामरिक एवं अन्य कारणों से बंद नहीं किया जा सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सच नहीं है कि अलाभप्रद रेलवे लाइनों को अर्थक्षम नहीं बनाया जा सकता। ऐसी कुछ लाइनें हैं। राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कुछ मीटर-गेज—नैरो-गेज लाइनों का पता लगाया था जो अलाभप्रद थी। राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि इनमें से कुछ लाइनों को लाभप्रद बनाया जा सकता है। ऐसी ही एक नैरो-गेज रेलवे लाइन बी. डी. आर. बांकुरा-दामोदर नदी लाइन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यह बंगाल के ग्रामीण अंचल से होकर गुजरती है तथा बांकुरा को वर्दवान से जोड़ती है। मैं इसके आमान-परिवर्तन का सुझाव नहीं दे रहा हूं। इस नैरो गेज लाइन की लंबाई 81 किलोमीटर है। यदि इस खंड पर डीजल इजन की सेवा शुरू करके इस रेलसेवा को नियमित किया जा सके तो यह लाइन आर्थिक रूप से लाभप्रद हो सकती है।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे राज्य की इस महत्वपूर्ण लाइन विशेषकर बांकुरा-दामोदर नदी लाइन को आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने हेतु पुराने तथा जर्जर भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजनों का उपयोग आरम्भ करेगी।

श्री मल्लिकार्जुन : भाप के इंजन के बदले डीजल या विद्युत इंजन का प्रयोग इस समस्या का हल नहीं है। फिर भी, हमने अपने आर. डी. एस. ओ. को इस ढंग से कार्य करने को कहा है कि बजाए पूरी ट्रेन के रेकों का इस्तेमाल करने के बजाए कुछ परिवर्तनों के साथ नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए जिससे इन्हें थोड़ा स्वीकार्य बनाया जा सके।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, शिमला एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो पूरे देश से पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन कालका-शिमला लाइन अभी भी लाभप्रद नहीं है क्योंकि कालका रेलवे स्टेशन पर अभी भी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और कालका को बरास्ता चण्डीगढ़ दिल्ली से जोड़ने के लिए पर्याप्त रेलवे लाइन नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि वह देश के विभिन्न भागों से दिल्ली-चण्डीगढ़-कालका के रास्ते शिमला आने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, हालांकि कालका-शिमला ब्रांच लाइन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है फिर भी यदि स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं को सुधारने की बात है तो इस पर गौर किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में अलाभकारी रेलवे लाइनों का होना सरकार की गड़बड़ी है। मैं उदाहरण के साथ बता देना चाहता हू कि जो गांव की तरफ रेलगाड़ियां चलती हैं उसमें जो भाप के इंजन लगे होते हैं वे दूसरे स्टेशन पर बिना पहुंचे रास्ते में ही रुक जाते हैं। रेल गाड़ियों में डिब्बे हैं तो उसमें गेट नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे लाईन का है।

श्री सूर्य नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वही पूछ रहा हूं। डिब्बे में बैठने के लिए सीट नहीं हैं। जनता यह समझती है कि सरकार रेलगाड़ी ऐसे ही चलाना चाहती है। क्या ऐसी रेलवे लाइनें जो अलाभकारी हैं, का आपने सर्वेक्षण करवाया है तो क्या उसमें यह पता लगा कि अलाभ में चलने के क्या कारण हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : स्पीकर सर, ये शिकायतें तो आई हैं कि कहीं रेल डिब्बा ठीक नहीं है। लेकिन सम्पूर्ण तरीके से यत्न हो रहा है।

[अनुवाद]

सी० जी० एच० एस० औषधालय

*391. **श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम :**

श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सी. जी. एच. एस. औषधालयों के कार्यकरण विशेषतः वहां के चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के रोगियों के प्रति व्यवहार को लेकर इस योजना के लाभार्थियों में फैले असंतोष की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इन औषधालयों के कार्यकरण के संबंध में कोई मत-सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) यदि नहीं, तो सी. जी. एच. एस. औषधालयों की सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवाओं के कार्यचालन के संबंध में सामान्य रूप से कोई भी असंतोष व्यक्त करने की बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है। ऐसे विभिन्न तंत्र उपलब्ध हैं, जिनमें उन लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से पारस्परिक सम्पर्क करने की व्यवस्था है, जिसकी समस्याओं का मौके पर जाकर औचक अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर कार्मिक विभाग ने क्षेत्रीय कल्याण समितियां गठित की हैं, जिनमें एक राजपत्रित अधिकारी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय और इसके लाभार्थियों के बीच किसी भी पक्ष में प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में समन्वय स्थापित करता है।

सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चिकित्सा अधिकारियों और औषधालय कर्मचारियों को लाभार्थियों की अपेक्षाओं को पूरा करते समय उपयुक्त विनम्रता दर्शाने हेतु विषय परिचायक प्रशिक्षण भी शामिल है।

हमारे अनुरोध पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद से अनुरोध किया गया था कि वे लाभार्थियों का एक सर्वेक्षण करें। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री के० राममूर्ती डिंडिवनाम : महोदय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के कुछ औषधालयों से मरीजों के उपचार हेतु विशेषकर आपातकालीन मामलों में न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। यह ऐसे स्थान बन गए हैं जहां यह ही जवाब मिलता है कि मरीज को अस्पताल ले जाइये। इसी कारण इन औषधालयों के लाभार्थी इन औषधालयों में जाने से कतराते हैं। क्या सरकार को वस्तुस्थिति की जानकारी है और यदि हां तो इस समस्या को हल करने के बारे में सरकार का क्या विचार है? माननीय मन्त्री ने कल्याण समितियों के गठन की बात की है। यह बहुत ही अच्छा विचार है। लेकिन क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि अब तक ऐसी कितनी समितियों का गठन किया जा चुका है और उन राज्य और शहरों के नाम क्या हैं जिसमें यह कार्य कर रही हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालयों में सब कुछ आदर्श नहीं है। हमारा लगातार यह प्रयास इसमें निरन्तर आवश्यक सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक कल्याण समितियों का संबंध है, इनकी नियुक्ति/गठन कार्मिक मंत्रालय द्वारा की जाती है जहां कि बड़ी संख्या मे सरकारी कर्मचारी हैं जो इस योजना के लाभार्थी हैं। महोदय कल्याण समितियों की सूची मैं बाद में दूंगा।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, महानगरों तक में भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय लोकप्रिय नहीं है और इसके लाभार्थी इसका उपयोग बजाए दवाइयों और इलाज के मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्हें यहां बेहतर उपचार सुविधा/सलाह नहीं मिलनी है और दवाइयों की सप्लाई भी बहुत थोड़ी है। इस कारण केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के औषधालय केवल प्राथमिक उपचार केन्द्र का ही कार्य कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से इन औषधालयों के माध्यम से वितरित दवाइयों की मात्रा और उनका मूल्य जान सकता हूं? राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा लाभार्थियों का प्रस्तावित सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि लाभार्थियों द्वारा प्रतिवर्ष दिया गया अंशदान 10-12 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं है। लेकिन प्रतिवर्ष कुल अनुमानित व्यय करीब 60-70 करोड़ रुपये पड़ता है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए दूसरे प्रश्न का संबंध है जब औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध न हों, उस स्थिति में हमने कुछ दवाई विक्रेताओं से दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कुछ दवाई विक्रेताओं की नियुक्ति दवाई उपलब्ध कराने के लिए की गई है। जहां तक तीसरा प्रश्न है कि यदि मरीज का इलाज उचित तरह से नहीं हो पाता है तब उन्हें अस्पताल में भेज दिया जाता है यदि माननीय सदस्य संबद्ध अस्पतालों की सूची चाहते हैं तो मैं उन्हें आवश्यक जानकारी दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि इस देश में कोई रोगी परेशान ही नहीं है। मंत्री जी ने जवाब दिया है "जिनकी समस्याओं का मौके पर जाकर जोनल अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान पता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर कार्मिक विभाग ने क्षेत्रीय कल्याण समितियां गठित

की हैं।" मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जोनल अधिकारियों को मरीजों की तरफ से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नानकपुरा, दक्षिण दिल्ली में सी० जी० एच० एस० डिस्पेंसरी में हमारे क्षेत्र के लोग इलाज कराते हैं। वहां पर ब्लड प्रेशर नापने के यन्त्र सभी डाक्टरों के पास खराब रहते हैं; इसके लिए दूसरे हास्पिटल को रेफर करना पड़ता है। क्या इसकी जानकारी आपको है। देश में इतने बड़े हास्पिटल में डाक्टरों के ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है फिर भी मरीजों का ब्लड प्रेशर आपातकालीन स्थिति में नहीं नापा जाता। आप बड़े विद्वान मंत्री हैं और यह बात आम लोगों से संबंधित है। कई मरीजों को दूसरे हास्पिटल के लिए रेफर किया गया जिससे मरीजों की मृत्यु हुई हैं तो कब तक इन यन्त्रों को ठीक करा दिया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं?

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं समझता। मुख्य प्रश्न सारे देश से संबंधित है। वह एक विशिष्ट घटना का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : वह दिल्ली प्रशासन के सामान्य अस्पतालों का उल्लेख कर रहे हैं। यदि वह क्षेत्र समितियों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या जानना चाहते हैं तो यह जानकारी मैं उन्हें दे सकता हूं।

"अपना रेल मालडिब्बा" योजना

*392. **डा० परशुराम गंगवार †:**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "अपना रेल मालडिब्बा" (ओन योर वैगन) योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) पट्टा देने की व्यवस्था सहित तत्संबंधी शर्तें क्या हैं;

(घ) इसके लिए प्राइवेट पार्टियों को क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) निजी क्षेत्र की इस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) "अपने मालडिब्बे के स्वयं मालिक बनें" योजना की मुख्य बातों और शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) योजना का ब्यौरा अधिसूचित कर दिए जाने के बाद ही निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया का पता चल पायेगा।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में "अपने माल डिब्बे के स्वयं मालिक बनें" जनता की बहुत दिनों से मांग है इस योजना को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है और सरकार कब तक इसको अन्तिम रूप देगी इसका निश्चित समय बताएं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, कुछ शर्तें सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया गया है। यह कार्य लगभग अन्तिम चरण में है। यथाशीघ्र हम इसे अन्तिम रूप दे देंगे और फिर हम विज्ञापन देंगे ताकि इच्छुक लोग इसका अध्ययन कर सकें और फिर ऐसी योजनाओं के लिए आगे आएं।

[हिन्दी]

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष जी, मैं मोटे रूप से जानना चाहता हूं कि इस योजना की मुख्य बातें क्या है।

श्री मल्लिकार्जुन : माभ्यवर, मुख्य बात यह है कि वैगन्स की डिमाण्ड और सप्लाई के बीच में बड़ा गैप रहने के कारण इस स्कीम को लागू करना चाहते हैं और जो इंटरस्टेड पार्टी है वह वैगन बिल्डर्स से वैगन्स को प्रोक्यूर करेंगे और फिर रेलवे को देंगे और रेलवे लीस चार्जेस ओनर्स को देगी।

[अनुवाद]

पहले दस वर्षों के दौरान 14.5 प्रतिशत पट्टे का प्रभार दिया जायेगा और अगले दस वर्षों के लिए यह एक प्रतिशत की दर से दिया जायेगा। 20 वर्ष पश्चात् रेल विभाग इसकी चर्चा संबंधित पार्टियों से करेगा और डिब्बे काम में लाने योग्य है या नहीं यह देखेगा। यह सब किया जायेगा।

श्री सनत कुमार मंडल : महोदय, मैं रेल विभाग की वर्तमान गाड़ियों मे जोड़ जाने वाले डिब्बों को बनाने वाले विभिन्न संयंत्रों की अनुमानित लागत जानना चाहूंगा जिसने स्पष्टतः रेल ढांचे को बड़ा धक्का पहुंचाया है। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रेल विभाग ने प्रचारित निजीकरण के कारनामों से, विशेषकर जबकि सरकार रेल सेवा में सुधार हेतु निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए रेल अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, क्या सबक सीखा है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, वर्तमान गाड़ियों के माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना सेवा में सुधार करने की ओर एक कदम होगा। हमने एक योजनावधि में 1,50,000 माल डिब्बे बनाने की योजना बनाई है और एक लाख माल डिब्बों को बदला जाना है। इस प्रकार वर्तमान संख्या में कुल 50,000 माल डिब्बे और जोड़े जाएगे। यह आवश्यक हो गया है क्योंकि हम अधिकांशतः कोयला, इस्पात-संयंत्र, उर्वरक, खाद्यान्न और इसी प्रकार के प्रमुख क्षेत्रों को माल डिब्बे दे रहे हैं। अंततः छोटे उद्योग और अन्य को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोर सेक्टर आगे आये और अपने लिए माल डिब्बे उपलब्ध करा लें तो वर्तमान व्यवस्था को कुछ आसानी होगी और छोटे उद्योगपतियों और उद्यमियों को माल डिब्बे प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार में जमालपुर रेल कारखाना, जहां पर रेल के डिब्बे बनते हैं, उसे आधुनिकीकरण के लिए जापान सरकार से कोई राशि देने का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बे अर्से से लम्बित हैं क्योंकि उसमें पन्द्रह हजार मजदूर बेकार पड़े हुए हैं तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए जमालपुर रेल कारखाना का किस प्रकार से आधुनिकीकरण किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, दरअसल हम निजी उद्योगों से माल डिब्बे प्राप्त कर रहे हैं। हमारी वर्कशापों में मुश्किल से 3000 डिब्बों का उत्पादन होता है। जहां तक जमालपुर कार्यशाला के आधुनिकीकरण का सवाल है यह सब धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[हिन्दी

श्री अयूब खां : जनाब सदरे मोहतरम, मैं आपका बहुत ही मशकूर हूं कि मुझे बहुत दिनों के बाद आपने अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस अवसर का सही उपयोग कीजिए।

श्री अयूब खां : पहला मौका मिला है, इसलिए आपका मशकूर हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं चूंकि राजस्थान में ज्यादातर मीटर गेज रेलवे लाइन्स हैं और वहां पर गरीब इलाके के यातायात के संबंध में सवारी डिब्बों की कमी की वजह से और माल डिब्बों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों के विकास में बहुत बाधा पड़ रही है। क्या मंत्री महोदय मीटर गेज के माल डिब्बे बनाने के लिए झुंझुनू में कोई कारखाना खोलने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : अयूब खां जी, क्या यह इसमें से निकलता है।

श्री मल्लिकार्जुन : माम्यवर, मीटर गेज के डिब्बे के कारखाने को खोलना तो समस्या है क्योंकि राजस्थान में जितनी मीटर गेज है हम उसको ज्यादातर ब्रॉड गेज में कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अब हम केवल बड़े माल डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि करेंगे।

श्री बूटा सिंह : महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि वे मीटर गेज व्यवस्था को समाप्त करने जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मीटर गेज पर ही निर्भर करती है अन्तरण अवधि के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है······

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न 'अपना रेल माल डिब्बा' के बारे में है। वे सभी प्रश्न वास्तव में इस प्रश्न के तहत नहीं आते। हम श्री अयूब खां द्वारा पूछे गए अनुपूरक प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते।

श्री बूटा सिंह : महोदय, कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि इसके लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त किया था और इसकी रिकमंडेशंस उनके पास आई हैं और उस पर विचार हो रहा है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि टास्क फोर्स की जो रिकमंडेशंस हैं, उसमें कौन सी प्रमुख रिकमंडेशंस हैं और इस स्कीम के अन्दर—'Own your Wagon Scheme' स्कीम के अन्दर जो वैगन्स बनाई जाएंगी वह प्राइवेट सेक्टर में जो कारखाने हैं उनमें बनाई जाएंगी, इसके बारे में आज सरकार का विचार क्या है?

श्री मल्लिकार्जुन : माम्यवर, जो वैगन्स रेलवे को देने की इच्छा रखते हैं, वह वैगन बिल्डर्स के पास बनाने का आर्डर देंगे किन्तु रेलवेज उसकी स्पेसिफिकेशंस और डिजाइन्स के बारे में इंस्पेक्ट

करेगी और रेलवेज की जो स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, उसी के अन्तर्गत वैगन बिल्डर्स वह बनाकर जबरल पूल में रेलवेज को देंगे।

श्री राम नाईक : प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में ?

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे जितने भी वैगन बिल्डर्स हैं, ज्यादातर सब प्राइवेट सेक्टर में ही हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : क्या भारत माल डिब्बे निजी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : मैं बता तो रहा हूं अधिकांशतः।

चिकित्सकों की असावधानी से हुई मौत

*393. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** † :

डा० वसंत पवार :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "ए० आई० आई० एम० एस० एडमिट्स लैप्स आफ्टर 18 मंथ्स कवर अप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

श्री बी० के० दत्ता के मामले की जांच की गई थी जिसकी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 13.12.1990 को मृत्यु हो गई थी। जांच रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की जरूरत का उल्लेख किया गया है कि संवेदनाहरण के दौरान रोगी की सतत निगरानी रखी जाए और संवेदनहरण विज्ञान विभाग में जूनियर रेजिडेंटों और सीनियर रेजीडेंटों/संकाय सदस्यों के विशिष्ट उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया जाए। इसे संवेदनाहरण देने की जिम्मेदारी, रोगी की विशेष हालत सहित हर प्रकार के आपरेशन के मामले में रखी जाने वाली निगरानी के स्तर को परिभाषित करके लागू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ही माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया। बहुत ही निर्दोष भावना से एक संचित वक्तव्य दे दिया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक बहुत ही साधारण गरीब जिसको स्कूटर से घुटने में चोट आई और दिसम्बर 1990 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में श्री बी० के० दत्ता भरती हुए, उनको कहा गया

कि मामूली ऑपरेशन होगा।

श्रीमन्, मूल प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति वहां दाखिल हुआ। उसको कहा गया कि लोकल एनेस्थीसिया होगा इंजेक्शन लगाकर। इंजेक्शन देने के बाद जो डॉक्टर साहिबा थीं, वह आठवीं मंजिल पर चली गई। प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें आधा घंटा या पचास मिनट यहां रुकना चाहिए। इसी बीच उन्हें दिल का दौरा पड़ा, हाइपरटेंशन हुआ और श्री दत्ता दिवंगत हो गए।

मेरा सवाल यह है कि ये घटना डॉक्टर की छोटी-सी लापरवाही के कारण हुई कि एक गरीब इतने प्रतिष्ठित आयुर्विज्ञान संस्थान में दिवंगत हो जाता है। इस घटना की स्वास्थ्य मंत्रालय ने या आयुर्विज्ञान संस्थान की गवर्निंग बॉडी ने कोई जांच कराई कि इस तरह की असामयिक मृत्यु के लिए कौन-कौन से लोग जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य महोदय के इस प्रश्न से इत्तफाक रखता हूं और सहमत हूं कि श्री बी० के० दत्ता की मृत्यु हुई और उसमें किसी डॉक्टर की लापरवाही है, इसमें कोई शक नहीं है। यह वाकया दिसम्बर 1990 में हुआ और उसमें कोई डॉ० सुषमा एहलावत थीं जिनको वहां रुकना चाहिए था जब तक कि मरीज पूरी तरह होश में न आ जाता। यह एलिगेशन लगाया गया कि वह वहां नहीं थी। इसके लिए मंत्रालय ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई और हाई पावर्ड कमेटी के चेयरमैन डा० डी. पी. गोयल, जो एक्स डी. जी. एच. एस. थे और उसके मेम्बरान डा० आई. डी. बजाज, वह भी फार्मर डी. जी. एच. एस. थे। और डा० आर. एस. सक्सेना, जो पहले कन्सल्टेंट कर रहे हैं अनैस्थेयोलोजी में, सफदर जंग अस्पताल में, उसके अतिरिक्त डा० ए. के. मुखर्जी, जो एडीशनल डी. जी. हैं, डायरेक्टरेट जनरल आफ हेल्थ सर्विसेज में, उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि—

[अनुवाद]

इस मामले में किसी व्यक्ति से गलती हुई थी।

[हिन्दी]

और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उसे मैं यहां संक्षेप में कहना चाहूंगा कि फेल्योर आफ सम सिस्टम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। जब यह केस मंत्रालय के पास पहुंचा तो मंत्रालय ने आदेश दिया कि उस डाक्टर के खिलाफ फौरन कार्यवाही की जाए, जिसकी भी थोड़ी बहुत लापरवाही इसमें रही हो, लेकिन वह एक सीनियर रेजिडेंट डाक्टर थीं और कंट्रैक्ट सिस्टम पर थीं तथा जिस समय रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट पर जब अमल हुआ तो उससे पहले ही वे आल इण्डिया इंसटीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज से चली गई थीं—

[अनुवाद]

वह उस समय भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सेवारत नहीं थी।

[हिन्दी]

उसके बाद, डा० सुषमा अहलावत ने फिर एप्लाई किया कि उन्हें आल इण्डिया इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में एसिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसियेट प्रोफेसर के पद पर अप्वाइंट कर लिया जाए, सलेक्शन कमेटी ने उनका नाम रिकमैंड किया कि इन्हें अप्वाइंट कर लिया जाए लेकिन गवर्निंग बाडी ने उस सिफारिश को रद्द कर दिया कि ऐसे डाक्टर को आल इण्डिया इंसटीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में अप्वाइंट नहीं किया जाए, तैनात न किया जाए।

श्री मोहन सिंह : इन सारी बातों को, अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के उत्तर में ही माननीय मंत्री जी कह सकते थे, जो अनुपूरक में इन्होंने कहा। फिर भी मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस तरह की कई घटनाएं आल इण्डिया इंसटीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में घट रही हैं और मैंने मंत्री जी को कई पत्र भी लिखे हैं, जिनका आज मैं यहां उल्लेख करना नहीं चाहता परन्तु माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि आल इण्डिया इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल में इस तरह की घटने वाली घटनाओं में जिन डाक्टरों की लापरवाही जांच के बाद सुनिश्चित कर दी जाती है, उनके विरुद्ध किसी तरह की दण्डात्मक या अवरोधात्मक कार्यवाही या उनको ठीक करने संबंधी कोई कदम या पहल सरकार की ओर से की गई है, कदम उठाए गए हैं, कोशिश की जा रही है या नहीं, मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट जानना चाहता हूं।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं पूरी तरह कि यदि किसी भी डाक्टर के खिलाफ कोई नेग्लीजेंस साबित हो जाए, उसके खिलाफ पूरे तौर पर कार्यवाही की जाएगी और इसमें मैं किसी का भी पक्ष नहीं करूंगा। आपको मालूम होगा कि पार्लियामेंट में और इसी सत्र में डा. ओ. पी. सिंह की कथित अनियमितताओं के बारे में कहा गया था, पार्लियामेंट में इस संबंध में सवाल भी आया, उनका नाम भी सलैक्शन कमेटी ने रिकमैंड किया था लेकिन हमने उनका नाम रद्द कर दिया और रद्द ही नहीं किया बल्कि उनको सस्पेंड भी किया क्योंकि वे आल इण्डिया इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज के डाक्टरों में थे। इसलिए मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी डाक्टर के जरिए अगर कोई लापरवाही होगी, उसमें किसी को भी, जो एक बार हमारी गिरफ्त में आ जायेगा, उस गिरफ्त से उसे नहीं छोड़ा जाएगा।

श्री मोहन सिंह : मैंने एक पागल डाक्टर के बारे में आपको पत्र लिखा था, उसके विरुद्ध कार्यवाही सही हो नहीं है जबकि सर्टिफिकेट है पागल-खाने का।

डा० वसंत पवार : इस व्यक्तिगत मामले के बारे में भूल जाइए। लेकिन गलत एनस्थीसिया के कारण पहले भी मौतें हो रही हैं। इस मामले में मैं महसूस करता हूं कि अन्तिम एनस्थीसिया नहीं दिया जाना चाहिए था। उसके स्थान पर साधारण एनस्थीसिया दिया जाना चाहिए था। लेकिन कुछ भी हो, प्रश्न का भाग (घ) इस प्रकार है : "सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में न हों"। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या आपरेशन से पहले चैकअप की प्रक्रिया रोज अपनाई जाती है और निश्चेतकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी रोगी की मृत्यु के बाद सभा आयोजित करने की सामान्य परम्परा है ?

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आवश्यक मार्ग निर्देश विस्तार से तथा लिखित रूप में जारी कर दिए गए हैं तथा आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि विभाग द्वारा भेजे गए मार्ग निर्देशों का कड़ाई से पालन हो।

[हिन्दी]

डा० छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि मि. दत्ता की मृत्यु आल इण्डिया इन्सटीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज में एक डाक्टर की लापरवाही से हुई तो क्या उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया या

न हीं किया गया ? यदि नहीं किया गया तो क्यों ?

श्री एम० एल० फोतेदार : आनरेबल मेम्बर से मैं इतना ही कह सकता हूं कि वह सीनियर डाक्टर था और कांट्रेक्ट बेसिस पर था।

श्री राजवीर सिंह : मंत्री जी, यह क्या बात हुई ? अगर कोई हत्या कर के चला जाए और आप कहेंगे कि वह कांट्रेक्ट बेस पर था ?

[अनुवाद]

श्री एम०एल० फोतेदार : हमने भारतीय आयुर्विज्ञान एवम् चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के निदेशक को निर्देश दिया है कि उस डाक्टर के विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए। मैं यहां तक कह सकता हूं कि अगर डा. दत्ता के रिश्तेदार कोई शिकायत अथवा मुकदमा दर्ज करते हैं तो मैं ऐसे डॉक्टर का बचाव नहीं करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रेलवे का गैर-सरकारीकरण

*394. **श्री अमल दत्त** :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे का बड़े पैमाने पर गैर-सरकारीकरण करने तथा रेलवे की भावी विस्तार और खरीद योजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारीकरण संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत किन-किन रेलवे क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी नहीं, जुलाई 1991 में घोषित की गई औद्योगिक नीति के अनुसार, रेल परिवहन को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, बहरहाल, कर्मचारियों की छंटनी किए बिना कतिपय सहायक कार्यकर्ताओं, यथा खानपान और भारतीय रेलों की "अपने माल डिब्बे के स्वयं मालिक बनें" योजना, के निजीकरण का विस्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चेन खींचने की घटनाएं

*395. **श्री तेज नारायण सिंह** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान रेलवे में चेन खींचने के कितने मामलों की रिपोर्ट की गई और कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया और दंड दिया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान किन-किन स्थानों में चेन खींचने के सबसे अधिक मामले हुए; और

(ग) सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक की अवधि के दौरान, खतरे की जंजीर खींचे जाने की 6.31 लाख घटनाओं की सूचना मिली थी। इस अवधि के दौरान, इस संबंध में 2246 व्यक्तियों को पकड़ा गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से 957 व्यक्तियों को जेल भेजा गया और 952 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

(ख) निम्नलिखित खण्डों पर खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं की संख्या बहुत अधिक थी—

वाराणसी-मांझी, वाराणसी-इलाहाबाद सिटी,
छपरा-बरौनी, नरकटियागंज-समस्तीपुर,
गोरखपुर-गोंडा/मुख्य, गोरखपुर-गोंडा/लूप,
गोमी-हजारीबाग रोड,
मोकामा-दानापुर।

गाजियाबाद-हाथरस, टूण्डला-कानपुर सेंट्रल,
इलाहाबाद-मिर्जापुर, प्रतापगढ़-फैजाबाद,
प्रयाग-वाराणसी, प्रयाग-ऊंचाहार,
गाजियाबाद-मुरादाबाद, दिल्ली-रेवाड़ी,
दिल्ली-गाजियाबाद।

आगरा कैंट-फरीदाबाद, भोपाल-इटारसी,
भुसावल-मनमाड, इटारसी-जबलपुर,
सतना-मानिकपुर, डभौरा-शंकरगढ़,
बम्बई-कल्याण।

कोटा-गंगापुर सिटी,
गंगापुर सिटी-जाजमपट्टी,
सिकन्दराबाद-वाडी, सिकन्दराबाद-काजीपेट-विजयवाड़ा।

(ग) अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं : समय-समय पर अचानक जांच करना, विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार अभियान चलाना, नये रेल अधिनियम में निवारक दण्ड के प्रावधान का शामिल किया जाना और बुरी तरह प्रभावित गाड़ियों में खतरे की जंजीर के उपकरणों का हटाया जाना।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का विस्तार

*396. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 2500 टी. सी. डी. प्रतिदिन की क्षमता से कम की उत्पादन क्षमता वाले चीनी मिलों का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी, सहकारी और सरकारी क्षेत्रों की ऐसी चीनी मिलों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(ग) इसके विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) चीनी फैक्ट्रियों को अपनी तकनीकी आर्थिक संभाव्यता, आर्थिक स्थिति तथा गन्ने की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्षमता में विस्तार के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं ही प्रस्तुत करने होते हैं।

(ख) ऐसी परियोजनाओं के लिए कोई विशेष आर्थिक सहायता आबंटित नहीं की गई है। तथापि, चीनी फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण/क्षमता में 2500 टी. सी. डी. तक विस्तार के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार चीनी विकास निधि से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 198.67 लाख टन की लाइसेंसशुदा क्षमता का लक्ष्य रखा है जिसे 1996-97 तक प्राप्त किया जाना है। इसमें विस्तार परियोजनाओं तथा नई चीनी फैक्ट्रियों दोनों के माध्यम से क्षमता को बढ़ाना शामिल है।

शिक्षा पद्धति

*397. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और इंटरनेशनल मोनेटरी फंड ने विचार व्यक्त किया है कि प्राथमिक शिक्षा पर किये जाने वाले व्यय का उस समय तक अपेक्षित लाभ नहीं होगा जब तक विद्यार्थियों को पढ़ाई बीच में छोड़ने से रोका नहीं जाता है और यह भी कि उच्च शिक्षा के लिए योग्यता को ही मानदण्ड बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा पर किए गए व्यय का प्रतिशत कम हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार का कोई मंतव्य सरकार को नहीं भेजा गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) आठवीं योजना में प्रारंभिक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है ।

[अनुवाद]

विभिन्न प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन

*398. **श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों में विभिन्न प्रकार के खेलों को प्रोत्साहन दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजनार्थ विभिन्न, विश्वविद्यालयों को सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, और चालू वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि का आवंटन किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार युवा कार्य एवं खेल विभाग के अधीन विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलकूद के लिए अनुदान योजना के अन्तर्गत खेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए पात्र विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह सहायता इस शर्त के अध्यधीन होती है कि प्रत्येक परियोजना की लागत सरकार/वि. अ. आ. और संबंधित विश्वविद्यालय तथा कालेज के बीच 75:25 के अनुपात में वहन की जाएगी । सहायता की अधिकतम सीमा भिन्न-भिन्न है, सहायता की रकम खेल मैदानों के विकास के लिए 22,000 रुपए से 1.24 लाख रुपए तक, इनडोर स्टेडियम/सुविधाओं के लिए 30 लाख रुपए से 52.50 लाख रुपए तक, आउटडोर स्टेडियम/सुविधाओं के लिए 9 लाख से 18 लाख रुपए तक, तरणताल के लिए 30 लाख रुपए से 63.75 लाख रुपए तक, और खेल छात्रावासों के लिए 13.50 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक की होती है ।

इस योजना के अन्तर्गत, निधियों का आवंटन विश्वविद्यालय-वार नहीं किया जाता । वि. अ. आ. द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालयों/कालेजों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों की जांच की जाती है और प्रत्येक मामले के आधार पर खेल संबंधी बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की जाती है । वि. अ. आ. द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 1985-86 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान और चालू वर्ष के दौरान खेल-संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विश्वविद्यालयों/कालेजों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं :

वर्ष	दिए गए अनुदान (रुपए लाखों में)
1985-86	21.08
1986-87	59.61
1987-88	130.39

वर्ष	दिए गए अनुदान (रुपये लाखों में)
1988-89	40.00
1989-90	90.00
1990-91	371.00
1991-92	74.00
1992-93 (30.7.92 तक)	151.27*

* संस्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं परन्तु अधिकांश मामलों में वास्तविक भुगतान अभी किया जाना है।

पर्यावरणीय प्रबन्धन में महिलाओं की भूमिका

*399. **श्री प्रवीन डेका :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियो घोषणा में पर्यावरणीय प्रबन्ध और अनवरत विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में बनाई गई/बनाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और विकास संबंधी रियो घोषणा-पत्र का सिद्धान्त 20 इस प्रकार है :—

"पर्यावरण प्रबन्ध और विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अत: स्थाई विकास की उपलब्धि के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी अनिवार्य है।"

(ख) भारत सरकार उक्त सिद्धान्त का पूरा समर्थन करती है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता स्वतंत्रता के बाद से ही एक राष्ट्रीय अवधारणा रही है। एक अलग महिला और बाल विकास विभाग पहले ही खोला जा चुका है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988-2000) में महिलाओं के चहुमुखी विकास के निदेश दिए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह सुनिश्चित करने की योजना है कि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले लाभों से महिलाओं को वंचित न किया जाए और इस प्रयोजन के लिए और खासकर शिक्षा स्वास्थ्य और पोषाहार, बाल विकास, रोजगार के लिए और सामान्यत: पर्यावरण और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएं।

वृक्षारोपण

*400 **श्री शरत चन्द्र पटनायक :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसा कोई निगरानी तंत्र बनाया है जो यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में लगाए गए पौधे पूर्ण वृक्ष बन जायें;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जल और उचित देखरेख के अभाव में कितने पौधे पनप नहीं सके;

(ग) क्या देश में वृक्षारोपण कार्यों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस बारे में अचानक जांच की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की अनुवीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, के प्रशासन के पास अपनी-अपनी व्यवस्थाएं हैं। केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड और आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा प्रगति की अनुवीक्षा की जाती है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की भी धन-दाता एजेंसियों द्वारा अनुवीक्षा की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पौधों की जीवितता की राज्य-दर-राज्य स्थिति उपलब्ध नहीं है। कतिपय राज्तों में किए गए वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के अध्ययनों और मूल्यांकनों से पता चला है कि स्थिति-वार और प्रजाति-वार भिन्नता के रहते समग्र जीवितता दर 55% से 80% तक रही है।

(ग) और (घ) कार्य-निष्पादन में सुधार करने के विचार से राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अपने अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाने और वनीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यकलापों के स्थिति-वार ब्योरे संकलित करने एवं इस जानकारी को जन-प्रतिनिधियों और आम जनता तक पहुंचाने की सलाह दी गई है। वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए वास्तविक वृक्षारोपण कार्य की स्वतंत्र एजेंसियों/विशेषज्ञों द्वारा चयन किए गए जिलों में नमूना जांच भी शुरू की जा रही है।

खाद्यान्नों के लिए भण्डारण सुविधाएं

***401. श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों के लिए भण्डारण सुविधाएं पर्याप्त हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय खाद्य निगम और सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) मैक्रो स्तरीय आधार पर उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यों में खाद्यान्नों का भण्डारण करने की वर्तमान क्षमता पर्याप्त समझी जाती है। तथापि, क्षेत्रीय असंतुलनों, आदि को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम का इन राज्यों में आठवीं योजनावधि के दौरान क्रमशः 48,800 मीटरी टन, 40,000 मीटरी टन और 23,400 मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का अनन्तिम प्रस्ताव है।

"खुली खानें"

*402. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुली खानों से भूतल के लिए और आस-पास के क्षेत्रों के पर्यावरण के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पर्यावरणीय क्षति को रोकने और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। सरकार को खुली खदानों के कारण उनके आस-पास के क्षेत्रों में भूमि की सतह और पर्यावरण को होने वाली क्षति की जानकारी है।

(ख) सरकार ने यह शर्त लगाई है कि कोयला खनन परियोजनाओं की आयोजना के स्तर पर ही पूरी जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनन क्षेत्रों में खनन के साथ-साथ सुधार जैसे पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को उनमें शामिल किया जाए। पर्यावरणीय मंजूरी देते समय निर्धारित किए गए सुरक्षा उपायों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश भी शामिल किए जाते हैं। परियोजना प्राधिकारियों को केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सभी सांविधिक विनियमों का अनुपालन करना होता है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

*403. डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन केन्द्रों में कुछ रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान स्थापित किए जाने वाले ऐसे केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) परम्परागत केन्द्र-आधारित प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा के आधार पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की मुख्य नीति पूर्ण साक्षरता के लिए ऐसे जन-अभियान आयोजित करने की होगी जो क्षेत्र-विशेष, समयबद्ध, स्वयंसेवी-आधारित लागत प्रभावी तथा परिणामोन्मुखी हो। अतः नई नीति के अन्तर्गत, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों जैसी कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन शिक्षार्थियों तथा स्वयं-सेवियों की सुविधा के स्थानों पर पठन-पाठन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पूर्ण साक्षरता अभियान, पूर्णतः या आंशिक रूप से 156 जिलों में आरम्भ किए गए हैं। इसके अलावा, 46 स्वैच्छिक एजेंन्सियों को छोटे तथा सुसम्बद्ध क्षेत्रों में पूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएं संस्वीकृत की गई है।

(ख) से (घ) पूर्ण साक्षरता अभियानों में, साक्षरता तथा अंक ज्ञान जिसमें कार्यात्मक साक्षरता भी शामिल है में आत्म-निर्भरता की परिकल्पना की गई है। अभियान की अल्पावधि को ध्यान में रखते हुए इन अभियानों में रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम आरम्भ करना सम्भव नहीं है। तथापि अन्य विभागों तथा एजेन्सियों के सहयोग से, उत्तर-साक्षरता तथा सतत शिक्षा के प्रत्येक कार्यक्रम में दक्षता-विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने श्रमिक विद्यापीठ की एक योजना संचालित की है जो शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों के कामिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान करते हैं। इस योजना का शिक्षा के प्रति बहुसंयोजक दृष्टिकोण है, जो व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कामिकों तथा उनके परिवारजनों की व्यावसायिक दक्षता तथा तकनीकी ज्ञान में सुधार लाता है। 37 श्रमिक विद्यापीठों ने देशभर में 195 अल्प तथा दीर्घ आवधिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

404. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु धनराशि के आबंटन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) मंजूर किए गए प्रस्तावों और उनके लिए आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्य है; और

(ग) शेष प्रस्तावों को स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) 1992-93 के दौरान बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवन के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार स्थिति निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	प्राप्त प्रस्ताव की संख्या
1.	गुजरात	1
2.	कर्नाटक	4
3,	केरल	3
4.	महाराष्ट्र	4
5.	पंजाब	1
6.	तमिलनाडु	1
7.	उत्तर प्रदेश	2
		16

इन प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है और प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुणावगुणों के आधार पर स्वीकृति दी जायेगी ।

साबुन एवं डिटेर्जेन्टों के लिए "ईकोमार्क"

*405. **डा० रवि मल्लू :**

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन एवं डिटेर्जेन्टों के बारे में "ईकोमार्क" शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में सभी साबुन एवं डिटर्जेन्ट निर्माताओं के मामले में इस योजना को लागू करने के लिए सरकार के पास सभी आधारभूत अपेक्षाएं मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस योजना को कार्यान्वित करने पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार ने उन सामान्य और उत्पाद विशिष्ट अपेक्षाओं को अधिसूचित कर दिया है जिनको भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पर्यावरणीय रूप से अनुकूल उत्पाद के प्रमाणन और फिर उसे "ईकामार्क" दिए जाने के लिए साबुनों और प्रक्षालकों द्वारा पूरा किया जाना है ।

(ख) उम्मीद की जाती है कि जिन साबुनों और प्रक्षालकों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा पर्यावरणीय रूप से अनुकूल उत्पाद का प्रमाण-पत्र दिया गया है उनके निर्माण, उपयोग और निपटान से पर्यावरण को अन्य उत्पादों की तुलना में कम क्षति होगी ।

(ग) और (घ) साबुनों और प्रक्षालकों को पर्यावरणीय रूप से अनुकूल उत्पाद का प्रमाण-पत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है जो मानकों के कार्यान्वयन के लिए देश में प्रमुख संस्था है ।

(ङ) यह स्कीम स्वैच्छिक है और उन्हीं साबुन और प्रक्षालक निर्माताओं पर लागू होगी जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1956 और उसके अन्तर्गत निर्धारित नियमों में बताए गए तरीके से भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाण-पत्र लेने के लिए आवेदन करेंगे । अतः इस स्कीम के कार्यान्वयन की लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

"पूर्वी घाटों का पारिस्थितिकीय संतुलन"

*406. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी घाटों पर पतझड़ वनों के 150 किलोमीटर क्षेत्र को बॉक्साइट भंडारों के विदोहन से खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो बॉक्साइट भंडारों का विदोहन करते समय होने वाले वन-विनाश को रोकने तथा परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत बॉक्साइट खनन सहित वनेतर-प्रयोजनों के लिए वन भूमि के प्रयोग की मंजूरी वनस्पतिजात और प्राणिजात पर खनन के सम्भावित प्रभावों सहित सभी सम्भावित पहलुओं पर विचार करने के बाद दी जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"प्राकृतिक उद्यानों के लिए प्रस्ताव"

4007. **श्री केवल हरि प्रसाद** :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री काशीराम राणा :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्यों की बेकार पड़ी भूमि को प्राकृतिक उद्यानों मे बदलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/की जायगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वनस्पतिजात और प्राणिजात का अपने प्राकृनिक अवस्था में संरक्षण के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने हेतु राज्य सरकारों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की पुनरीक्षा करने के लिए समिति

4008. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सारे कार्यकलापों की पुनरीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके निकले निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) सरकार ने जामिया मिलिया इस्लामिया में होने वाली नवीनतम गतिविधियों के बारे में बराबर जानकारी रखी है। विश्वविद्यालय में स्थिति का उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करने तथा सरकार को मामले में परामर्श देने के उद्देश्य से इस विभाग ने 8 जून, 1992 को विश्वविद्यालय प्राधिकारियों सहित सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श से पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक दल गठित किया था। दल ने अपनी पहली व दूसरी बैठक नई दिल्ली में क्रमश: 24 जून, 1992 तथा 20-22 जुलाई, 1992 को आयोजित की। दल की फिर से शीघ्र ही बैठक होने वाली है।

त्रिपुरा में वन संपदा की तस्करी

4009. **श्री सैफुद्दीन चोधरी :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य वन प्रतिपालक (केन्द्रीय) पूर्वोत्तर जोन को त्रिपुरा में वन संपदा की कथित अवैध तस्करी की जांच के लिए कोई निर्देश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), उत्तर पूर्वी क्षेत्र को त्रिपुरा वन संपदा की कथित अवैध तस्करी की जांच करने के निदेश दिए गए थे। अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद प्रधान सचिव, (वन) त्रिपुरा से राज्य में होने वाली इमारती लकड़ी की तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों पर एक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार से अभी उत्तर की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स की कार्यकारी परिषद

4011. **श्री ललित उरांव :**

श्री रामदेव राय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद की कार्यकारी परिषद के सदस्यों के मनोनयन संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) वर्तमान परिषद के सदस्यों और उनकी योग्यताओं का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मनोनीत व्यक्तियों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और स्थानीय पुलिस स्थानों में शिकायतें दर्ज हैं; और

(घ) यदि हां, तो परिषद में इन व्यक्तियों का मनोनयन करने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) भारतीय खान विद्यालय, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1987 के अधीन पंजीकृत एक सम-विश्वविद्यालय है। विद्यालय के कार्यकारी बोर्ड का गठन, जैसाकि विद्यालय

की सोसाइटी के मैमोरन्डम आफ एसोसिएशन, नियमों व विनियमों में व्यवस्था है, के अनुसार है। इसमें केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नामिती शिक्षा विद (अकादमिक) और व्यावसायिक शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार के पास बोर्ड में नामित ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, कोई सूचना/जानकारी नहीं है, जिनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप है और स्थानीय पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज हैं। विद्यालय की सोसायटी के नियमों और विनियमों में इस बात की व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य, नैतिक भ्रष्टता सहित, क्रिमिनल अपराध में अभिशस्त है, वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहता है।

सहकारी समितियों की चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन

4012. **श्री छेदी पासवान :**

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1991-92 में सहकारी समितियों की चीनी मिलों में चीनी का उत्पादन कम हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसी प्रत्येक मिल में चीनी का राज्यवार, कुल कितना उत्पादन हुआ ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं। सहकारी चीनी मिलों ने 30-6-92 तक 76.23 लाख टन (अनंतिम) चीनी का उत्पादन किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 30-6-91 तक यह उत्पादन 71.41 लाख टन था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान सहकारी चीनी मिलों द्वारा चीनी के राज्यवार उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है :

विवरण

सहकारी चीनी मिलों द्वारा पिछले तीन वर्षों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान किए गए उत्पादन का राज्यवार विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
1. पंजाब	1.73	1.79	1.90
2. हरियाणा	1.52	1.76	2.22

1	2	3	4
3. राजस्थान	0.08	0.07	0.07
4. उत्तर प्रदेश	5.44	7.53	6.80
5. मध्य प्रदेश	0.22	0.27	0.49
6. गुजरात	5.78	6.66	8.31
7 महाराष्ट्र	25.30	37.65	39.64
8. आसाम	0.09	0.11	0.09
9. उड़ीसा	0.16	0.14	0.21
10. आंध्र प्रदेश	1.94	1.97	2.73
11. कर्नाटक	3.57	4.05	4.63
12. तमिलनाडु	4.24	3.57	4.63
13. पांडिचेरी	0.30	0.18	0.20
14. केरल	0.12	0.13	0 08
15. गोआ	0.09	0.09	0.08
समस्त भारत	50 58	65.97	72.08

नई दिल्ली नगरपालिका के औषधालय

4013. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के कितने औषधालय हैं; और वे कहां-कहां पर स्थित है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे और अधिक औषधालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके अधीन, 12 एलोपैथिक, 9 आयुर्वेदिक और 9 होमियोपैथिक तथा 2 बल औषधालय हैं। औषधालयों की अवस्थिति इस प्रकार है :—

एलोपैथिक औषधालय :

1. मंदिर मार्ग
2. पालिका केन्द्र
3. पॉलीक्लीनिक (शहीद भगत सिंह मार्ग)
4. बाबर रोड

5. विद्युत भवन
6. गोल्फ लिंक
7. लोदी रोड
8. किदवई नगर
9. सरोजिनी नगर
10. नेताजी नगर
11. चाणक्यपुरी
12. इलैक्ट्रिक लेन

आयुर्वेदिक औषधालय

1. मंदिर मार्ग
2. पालिका केन्द्र
3. औरंगजेब लेन
4. बापू धाम
5. मोती बाग-1
6. पूर्वी किदवई नगर
7. नेताजी नगर
8. लोदी रोड
9. सरोजिनी नगर

होमियोपैथिक औषधालय

1. मंदिर मार्ग
2. पालिका केन्द्र
3. हरीशचन्द्र माथुर लेन
4. बाबर रोड
5. विद्युत भवन
6. तुग्लक क्रीसेंट
7. बापू धाम
8. लोदी रोड
9. सरोजिनी नगर

(ख) और (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने 92-93 के दौरान छह नए होमियोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का वचन दिया है।

[अनुवाद]

मालबिया और आरंघाटा स्टेशन

4014. श्री अजय मुखोपाध्याय :

डा० असीम बाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्व रेलवे के सियालदा डिवीजन के राणाघाट-गेडे सेक्शन में माझदिया और आरंघाटा स्टेशनों को "ब्लाक" स्टेशन से घटाकर "फ्लैग" स्टेशन बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। यात्रियों को सुलभ मौजूदा सुविधाएं कम किए बिना स्टेशनों में कार्य-संचालन में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इन स्टेशनों को ब्लाक स्टेशनों के रूप में बनाए रखने के लिए फिलहाल कोई परिचालनिक आवश्यकता भी नहीं है।

रेलगाड़ियों में शराब का सेवन

4015. **श्री अर्जुन चरण सेठी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मगध और राजधानी एक्सप्रेसों में वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों को शराब का सेवन करने की अनुमति है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) रेलवे के वातानुकूलित डिब्बों में शराब सेवन का निषेध सुनिश्चित करने हेतु रेलवे कर्मचारियों को अनुदेश देने के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) वातानुकूल शयनयान तथा वातानुकूल कुर्सीयानों में मद्यपान निषेध है। वातानुकूलित पहले दर्जे में नोटिस लगे होते है जिनमें यात्रियों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने सह यात्रियों की सुविधा के लिए डिब्बों में मद्यपान न करें। रेल कर्मचारियों को इस आशय के अनुदेश हैं कि वे वातानुकूल शयनयान और वातानुकूल कुर्सीयानों में मद्यपान करने की अनुमति न दें और ऐसे यात्रियों के विरुद्ध रेल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करें।

पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे पर विकास कार्य

4016. **प्रो सुशान्त चक्रवर्ती** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे और दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत, प्रत्येक डिवीजन को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और डिवीजन वार कितनी आय हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लिए वर्ष-वार और डिवीजन वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न डिवीजनों में डिवीजन वार शुरू किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना मंडल-वार नहीं बल्कि रेलवे-वार संकलित की जाती है। 1988-89 से अगले तीन वर्ष की पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों की समग्र आमदनी के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

राशि करोड़ रुपयों में

रेलवे	1988-89	1989-90	1990-91
पूर्व	1124.32	1266.76	1404.43
दक्षिण पूर्व	1569.83	1901 88	2145.96

(ख) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर विकास कार्यों के रूप में निर्माणाधीन नई रेल लाइनों पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

रेलवे	1988-89	1989-90	1991-91
पूर्व	2.29	2 30	8.81
दक्षिण पूर्व	15.79	80.66	100.87

ऐसे निर्माण कार्यों के लिए मंडल-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) जहां तक नई लाइनों, दोहरी लाइन बिछाने और आमान परिवर्तन का संबंध है, इन रेलों पर चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित विकास कार्य शुरू किए गए हैं :—

पूर्व रेलवे : खाना-झापटेर ढाल खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाना लागत 9 करोड़ रुपये।

दक्षिण पूर्व रेलवे : आमान परिवर्तन :

(i) पुरुलिया-कोटशिला (36 कि.मी.) लागत 20 करोड़ रुपये।

(ii) गोंदिया-चांदा फोर्ट (242 कि.मी.) लागत 170.22 करोड़ रुपये।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को शामिल करना

4017. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल और गतिशीलता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से एक कल्पनाशील परिमाणोन्मुखी कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के प्रभारी मंत्रियों द्वारा जनवरी, 1992 में स्वीकृति प्रदान की गई है। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के चिकित्सकों को परिवार

कल्याण कार्यक्रम में शामिल करने का कार्य इस कार्य योजना का एक घटक है। इस कार्य योजना को राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में गोदामों का निर्माण

4018. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा हारावल (देहरादून) में खाद्यान्न गोदाम और केन्द्रीय भाण्डागारण नियम द्वारा गढ़वाल में अतिरिक्त क्षमता वाले खाद्यान्न गोदाम के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य-वाही की गई है/किये जाने का विचार है;

(घ) इन गोदामों के निर्माण का कार्य कब तक हो जायेगा; और

(ङ) इन गोदामों के निर्माण के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उसकी कुल लागत कितनी है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ङ) भारतीय खाद्य निगम का 8वीं योजनावधि के दौरान हारावल में 10,000 मीटरी टन की क्षमता के गोदाम का निर्माण करने का इरादा है। इस संबंध में भारतीय खाद्य निगम उपयुक्त भूमि प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है। इसकी दृष्टि में, फिलहाल इसकी परि-योजना की कुल लागत अथवा इसे पूरा करने की अवधि बताना व्यवहार्य नहीं है।

केंद्रीय भंडारण निगम का श्रीनगर (गढ़वाल) में 5,000 मीटरी टन की भंडारण क्षमता का निर्माण करने की योजना है। राज्य सरकार ने भूमि प्राप्त करने से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं लेकिन उन्हें भूमि का कब्जा मिलना अभी बाकी है। भूमि का कब्जा ले लेने के बाद निर्माण करने के लिए सामान्य समय 18-24 महीने लगेगा। अनुमान है कि निर्माण-लागत एक करोड़ रुपये बैठेगी जिसमें भूमि की लागत शामिल नहीं है।

इलाहाबाद में यात्री निवास

4019. **श्रीमती सरोज दुबे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले इलाहाबाद में रेलयात्री निवास की आधारशिला रखी गई थी;

(ख) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसका निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) संसाधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को छोड़ दिया गया है।

[अनुवाद]

भोपाल स्टेशन

4020. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन को विकसित करने के लिए शुरू किए जाने वाले निर्माण कार्य और इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितना कार्य पूरा हो गया है और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) "आदर्श स्टेशन" योजना के अंतर्गत भोपाल में 211.99 लाख रु० की अनुमानित लागत पर प्रतीक्षालयों, परिचलन क्षेत्र, प्लेटफार्मों, पूछताछ कार्यालय, स्नानागार, प्लेटफार्म नं० 3 और 4 पर सवारी डिब्बों में पानी भरने की व्यवस्था करने में सुधार करने, अल्पाहार कक्ष का नवीकरण, नये प्रतीक्षालयों, प्लेटफार्म नं० 4 और 5 पर शायबान, प्लेटफार्म नं० 2 और 1 पर सी.सी. एप्रेन, बुकिंग काउंटर, विश्रामकक्ष, नये प्रसाधन ब्लाक की व्यवस्था करना, मौजूदा पुलों के स्थान पर ऊपरी पैदल पुल का निर्माण करने तथा स्टील बेंचों की व्यवस्था करने का कार्य शुरू किया गया है। प्लेटफार्म नं० 3 और 4 पर सवारी डिब्बों में पानी भरने की व्यवस्था करने के कार्य में सुधार लाने के कार्य के अलावा सभी कार्य पूरे कर लिए गए हैं यह कार्य भी जून, 1993 में पूरा कर लिया जायेगा, जिसके लिए 1992-93 के दौरान 12.84 लाख रु० की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा, प्लेटफार्म नं० 3 और 4 में धुलनीय एप्रेन की व्यवस्था करने का कार्य भी 36.10 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 1992-93 में शुरू किया गया है। 1992-93 के दौरान 0.59 लाख रु० का आबंटन किया गया है। इस कार्य के 1992-93 में पूरा हो जाने की आशा है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

चीनी मिलों में घाटा

4021. **श्री एन० जे० राठवा :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितनी चीनी मिलें है तथा इनमें से राज्य-वार कितनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं;

(ख) क्या सहकारी क्षेत्र की कई मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कितना घाटा होने की संभावना है; और

(ङ) इन चीनी मिलों को भावी संकट से उबारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 30.6.92 तक देश में 409 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं जिनमें से 229 चीनी फैक्ट्रियां सहकारी क्षेत्र में हैं। सहकारी चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख), (ग) व (घ) सरकार चीनी मिलों के लाभ या घाटे का लेखा नहीं रखती है। चीनी मिलों की लाभप्रदता गन्ने की उपलब्धता के अलावा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जिनमें क्षमता, आयु तथा प्लांट एवं मशीनरी की स्थिति, तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता आदि शामिल हैं।

(ङ) सरकार ने चीनी फैक्ट्रियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें लेवी चीनी व खुली बिक्री चीनी का अनुपात 45 : 55 ही जारी रखना, जल्दी व देर तक की गई पिराई की अवधि के दौरान प्राप्त किए उत्पादन पर उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करना, गन्ना विकास योजनाओं तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्ट्रियों संख्या
1	2	3
1.	पंजाब	13
2.	हरियाणा	10
3.	राजस्थान	1
4.	उत्तर प्रदेश	31
5.	मध्य प्रदेश	3
6.	गुजरात	17
7.	महाराष्ट्र	95
8.	बिहार	—
9.	आसाम	2

1	2	3
10.	उड़ीसा	4
11.	पश्चिमी बंगाल	—
12.	नागालैण्ड	—
13.	आन्ध्र प्रदेश	18
14.	कर्नाटक	17
15.	तमिलनाडु	14
16.	पांडिचेरी	1
17.	केरल	2
18.	गोआ	1
19.	दादरा नगर हवेली	—
20.	मणिपुर	—
	समस्त भारत कुल	229

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में नई रेल परियोजनाएं

4022. श्री प्रकाश वी॰ पाटील :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नई रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ परियोजनाएं अलाभप्रद पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने आमान परिवर्तन के लिए पांच, नई बड़ी लाइनों के लिए तीन तथा रेल डिब्बा और पहिया एवं धुरा कारखाने की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन परियोजनाओं तथा इन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुशंसित परियोजनाएं	की गई कार्रवाई
1.	मनमाड-औरंगाबाद मी. ला. का ब. ला. में बदलाव तथा उसके	मनमाड-औरंगाबाद आमान परिवर्तन कार्य 1991-92 में पूरा किया गया और खोला गया।

	महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुशंसित परियोजनाएं	की गई कार्रवाई
	बाद इसे परली-वैजनाथ और आदिलाबाद तक बढ़ाना।	परभनी-परली वैजनाथ खंड पर कार्य प्रगति पर है और परभनी-आदिलाबाद खंड पर शुरू किया जा रहा है। समूचे मार्ग का आमान परिवर्तन 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	लातूर-बार्सी-पंढरपुर-मिरज छो. ला. का आमान परिवर्तन तथा इसे लातूर रोड तक बढ़ाना तथा उस्मानाबाद को इस लाइन से जोड़ने वाली एक नई रेलवे लाइन बिछाना।	लातूर-मिरज छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य ही आमान परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल किया गया है।
3.	चांदा फोर्ट-गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।	कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है। गोंदिया-चांदा फोर्ट उप खण्ड का कार्य 1992-93 के बजट में शामिल कर लिया गया है और इसे शीघ्र शुरू किया जाएगा।
4.	दौंड-बारामती छो. ला. का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन।	यह कार्य 1992-93 के बजट में शामिल कर लिया गया है और यह प्रगति पर है।
5.	यावतमल-मूर्तीजापुर-अचलपुर रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन।	यह एक करार की शर्तों के अनुसार रेलों द्वारा परिचालित निजी लाइन है। इसके आमान परिवर्तन का प्रश्न रेलों द्वारा इसका अधिग्रहण कर लेने के बाद ही पैदा होगा। इसके संबंध में विकल्प 1996 में दिया जा सकेगा।
6.	खामगांव से जालना तक नयी बड़ी लाइन।	अलाभप्रद पाया गया अतः प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की जा सकी।
7.	अहमदनगर-बीर-पर्ली-वैजनाथ नई बड़ी लाइन।	
8.	वर्धा-यावतमल-पुसाद-नांदेड़ रेलवे लाइन का निर्माण।	संसाधनों की तंगी के कारण इस कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं है।
9.	विदर्भ क्षेत्र में रेल डिब्बा कारखाना तथा पहिया एवं धुरा संयंत्र स्थापित करना।	ये प्रस्ताव महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से प्राप्त हुए थे, लेकिन इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि रेलें धन की तंगी का सामना कर रही हैं।

नवोदय विद्यालय समिति में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

4023. **श्री ताराचन्द खंडेलवाल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन

किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इस समिति की बैठकें आयोजित की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। 12 नवम्बर, 1991 को नवोदय विद्यालय समिति (मुख्यालय) के लिए एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है, जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं :—

1.	डा० एस० के० नारंग, जे० डी० (शैक्ष.)	—	अध्यक्ष
2.	श्री एस० एस० गौरी, डी० डी० (पी० एंड ए०)	—	सदस्य
3.	श्री बी० पी० शर्मा, डी० डी० (वित्त)	—	सदस्य
4.	श्री के० मोहन राव, डी० डी०	—	सदस्य
5.	डा० यू० सी० बाजपेयी, ए० डी०	—	सदस्य
6.	श्री सी० एस० गुप्ता, ई० ई०	—	सदस्य
7.	श्री जे० एल० वोहरा, ए० डी० (प्रशा०)	—	सदस्य
8.	श्री के० के० गोयल, ए० डी०	—	सदस्य

(ग) जी, हां। 12 नवम्बर, 1991 और 16 जनवरी, 1992 को समिति की बैठकें हुई थीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंढरपुर से कुर्डुवाडी के लिए रेल लाइन

4024. **श्री राम नाईक** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में मध्य रेलवे पर पंढरपुर और कुर्डुवाडी के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कार्य शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस कार्य को रेलों द्वारा आमान परिवर्तन के लिए तैयार की गई कार्य योजना मे शामिल कर लिया गया है। कार्य को आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

कोटा में नया स्टेशन

4025. **श्री राम अवध** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोटा शहर में दूसरा रेलवे स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलवे स्टेशन कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समस्तीपुर डिवीजन में कोयले की चोरी

4026. **श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के खजोली, सकरी, निर्मली सहरसा, बरौनी (गरहरा) और विशेष रूप से जयनगर स्टेशनों पर रेल इंजनों से भारी मात्रा में कोयले की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता मिला;

(ग) इसे रोकने और उत्तरदायी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) समस्तीपुर डिवीजन पर विभिन्न रेलगाड़ियों के लिए कोयले पर अनुमानतः और वास्तव में कितना खर्च होता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयले की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. यार्डों और भेद्य खण्डों में गहन गश्त लगाना।

2. चोरों और चुराया गया कोयला लेने वाले के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अपराध आसूचना कर्मचारी तैनात किए जाते हैं और चोरी हुए कोयले का पता लगाने के लिए छापे मारे जाते हैं।

3. अपराधियों को पकड़ने के लिए भेद्य खण्डों तथा बदनाम स्थलों में अचानक जांच की जा रही है।

4. निवारक और खोजी ड्यूटियों के लिए श्वान दल (डाग-स्क्वाड) भी लगाए जाते हैं।

5. अपराधियों और चोरी हुए कोयले के प्राप्तकर्ताओं के विरुद्ध कारंवाई करने के लिए रे.सु.ब. और रा.रे.पु. के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

जब कभी रेल कर्मचारियों की सहापराधिता वाले मामले प्रकाश में आते हैं तब उन्हें दंड देने तथा अन्य लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करने के दोहरे उद्देश्य से उनके विरुद्ध निवारक कारंवाई की जाती है। बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है।

(घ) अनुमानित लागत 9,14,07,000/- रु० है और वास्तविक खर्च 9,22,60,000/- रु० है।

विज्ञान शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु धनराशि

†4027. श्री भीम सिंह पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विज्ञान शिक्षा को बेहतर बनाने हेतु अपने अपने राज्यों के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को पर्याप्त धनराशि मुहैया कराने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सभी सरकारी तथा मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस प्रयोजनार्थ धन दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार, स्कूलों में विज्ञान-शिक्षा के सुधार की केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को निम्नलिखित घटकों के लिए एक चरणबद्ध ढंग से सहायता प्रदान करती है :—

— सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त अपर प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किट देने का प्रावधान;

— सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की विज्ञान प्रयोगशालाओं को प्रोन्नत और सुदृढ़ करना;

— सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को पुस्तकालय-पुस्तकों की आपूर्ति;

— विज्ञान शिक्षा के लिए, जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना;

— विज्ञान और गणित शिक्षकों का प्रशिक्षण।

(ग) और (घ) उपर्युक्त योजना के अधीन, मध्य प्रदेश सरकार को अभी तक निम्नलिखित मदों के लिए सहायता प्रदान की गई है :—

— 6291 अपर प्राथमिक स्कूलों के लिए विज्ञान किटों का प्रावधान;

— 6[illegible]0 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करना;

— 625 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को पुस्तकालय पुस्तकों की आपूर्ति;

— विज्ञान और गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 140 कार्यक्रमों का आयोजन।

पहली सहायता अनुदान राशि के पूर्ण उपयोग होने तक, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन भेजे गए नए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

देश में विश्वविद्यालय

4028. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1990 की स्थितिनुसार विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) प्रत्येक शैक्षणिक ग्रेड अर्थात् प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चरों में पृथक-पृथक अध्यापन कर्मियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) इसमें अध्यापन कर्मियों के वेतन और भत्तों पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ङ) इसमें गैर-अध्यापन कर्मियों के वेतन और भत्ते पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार देश में 31.3.90 तक 146 विश्वविद्यालय और 28 सम विश्वविद्यालय थे।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) चूंकि देश में विश्वविद्यालयों की एक बड़ी संख्या राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षित की जाती है अत: राज्य सरकारों से वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाले ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय और कालेज के वास्तविक व्यय के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार को भेजना अपेक्षित नहीं है। तथापि, मार्च 1990 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए० आई० यू०) द्वारा किए गए एक अध्ययन नमूने में, जिसमें 1969-70 से 1984-85 तक की अवधि शामिल थी, यह दर्शाया गया है कि शिक्षण स्टाफ के वेतन एवं भत्ते का भुगतान, उच्च शिक्षा पर कुल व्यय का लगभग 49.27% था, जबकि गैर, शिक्षण स्टाफ पर लगभग 19.13% था।

एन. बी. टी. द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

4029. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान एन० बी० टी० ने कितनी मराठी पुस्तकों को प्रकाशित किया है तथा इन पर कितना खर्च आया है;

(ख) क्या मराठी पुस्तकों के प्रकाशन में कोई कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उन पुस्तकों की बिक्री से कितनी आय हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने मराठी में 344 पुस्तकें प्रकाशित की तथा इन पुस्तकों के प्रकाशन पर 43.07 लाख रु० खर्च किए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) न्यास द्वारा भाषा अनुसार लेखे न रखने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान इन पुस्तकों की बिक्री से होने वाली कुल आय का परिकलन नहीं किया जा सकता।

कपूरथला कारखाने में रेल डिब्बों का निर्माण

4030. **श्री एन० डेनिस :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपूरथला में रेल डिब्बा कारखाने की स्थापना विदेश से प्राप्त की जाने वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी की सहायता से कम भार वाले आधुनिक रेल डिब्बों का निर्माण करने के लिए की गई थी;

(ख) इस प्रयोजनार्थ जिस प्रकार की उन्नत (आयातित) प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, उसका ब्योरा व स्रोत क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इससे गति, यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई सुरक्षा और प्रति डिब्बा वार्षिक संचालन लागत के रूप में हुई बचत जैसे क्या क्या लाभ मिलेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल सवारी डिब्बा कारखाना, कपूरथला ने आरम्भ में मौजूदा अभिकल्प के सवारी डिब्बों का उत्पादन शुरू करना था और सवारी डिब्बों के नए अभिकल्प उपलब्ध होने पर उनका उत्तरोत्तर उत्पादन आरम्भ करना था।

(ख) और (ग) नए अभिकल्प वाले सवारी डिब्बे की प्रौद्योगिकी योजना स्तर पर है।

दक्षिण रेलवे में पुल

4031. **श्री थाइल जॉन अंजलोस :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थित दक्षिण रेलवे के रेल पुलों का संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने पुलों की मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान मरम्मत के काम पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान कौन कौन से पुलों की मरम्मत का काम आरम्भ किया जाएगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 2,470

(ख) 15

(ग) खर्च का लेखा राज्यवार नहीं रखा जाता है।

(घ) निम्नलिखित पुलों पर भारी मरम्मत का कार्य चल रहा है।

पुल संख्या	खंड, जिस पर पुल स्थित है।
1	2
1144, 1085 और 687	पाल घाट-शोरुवण्णूर
767, 843, 943 और 1039	शोरुवण्णूर-कालीकट

1	2
1138 और 904	कालीकट-मंगलोर
374 389 391	कालीकट-मंगलोर
2199	तेनकाशी-कोल्लम
402	एर्णाकुलम-कोट्टयम

धौलपुर-सिरमुत्रा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4032. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में धौलपुर-तांतपुर-सिरमुत्रा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है तथा इस पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों के क्षेत्रीय कार्यालय

4033. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत केन्द्रीय विद्यालयों के क्षेत्रीय कार्यालयों की वर्तमान संख्या क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या

क्रम सं०	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	45
2.	भोपाल	60

1	2	3
3.	बम्बई	51
4.	भुवनेश्वर	55
5.	कलकत्ता	43
6.	चंडीगढ़	55
7.	दिल्ली	50
8.	गोहाटी	43
9.	हैदराबाद	50
10.	जम्मू	50
11.	जयपुर	52
12.	लखनऊ	63
13.	मद्रास	53
14.	पटना	53
15.	सिलचर	43
16.	मुख्यालय के अधीन	02
	कुल : सिर्फ सात सौ अड़सठ	768

विदेश में स्थित तीन और केन्द्रीय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा सीधे संचालित हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे में शिक्षा संबंधी सुविधाएं

4034. **श्री राम टहल चोधरी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत कितने प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल खुले हुए हैं;

(ख) क्या रेल कर्मचारियों ने आद्रा संभाग के अन्तर्गत भोजूडीह रेलवे हाई स्कूल में 10+2 कक्षाएं खोलने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए 88 प्राथमिक (आस्टेरिटी टाइप के 60 प्राथमिक स्कूलों सहित)

8 माध्यमिक और 8 हाई स्कूल कार्य कर रहे हैं;

(ख) और (ग) दक्षिण पूर्व रेलवे को मांग प्राप्त हुई है। इस संबंध में निर्णय रेलवे की रिपोर्ट पर निर्भर करता है।

आन्ध्र प्रदेश में सहकारी चीनी परिसर

4035. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों में छः चीनी फैक्ट्रियों का एक जोन बनाकर विजिगान नगर में महाराष्ट्र के समान सहकारी चीनी परिसर बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो चीनी की उन फैक्ट्रियों के क्या नाम हैं जिनका एकीकरण किया जाएगा;

(ग) इस निर्णय लेने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) किसानों और चीनी फैक्ट्री के लिए यह किस हद तक लाभप्रद होगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि आंध्र प्रदेश सरकार ने यह सूचना दी है कि कुछ सहकारी चीनी फैक्ट्रियों को शामिल करके विजाग जिले में एक चीनी परिसर बनाने का प्रस्ताव है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में अस्पतालों में कुव्यवस्था

4036 **श्री मदन लाल खुराना :**

श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्री विजय कुमार यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के अस्पतालों के आपातकालीन वार्डों में व्याप्त कुव्यवस्था के बारे में क्रमशः 12, 13, 14, 16, 17 और 19 जून, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस" में क्रमशः प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारों में किन-किन मुख्य मुद्दों को प्रकाशित किया गया है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन समाचारों में किए गए निराशाजनक पहलू के प्रकाशन को देखते हुए दिल्ली में बाह्य अस्पतालों का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए कदमों की वर्तमान स्थिति का ब्योरा क्या है और विद्यमान अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) समाचार पत्र की रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली के विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में अत्यधिक भीड़-भाड़, सुविधाओं में कमी और आपाती सेवाओं की स्थिति जैसे मामलों के बारे में उल्लेख किया गया है। इस बात का पता लगाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं कि निर्माण कार्यक्रम, पदों को भरने और दिल्ली में ऐसे बाह्य अस्पतालों जिन्हें स्थापित करने की योजना है, में उपस्करों की व्यवस्था करने के कार्य को तेज किया जाए। ये अस्पताल ऊपर बतलाए गए स्थापना और मानीटरिंग के विभिन्न चरणों में हैं जिन्हें नियमित रूप से चलाया जाता है।

जहां तक मौजूदा अस्पतालों का संबंध है प्रत्येक संस्था और संसाधनों की उपलब्धता की परस्पर प्राथमिकता के अनुसार सुधार कार्य शुरू किए जाते हैं।

पर्यावरण संबंधी आडिट योजना

4037. **डा० रवि मल्लू :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पर्यावरण संबंधी आडिट योजना देश के विकास में बाधक मानी गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेड़ काटने के विरुद्ध कानून

4038. **श्री रवि राय :**

क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने संबंधी उस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिससे जनजातीय क्षेत्रों में पेड़ काटने के विरुद्ध बनाए गए कानून का उल्लंघन किया जा रहा था;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित में बाह्य एजेंसियों द्वारा याचिका दायर करने के अधिकार का समर्थन किया है; और

(ग) न्यायालय के इस संबंध में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के 9 जुलाई, 1990 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में वृक्षों को काटने की अनुमति दी गई थी। लेकिन, उच्च न्यायालय का निर्णय आदिवासी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई के खिलाफ बनाए गए कानून के विपरीत नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सरकार के आदेशों को रद्द किए जाने के बाद इन क्षेत्रों में पट्टादारों द्वारा वृक्ष काटे जाने के संबंध में कोई अनुमति नहीं दी गई और पहले ही काटे गए वृक्षों की सामग्री वन विभाग के नियंत्रण में है। चूंकि जो वृक्ष नहीं काटे गए हैं, वे उस क्षेत्र में पूर्ववत विद्यमान हैं। इसलिए आगे और अवक्रमण का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों का कार्यकाल

4039. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के अधिकतम अवधि तक निरन्तर एक स्थान पर बने रह सकने के संबंध में कोई दिशानिर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कोई दिशा निर्देश न होने के क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती से संबंधित मार्गनिर्देशों में किसी विशेष पद पर समयावधि निर्धारित है परन्तु तैनाती के स्थान के बारे में कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए धनराशि

4040. श्री रामनगीना मिश्र :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक राज्य को धनराशि कब तक दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों को परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु सहायता अनुदान का भुगतान चार तिमाही किश्तों में किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहली किश्त का भुगतान पहले ही, मई, 1992 में कर दिया गया है। शेष तीन किश्तों का भुगतान अगस्त, 1992, अक्तूबर, 1992 और जनवरी, 1993 में किया जाना है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1992-93 के लिए प्रस्तावित आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5445.33
2.	असम	2251.73

1	2	3
3.	बिहार	4800.15
4.	गुजरात	3386.66
5.	हरियाणा	1520.05
6.	हिमाचल प्रदेश	993.11
7.	जम्मू और कश्मीर	1137.92
8.	कर्नाटक	3094.07
9.	केरल	2493.69
10.	मध्य प्रदेश	5201.07
11.	महाराष्ट्र	6491.20
12.	मणिपुर	373.48
13.	मेघालय	254.10
14.	नागालैंड	217.48
15.	उड़ीसा	3196.64
16.	पंजाब	1841.37
17.	राजस्थान	3762.22
18.	सिक्किम	131.41
19.	तमिलनाडु	4441.96
20.	त्रिपुरा	299.30
21.	उत्तर प्रदेश	12838.90
22.	पश्चिम बंगाल	4895.05
23.	अरुणाचल प्रदेश	147.48
24.	गोवा	125.19
25.	मिजोरम	152.01
	योग :	69491.57

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में गंगा कार्य योजना पर चर्चा

4041. श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियो-डि-जेनेरों में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में गंगा कार्य योजना पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) रियो-डि-जेनेरो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन में किसी समिति की किसी बैठक में गंगा कार्य योजना पर विचार-विमर्श नहीं किया गया है ।

विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली

4042. **श्री के० चोक्का राव :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अलग-अलग परीक्षा प्रणालियां यथा वर्ष-वार अथवा सेमिस्टर प्रणाली अपनाई जा रही है;

(ख) क्या परीक्षा प्रणाली में विभिन्नता होने के कारण कठिनाई हो रही है और परिणाम-स्वरूप योग्यता तथा स्तर का आकलन करने में अन्तर आ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने का है ?

मानव संसाधन विकास (मंत्रालय शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है, और संबंधित विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषदों/अध्ययन बोर्डों के परामर्श पर छात्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धतियां स्वयं निर्धारित करते है । अनेक विश्वविद्यालय उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों, विशेष रूप से इन्जीनियरी और चिकित्सा जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में, दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (1992 के संशोधनों को शामिल करते हुए) में परीक्षा पद्धति को फिर से तैयार करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है ताकि मूल्यांकन की एक पद्धति अर्थात छात्र विकास की एक मान्य एवं विश्वसनीय पद्धति और शिक्षण और अध्ययन में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली साधन को सुनिश्चित किया जा सके । शिक्षा नीति में आगे यह भी परिकल्पना की गई कि राष्ट्रीय परीक्षा सुधार ढांचा परीक्षण निकायों के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाओ का एक सेट पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा जो विशिष्ट स्थितियों के अनुसार ढांचे में नए परिवर्तन करने तथा अनुकूल बनाने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।

कार्यस्थलों पर धूम्रपान

4043. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कमरों के भीतर प्रदूषण न फैलने देने के लिए कार्य स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध या रोक लगाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं । लेकिन धूम्रपान के खतरे को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने धूम्रपान को अपनी व्यावसायिक संकटों

की सूची में शामिल किया है और वह कार्य स्थलों पर धुआं रहित पर्यावरण बनाने के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डीजल जेनेरेटिंग सेटों पर रोक

4044. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री राजवीर सिंह :

श्री जगतवीर सिंह द्रोण :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ताज ट्रेपिजियम और इस घाटी में डीजल जेनेरेटिंग सेटों की स्थापना पर रोक लगी हुई है;

(ख) क्या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से डीजल जेनेरेटिंग सेट डीजल के चलने वाले वाहनों की तुलना में औसतन अधिक कुशलता से कार्य करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो केवल डीजल जेनेरेटिंग सेटों पर ही रोक लगाये जाने के क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण दृष्टि से डीजल जेनेरेटिंग सेटों और डीजल से चलने वाले वाहनों में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन डीजल जेनेरेटिंग सेटों से होने वाले प्रदूषण की समस्या स्थानीय स्वरूप की है और इनका कुल प्रधान मोबाइल डीजल से चलने वाले वाहनों से अधिक होता है।

साहित्य अकादमी का पुरस्कार

4045. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

श्री राम नाइक :

श्री एम० रमन्ना राय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1991 में 'चन्ना दी रात" नामक पंजाबी पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने संबंधी विवाद की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या साहित्य अकादमी पुरस्कारों संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं के संबंध में हक्सर समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी हां।

(ख) यह पुरस्कार साहित्य अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा अंतिम पेनल के तीन रीडर, डा० अमरीक सिंह, श्रीमती अमृता प्रीतम और जे० एस० अहलूवालिया की सिफारिश पर घोषित किया गया था। साहित्य अकादमी से यह पता चला है कि निर्णायकों के अंतिम पेनल को प्रस्तुत किए जाने के लिए अकादमी द्वारा बाजार से पुस्तक की कुछ प्रतियां खरीदी गई थीं। इस पुस्तक में 828 पृष्ठ थे। पुस्तक के पृष्ठ 826 पर एक कविता के नीचे दी गई दो पादटिप्पणियों में काली स्याही में हाथ से काट-छांट की हुई थी। कविता में श्रीमती इन्दिरा गांधी की आलोचना और उनकी हत्या का महिमागान किया गया बताते हैं, किंतु कविता में श्रीमती गांधी का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों को अभिशासित करने वाले नियमों और पद्धतियों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(ग) और (घ) साहित्य अकादमी के पुरस्कारों को अभिशासित करने वाले नियमों और पद्धतियों के संबंध में हक्सर समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हक्सर समिति की सिफारिशों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने से संबंधित मामले पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पत्थर तोड़ने का कार्य

4046. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पत्थर तोड़ने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद बन्द नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनमें से कितने "क्रशरों" को हटाने का आदेश दिया था;

(ग) उनमें से कितने "क्रशरों" को हटा दिया गया है और शेष कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने उन "क्रशरों" को पुनर्स्थापित करने की कोई योजना बनाई है, जिन्हें वहां से हटाने का आदेश दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में स्टोन क्रेशरों ने अपना काम बन्द कर दिया है।

(ख) और (ग) दिल्ली में ऐसे 12 स्टोन क्रेशर हैं, जिनको उच्चतम न्यायालय ने स्थानान्तरण के आदेश दे दिए हैं। अब तक इनमें से कोई भी स्टोन क्रेशर स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा सरकार को आदेश जारी होने की तारीख से छः महीने के भीतर फरीदाबाद में वैकल्पिक स्थल आबंटित करने के निदेश दिए हैं। हरियाणा

सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है ।

युवा कल्याण और खेल विकास संबंधी कार्यक्रम

4047. प्रो० रासा सिंह रावत :

प्रो० राम कापसे :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान तथा अन्य स्थानों में जहां ये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं वहां पर गत तीन वर्षों के दौरान युवा कल्याण संबंधी कितने कार्यक्रम किए गए;

(ख) इन कार्यक्रमों पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में युवा कल्याण और खेल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया;

(घ) बार्सिलोना ओलम्पिक में भाग लेने हेतु भारत द्वारा की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारत का किन-किन खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का विचार है; और

(च) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्यक्रम और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्यमन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में आयोजित युवा कल्याण और खेल विकास के कार्यक्रम तथा उन पर वर्ष-वार किया गया खर्च संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) 350/- करोड़ रुपए ।

(घ) सघन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे और संघों के अनुरोध पर अपेक्षित उपस्कर सहायता दी गई थी तथा खिलाड़ियों को उनके कार्य में बेहतरी के लिए विदेशों और भारत में उन्हें प्रशिक्षण-कम-स्पर्धा या प्रदर्शन दिया गया था । इसका ब्यौरा विवरण-3 पर दिया गया है ।

(ङ) भारत 12 खेलों अर्थात तीरंदाजी, एथलेटिक, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हाकी, जूडो, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती और यांटिंग में भाग ले रहा है ।

(च) 60.86 लाख रु० मंजूर किए गए हैं ।

विवरण-1

	1989-90	1990-91	1991-92
	1	2	3
युवा कल्याण			
1. व्यावसायिक प्रशिक्षण	514	82	32
2. खेल कार्यक्रम	524	37	49

	1	2	3
3. कार्य शिविर	370	4	36
4. युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम	210	29	38
5. सांस्कृतिक कार्यक्रम	140	25	99
6. राष्ट्रीय एकीकरण	5	1	3
7. साहसिक खेल	—	—	—
8. वनरोपण	—	—	110
9. कृषि जागरूकता	—	—	4
10. रक्त दान (परिवार नियोजन)	—	—	6
11. पर्यावरण और आर्थिक जागरूकता शिविर	—	—	62
12. प्रशिक्षण शिविर	—	—	113
13. साक्षरता	—	—	1412
14. महिलाओं के कल्याण के लिए कार्यक्रम	—	—	9
15. ट्राईसेम	—	—	51
16. साहसिक कार्यकलाप	11	8	4
17. युवाओं के लिए प्रशिक्षण	1	3	—
18. युवाओं के लिए प्रदर्शनी	2	4	2
19. युवा क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	—	—	1
खेल सहायता			
1. एस॰पी॰डी॰ए॰ केन्द्र	1	—	1
2. स्टेडियम	1	2	—
3. खेल काम्पलैक्स	—	—	1
4. टेनिस कोर्ट	—	1	—
5. खेल मैदान का विकास	—	—	1
6. गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान	—	—	1

विवरण-2

(रुपये लाखों में)

वर्ष-वार भेजी गई धनराशि

क्र.सं.	स्थान	1989-90		1990-91		1991-92	
		युवा	खेल	युवा	खेल	युवा	खेल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	3.21	—	0.88	—	1.80	29.00
2.	अलवर	1.86	—	0.76	—	0.85	—
3.	बांसवाड़ा	1.00	—	0.89	—	0.54	—
4.	बाड़मेर	2.41	—	1.35	—	1.42	—
5.	भरतपुर	1.75	—	0.58	—	0.96	—
6.	भिलवाड़ा	1.75	—	0.69	—	1.18	—
7.	बीकानेर	0.44	—	1.82	—	1.36	—
8.	बूंदी	1.43	—	0.59	—	0.77	—
9.	चित्तौड़गढ़	1.85	—	1.30	—	1.07	—
10.	चूरू	1.72	—	0.83	—	0.96	—
11.	धौलपुर	0.93	—	0.56	—	0.89	—
12.	डूंगरपुर	0.93	—	0.59	0.05	0.25	—
13.	गंगापुर सिटी	—	—	—	—	0.08	—
14.	जयपुर	4.12	—	5.12	—	1.53	90.00
15.	जैसलमेर	0.99	—	0.49	—	0.74	—
16.	जोधपुर	1.73	37.50	0.63	—	0.67	—
17.	जालोर	1.27	—	0.45	—	0.43	—
18.	झूंझनू	1.21	—	0.69	—	1.04	—
19.	झालावाड़	1.05	—	0.62	—	0.68	—
20.	कोटा	1·18	—	0.82	—	0.70	—
21.	नागौर	0.99	—	0.71	2.49	0.69	—
21.	पाली	1.65	—	0.77	0.35	0.78	—
23.	प्रतापगढ़	—	1 00	—	—	—	—
24.	सवाई माधोपुर	2.03	—	0.86	—	1.67	—
25.	सीकर	0.90	—	0.51	—	0.65	—
26.	श्री गंगानगर	1.51	—	0.61	—	0.89	—

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	सिरोही	1.40	—	0.79	—	0.94	—
28.	टोंक	1.40	—	0.70	—	0.86	0.25
29.	उदयपुर	2 08	—	1.05	—	1.20	0.07

विवरण-3

बार्सीलोना ओलम्पिक खेलों के लिए की गई तैयारियों का विवरण

खेल विधा का नाम	भारत में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों का विवरण	भारत/विदेशों में प्रदान किए गए प्रशिक्षण सह प्रतियोगिताएं
1	2	3
टेबल टेबिल टेनिस	1-2-92 से 25-2-92 1-3-92 से 25-3-92 16-4-92 से 30-4-92 25-6-92 से बार्सीलोना ओलम्पिक में प्रस्थान करने तक।	27 फरवरी से 1 मार्च, 1992 तक निगाटा सिटी, जापान में 25वें ओलम्पिक शिखर खेलों के टेबल टेनिस एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में टेबल टेनिस टीम का भाग लेना।
टेनिस	कोई प्रशिक्षण शिविर आयोजित नहीं किया गया। अर्हता प्राप्त खिलाड़ी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं चैम्पियनशिपों में भाग लेते रहे थे।	1. एन०ई०सी० द्वारा 12 से 17 मई"92 में मनीला में आयोजित विश्व कप की एशिया क्षेत्र स्पर्धा में 8 सदस्यीय टीम का भाग लेना। 2. श्री लोयंडर प्युस का भारत तथा विदेशों में प्रशिक्षण।
मुक्केबाजी	13-1-92 से 7-2-92 15-3-92 से 27-4-92 12-5-92 से बार्सीलोना ओलम्पिक में प्रस्थान करने तक।	1. 26 फरवरी से 4 मार्च, 1992 तक बैंकाक में एशियाई मुक्केबाजी-व-ओलम्पिक चयन ट्रायल में मुक्केबाजी टीम का भाग लेना। 2. 27 अप्रैल से 3 मई, 92 तक मनीला में एशियाई मुक्केबाजी-व-22वीं ओलम्पिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिताओं में मुक्केबाजी टीम का भाग लेना। 3. 15 मई से 10 जून 1992 तक क्यूबा (हवाना) में पेड्र सटाओं तथा गिराल्डो कार्डोव मुक्केबाजी

1	2	3
		प्रतियोगिताओं में मुक्केबाजी टीम का भाग लेना।
हाकी	जनवरी से फरवरी, 1992 मार्च से अप्रैल, 1992 6-5-92 से 15-6-92 16-6-92 से बार्सीलोना प्रस्थान करने तक।	यूरोपीय देशों अर्थात् ब्रूसेल्स, लंदन, मड्रीड, कोलोन तथा हालैंड में विभिन्न टेस्ट मैचों में हाकी टीम का भाग लेना।
एथेटिक्स	15-4-92 से 18-4-92 20-6-92 से 12-7-92 14-7-92 से बार्सीलोना ओलम्पिक में प्रस्थान करने तक।	21-3-92 को बोस्टन (अमरीका) में आई०ए०ए०एफ० विश्व क्रोस कण्ट्री चैम्पियनशिप में एथलेटिक्स टीम का भाग लेना।
पाल-नौकायन		20 अप्रैल से 15 जुलाई, 1992 तक यूरोपियन सर्किट में पाल-नौकायन टीम का प्रशिक्षण-व-भागीदारी।
बैडमिंटन	1-5-92 से 26-5-92 5-6-92 से 2[illegible]-6-92 7-7-92 से बार्सीलोना ओलम्पिक्स में प्रस्थान करने तक।	30 तथा 31 मई, 1992 को बार्सीलोना में अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट (ओलम्पिक टूर्नामेंट प्री-टेस्ट) तथा 2 से 3 जुलाई, 92 तक अमस्टरडम में और 4 से 7 जुलाई, 1992 पुर्तगाल में अन्तर्राष्ट्रीय मैचों में बैडमिंटन टीम का भाग लेना।
		2. 5 से 22 मार्च, 1992 तक बैडमिंटन टीम द्वारा यूरोपियन सर्किट टूर्नामेंट (स्वीडन, यू०के० और फ्रांस) में बैडमिंटन टीम का भाग लेना।
तीरंदाजी	15-2-92 से 8-3-92 1-4-92 से 15-5-92 10-6-92 से 5-7-92 15-7-92 से टीम के बार्सीलोना के लिए प्रस्थान करने तक।	3 से 10 मई, 1992 तक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट बिजिंग में तीरंदाजी टीम द्वारा भाग लेना।

1	2	3
कुश्ती	1-1-92 से 2-2-92 26-2-92 से 5-4-92 14-5-92 से बार्सीलोना के लिए प्रस्थान करने तक।	7 से 10 अप्रैल, 1992 तक कुश्ती टीम का सीनियर एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप, तेहरान में भाग लेना। 18 से 20 जून, 1992 तक कुश्ती टीम ने छठे अन्तर्राष्ट्रीय फ्री-स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट, प्योंग यांग (कोरिया) में भाग लेना।
भारोत्तोलन	5-5-92 से 12-5-92 22-5-92 से 11-6-92 12-6-92 से बार्सीलोना ओलम्पिक के लिए रवाना होने तक।	1. फुजोहन, चीन में 9 से 17 अप्रैल, 1992 तक 24वीं सीनियर एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारोत्तोलन टीम का भाग लेना। 2. 16 से 17 मई, 1992 तक आकलैंड में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारोत्तोलन टीम का भाग लेना।
जूडो	13-5-92 से 5-7-92 6-7-92 से बार्सीलोना ओलम्पिक के लिए प्रस्थान करने तक।	पूर्व-ओलम्पिक प्रशिक्षण के लिए 12 मई से 8 जुलाई, 1992 तक जापान में 5 जूडो खिलाड़ियों को विदेशी प्रशिक्षण।

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम

4048. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष ने भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता हेतु 6 सूत्रीय नीति का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) श्री रोबर्ट एस० मैकनमारा, भूतपूर्व विश्व बैंक के अध्यक्ष ने पहले राजीव गांधी स्मारक भाषण देते हुए मानव विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के

महत्व पर बल दिया। उन्होंने पर्यावरण पर तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रतिकूल प्रभाव की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उन्होंने बताया कि यदि प्रजनन दरें वर्तमान दरों की तरह ही कम होती रहीं तो इस देश के पास अगले 30 वर्षों मे 435 मिलियन आबादी होगी। उनके अनुसार भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कार्य परिवार नियोजन के साथ-साथ ही चलाने की बात का पता लगाया गया था इसके फलस्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसे इसे स्वयं ही सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी, वस्तुत: सम्पूर्ण जनसंख्या का बोझ सहन करना पड़ेगा जो कार्यक्रम के लिए और प्रजननता-दर में कमी की प्रगति दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। उन्होंने दृढ़तापूर्वक यह बात कही कि भारत को अन्य कारणों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए जो प्रजननता-दर को भी प्रभावित करती है। विशेषतया जिस आयु में महिला विवाह करे और महिला का स्तर विशेषकर जैसा कि उनके शैक्षणिक स्तरों में प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने गर्भनिरोधकों के प्रयोग को बढ़ाने, महिलाओं के लिए बेहतर स्तर, एक राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना करने, महिलाओं में देरी से विवाह करने की बात को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाने और देश में जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए प्राथमिक स्कूलों इत्यादि में लड़कियों को रखने और उनके पंजीयन की बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता की बात कही।

सरकार ने देश द्वारा सामना की जा रही जनसंख्या समस्या को पूरी तरह से समझ लिया है। देश में छोटे परिवार के प्रतिमान की स्वीकार्यता की गति को तेज करने के लिए नई नीतियां, जिनका उद्देश्य एक समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने का है, तैयार की गई हैं। इन नीतियों का उद्देश्य महिला साक्षरता, महिलाओं का स्तर, महिलाओं का रोजगार, लड़कियों की विवाह की सही आयु, पुत्र को तरजीह देने इत्यादि की बलवती इच्छा के रुझान में परिवर्तन जैसे सामाजिक-आर्थिक कारणों को उचित महत्व देना है। वे परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता और उन्हें दूरदराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के कार्य में सुधार, शिशु, बाल और मातृत्व की मृत्यु-दर में कमी, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रयासों में लोगों को बहुत बड़ी संख्या में भाग लेने की बात को सफल बनाने और जनसंख्या नियंत्रण सबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वियन को जारी रखने के लिए सुदृढ़ प्रशासनिक सहायता और राजनीतिक इच्छा होने की आवश्यकता की बात को मानते हैं। जनसंख्या संबंधी मुद्दों के बहु-क्षेत्रीय आयामों को ध्यान मे रखते हुए और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तैयार करने के लिए जनसंख्या पर राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति का गठन किया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को नया बल और गतिशीलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से परामर्श लेते हुए एक कार्य-योजना तैयार कर ली गई हैं। श्री मैकनमारा के अधिकतर सुझावों को इस कार्य-योजना में पहले ही सम्मिलित कर दिया गया है और यह कार्य-योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रचालित की जा रही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्य नियंत्रण कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता भी दी गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत "रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर"

4049. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्थानों में जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है; केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार के लिए कुछ "रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर" मनोनीत किए गए

हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की व्यवस्था से क्या चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे स्थानों पर जहां सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सीय परिचर्या प्रदान करने के लिए सरकारी स्रोतों के माध्यम से प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों और चिकित्सीय सुविधाओं को अपर्याप्त समझा जाता है, वहां प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों के रूप में प्राइवेट पंजीकृत चिकित्सकों को नियुक्त करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के सभी प्रमुखों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। साधारण प्रकार के रोगों का इलाज प्राधिकृत चिकित्सा परिचरों द्वारा किया जाता है तथा बड़ी बीमारियों के रोगियों को सरकारी/मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में भेजा जाता है।

[अनुवाद]

दैनिक यात्रियों को रियायती रेल पास

4050. **श्री राजेश कुमार** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैनिक यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आने-जाने के लिए मासिक रेल टिकट जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का बंगलौर से मैसूर के मध्य दैनिक यात्रियों को मासिक रेल टिकट जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दो स्टेशनों के बीच 150 कि०मी० की दूरी तक यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को निर्धारित किराए का भुगतान करने पर मासिक और तिमाही आधार पर सीजन टिकट जारी किए जाते हैं।

(ख) और (ग) बेंगलूरू-मैसूर खंड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के कारण इस खंड पर गाड़ी सेवाएं अस्थाई रूप से रद्द कर दी गई हैं अतः सीजन टिकट भी जारी नहीं की जा रही है। आमान परिवर्तन कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। जैसे ही आमान परिवर्तन कार्य पूरा होगा और गाड़ियां पुनः चलने लगेंगी, सीजन टिकट भी पुनः जारी की जाने लगेंगी।

आंध्र प्रदेश में चीनी कारखाने

4051. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में कुल कितने चीनी कारखाने कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत कितने कारखाने लाभ तथा घाटे में चल रहे हैं;

(ग) रुग्ण कारखानों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रहे सहकारी चीनी कारखानों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) 30-6-92 तक आंध्र प्रदेश में 37 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं। इनमें से 8 इकाइयां सार्वजनिक क्षेत्र में, 11 निजी क्षेत्रों में तथा 18 सहकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) सरकार चीनी मिलों के लाभ एवं घाटे से संबंधित सूचना नहीं रखती है।

(ग) चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं तथा वित्तीय संस्थाओं से उनका अनुमोदन करवाना होता है। पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है बशर्ते कि वे फैक्ट्रियां निर्दिष्ट शर्तें पूरी करती हों।

(घ) और (ङ) खाद्य मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

खाद्यान्न ढुलाई सहायता

4052. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहाड़ी राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न ढुलाई सहायता जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को इस प्रकार की सहायता से वंचित रखा गया है;

(ग) क्या सरकार देश के अन्य पहाड़ी जिलों के लिए किए गए सहायता के प्रावधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को इस प्रकार की सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) प्रमुख पहाड़ी राज्यों के मामले में, अन्दरूनी क्षेत्रों को सड़क मार्ग द्वारा अनाज भेजने की लागत अत्यधिक होती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में यह लागत जोड़ दी जाती है। यदि कुछ राहत नहीं दी जाती है तो खाद्यान्नों का अन्तिम खुदरा मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। ऐसी राहत प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय खाद्य निगम के आधार डिपुओं से निर्दिष्ट प्रमुख वितरण केन्द्रों तक खाद्यान्नों का उठान करने के लिए प्रमुख पहाड़ी राज्यों को ढुलाई लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस स्कीम का लाभ उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों को देने संबंधी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का अनुरोध सरकार के विचाराधीन है।

इजराइल में सहायता

4053. **श्री दिलीप भाई संघानी :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्छ की खाड़ी को हरा-भरा बनाने हेतु इजरायल के सहयोग से कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में गुजरात सरकार से कोई विचार-विमर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद-बरेली स्टेशनों के बीच उपरिपुल

4054. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद और बरेली के बीच अनेक रेल फाटकों पर उपरिपुलों का निर्माण करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी नहीं। रेलवे ऐसे ऊपरी पुलों के निर्माण की योजना बनाती है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने की सहमति के साथ प्रायोजित किया जाता है। ऐसे दो प्रस्ताव हुए हैं जिनकी स्थिति इस प्रकार है :

(1) पारसखेड़ा में समपार सं. 369-ए के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण। इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और 4.83 करोड़ रुपए की लागत से रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(2) रामपुर के निकट समपार सं॰ 404 के बदले ऊपरी सड़क पुल का निर्माण। इस प्रस्ताव को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कराने हेतु राज्य सरकार को अभी अपेक्षित प्रारम्भिक कार्य पूरे करने हैं।

[अनुवाद]

भिलाई में प्रदूषण

4055. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के भिलाई और दुर्ग क्षेत्र में वायु और जल प्रदूषण रोकने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या सरकार ने भिलाई में प्रदूषण की मात्रा का अध्ययन करने के लिए वहां कोई दल भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उस दल के दौरे का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) सरकार ने इस क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मध्य प्रदेश के भिलाई और दुर्ग क्षेत्रों में एक समयबद्ध कार्यक्रम के जरिए प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 श्रेणियों की शिनाख्त की है।

(ख) और (ग) 1991 के दौरान केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की एक टीम ने क्षेत्र का दौरा किया और भिलाई इस्पात संयंत्र की पर्यावरणीय दृष्टि से जांच की। टीम ने नोट किया कि संयंत्र के पास पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं हैं जिससे जल निकाय और परिवेशी वायु प्रभावित हो रही है। टीम की टिप्पणियों को संयंत्र प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है। पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना करने के लिए दल ने एक समयबद्ध कार्य योजना कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं।

(घ) विभिन्न उद्योगों से प्रदूषण नियन्त्रण के लिए किए गए उपायों मे निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं;

(2) परिवेशी वायु गुणवत्ता और परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के नेटवर्क स्थापित किए गए हैं;

(3) उद्योगों को बहिस्रावों के विसर्जनों और उत्सर्जनों को निर्धारित सीमाओं के अन्दर रखने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहमति अपेक्षाओं का पालन करने के लिए कहा गया है।

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) साझे बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह को सहायता देने की एक स्कीम शुरू की गई है।

(6) जल (प्रदूषण निवारण-एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की श्रेणियों के लिए तेल की खपत से संबंधित मानक निर्धारित किए गए हैं।

(7) उद्योगों के लिए पर्यावरणीय व्यवस्थाओं की जांच 1993 से अनिवार्य बना दी गई है।

कानपुर और कासगंज के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों को रोकना

4056. **श्री के. पी. रेड्डय्या यादव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8/9 जुलाई, 1992 को कानपुर और कासगंज के बीच चलने वाली सवारी गाड़ियों को रोक दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय किसान यूनियन द्वारा ऐसी मांगों के संबंध में आन्दोलन किए जाने के कारण, जो रेलों से संबंधित नहीं थीं।

बर्दवान-आसनसोल सेक्शन में आधारभूत सुविधाएं

4057. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में बर्दवान-आसनसोल सेक्शन के बीच आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है ताकि इस सेक्शन में ई. एम. यू. यात्री डिब्बों को इस सेक्शन में तत्काल चलाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुना-इटावा रेल लाइन

4058. **श्री योगानन्द सरस्वती :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-इटावा रेल लाइन बिछाने पर कुल कितनी लागत आएगी और वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस रेल लाइन को बिछाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) परियोजना की अनुमानित लागत 234 करोड़ रु० है और 1992-93 के लिए परिव्यय की राशि 11 करोड़ रु० है।

(ख) 30.6.92 तक परियोजना पर हुई प्रगति 52.3 प्रतिशत है और जून, 92 तक हुए खर्च की राशि 83.56 करोड़ रु० है।

(ग) आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

फोकलोरा विश्वविद्यालय

4059. **श्री जी० माडे गौडा** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार से फोकलोरा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो लोक-संस्कृति का पोषण करने संबंधी प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास

4060. **श्री देवी बक्स सिंह** :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छात्र/छात्राओं के लिए कितने छात्रावास बनाए गए हैं;

(ख) राज्यवार और जिलावार इनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे प्रत्येक राज्य में छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी सहायता राशि दी है;

(घ) क्या देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ और छात्रावासों के निर्माण हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग सभी पात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों को अन्य के साथ-साथ पुरुष और महिला छात्रावासों के

निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा 8वीं योजना के लिए विकास प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते वि० अ० आ० की मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार आयोग पुरुष छात्रावासों के लिए 75 प्रतिशत के आधार पर और महिला छात्रावासों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर अनुदान प्रदान कर रहा है। जिन छात्रावासों के निर्माण के लिए वि० अ० आ० ने सातवीं योजना अवधि के दौरान सहायता प्रदान की, उनकी संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पटरियों की सुरक्षा

4061. **श्री बापू हरिचौरे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान जोनवार आतंकवादियों तथा अन्य लोगों द्वारा रेल लाइनों को पहुंचाई गई क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके फलस्वरूप कितनी गाड़ियां प्रभावित हुईं और रेलवे को कितना घाटा हुआ;

(ग) पटरियों की तोड़-फोड़ के कारण कितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं तथा इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए; और

(घ) रेल लाइनों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सूचना इस प्रकार है :

रेलवे	मामलों की संख्या
मध्य	—
पूर्व	—
उत्तर	94
पूर्वोत्तर	4
पूर्वोत्तर सीमा	20
दक्षिण	8
दक्षिण-मध्य	19
दक्षिण-पूर्व	25
पश्चिम	1

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जून, 1992 तक आन्दोलनों/बंधों तथा अन्य शरारती तत्वों की गतिविधियों के कारण 9948 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का समयपालन प्रभावित हुआ। गाड़ियों की रुकौनी के कारण रेलों को हुई हानि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त अवधि के दौरान तोड़फोड़ के कारण भारतीय रेलों पर 50 परिणामी गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं जिसमें 23 व्यक्तियों की जानें गईं।

(घ) भेद्य खण्डों पर रेलपथ पर गश्त लगाए जाते हैं।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

4062. श्री सी० श्रीनिवासन :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री हाराधन राय :

श्री मुमताज अन्सारी :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा 1992-93 में जिन रेल लाइनों पर विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है उनके नाम तथा ब्योरा क्या है और उनकी कुल अनुमानित लागत, उन्हें प्रतिवर्ष आवंटित की गई धन-राशि, उन पर किया गया कुल खर्च और अब तक हुई प्रगति का परियोजना-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अगले चरण के दौरान किन लाइनों का विद्युतीकरण शुरू करने का प्रस्ताव है उनके नाम और ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आठवीं योजना के शेष भाग में शामिल किए जाने वाले विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों और 1992-93 के दौरान शुरू की गई विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा :

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	आबंटित धनराशि 89-90	90-91	91-92	92-93	खर्च मार्च 92 तक	मौजूदा स्थिति तक
1.	सोननगर-पतरातू	110.24	—	0.50	21.28	30.00	21.19	
2.	दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना	136 99	—	—	2.41	25.00	2.41	कार्य प्रगति पर है।
3.	बोकारो स्टील सिटी-मुरी-हटिया-बोंडामुण्डा-विमलगढ़-किरिबूरू/बरसुआन	113.02	—	—	2.00	12.41	2.00	
4	गुमिया-पतरातू	17.85	—	—	1.64	5.00	1.64	
5.	सीतारामपुर-मुगलसराय	240.40	—	—	3.00	14.91	3.00	प्रारंभिक कार्य शुरू किए जा चुके हैं
6.	ईरोड-पालक्काट-एर्णाकुलम, कोचीन हार्बर सहित	167 76	—	—	—	7.00	—	—यथोक्त—
7.	रेणिगुण्टा-गुन्तकल-हीरापेट एवं संजीतपुरा-तोरणगल्लू	177.02	—	—	—	7.00	—	—यथोक्त—
8.	अम्बाला-मुरादबाद	147.40	—	—	—	4 00	—	—यथोक्त—
9.	चांडिल-मुरी-बरकाकाना	32.22	—	—	—	0.50	—	—यथोक्त—
10.	जामादोबा-मोहुदा	4.86	--	—	—	0.30	—	—यथोक्त—
11.	विजयवाडा-विशाखापत्तनम समालकोट-काकीनाडा सहित	210.07	—	—	—	4.00	—	—यथोक्त—
12.	बंडेल-कटवा	45.50	—	—	—	0.10	—	—यथोक्त—

केन्द्रीय विद्यालयों में वैकल्पिक विषय

4063. **डा० सुधीर राय :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में जमा दो स्तर पर पढ़ाए जाने वाले वैकल्पिक विषय अन्य सहायता-प्राप्त स्कूलों की तुलना मे सीमित हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में और अधिक नये वैकल्पिक विषय शुरू करने की मांग की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ग) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालयों में, +2 स्तर पर और अधिक वैकल्पिक विषयों जैसे शारीरिक शिक्षा, संगीत, चित्रकारी, नागरिक-शास्त्र और कम्प्यूटर विज्ञान आदि, को आरम्भ करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं, परन्तु संसाधनों के अभाव को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

इन्दौर-महू-पेठमपुर रेल लाइन को बदलना

4064. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-महू-पेठमपुर रेल लाइनों को बड़ी लाइन में बदलने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

कृष्णा नदी में प्रदूषण रोकने की योजना

4065. **श्री यशवन्त राव पाटिल :**

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने कृष्णा नदी को प्रदूषित होने से बचाने हेतु एक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और प्रत्येक राज्य व्यय में कितनी भागीदारी वहन करेगा;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से कृष्णा नदी की सफाई के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है।

इस योजना में कृष्णा नदी के प्रदूषित भागों की सफाई के लिए सीवेज कार्यों का निर्माण/विस्तार और शोधन संयंत्र, सीवरों को बिछाना, रोकना और मोड़ना, पंपिंग स्टेशन लगाना आदि जैसी प्रमुख स्कीमों का संचालन शामिल है। कार्य योजना की कुल लागत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का अंशदान क्रमशः 23.3 करोड़ रुपये, 114 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये है।

(ग) से (ङ) गंगा कार्य योजना के माडल के आधार पर/कृष्णा नदी के प्रदूषित भागों की सफाई को प्रस्तावित राष्ट्रीय नदी कार्य योजना में शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

एक्युपंकचर चिकित्सा को लोकप्रिय बनाना

4066. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "लाख दुखों की एक दवा एक्युपंकचर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक्युपंकचर चिकित्सा द्वारा कई रोगों की प्रभावी चिकित्सा की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक्यूपंकचर, जो चीन में 2000 वर्षों से अधिक समय से प्रचालित चिकित्सा पद्धति है, को दर्द और उससे संबंधित बिकारों का सामना करने में अत्यन्त उपयोगी बताया जाता है।

सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने के उपरांत, सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एक्यूपंकचर में औपचारिक मान्यता और विनियमन के लिए किसी ऐसे तंत्र की स्थापना करने का अभी समय नहीं आया है तथा एक्यूपंकचर उपचार की इस तकनीक का विकास देश में निजी प्रयासों के माध्यम से ही कायम रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति

4067. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन हेतु आदेश कब जारी किए हैं;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कब हुआ था; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में गत दो वर्षों के दौरान समिति की कितनी बैठकें आयोजित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 1977 और 24 मई, 1989 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1979 में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की थी और उसे समय समय पर पुनः गठित किया गया है। समिति को पिछली बार जून, 1989 में गठित किया गया था।

(ग) समिति ने पिछले दो वर्षों के दौरान क्रमश: 10.5.1990, 30.4.1991, 10.7.1991 और 3.10.1991 को चार बैठकें आयोजित की।

[अनुवाद]

परिवार सलाह केन्द्रों की संख्या में वृद्धि

4068. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ताकि महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा की जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) देश में क्रमिक योजना अवधियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत परामर्श सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। संसाधनों के दबाव को देखते हुए आठवीं योजनावधि में मौजूदा बुनियादी ढांचे के समेकन पर बल दिया जायेगा ताकि सेवाओं के इष्टतम उपयोग और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित हो सके। बुनियादी ढांचे का और विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

चलते-फिरते बुकिंग क्लर्क

4069. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी ज़ोनल रेलवे पर दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु रविवार तथा छुट्टी के दिनों को चलते-फिरते बुकिंग "क्लर्क" नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन हेतु चुने गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

4070. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री भीम सिंह पटेल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इन वर्षों के दौरान मलेरिया अनुसंधान पर कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च की गई; और

(ग) मलेरिया नियन्त्रण तथा मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए नयी औषधों का विकास करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और मलेरिया अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि	मलेरिया अनुसंधान पर खर्च की गई धनराशि (लाख रुपये में)
1989-90	8802.64	333.14
1990-91	7660.45	329.64
1991-92	7238.16	407.35

(ग) विभिन्न क्षेत्रों/पहलुओं में अनुसंधान के माध्यम से मलेरिया की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) वेक्टर-रोधी उपाय

(क) रासायनिक विधियां

— डी॰ डी॰ टी॰/बी॰ एच॰ सी॰/मैलाथियन जैसे उपयुक्त कीटनाशकों का छिड़काव देश मे चुनिंदा क्षेत्रों में सिन्थेटिक पाइरेथ्रायड्स का क्षेत्रीय परीक्षण ।

— शहरी क्षेत्रों में जलाशयों में लार्वा-रोधी रसायनों का साप्ताहिक इस्तेमाल

(ख) जैविक विधियां

— लार्वाभक्षी मछलियों को, जहां व्यवहार्य हो, प्रयोग में लाना ।

— कारगर लार्वा-रोधी उपाय के रूप में जीवनाशकों का परीक्षण ।

(2) **पर्यावरणिक उपाय**—कारगर रूप से मच्छरों के पैदा होने को रोकने के लिए पर्यावरणिक संशोधन और परिचालन संबंधी कार्यों को शुरू किया जा रहा है ।

(3) **परजीवी-रोधी उपाय**

— रोगियों का पता लगाना और उपयुक्त मलेरिया रोधी उपायों से शीघ्र उपचार ।

— क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी पी० फाल्सीपेरम मलेरिया के उपचार के लिए कई मलेरिया रोधी औषधों के बारे में अनुसंधान ।

(4) 8वीं योजनावधि के दौरान रासायनिक रूप से संसिक्त मच्छरदानियों के उपयोग, जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, द्वारा व्यक्तिगत बचाव संबंधी उपायों को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ।

(5) मलेरिया के नियंत्रण के लिए विभिन्न अनुसंधान अध्ययनों पर आधारित विभिन्न उपचार संबंधी उपायों का उपयोग करते हुए राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक जनजातीय मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

दिल्ली में पर्वतमाला वन क्षेत्र का बिलोपन

4071. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1992 को हिन्दुस्तान टाइम्स में 'दिस इज फेंसिंग एक्स टिंक्शन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या दिल्ली में पर्वतमाला वन क्षेत्र वृक्षों की बड़े पैमाने पर हो रही कटाई के परिणामस्वरूप समाप्ति के कगार पर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इस वन क्षेत्र को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या उपाय करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली रिज वन क्षेत्र का भारी पैमाने पर अवक्रमण अवैध कब्जों, वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग और पेड़ों की कटाई के कारण हुआ है ।

(घ) समूचे दिल्ली रिज वन क्षेत्र को एक ही एजेंसी संभवत: वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने का प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सुविधा हो सके ।

पश्चिम रेलवे में यात्री गाड़ियां

4072. **डा० ए० के० पटेल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में मेहसाणा से पाटण और तरंग से कहाँ तक यात्री गाड़ियों के अनियमित रूप से चलने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कारंवाई की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रेलों के नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली रूकौनियां न होने देने के लिए कड़ी नजर तथा चौबीसों घंटे निगरानी रखने के आदेश दे दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

4073. **श्री बलराज पासी** :

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हैं;

(ख) प्रत्येक गोदाम की भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित गोदामों की संख्या और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में और गोदाम स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के जिन पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के अपने/किराये के गोदाम स्थित हैं उन स्थानों के नाम तथा प्रत्येक गोदाम की भण्डारण क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूरी की गई क्षमता तथा स्थानों के नाम का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारतीय खाद्य निगम का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों पर गोदामों का निर्माण करने का अनन्तिम प्रस्ताव है :—

(1) हारावल	—	10,000 मीटरी टन
(2) न्यू टोहरी	—	2,500 मीटरी टन
(3) गोपेश्वर	—	2,500 मीटरी टन
		15,000 मीटरी टन

केन्द्रीय भण्डारण निगम की पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित श्रीनगर में 5,000 मीटरी टन की क्षमता के एक भाण्डागार का निर्माण करने की योजना है।

विवरण-I

(आंकड़े मीटरी टन में)

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	1.7.92 की स्थिति के अनुसार भंडारण क्षमता निम्नलिखित से किराये पर					जोड़
		भा. खा. नि. की अपनी	राज्य सरकार	के. भ. नि.	रा. भ. नि.	प्राइवेट पार्टी	
1.	देहरादून	—	5000	—	—	6000	11000
2.	ऋषिकेश	—	—	—	—	4170	4170
3.	विकास नगर	—	—	—	11290	—	11290
4.	कोटद्वार	—	—	—	—	1400	1400
5.	पिथोरागढ़	2500	—	—	—	—	2500
6.	रुद्रपुर	51000	—	—	—	—	51000
7.	बाजपुर	10000	—	100	—	—	10100
8.	हल्द्वानी	—	4800	—	800	3900	9500
9.	सितारगंज	—	—	—	5500	2200	7700
10.	गदरपुर	—	—	1400	—	—	1400
11.	टनकपुर	—	2000	—	—	—	2000
12.	रामनगर	—	3400	—	—	—	3400
13.	काशीपुर	—	—	8000	—	—	8000
14.	जसपुर	—	—	8600	—	—	8600
15.	किछा	—	2000	—	10000	10000	22000
16.	खटीमा	—	—	5000	—	1000	6000
17.	गुलरभोज	—	—	—	2000	—	2000
	जोड़	63500	17200	23100	29590	28670	16.060

भा० खा० नि० : भारतीय खाद्य निगम

के० भ० नि० : केन्द्रीय भण्डारण निगम

रा० भ० नि० : राज्य भंडारण निगम

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पूरे किए गए गोदाम

(आंकड़े मीटरी टन में)

1989-90

पहाड़ी क्षेत्र में पूरे किए गए गोदाम

1. बाजपुर 5,000

मैदानी क्षेत्र में पूरे किए गए गोदाम	
2. रोजा	15,000
1990-91	
पहाड़ी क्षेत्र	
1. पिथोरागढ़	2,500
मैदानी क्षेत्र	
1991-92	—शून्य—
पहाड़ी क्षेत्र	
बाजपुर	5,000
मैदानी क्षेत्र	
रोजा	10,000

त्रिभाषा सूत्र

4074. **श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विद्यालयों की राज्यवार संख्या क्या है जिनमें त्रिभाषा सूत्र लागू है;

(ख) क्या त्रिभाषा सूत्र की नीति के अन्तर्गत देश के उत्तरी राज्यों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में चार दक्षिण भारतीय भाषाओं, तमिल, तेलुगू, मलयालम, और कन्नड़ को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) तमिलनाडु को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने त्रिभाषा सूत्र को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। इन राज्यों की नियंत्रणाधीन स्कूल प्रणालियों में तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भी इस सूत्र को भिन्न-भिन्न मात्रा में लागू किया जा रहा है।

(ख) और (ग) हिन्दी भाषी उत्तरी राज्यों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा, वरीयत: दक्षिण की भाषाओं में से किसी एक भाषा के अध्ययन का त्रिभाषा सूत्र में प्रावधान है। उत्तर के हिन्दी भाषी राज्यों में इस प्रावधान के कार्यान्वयन की सीमा एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-2 है क्योंकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास स्कूलों में भाषा शिक्षण के एक से अधिक सूत्र हैं।

विलुप्त हो रही प्रजातियां

4075. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :**

श्री राम बदन :

श्री गया प्रसाद कोरी :

श्री गुरुदास कामत :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पशुओं और पक्षियों की कौन सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) इस देश के पशु और पक्षियों की विलुप्त प्रजातियां कौन-कौन सी हैं; और

(ग) पशुओं और पक्षियों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत के भयाकुल पशुओं पर बी० के० टीकेदर (भारतीय प्राणी सर्वेक्षण) की पुस्तक में संकटापन्न के रूप में वर्गीकृत पशुओं और पक्षियों का विवरण संलग्न है। इस शताब्दी के दौरान जिन पशुओं और पक्षियों की भारतीय प्रजातियों के लुप्त होने की रिपोर्ट मिली है वे हैं—दो सींगों वाला गैंडा, चीता, गुलाबी सिर वाला बतख और पहाड़ी बटेर।

(ग) संकटापन्न प्रजातियों की प्रभावी सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सभी चिड़ियाघर-भौगोलिक अंचलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। इस समय 1,40,200 वर्ग कि०मी० क्षेत्रों में फैले 73 राष्ट्रीय उद्यान और 417 अभयारण्य हैं।

(2) राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के विकास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) भारत सरकार "वन्य जीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार पर नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्य सरकारों को उनकी चोरी-छिपे शिकार रोधी गतिविधियों में सहायता देती रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में चोरी छिपे शिकार रोधी आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस स्कीम के तहत सहायता के रूप में 1.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान इस स्कीम के तहत क्रमशः 18.58 लाख रुपये 40.09 लाख रुपए बंटित किए गए। अब इस स्कीम को संसाधनों के साथ राज्यों को हस्तांतरित किया गया है, जैसाकि राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिश की है।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(5) भारत सरकार "वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन की एक पक्षकार है जिसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए संयुक्त प्रयास करता है।

(6) भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक वन्यजीव परिरक्षण निदेशालय की स्थापना की है जिसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(7) देश में विभिन्न चिड़ियाघरों और राज्य सरकारों द्वारा संकटापन्न प्रजातियों के बन्दी प्रजनन के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विवरण

स्तनपायी	पक्षी
सिंह पुच्छी बन्दर	इस्टर्न व्हाइट स्टार्म
भेड़िया	लार्ज व्हिसिलिंग टील
हिमालयी भूरा भालू	अण्डमान टील
मालाबार मुश्य बिलाव	हिमालयन गोल्डन ईगल
स्याहगोश	हिमालयन बियेर्डेड वल्चर
भारतीय शेर	शाहीन फाल्कन
एशियाई जंगली गधा	निकोबार मेगापोड
कियांग	वेस्टर्न ट्रेगोपॉन
कस्तूरी मृग	हिमालयन मोनाल फीजेंट
स्वाम्प डियर	स्काल्टर्स मोनाल फीजेंट
याक	एल्वेंज एयर्ड फीजेंट
मणिपुरी हिरण	कोकलास फीजेंट
जंगली भैंस	चीयर फीजेंट
कृष्ण सार	ह्यूम्स बार्टेल्ड फीजेंट
तिब्बती चिकारा	पीकाक फीजेंट
टकिन	ब्लेक नेक क्रेन
हिमालयी तहार	भारतीय सोहन पक्षी
नीलगिरि तहार	बंगाल फ्लोरकिन
आइबैक्स	जार्डन्स कोर्सर
मारखोर	इंडियन स्कीमर
लोमश खरगोश	निकोबार पीजन
नीली व्हेल	ग्रेट हार्न आउल
पिग्मी हॉग	

सरीसृप

ग्रीन सी टर्टल

बटागर

घड़ियाल

इस्चुराइन क्रोकोडायल

मगर

वाटर मानिटर

कामन इंडियन मानिटर

इंडियन बेंजर्ट मानिटर

येलो मानिटर

रेटीकुलेटेड पैथॉन

हिमालयन न्यूट

निजी पालिटेक्निकों हेतु विश्व बैंक सहायता

4077. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी मान्यता प्राप्त निजी पालिटेक्निक को तकनीकी शिक्षा परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निजी पालिटेक्निकों हेतु इन्हीं शर्तों पर विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) तकनीशियन शिक्षा के स्तरोन्नयन के बारे में विश्व बैंक की सहायता से इस समय 16 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, अन्य बातों के साथ-साथ इसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त निजी पालिटेक्निक शामिल हैं। ऐसे पालिटेक्निकों की राज्यवार संख्या, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) देश में निजी गैर-सहायता प्राप्त पालिटेक्निकों के लिए, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	इन परियोजनाओं के तहत शामिल सरकारी सहायता प्राप्त पालिटेक्निकों की संख्या
1	2	3
(क) परियोजना-I		
1.	बिहार	—
2.	गुजरात	3
3.	कर्नाटक	6
4.	केरल	6

1	2	3
5.	मध्य प्रदेश	2
6.	उड़ीसा	—
7.	राजस्थान	—
8.	उत्तर प्रदेश	19
(ख) परियोजना-II		
1.	आंध्र प्रदेश	—
2.	असम	—
3.	हरियाणा	4
4.	हिमाचल प्रदेश	—
5.	महाराष्ट्र	15
6.	पंजाब	4
7.	तमिलनाडु	24
8.	पश्चिम बंगाल	3
9.	संघ शासित प्रदेश	—

रेलगाड़ियों में रेडियो संचार प्रणाली

4078. **श्री महेश कनोडिया :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल गाड़ियों में रेडियो संचार प्रणाली उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं; और

(ग) यात्रा के दौरान यात्रियों को इस योजना का कहां तक लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां,

(ख) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कार्यालय के बीच रेडियो सम्पर्क की व्यवस्था नागपुर-इटारसी, नागपुर-दुर्ग और इटारसी-भुसावल खंडों पर सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियों में की गई है, इसी तरह का कार्य दिल्ली-मुगलसराय खंड पर भी चल रहा है।

(ग) इस सुविधा से परिचालनिक कुशलता और गाड़ी चालन से संबंधित संरक्षा में सुधार होने की आशा है।

नवोदय विद्यालयों में बालिका छात्रावास

4079. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों मे छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) ऐसे छात्रावासों में राज्य-वार कितनी बालिकायें छात्रावास की सुविधा प्राप्त कर रही हैं;

(घ) राज्यवार प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कितनी बालिकाएं है; और

(ङ) नवोदय विद्यालयों मे छात्राओं के प्रवेश हेतु सरकार ने क्या मानदंड अपनाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) नवोदय विद्यालय योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में दाखिल होने वाले छात्रों में से 1/3 बालिकाएं होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय में दाखिला, छठी कक्षा से प्रवेश द्वारा तथा प्रवेश के समय छात्राओं को 5% अंकों की छूट, के आधार पर किया जाता है। सभी नवोदय विद्यालय पूर्णतः आवासीय हैं तथा बालक बालिकाओं दोनों को ही छात्रावास सुविधाएं दी जाती है। नवोदय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं की राज्यवार सूची संलग्न है।

विवरण

नवोदय विद्यालयों में बालिका छात्रावासों के संबंध में प्रो० (श्रीमती रीता वर्मा द्वारा 4-8-92 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4079 के उत्तर के (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) भागों में संदर्भित विवरण।

राज्य-वार नवीनतम उपलब्ध दाखिला स्थिति

क-सं०	राज्य संघशासित प्रदेश का नाम	बालिकाएं
1	2	3
1.	अंडमान व निकोबार	123
2.	आंध्र प्रदेश	2132
3.	अरुणाचल प्रदेश	196
4.	बिहार	2473
5.	चंडीगढ़	70
6.	दमन और दीव	69
7.	दिल्ली	114
8.	दादरा व नगर हवेली	32
9.	गुजरात	715
10.	गोआ	115
11.	हरियाणा	965
12.	हिमाचल प्रदेश	917
13.	जम्मू और कश्मीर	744

1	2	3
14.	कर्नाटक	1953
15.	केरल	1302
16.	लक्षद्वीप	17
17.	मध्य प्रदेश	1559
18.	महाराष्ट्र	2003
19.	मणिपुर	639
20.	मिजोरम	81
21.	मेघालय	217
22.	नागालैण्ड	53
23.	उड़ीसा	4068
24.	पांडिचेरी	331
25.	पंजाब	857
26.	राजस्थान	1179
27.	सिक्किम	38
28.	त्रिपुरा	118
29.	उत्तर प्रदेश	2142
	जोड़	22222

हजारीबाग, बिहार में "आउट एजेंसी" खोलना

4080. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हजारीबाग जिला मुख्यालय में एक "आउट एजेंसी" खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वी फतेहगंज में ऊपरी पुल

4081. श्री सत्यपाल सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में बरेली और शाहजहांपुर के बीच पूर्वी फतेहगंज रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे ऐसे ऊपरी पुलों के निर्माण की योजना बनाती है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार लागत वहन करने की सहमति के साथ प्रायोजित किया जाता है; राज्य सरकार से उक्त स्थान के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बेलापुर रेलवे स्टेशन

4082. **प्रो० राम कापसे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में बेलापुर रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। बेलापुर स्टेशन का निर्माण कार्य मूल योजना के अनुसार अभी भी चल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) बेलापुर स्टेशन का निर्माण शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी (इरकॉन) के माध्यम से कराया जा रहा है। यह कार्य उप ठेकेदार की विफलता के कारण निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। अब यह कार्य एक नये ठेकेदार को सौंपा गया है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सिडको/इरकॉन द्वारा नए उप ठेकेदार के साथ सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

गया रेलवे स्टेशन

4083. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) को, शहर के ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की अनुमानित लागत सहित मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस पर कितना व्यय हुआ;

(घ) क्या गया जंक्शन के एक नंबर रेल फाटक पर ऊपरी पुल का निर्माण भी इस योजना में सम्मिलित है; और

(ङ) इस योजना पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) गया स्टेशन का 76.82 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आदर्श स्टेशन के रूप में विकास करने का कार्य शुरू कर दिया गया था जो परिचलन क्षेत्र को छोड़कर, जिसके मार्च, 1993 तक पूरा हो जाने की संभावना है, पूरा हो चुका है। गया जंकशन पर समपार सं० 1 पर ऊपरी पुल का निर्माण कार्य इस योजना का भाग नहीं है।

[हिन्दी]

बिलासपुर से मुंगेली-मंडला तक रेल लाइन

4084. **श्री मोहन लाल झिकराम** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर और मुंगेली मंडला बरास्ता जबलपुर तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितना खर्च आएगा; और

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन पर क्या कारंवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस सर्वेक्षण से पता चला है कि 372 कि० मी० लम्बी इस प्रस्तावित लाइन के निर्माण पर लगभग 391.33 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह समग्ररूप से अलाभप्रद होगी। सर्वेक्षण, 1991 में किया गया था और 5.27 लाख रुपयों की राशि खर्च की गयी थी।

(ग) परियोजना को छोड़ दिया गया है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन के द्वारा प्रदूषण

4085. **श्री पी० सी० थामस** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, कोचीन द्वारा केरल में चितिरापुझा नदी में अपशिष्टों के बहाये जाने के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) मैसर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं :-

1. मैसर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० जिप्सम और कैल्शियम के अपशिष्ट विसर्जित कर रहा है।
2. बहिस्रावों को तीन स्थानों पर चिथिरापुझा नदी में विसर्जित किया जा रहा है।
3. आसपास के क्षेत्रों में कुछ कृषि भूमि कृषि के अयोग्य हो गई है।
4. जैसाकि केरल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा रिपोर्ट दी गई है, यह यूनिट निर्धारित बहिस्राव उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं कर रही है।
5. फैक्टरी उत्तरोत्तर रूप से अपनी बहिस्राव शोधन प्रणाली में सुधार कर रही है।

(ग) केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यूनिट को सितम्बर, 1992 तक निर्धारित मानकों को पूरा करने के निदेश दिए गए हैं।

प्रतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम

4086. **श्री के० प्रधानी** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम किस वर्ष आरम्भ किया था;

(ख) इन कार्यक्रमों का ब्योरा तथा उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान की हैं; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी, राज्य-वार ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वनेत्तर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी देते समय भारत सरकार ने वन आवरण की क्षतिपूर्ति के लिए वनेत्तर/अवक्रमित वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण करने के लिए एक मुख्य शर्त रखी है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को 25-10-1980 से लागू किया गया था।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है क्योंकि क्षतिपूरक वनरोपण परियोजना की लागत पर किया जाना होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राइवेट अस्पतालों में सी० जी० एच० एस० के लाभार्थियों की चिकित्सा

4087. **श्री बी० धनंजय कुमार :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार उन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों के नाम क्या हैं; जहां केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों की सलाह पर केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं; और

(ख) ऐसे अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता आवश्यकता आधारित मानदण्ड पर यह सूचना प्राप्त होने के बाद दी जाती है कि वहां जांच और उपचार के लिए उपयुक्त सुविधाएं मौजूद हैं और अन्य मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में उनकी दरें उचित हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों की सूची

राज्य	शहर
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद
	1. सी०सी० श्राफ मेमोरियल होस्पिटल, हैदराबाद
	2. गगनमहल नर्सिंग होम, हैदराबाद
	3. सागर लाल मेमोरियल हास्पिटल, हैदराबाद
	4. गीता मेटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम, हैदराबाद
	5. शालिनी हास्पिटल, हैदराबाद
	6. नेचर क्यूर हास्पिटल, हैदराबाद
	7. श्रवण नर्सिंग होम, हैदराबाद
	8. साई राम हास्पिटल, हैदराबाद
	9. अपोलो हास्पिटल, हैदराबाद
	10. मॉडविन हास्पिटल, हैदराबाद
	11. निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (सरकारी सहायता प्राप्त अस्पताल)

बिहार	पटना
	1. कुरजी होली फैमिली होस्पिटल, पटना
पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता
	1. राम कृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता
	2. बेहला बालनन्दा हास्पिटल, कलकत्ता
	3. हॉर्ट केयर सेंटर, कलकत्ता
	4. बी०एम० बिड़ला हॉर्ट रिसर्च सेंटर, कलकत्ता
	5 बैल व्यू क्लिनिक, कलकत्ता
	6. कैंसर सेंटर एंड वेलफेयर होम, कलकत्ता
	7. वुडलैंड नर्सिंग होम, कलकत्ता
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	दिल्ली
	1 डा० बी० एल० कपूर मेमोरियल हास्पिटल, दिल्ली
	2. सेंट स्टीफन हास्पिटल, दिल्ली
	3. लाला रामस्वरूप (टी०बी०) अस्पताल, दिल्ली
	4. बतरा हास्पिटल, दिल्ली
	5. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, दिल्ली
	6. राष्ट्रीय हृदय रोग संस्थान, दिल्ली
	7. डी०एन०आर० संस्थान
	8. एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टिट्यूट एण्ड मेडिकल सेंटर दिल्ली
	9. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली-रेफरल अस्पताल
मध्य प्रदेश	जबलपुर
	1. सुतिका गृह और शिशु कल्याण केन्द्र (मातृ सेवा संघ) जबलपुर
महाराष्ट्र	बम्बई
	1. बम्बई अस्पताल, बम्बई
	2. डा० बी० नानावती अस्पताल, बम्बई
	3. नवरोगी वाडिया अस्पताल, बम्बई
	4. राधीभाई महिला वक्षरोग अस्पताल, बम्बई
	5. चिल्ड्रेन्स आर्थोपेडिक्स होस्पिटल, बम्बई

6. टाटा मेमोरियल होस्पिटल, बम्बई

7. मंगल आनन्द अस्पताल, बम्बई

पुणे

1. रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे

2. के०ई०एम० हास्पिटल पुणे

3. एन०एम० वाडिया हास्पिटल, पुणे

4. हर्दिकार हास्टिल, पुणे

5. शारदा हास्पिटल, पुणे

6. संचाती हास्पिटल, पुणे (संचाति इंस्टिच्यूट फार आर्थोपेडिक एण्ड रिहैबिलिटेशन, पुणे)

7. कालोनी नर्सिंग होम, पुणे

8. संजीवन अस्पताल, पुणे

9. अंजली अस्पताल, पुणे

10. पूना अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, पुणे

11. दीनदयाल मेमोरियल हास्पिटल, पुणे

13. मेडिनोवा रोगनिदान केन्द्र, पुणे

नागपुर

1. मुरे मेमोरियल हास्टिल, नागपुर

2. नागरिक सहकारी रूग्णालय मर्यादित, नागपुर

3. दालवी मेमोरियल हास्पिटल, नागपुर

4. राष्ट्र संत तुकादेव जी महाराज कैंसर अस्पताल, नागपुर

5. मातृ सेवा संघ सीता बर्डी, नागपुर

6. मातृ सेवा संघ, महल, नागपुर

तमिलनाडु मद्रास

1. सी०एस०आई० कल्याणी हास्पिटल, मद्रास

2. सी०एस०आई० रेनी हास्पिटल, मद्रास

3. आंध्र महिला सभा, मद्रास

4. पब्लिक हेल्थ सेंटर, मद्रास

5. कैंसर संस्थान, मद्रास

6. अपोलो अस्पताल, मद्रास

7. के० जी० हास्पिटल, मद्रास

8. ट्रिनिटी एक्यूर केयर हास्पिटल, मद्रास

9. मद्रास मेडिकल मिशन, मद्रास

10. क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल वेलूर—रेफरल हास्पिटल

उत्तर प्रदेश लखनऊ

1. विवेकानन्द पालिक्लिनिक, लखनऊ

इलाहाबाद

1. कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद

टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ प्राइवेट क्लीनिक/प्रयोगशालाएं विभिन्न जिलों में स्थित हैं जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्य कर रही है। इन्हें एक्स-रे, सी० टी०स्केन एवं अन्य परीक्षणों के लिए मान्यता प्राप्त है।

[अनुवाद]

नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट खिड़की

4088. **श्री अंकुशराव राव साहेब टोपे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों के प्लेटफार्म टिकट खरीदने के लिए केवल एक खिड़की है और क्या उसके परिणामस्वरूप लोगों को पंक्ति में खड़े होकर भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो लोगों की सुविधा के लिए अधिक संख्या में ऐसी खिड़कियां खोलने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चार काउंटरों से प्लटफार्म टिकट जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मालदा-न्यूजलपाईगुड़ी रेल लाइन

4089. **श्री सुब्रत मुखर्जी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मालदा से न्यू जलपाईगुड़ी तक की निर्माणाधीन दोहरी लाइन परियोजना का कार्य अचानक बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्माण कार्य को पुनः चालू करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रानीगंज में एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टापेज

4090 श्री हाराधन राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कालका मेल, ए. सी. एक्सप्रेस और चम्बल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के लिए रानीगंज में "स्टापेज" की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी व्यवस्था कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य न होने के कारण।

सेंट्रल लोकोमोटिव वर्क्स में इंजनों का निर्माण

4091. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल लोकोमोटिव वर्क्स में यू. डी. एस. 4 तथा जेड. डी. एम. 5 इंजनों का निर्माण बंद कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह विनिश्चय किया गया है कि 199[illegible]-94 से चि. रे. का. मे डबल्यू डी. एस.-4 और जेड. डी. एम.-5 का उत्पादन रोक दिया जाए।

(ख) विद्युतीकरण के बढ़ते हुए महत्व के कारण अधिक संख्या में बिजली रेल इंजन अपेक्षित हैं, इसलिए यह विनिश्चय किया गया कि सर्वप्रथम चितरंजन रेल इंजन कारखाना, जो रेल क्षेत्र में बिजली रेल इंजनों के विनिर्माण का एकमात्र प्रमुख कारखाना है, मे उपलब्ध सुविधाओं को बिजली रेल इंजनों के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया जाए।

[हिन्दी]

शताब्दी समारोह

4092. श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नेताओं के शताब्दी समारोह मनाने के लिए एक शताब्दी सेल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त शताब्दी सेल के तत्वावधान में किन-किन नेताओं की शताब्दियां मनाई गई है तथा इनमें से प्रत्येक नेता के शताब्दी समारोह मनाने पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) निकट भविष्य में किन-किन राष्ट्रीय नेताओं के शताब्दी समारोह मनाने का विचार है अथवा राज्य सरकारों से किन-किन नेताओं के शताब्दी समारोह मनाने के लिए कहा गया है;

(ङ) इस ल में अन्य कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संस्कृति विभाग के शताब्दी और स्मारक अनुभाग को अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय नेताओं की शताब्दियां आयोजित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई शताब्दियों की सूची विवरण-1 में दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित किए गए समारोहों पर हुए व्यय का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) निकट भविष्य में निम्नलिखित शताब्दियां/वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव है :

(I) भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती

(II) महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जन्म शताब्दी

(III) महात्मा गांधी

(IV) सम्राट अकबर

भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण-जयन्ती मनाने के संबंध में राज्य सरकारों से भी इसे उचित ढंग से मनाने के लिए कहा गया है।

(ङ) इस अनुभाग के अन्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं—स्वयंसेवी संगठनों को अनुसंधान सहायता/सेमिनार, स्मारकों के रख-रखाव के लिए वित्तीय सहायता देना तथा तीन स्वायत्त संगठनों अर्थात नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली, गांधी स्मृति तथा दर्शन समिति, नई दिल्ली और विक्टोरिया स्मारक हाल, कलकत्ता का प्रशासनिक कार्य देखना।

(च) यह अनुभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग का एक अंग है। धनराशि का आबंटन स्कीम/कार्यकलाप के अनुसार किया जाता है, न कि अनुभाग के अनुसार।

विवरण-1

उन नेताओं के नाम जिनकी शताब्दियां सरकार द्वारा मनायी गयी है

1. रवीन्द्रनाथ टैगोर
2. मिर्जा गालिब

3. महात्मा गांधी
4. गुरू नानक
5. लेनिन
6. देशबंधु चितरंजनदास
7. दीन बन्धु सी० एफ० एन्ड्रयूज
8. श्री अरविंद घोष
9. सरदार बल्लभ भाई पटेल
10. सुब्रह्मण्यम भारती
11. नन्दलाल बोस
12. डा० राजेन्द्र प्रसाद
13. काकासाहब कालेलकर
14. मैथलीशरण गुप्त
15. पं० गोविन्द बल्लभ पंत
16. डा० एस० के० सिन्हा
17. डा० एस० राधाकृष्णन्
18. डा० के० एम० मुंशी
19. आदि शंकराचार्य
20. मौलाना अबुल कलाम आजाद
21. खान अब्दुल गफ्फार खान
22. जमुना लाल बजाज

विवरण-2

राष्ट्रीय नेताओं के जन्म शताब्दी समारोहों पर किए गए व्यय का ब्यौरा

वर्ष	विभूति	वहन किया गया व्यय (रुपए में)
1	2	3
1987-88	पं. जी. बी. पंत	13.28 लाख
1987-88	डा. श्रीकृष्ण सिंह	4.78 लाख
	डा. के. एम. मुंशी	1.10 लाख
1988-89	मौलाना अबुल कलाम आजाद	4.27 लाख
	डा. एस. राधाकृष्णन्	3.23 लाख

1	2	3
	राष्ट्रीय शंकर जयंती महोत्सव	7.85 लाख
	पं० जवाहर लाल नेहरू	1164.45 लाख*
		* (स्वाधीनता की 40वीं वर्षगांठ समारोह और पं. नेहरू जन्म शताब्दी समारोह पर किया गया सतत् व्यय)
1989-90	जमना लाल बजाज	0.50 लाख (लगभग)
1990-92	खान अब्दुल गफ्फार खान	5.40 लाख (लगभग)

[अनुवाद]

कर्नाटक में भारत जनसंख्या परियोजना का विस्तार

4093. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक में भारत जनसंख्या परियोजना के विचार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. ताराबेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से कर्नाटक के 10 जिलों में विश्व बैंक की सहायता से एक जनसंख्या परियोजना शुरू करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ और उसकी इस मंत्रालय में जांच की गई । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त संबंधित सूचना शामिल करने हेतु इस परियोजना प्रस्ताव में संशोधन करें ।

[हिन्दी]

बेसिक स्कूल खोलना

4094. **श्री स्वामी चिन्मयानन्द :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान बेसिक स्कूल खोलने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ख) इस अवधि के दौरान अब तक राज्यवार कितने स्कूल खोले गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) प्राथमिक स्कूल खोलने के संबंध में कोई कठोर मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि वे 300 जनसंख्या वाली सभी बस्तियों (रेगिस्तानी, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 200 आबादी वाली बस्तियों) में एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए तथा एक कि. मी. पैदल दूरी के भीतर सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें। अपनी आवश्यकताओं तथा नीति के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अपने मानदंड निर्धारित करती है और तदनुसार, प्राथमिक स्कूल खोलने के संबंध में निर्णय लेती है।

(ख) वर्ष 1990-91 के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं। 30 सितम्बर, 1989 तथा 30 सितम्बर, 1990 के भीतर खोले गए प्राथमिक (जूनियर बेसिक) स्कूलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1515
2.	अरुणाचल प्रदेश	21
3.	असम	01
4.	बिहार*	1071
5.	गोआ	18
6.	गुजरात	71
7.	हरियाणा	00
8.	हिमाचल प्रदेश	अनुपलब्ध
9.	जम्मू और कश्मीर	अनुपलब्ध
10.	कर्नाटक	01
11.	केरल	—40
12.	मध्य प्रदेश**	952
13.	महाराष्ट्र	325
14.	मणिपुर	455
15.	मेघालय	01
16.	मिजोरम	25
17.	नागालैंड**	1
18.	उड़ीसा	440
19.	पंजाब*	15
20.	राजस्थान	209
21.	सिक्किम	2

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कूल की संख्या
22.	तमिलनाडु	488
23.	त्रिपुरा	40
24.	उत्तर प्रदेश	2270
25.	पश्चिम बंगाल	अनुपलब्ध
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00
27.	चंडीगढ़**	11
28.	दादरा और नगर हवेली	00
29.	दमन और दीव	03
30.	दिल्ली	—196
31.	लक्षद्वीप	00
32.	पांडिचेरी	—03
	भारत	7692

* 1988-89 की समाप्ति पर 1989-90 में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।

** 1989-90 की समाप्ति पर 1990-91 में बढ़ोत्तरी दर्शाता है।

स्रोत : प्रवरण शैक्षिक सांख्यिकी 1989-90 तथा 1990-91, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

नई रेल लाइनें

4095. **आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई और कितने किलोमीटर रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला गया;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर रेल हेतु वक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में कुछ नई रेल लाइनें बिछाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सातवीं योजना के दौरान 881 कि. मी. नई लाइनों और 326 कि. मी. आमान परिवर्तन का कार्य पूरा किया गया था।

(ख) नई लाइनों के लिए 900 करोड़ रुपए और यातायात सुविधा संबंधी निर्माण कार्यों के लिए जिसमें दोहरीकरण, आमान परिवर्तन और मार्गों के ढांचे में परिवर्तन शामिल है, के लिए 450 करोड़ रुपए।

(ग) प्रत्येक रेलवे की आवश्यकताओं के अनुसार और वर्षानुवर्ष धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उन्हें आबंटन किया जाता है, रेलों की धनराशि का आबंटन निर्माण कार्य-वार किया जाता है न कि राज्यवार। चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के लिए नई लाइनों और आमान परिवर्तन कार्यों हेतु क्रमशः 22 करोड़ रुपए और 88 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विद्यालय भवनों के लिए केन्द्रीय सहायता

4096 **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता बन्द कर दी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आर्थिक रूप से पिछड़े कई राज्यों ने इस प्रयोजन हेतु ऐसी केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों विशेष तौर पर राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(छ) केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ख) विद्यालय भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि ग्रामीण विकास मंत्रालय जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.) के अंतर्गत बचत होने पर आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। निर्माण की लागत ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार क्रमश 48 प्रतिशत और 52 प्रतिशत के अनुपात में वहन करते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान राजस्थान सहित 16 राज्यों ने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां मुक्त करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। राज्यों के लिए मुक्त की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। वर्ष 1992-93 के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को अभी मंजूरी नहीं मिली है। ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

1990-91 और 1991-92 के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना (केन्द्रीय हिस्सा) के अंतर्गत निर्मुक्त विधियों का ब्यौरा।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	निर्मुक्त की गई धनराशि (लाख रुपए)
1.	आन्ध्र प्रदेश	578.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.25
3.	असम	23.76
4.	गुजरात	450.78
5.	हरियाणा	138.72
6.	हिमाचल प्रदेश	135.93
7.	जम्मू और काश्मीर	823.20
8.	कर्नाटक	1122.82
9.	मध्य प्रदेश	1384.50
10.	मेघालय	60.00
11.	मिजोरम	15.60
12.	उड़ीसा	360.00
13.	पंजाब	635.25
14.	राजस्थान	976.87
15.	त्रिपुरा	33 69
16.	पश्चिम बंगाल	461.52

विवरण-2

वर्ष 1992-93 के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड के अंतर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए निधियां मुक्त करने के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव।

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राज्य द्वारा गैर जवाहर रोजगार योजना आवंटन	केन्द्रीय सरकार से जवाहर रोजगार-योजना में मांगा गया हिस्सा
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	2443.52	2932.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.00	3.60

1	2	3	4
3.	गोवा	20.00	24.00
4.	गुजरात	144.35	173.22
5.	जम्मू और कश्मीर	417.00	500.40
6.	कर्नाटक	719.30	862.80
7.	केरल	48.00	57.60
8.	महाराष्ट्र	434.43	521.32
9.	मिज़ोरम	12.76	15.31
10.	उड़ीसा	254.00	304.80
11.	त्रिपुरा	22.76	27.31
12.	उत्तर प्रदेश	619.20	743.04
13.	पश्चिम बंगाल	169.00	201.80

वन अनुसंधान

4097. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**

क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन अनुसंधान के क्षेत्र में किन-किन देशों के साथ समझौता किया है;

(ख) भारत मे वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में देशवार कितने विदेशी वैज्ञानिक कार्यरत हैं; और

(ग) विदेशों में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में देशवार कितने भारतीय वैज्ञानिक कार्यरत हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के लिए विदेशी सहायता के संबंध में किसी भी देश से कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन, वानिकी अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ परियोजना प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं चल रही हैं।

(ख) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने बताया है कि इसके अनुसंधान संस्थानों में किसी विदेशी को वानिकी अनुसंधान में नहीं लगाया गया है।

(ग) अनेक भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में नियुक्त हैं जिनमें से कुछ वानिकी अथवा वानिकी से संबंधित अनुसंधान में लगे हैं। भारतीय राष्ट्रिकों या निर्वासितों के इस प्रकार रोजगार के संबंध में क्षेत्रवार/देशवार कोई केन्द्रीयकृत सूचना प्रणाली नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के आवागमन पर रोक

4098 **श्री अवतार सिंह भडाना :**

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में खाद्यान्नों के आवागमन पर लगाई गई रोक को हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो आज जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) गेहूं, लेवी मुक्त चावल और मोटे अनाजों के अंतर्राज्यीय संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और नीति के तौर पर समस्त देश को एकल खाद्य जोन माना जाता है। तथापि, कुछ राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ संबधित राज्यों में स्थानीय चावल मिलिंग उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से धान के अन्तर्राज्यीय संचलन पर प्रतिबंध लगाया है।

नई चीनी मिलें

4099. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री सत्यपाल सिंह यादव :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार किन-किन स्थानों पर नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में जिलावार आज तक स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992 के दौरान जिलावार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) लंबित पड़े प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989, 1990 एवं 1991 के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावित स्थानों का वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा विवरण 1 पर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989, 1990 व 1991 तथा चालू वर्ष 1992 (30.6.92 तक) के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय पत्रों का राज्यवार तथा जिलावार ब्यौरा विवरण-2 पर है।

(ग) से (ङ) पहले जारी किए गए लेकिन कार्यान्वित न किए गए लंबित आशय पत्र/लाइसेंसों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989, 1990 और 1991 के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावित स्थानों का वर्षवार, राज्यवार, जिलावार विवरण

क्रम सं०	स्थान का नाम
	पंजाब
	1989
	जिला अमृतसर
1.	बाबा बकाला
	जिला संगरूर
2.	लहरगागे
	जिला पटियाला
3.	साधुगढ़
	जिला लुधियाना
4.	पखोवाल
	1990
	जिला पटियाला
5	अमलोक
6	घोटिन्ड
7.	समाना
8.	चलेला
9.	राजपुरा
	जिला गुरुदासपुर
10.	बटाला
11.	हरगोबिन्दपुर
12.	कलानौर
	जिला संगरूर
13.	मेहल कलां
14.	लहर गंगा
15.	बरनाला
	जिला भटिंडा
16.	भगता
	जिला फरीदकोट
17.	रूपना
18.	बघा पुराना—मोगा
	जिला लुधियाना
19.	खन्हा
	जिला अमृतसर
20	चुब्राल
	जिला फिरोजपुर
21.	ममदोत
	1991
	जिला संगरूर
22.	सुनाम
23.	दुदोहर
	जिला गुरुदासपुर
24.	हरचोवाल
25.	कलानौर
	जिला पटियाला
26.	डेराबस्सी
	आन्ध्र प्रदेश
	1989
	जिला रंगा रेड्डी
1.	नारायणपुर
	जिला श्री काकुलम
2.	पालाकोन्डा
	जिला मेढक
3.	परगनापुर
4.	निजामपेट
	जिला गुन्टूर
5.	दिवुमू
	जिला निजामाबाद
6.	बूमपाल्ली/पदमजीवाडी
	1990
	जिला निजामाबाद
7.	न्यू पलन्चा
	जिला महबूबनगर
8.	पोथूलापाडु

क्रम सं०	स्थान का नाम
	जिला मेढक
9.	तूफरान
10.	तूपराऊ
	जिला रंगारेड्डी
11.	एंकटाला
12.	कन्डानहाली/तन्दूर
13.	मनुलगुडा
	जिला श्रीकाकुलम
14.	पालाकोन्डा
15.	बाज्जी
	जिला एडीलाबाद
16.	कादेम प्रोजेक्ट एरिया (नजदीक जौनाराम)
	जिला विशाखापट्नम
17.	कोथाकोटा गांव
	जिला नेल्लोर
18.	थोटापालींगुडूर
19.	अल्लुरू
20.	इन्दुकुरपेट
21.	आई० पी० गुडु
22.	संगम
23.	मनुबोलू
24.	दुगाराजपतनम
25.	चेजेरला
	जिला चित्तूर
26.	पाला मंगलम
27.	ता० कलास्थी
28.	तालुक पितचात्तूर
29.	निन्द्रा कुन्टा
	जिला कुड्डप्पा
30.	बाडवेल
	जिला कृष्णा
31.	कन्थाकाचेरला गांव
	जिला पश्चिम गोदावरी
32.	बुट्टायागुडन
	जिला पूर्व गोदावरी
33.	बुरुगुपूडी/गोकावरम
	जिला प्रकाशम
34.	मरकापुर
	जिला पारब्रह्म
35.	शिवारामपुरम गांव
	1991
	जिला चित्तूर
36.	मदनापाल्ले
37.	शाथिपुरम
38.	पिलेर मंडल
39.	पुलीचेरला
40.	कलाहस्थी
41.	नेलावोई गांव
	जिला एडीलाबाद
42.	लक्ष्मी चन्दा
43.	नवलपेट
	जिला नेल्लोर
44.	अतनाकुर गांव
45.	थेन्टापाडू नजदीक नरावदा
46.	गांव अदूरूपाल्ली
47.	मथकुर
48.	पोदलाकुर
49.	तह० उदयगिरि
50.	मुंगामुरू
	जिला मेढक
51.	तोगारपल्ली गांव
52.	तूफरान
53.	इस्माईलखानपेट
54.	दौलताबाद/काजलगांव
55.	सदाशिवपेट

क्रम सं० स्थान का नाम	क्रम सं० स्थान का नाम
जिला श्रीकाकुलम	1990
56. वीरागाथम	जिला बालाघर
57. कोरासावेदा गाँव	2. बालाघर
जिला खम्माम	जिला खारगोने
58. लक्ष्मीपुरम	3. सानावाद
जिला वारांगल	जिला शिवपुरी
59. बंजारापाल्ली	4. खनबार
जिला प्रकाशम	1991
60. गिगरायाकोन्डा	जिला होसंगाबाद
61. मरकापुर	5. सोहागपुर
जिला निजामाबाद	जिला खारगोने
62. बिचकोन्डा-बंसवादा एरिया	6. पानवा
63. बन्दापाल्ली गांव	उड़ीसा
64. कामरेड्डी	1989
65 जंगमपाल्ली गांव	जिला कटक
जिला कुरनूल	1. बंकी
66. नन्दी कोटकुर गांव	1990
जिला महबूबनगर	जिला कटक
67. शादनगर	2. तुलसीपुर
68. पोथलापाडू	राजस्थान
जिला करीमनगर	1990
69. गोल्लापाल्ली	जिला बांसवारा
जिला पूर्व गोदावरी	1. तलवारा
70 मन्दापेटा	1991
जिला पश्चिम गोदावरी	जिला श्रीगंगानगर
71. चिन्तालापुडी	2. हनुमानगढ़/पीलीबंगन
जिला नलगोन्डा	
72. नकराकाल	तमिलनाडु
73. किसी पिछड़े क्षेत्र में	1989
मध्य प्रदेश	जिला कामराजार
1989	1. श्रीविल्लीपुथुर
जिला बेतुल	जिला तिरूनेवेली कट्टाबोमान
1. बेतुल	2. अम्बासमुन्द्रम

क्रम सं० स्थान का नाम
जिला नेल्लाई कट्टाबोमान
3. मेलासेवाल
जिला दक्षिण अरकोट
4 काराईपुन्डी
जिला सामबूवारायार
5. पालूर
जिला कोयम्बटूर
6. ओदनथुराई
1990
जिला दक्षिण आरकोट
7. थोट्टीयाम
8. सुलानगुरूची
जिला चिन्गलेपेट
9. उथीरामेरूर
10. वेंकटापुरम
11. पाल्लेपाथू
जिला सालेम
12. अत्तूर
13. संगीत्तू गांव
जिला इरोडे
14. इरोडे
जिला तंजावर
15. कोविलादी
1991
जिला तिरूनेवेली
16. अम्बासमुधम
जिला चेंगाल अन्ना
17. चेंगाई अन्ना
जिला वी० ओ० सी० (चिदम्बरनार)
18. करूंगलुम
गुजरात
1989
जिला सूरत
1. दोलवान

क्रम सं० स्थान का नाम
1990
जिला सूरत
2. कुकरामुन्डा
3. सारस
जिला साबरकन्था
4. चोरीवाद
1991
जिला सूरत
5. तरभोन
6 इसार
जिला वलसाड
7. भिनोर
8. लकादमद या अम्भेती
जिला वडोदरा
9. बोदेली
जिला बुलसार
10. नानी वहीयाल
जिला अमरेली
11. घाटवाड
जिला वैसाली
12. सहादी बुजुर्ग
13. सहदेयी
जिला भागलपुर
14. अमरपुर
हरियाणा
1989
जिला सोनीपत
1. तह० गोहाना
1990
जिला सिरसा
2. सिरसा
जिला अम्बाला
3. नारायणगढ़
4. रायपुर

क्रम सं० स्थान का नाम	क्रम सं० स्थान का नाम
जिला यमनानगर	जिला सारन
5. बिलासपुर	7. सितालपुर
जिला कुरुक्षेत्र	जिला सहरसा
6. पिपली	8. मपौल
7. झारजरूर	जिला सिवान
8. बैंसुआ	9. पंचमुखी
9. लाडवा	जिला सितामढ़ी
जिला कैथल	10. तह० तरैनी
10. बाघल	जिला मुंगेर
1991	11. जमुई
जिला सिरसा	कर्नाटक
11. रानिया	1990
जिला कुरूक्षेत्र	जिला बिदर
12. मूतियापुर	1. बास्वकल्याण
जिला रोहतक	2. बिदर
13. गोहाना	3. संगम
जिला पानीपत	जिला बिजापुर
14. असन्ध	4. बिजापुर
जिला करनाल	5. राणानगर
15. इन्द्री	6. तह० इन्दौर बिजापुर
बिहार	7. तेरदल
1989	जिला बेलगांम
जिला पश्चिम चम्पारन	8. बेलगांम
1. धनाहा	9. शिरगुप्पी
1990	10. कगवाड
जिला भागलपुर	11. रायबाग
2. पिरपैंती	12. सेगुनासी
3. अमरपुर	जिला उत्तर कनारा
पश्चिम चम्पारन	13. तह० हलियाल
4. धनाहा	जिला मैसूर
1990	14. गुन्डलूपेट
जिला पूर्वी चम्पारन	15. नंजनगुड
5. पूर्वी चम्पारन	16. मैसूर
6. अदापुर/चोरा-दारो	17. नजदीक बोमूर

क्रम सं० स्थान का नाम	क्रम सं० स्थान का नाम
18. नजदीक साथयागाला गांव	जिला कोडागु
19. रंगनाथा पुरा	39. कुशल नगर
20. नजदीक प्रियापटना	जिला उत्तर कन्नाडा
जिला बंगलौर	40. बसावल्ली
21. रमनाग्राम	**जिला मैसूर**
जिला मान्डया	41. चोदाहाली
22. ता० मान्डया	**हिमाचल प्रदेश**
जिला शिमोगा	1989
23. सागर या होसंगारा तालुका के अन्दर	**जिला सिरूर**
24. चन्नागिरि/भद्रावती	1. पौंटा साहिब
जिला उत्तर कनारा	**केरल**
25. निश्चित किया जाना है	1991
1991	जिला पलघाट
जिला बेलगाम	
26. सारापुर	**महाराष्ट्र**
27. भुगते अलुर	1989
28. तोरगल	**जिला कोल्हापुर**
जिला धारवाड़	1. मनबेट
29. अरवतगी	**जिला बीड**
जिला बिजापुर	2. सरोला
30. जमखंडी तालुका	**जिला जालाना**
31. होरेपादसालगी गांव	3. सावरखेडा
32. अलमेटी	**जिला नासिक**
जिला शिमोगा	4. गोबाद
33. चन्नागिरि/होन्नाली में	**जिला धुलिया**
जिला मान्डया	5. तलावीपाडा
34. हलागुर	**जिला उस्मानाबाद**
जिला बिदर	6. भूम
35. नो इन्डस्ट्री तालुक	7. मुरूम
36. पेट मनहाली के नजदीक	**जिला प्रभानी**
37. हुब्ली/हचीकामठ	8. तुलजापुर-शाहपुर
जिला चित्रदुर्गा	**जिला औरंगाबाद**
38. मालेबनूर	9. खुलताबाद

क्रम सं० स्थान का नाम	क्रम सं० स्थान का नाम
जिला बलघाना	36. अबोही
10. नलगंगापुर	37. देकमोहा
11. येलगांव	38. बबूलतारा
जिला नान्देड	39. तितरवानी
13. नान्देह	40. जटनन्दूर
14. राजगढ़	41. नेकनुर
जिला जलगांव	42. वहगांव
15. कन्डारी	43. महासंघवी
जिला राजगढ़	44. सवारगांव
16. अभीवाली	45. रंजेगांव
जिला लटूर	46. पंगोरी
17. मोघा	47. लोनी
1990	जिला औरंगाबाद
जिला प्रभानी	48. वाकी
18. ज्वालाबाजार	49. करमाद
19. मंकेश्वर	50. विहामाउदवा
20. अकोली	51. पिसोरा
21. झाईखोडा	52. चोन्डाला
22. कुरना	53. गिरिजानगर
23. पुयानी	54. देवगांव रंगारी
जिला कोल्हापुर	55. बिदकिन
24. कुरुन्ड	56. खुलताबाद
25. खडबा	जिला चन्द्रापुर
26. अम्बा	
27. वेसराफ पत्तासामले	57. शेगांव
28. बड़गांव	58. सिन्देवाडी
29. खोची	जिला उस्मानाबाद
30. मदुर	59. रामपुरपवि
31. कगाल (अर्जुनी)	60. केशवगांव
32. कवाड	61. समासवाडी
33. घोसरवाडी	62. बिरदेवमन्दिर
34. साहूवाडी	63. उपलाई
जिला बीड	64. मान्डवा
35. मौजाचिवाडी	65. हिंगनगांव

क्रम सं० स्थान का नाम	क्रम सं० स्थान का नाम
जिला गढ़चिरोली	94. ब्राह्मणी
66. वडसा	95. निराजगांव
67. पोरला	96. पिम्पलगांवपिसा
जिला लटूर	97. खानापुर
68. रीनापुर (के)	98. नेवासा (बोके)
69. गढ़वाड	99. वाल्की
70. बेलुन्द	100. कोलेगांव (अहोरजे रोड पर)
71. नागलगांव	101. ननज
72. गोन्डवी	जिला शोलापुर
73. पोहारगांव	102. एस० एम० जोशी नगर
74. भोसा	103. तनाली
75. हुकनकवाडी	104. वटवटे
76. इस्मालपुर	105. शिरापुर
77. पटोदा	106. माहीम
जिला सांगली	107. तेलगांव
78. कादेपुर	108. खारदी
79. अराग	109. धामपुरी
80. साव्लवाडी	110. पिम्परी
81. वांगी	जिला अमरावती
82. बास्वा (शिगांव)	111. चन्दूरबाजार
83. कुम्हम	जिला यवतमाल
84. वाटेगांव	112. निम्मगई
85. कोहेगांव	113. रालेगांव
86. कुरलाब	114. दिग्राज
87. घोरपाडी	जिला पुणे
88. शिगांव	115. खडकी
89. उमाडी	116. बभूलगांव
90. कुन्डलवाडी	117. नागापुर—थपलिंग परिसर
91. कोकले	118. कथापुर
जिला थाने	119. राहू
92. नदगांव	जिला जालना
जिला अहमदनगर	120. अरादखेडा
93. हलगांव	121. धंगरपिम्पलगांव

क्रम सं० स्थान का नाम

122. रानीऊंचेगांव

जिला सतारा

123. पटखालमठ
124. सोकासन
125. कोब
126. सातेवाडी
127. वदुत फाठा
128. कोकेवाडी
129. महूसवाड
130. पाली
131. मघा
132. कराड
133. पिम्परी
134. दिवाड
135. घवाल

जिला नासिक

136. कुसुर

जिला जलगांव

137. शेवाले
138. सर्लसिंगी
139. भदगांव
140. जलगांव (के० एच०)
141. दीघी
142. नहवीमार्ग

जिला अकोला

143. अदगांव
144. मंगरूलपीर
145. बारी

जिला नान्देड

146. अदगांव
147. मरताला
148. दमाद
149. कवलगांव
150. उहाखेडी (महदवी)
151. मुभेद

जिला वर्धा

152. खुबगांव गांव

जिला भण्डारा

153. झिलमिल

जिला धुलिया

154. अम्बालबुआ
155. सिन्दे और समशारपुर गांव के बीच

जिला बुलधाना

156. देवलगांव बयासा/अजीसपुर
157. संग्रामपुर
158. खिवाई
159. नलगंगापुर
160. सुल्तानपुर
161. रामपुर

1991

जिला प्रभानी

162. वलूर

जिला कोल्हापुर

163. सैनिक तकाली

जिला बीड

164. पिम्पलगांव
165. धर्मपुरी
166. रहेरी

जिला औरंगाबाद

167. धाकेफल
168. मानूर
169. देवगांव
170. कदाराबाद
171. बकवा

क्रम सं० स्थान का नाम

172. वारखेड़ा (मुदाम)

173. खुलताबाद

जिला चन्द्रापुर

174. शेनगांव

जिला उस्मानाबाद

175. वस्ती (बीके)

जिला गढ़चिरोली

176. चमोरशी

जिला लटूर

177. टका

178. देवराजन

179. औसा

180. तोनदार

181. लोघागा

जिला सांगली

182. मोराते (पेड)

183. अराला

184. दरबादेही

जिला अहमदनगर

185. श्रीगोंडा

186. शेवगांव

जिला शोलापुर

187. रामवाडी

188. रोफाल (बीके)

189. सालमुखवाडी

190. मलिकपेठ

191. उपलाई (बो)

जिला अमरावती

192. कोलवीर

जिला यवतमाल

193. मरोली

194. फुलसवारगी

क्रम सं० स्थान का नाम

जिला पुणे

195. बाकी

196. भोसलेवाडी (कोठाले)

जिला जालना

197. जफराबाद

198. बदरापुर

जिला सतारा

199. खन्डाला

200. बदुज

201. गणेशवाडी

202. जधावबाडी

जिला जलगांव

203. बदोदे

204. बोकारी शवार

जिला अकोला

205. कालाअम्बा (महाली)

जिला नान्देड़

206. भामपुर

207. गौल

208. अलगांव

209. गोजेगांव

जिला भण्डारा

210. मसाल (चौरास)

जिला बुलधाना

211. देवलगांव

212. पंगारखेड (दोनगांव)

उत्तर प्रदेश

1989

जिला फैजाबाद

1. अगबरपुर

जिला मेरठ

2. मऊखारा

क्रम सं०	स्थान का नाम
	जिला वाराणसी
3.	चकिया चन्दौली
	जिला नैनीताल
4.	बेल पराव
	जिला गोरखपुर
5.	मिसरौली
	1990
	जिला मुजफ्फरनगर
6.	मुजफ्फरनगर
7.	कादरगढ़, तिहारी या बेघरा
8.	लमराजोर मिरानपुर या खतामपुर खोला या किलारपुर जुनीर या जानसठ या चेतोरा या सेखोरा
9.	बाबरी
10.	बुधाना
11.	बुधीना, खरार
12.	खरार
13.	शाहपुर
14.	चौताना
15.	शिवोरी
16.	पुरकाजी
17.	मीरापुर
18.	तिसोली
19.	नई नगला
	जिला मेरठ
20.	छपरोली
21.	बरहावा
22.	मऊखास
23.	बारोवा
	जिला महाराजगंज
24.	बघुलिया
25.	रतनपुर
26.	मिसरोली
27.	शमशमपुर चोक
	जिला सहारनपुर
28.	अहिराना
29.	नागल
30.	लखनौती गंगोह
31.	जलालाबाद
32.	रामगढ़
33.	नजदीक गंगोह
34.	छलोली
	जिला मथुरा
35.	मंत
36.	बालदेव
37.	राया—मात रोड
38.	नजदीक जराश
	जिला लखीमपुर खीरी
39.	शरदनगर
40.	मितौली
41.	बिजवा
42.	मुहमदी
43.	जंगबहादुरगंज
44.	मितौली
45.	मोहमदपुर
	जिला अलीगढ़
46.	खैर
	जिला मुरादाबाद
47.	चकलाट
48.	फजलपुरमति
49.	धमरा गांव
50.	भगवानपुर
51.	छबरा के पास
52.	फतेहपुर बिस्नोई
53.	बनपुरा
54.	मतलबपुर
	जिला इटावा
55.	जसवंतनगर
56.	इटावा

क्रम सं० स्थान का नाम	क्रम सं० स्थान का नाम
जिला बिजनौर	जिला नैनीताल
57. बिजनौर	83. काशीपुर
58 नजदीक कीर्तिपुर	84. सीतारगंज गांव
59. कबूलपुरगांव	जिला हरदोई
60. चण्डक	85. दारापुर
61. मलदौर—नहतौर रोड	86. बहारी खेड़ा और आसपास के गांव
62. नजदीक कोतवाली गांव	जिला शाहजहांपुर
जिला फतेहपुर	87. जलालाबाद
63. धाता	जिला गोंडा
64. उन्नौर	88. मनकापुर
जिला गाजियाबाद	89. देवरिया/मनकापुर के नजदीक
65. दादरी/बरवा/धौलाना	जिला देवरिया
66. पिनखुआ कस्बे के नजदीक	90. नजदीक हाटा
67. मन्डौला	91. नजदीक पथारडया/तरूनवा
जिला बरेली	92. फाजिलनगर
68. नवाबगंज	93. धोरा—बजुर्ग
69. मीरगंज	94. नजदीक दोनात
70. फतेहगंज पश्चिम	95. दोमठ
71. औरंगाबाद	जिला इलाहाबाद
जिला सीतापुर	96. प्रतापपुर
72. एयरइस्टेट	जिला बुलंदशहर
73. बेहता-रौसा	97. अगौता
74. शाह महाली	जिला फैजाबाद
जिला हरिद्वार	98. अकबरपुर
75. हरिद्वार	जिला बाराबंकी
76. नारसन	99. कोतिवा धाम
77. गुरुकुल नारसन	जिला मैनपुरी
78. सकांति	100. नजदीक मैनपुरी
जिला रामपुर	101. भागांव
79. मिलाक	जिला फर्रूखाबाद
80. धोली	102. रसालपुर
81. रामपुर	1991
82. किरमचा गांव	जिला मुजफ्फरनगर
	103. मुजफ्फरनगर

क्रम सं० स्थान का नाम

104. ब्लाक यू०ओ०एन०
105. बुधाना
106. चौसाना

जिला गाजियाबाद

107. मन्डोला

जिला हरदोई

108. पिहानी
109. मालीवाना
110. कछोना

जिला वाराणसी

111. चकिया—चन्दौलि

जिला कानपुर

112. बिलहौर

जिला बरेली

113. नवाबगंज
114. मीरगंज

जिला आजमगढ़

1 5. अतरौलिया —निओरी

जिला बदायूं

116. बिसौली

जिला मुरादाबाद

117. मतलबपुर
118. चजलैत
119. रतुपुरा गांव
120. दिलारी
121. मुरादाबाद

जिला सहारनपुर

122. नागल

क्रम सं० स्थान का नाम

123. लखनौती (गंगोह)

जिला मथुरा

124. कोशाकला
125. बलदेव

जिला देवरिया

126. तिनफेरिया

जिला लखीमपुर खीरी

127. मितौली
128. जंगबहादुरगंज
129. केरी
130. शारदा नगर

जिला बुलंदशहर

131. बुलंदशहर

जिला अलीगढ़

132. खेर

जिला बिजनौर

133. चन्दक रीजन
134. रोशनपुर प्रताप/हुसतनाबाद

जिला रामपुर

135. टान्डा

जिला पीलीभीत

136. साही

जिला बहराइच

137. चिलवारिया

जिला मेरठ

138. मऊखास
139. कोई पिछड़ा क्षेत्र

विवरण

नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1989, 1990, 1991 और चालू वर्ष 1992 (30-6-92 तक) के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों का राज्यवार व जिलावार विवरण

क्र०सं०	स्थान सहित फैक्ट्री का नाम	आशय पत्र की तारीख	दैनिक पेराई क्षमता टी० सी० डी०	क्षेत्र
1	2	3	4	5
	पंजाब			
	1990			
	जिला होशियारपुर			
1.	पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपो० लि० मुकेरियाँ	23.3.90	2500	संयुक्त
2.	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, दसुया	26.10.90	2500	सहकारी
	जिला अमृतसर			
3.	पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपो. लि०, लोपोके	9-10-90	2500	संयुक्त
	1991			
	जिला कपूरथला			
4.	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, कपूरथला	5-3-91	2500	सहकारी
	जिला पटियाला			
5.	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, पतरां	7-3-91	2500	सहकारी
6.	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, अमलोह	7-3-91	2500	सहकारी
	जिला अमृतसर			
7.	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, बाबा—बकाला	7-3-91	2500	सहकारी
	महाराष्ट्र			
	1989			
	जिला शोलापुर			
1.	मै० श्री संत दामाजी एस० एस० के० लि०, श्रीनन्दामी	3-4-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
	2. मं० सगोला तालुका एस० एस० क० लि०, वाकी	18-10-89	2500	सहकारी
	3. मैं० आदि नाथ एस० एस० क० लि०, लावे-भटवानी	20-3-89	2500	सहकारी
	जिला नागपुर			
	4. मैं० रामगणेश गदकारी एस० एस० के० लि०, सावनेर	3-4-89	2500	सहकारी
	5. विदर्भ शेतकारी एस० एस० के० लि०, मोहगांव	3-4-89	2500	सहकारी
	जिला अमरावती			
	6 श्री कोन्डेश्वर एस० एस० के० लि०, बदनेरा	3-4-89	2500	सहकारी
	जिला अकोला			
	7. डा० वामनराव रामकृष्णा अकोला जिल्हा एस० एस० के०, गांव सुकाले	3-4-89	2500	सहकारी
	जिला यवतमाल			
	8. श्री शंकर शेलकारी एम० एस० के० लि०, गांव मंगरूल	26-4-89	2500	सहकारी
	9. मैं० जयकिसान एस० एस० के० लि०, बारबादी	20-3-89	2500	सहकारी
	जिला बुलिया			
	10. मैं० सिन्धखेड़ा एस० एस० के० लि०, देगांव	23-6-89	2500	सहकारी
	जिला सिन्धुदुर्गा			
	11. मैं० अजरा शेतकारी एस० एस० के० लि०, अम्बोली	10-7-89	2500	सहकारी
	जिला लटूर			
	12. मैं० शिवाजीराव पाटिल निलगेकार एस० एस० के० लि०, अम्बुलगा (बौके)	16-10-89	2500	सहकारी
	जिला बीड			
	13. माजलगांव एस० एस० के० लि०, निथरूड	16-10-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
	जिला उस्मानाबाद			
14.	बनगंगा शेतकारी एस० एस० के० लि०, ता० भूम	16-10-89	2500	सहकारी
	जिला अहमदनगर			
15.	मैं० अगस्ती एस० एस० के० लि०, जमगांव	17-10-89	2500	सहकारी
16.	श्री केदारेश्वर एस० एस० के० लि०, बोधेगांव	22-12-89	2500	सहकारी
	जिला जलगांव			
17.	जामनेर तालुका एस० एस० के० लि०, गोंडखेड	3-11-89	2500	सहकारी
18.	मैं० श्री चोपड़ा एस० एस० के० लि०, मचाले	20-3-89	2500	सहकारी
	जिला सतारा			
19.	मैं० जरान्देश्वर एस० एस० के० लि०, बोम्बाले-सातेवाडी	17-1-89	2500	सहकारी
	जिला वर्धा			
20.	मैं० शेतकारी एस० एस० के० लि०, नन्दगांव	20-3-89	2500	सहकारी
	1990			
	जिला लातूर			
21.	बालघाट शेतकारी एस० एस० के० लि०, उजाना, तह० अहमदपुर	28-3-90	1750	सहकारी
	जिला शोलापुर			
22.	इन्दिरा एस० एस० के० लि०, अकालकोट	28-3-90	2500	सहकारी
	जिला यवतमाल			
23.	पुष्पावती एस० एस० के० लि०, चिखाली	28-3-90	2500	सहकारी
	जिला नान्देड			
24.	जयवंत पाटिल एस० एस० के० लि०, हदसानी	21-3-90	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
25.	जय अम्बिका एस० एस० के० लि०, सोमथाना	23-3-90	1750	सहकारी
26	भाऊराव चव्हाण एस० एस० के० लि०, मुन्दखेड	2-5-90	2500	सहकारी
	जिला प्रभानी			
27.	नरसिंहा एस० एस० के० लि०, लोहेगांव	21-3-90	2500	सहकारी
28.	इन्दिरा एस० एस० के० लि०, पुसेगांव	28-3-90	1750	सहकारी
	जिला सांगली			
29	जय टीके शेतकारी एस० एस० के० लि०, तिप्पेहाली	26-3-90	2500	सहकारी
	जिला पुणे			
30.	श्री संत तुकाराम एस० एस० के० लि०, हिजावाडी	26-3-90	2500	सहकारी
31.	घोदगंगा एस० एस० के० लि०, नहावारे, तह० शिरूर	12-4-90	2500	सहकारी
	जिला जालना			
32.	श्री बागेश्वरी एस० एस० के० लि०, परतूर	30-5-90	2500	सहकारी
	1991			
	जिला धुलिया			
33.	मै० पुष्पवन्तेश्वर एस० एस० के० लि०, समशेरपुर	4-1-91	2500	सहकारी
	जिला बीड			
34.	मै० पद्मश्री डा० विठ्ठलराव विखे पाटिल एस० एस० के० लि०, कोठी	24-1-91	2500	सहकारी
	उत्तर प्रदेश			
	1989			
	जिला हरदोई			
1.	मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, रूपापुर	20-3-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
	जिला बहराइच			
	2. उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ, छिलवारिया	20-3-89	2500	सहकारी
	जिला मैनपुरी			
	3. मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, मैनपुरी	23-6-89	2500	सहकारी
	जिला सहारनपुर			
	4. मै० उ० प्र० सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ लि०, रसूलपुर	27-7-89	2500	सहकारी
	जिला बुलंदशहर			
	5. मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, जेवार	16-10-89	2500	सहकारी
	1990			
	जिला मुरादाबाद			
	6. बीनस सुगर मिल्स लि०, मझावली (भरतरा)	7-3-90	2500	निजी
	7. जगजीत सुगर मिल्स कं० लि०, धन्नौरा	7-8-90	2500	निजी
	8. धामपुर चीनी मिल्स लि०, असमोली	26-10-90	2500	निजी
	जिला सिद्धार्थ नगर			
	9. श्री करूण राज नारंग, मोहरतगढ़	10-4-90	2500	निजी
	जिला बाराबंकी			
	10. धामपुर चीनी मिल्स लि०, राम स्नेही घाट	12-4-90	2500	निजी
	जिला सीतापुर			
	11. मै० विवेक गन्ना प्रा० लि०, रामगढ़	12-4-90	2500	निजी
	जिला मुजफ्फरनगर			
	12. तितावी सुगर वर्क्स लि०, तितावी	7-8-90	2500	निजी
	जिला मेरठ			
	13. बिन-मेडिकेयर लि०, मलकपुर	7-8-90	2500	निजी
	जिला बुलंदशहर			
	14. मै० विलारड इंडिया लि०, अबोला	7-8-90	2500	निजी

1	2	3	4	5
जिला महाराजगंज				
15. मैं० मुकेश जसनानी, गदौरा		26-10-90	2500	निजी
1991				
जिला इटावा				
16. श्री हरीश चन्द्र सिंह, जसवंतनगर		1-2-91	2500	निजी
उड़ीसा				
1989				
जिला बोलनगीर				
1. मैं० पोन्नी सुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, बोलनगिर		20-3-89	2500	निजी
जिला कालाहांडी				
2. मैं० वैस्टर्न इंडिया सुगर एंड कैमीकल्स इन्डस्ट्रीज लि०, धमंगढ़		20-3-89	2500	निजी
जिला कोरापुट				
3. मैं० उड़ीसा सुगर्स लि०, नवरंगपुर		20-3-89	2500	निजी
1990				
जिला क्योंझर				
4. मैं० धरनी सुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, आनन्दपुर		13-2-90	2500	निजी
जिला फुलबानी				
5. इन्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपो० आफ उड़ीसा लि०, तह० बौध		26-10-90	2500	संयुक्त
जिला गंजम				
6. इन्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपो० आफ उड़ीसा लि०, तह० भांजानगर		26-10-90	2500	संयुक्त
कर्नाटक				
1989				
जिला बिदर				
1. मैं० नरंज्रा एस एस के लि०, चिल्लेरागी		20-3-89	2500	सहकारी
जिला बिजापुर				
2. मैं० नन्दी एस एस के लि०, चिक्का गालागाली		10-7-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
1990				
जिला मैसूर				
3. बन्नारी अमान सुगर्स लि०, अलगांची गांव		25-7-90	2500	निजी
आंध्र प्रदेश				
1989				
जिला नेल्लोर				
1. एम पी सुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, अयप्पारेड्डी पालेम		20-3-89	2500	निजी
जिला चित्तूर				
2. मै० तेलुगु सुगर्स लि०, कुमारनाथम		11-7-89	2500	निजी
जिला एडिलाबाद				
3. सरस्वती को० सुगर फैक्ट्री लि०, कदम		16-10-89	2500	सहकारी
जिला करीमनगर				
4. जयकिसान सहकारी चीनी फैक्ट्री लि०, हजूराबाद		20-10-89	2500	सहकारी
जिला खम्माम				
5. मै० श्री कैलाश सुगर्स एंड कैमीकल्स लि०, पेरुवुन्चा		12-10-89	2500	निजी
1990				
जिला चित्तूर				
6. सुगनाथम सुगर्स लि०, निद्रा गांव		7.10.90	2500	निजी
गुजरात				
1989				
जिला बलसाड				
1. मै० कावेरी विभाग एस० खांड उद्योग मंडली लि०, अमोद		22-6-89	2500	सहकारी
जिला भरुच				
2. मै० श्री रेवा खांड उद्योग एस० मंडली लि०, अमोद		10-7-89	2500	सहकारी
3. श्री नर्मदा खांड उद्योग सहकारी मंडली लि०, तरोपा		16-10-89	2500	सहकारी
जिला बडोदरा				
4. बडोदरा जिला सहकारी गन्ना उत्पादक संघ लि०, गन्धारा		20-10-89	2500	सहकारी

1	2	3	4	5
	1990			
	जिला भरूच			
5	श्री खेदुत सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, रोहिद	19-1-90	2500	सहकारी
	जिला सूरत			
6.	श्री वलोद प्रदेश सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, वीरपुर	20-2-90	2500	सहकारी
7	श्री उकाई विभाग असरग्रस्त सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, गनसादा	28-3-90	2500	सहकारी
	जिला वलसाड			
8.	श्री दमनगंगा सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, सरोन्दा	26-3-90	2500	सहकारी
	1991			
	जिला सूरत			
9.	श्री श्रीपथभाई बुलालभाई पंत श्री निजार विभाग सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, निजार	20-3-91	2500	सहकारी
	मध्य प्रदेश			
	1989			
	जिला नरसिंहपुर			
1.	मै० ओरिएंट कारटन्स (प्रा०) लि०, तह० करेली	11-7-89	2500	निजी
	1990			
	जिला होशंगाबाद			
2.	भोपाल सुगर इन्डस्ट्रीज लि०, बबाई	3-5-90	2500	निजी
	1992			
	जिला खरगोने			
3.	नर्मदा सुगर लि०, खलबुजुर्ग	27-3-92	2500	निजी
	पांडिचेरी			
	1990			
1.	साऊथ ईस्टर्न सुगर्स एंड एलाइड इन्डस्ट्रीज लि०, सेथुर गांव	28-3-90	2500	निजी

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
	1990			
	जिला दक्षिण अरकोट			
	1. तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ, चिन्नासालेम	12-4-90	2500	सहकारी
	2. तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि०, गुमुदीपुन्डी	27-7-90	2500	सहकारी
	हरियाणा			
	1991			
	जिला अम्बाला			
	1. यूनाईटिड वनस्पती लि०, नारायणगढ़	13-2-91	2500	निजी

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

4100. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में सातवीं पंचवर्षीय परियोजना से पहले आरंभ की गई रेल परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) किन-किन परियोजनाओं को अब तक पूरा किया जा चुका है और 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार शेष परियोजनाओं पर कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परिस्थितियों की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पहली से छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 727.62 किलोमीटर लबी नई लाइनें बिछाने का कार्य शुरू किया गया था इसमें से 529.05 कि०मी० लम्बी लाइनों का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 198.57 कि०मी० लम्बी लाइनों का कार्य 1992-93 के दौरान पूरा कर लेने का लक्ष्य बनाया गया है । 603.21 कि०मी० लाइनों के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया था और यह पूरा हो चुका है ।

व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली (एम० आर० टी० एन०) के अन्तर्गत 8.55 कि०मी० लम्बी नई लाइनों के बिछाने का कार्य शुरू किया गया था । इसमें से 2.55 कि०मी० लम्बी लाइन का कार्य पूरा हो चुका है और 6.0 कि०मी० लम्बी लाइन का कार्य 1994-95 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है । नई लाइन परियोजनाओं की लागत 234.25 करोड़ रु० दोहरीकरण परियोजनाओं की लागत 57.21 करोड़ रु० और नई लाइन व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली (एम० आर० टी० एस०) परियोजनाओं की लागत 215.65 करोड़ रु० है । परियोजनाओं का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

(क) से (घ) पहली से छठी योजनाओं के दौरान तमिलनाडु में स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र०सं०	खंड का नाम	आमान	लम्बाई कि०मी०	लागत लाख रुपयों में	चालू किए जाने की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	अरंतांगी-कारैक्कुडी मी०ला०	मी० ला०	26.50	37.94	मार्च, 52	
2.	इरुगुर-कोयम्बतूर	ब० ला०	15.02	45.20	जनवरी, 53	
3.	विरुदु नगर-मानामदुरै	मी० ला०	66 56	267.64	मई, 64	
4.	सेलम-बेंगलूरु	मी० ला०	166.20	733.70	जनवरी, 69	अंशत: तमिलनाडु में
5.	तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी तिरुनेलवेलि	ब० ला०	129.90	3136.00	अप्रैल, 81	-वही-
6.	तिरुनेलवेलि और तालैयूत्तु के बीच समानांतर बड़ी लाइन	ब० ला०	6.80	99.40	अप्रैल, 83	
7.	तालैयूत्तु-मिलविट्टान के बीच समानांतर बड़ी लाइन	ब० ला०	44.10	1656.00	मई, 85	
8.	करूर-दिण्डीगुल	ब० ला०	73.97	3445.00	अगस्त, 88	
9.	दिण्डीगुल-मदुरै	ब० ला०	64.32	5372.88	प्रगति पर (83%)	लक्ष्य तिथि सित० 92
10.	मिलविट्टान से तूतीकोरिन सहित मदुरै-मणियाच्चि का आमान परिवर्तन	ब० ला०	134.25	8631.00	प्रगति पर (19%)	लक्ष्य तिथि मार्च, 93
	दोहरीकरण					
1.	अरकोणम-जोलारपेट्टै	ब० ला०	144.10	647.88	सित०, 64	
2.	अरकोणम-पोनपाडिनामरी	ब० ला०	22.05	113.75	अप्रैल, 64	अंशत: तमिलनाडु में
3.	जोलारपेट्टै-इरोड	ब० ला०	190.24	1066.10	फरवरी, 74	

1	2	3	4	5	6	7
4.	इरोड-उत्तुक्कुलि-इरुगुर	ब० ला०	84.07	872.28	सित०, 76	
5.	पोदनूर-मदुकरै	ब० ला०	9 66	103.41	दिस०, 72	
6.	पदुतरै-कंजिकोड़े	ब० ला०	16.03	154.68	मार्च, 73	अंशतः तमिलनाडु में
7.	तिरुवोत्तियूर-गुम्मिडिपुंडी	ब० ला०	38.27	220.68	अगस्त, 63	
8.	गुम्मिडिपुंडी-आरमबाक्कम	ब० ला०	15.19	96 00	अक्तूबर, 67	
9.	जोलारपट्टै-सोमनायोकेनपट्टी-मुलानूर	ब० ला०	9.16	'0?.26	जून, 73	
10.	सोमनायकेनपट्टी-मुलानून	ब० ला०	25.13		मई, 77	
11.	कोरुक्कुपेट-वेयसरपाडी	ब० ला०	1.93	144.56	फरवरी, 86	
12.	बेसिन ब्रिज-वेयसरपाडी	ब० ला०	1.86	249.39	दिस०, 85	
13.	विल्लिवाक्कम-पट्टाभिराम, अवाडवंपलिंग	ब० ला०	15.52	1542.80	सित०, 88	
व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना (एम०आर०टी एस०)						
	मद्रास-बीच से लूज	ब० ला०	8.55	21565 00	16-9-1991 को 2.55 कि० मी० लाइन पूरी हो गई	
			6 कि० मी० का कार्य प्रगति पर (51%)		94-95 तक	

माल डिब्बों का निर्माण

4101. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक क्षमता वाले रेल माल डिब्बे लगाए जाने और मरम्मत तथा रख-रखाव की सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद माल डिब्बों के निर्माण में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यशालाओं में माल डिब्बों को अनावश्यक अवधि तक रोके रखने तथा पोत-परिवहन स्थलों पर माल डिब्बों के कम उपयोग किए जाने के कारण भारी घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों की बड़ी लाइन पर आधुनिक वात ब्रेक युक्त माल यातायात स्टाक 1982-83 में चालू किया गया था। उस समय से

बड़ी लाइन के माल डिब्बों की उपलब्धता में 1982-83 के 92.64% से 1991-92 में 95.72% तक उत्तरोत्तर सुधार हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग में प्रोत्साहन लाभ योजना

4102. **श्री छीतूभाई गामीत :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के विभिन्न संगठनों ने सरकार से प्रोत्साहन लाभ योजना पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) नयी प्रोत्साहन लाभ योजना को कब तक लागू किया जायेगा और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश अभ्यावेदनों में प्रोत्साहन बढ़ाने की मांग की गई है। तथापि, भारतीय चीनी मिल संघ ने अभ्यावेदन किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नई इकाइयों की प्रोत्साहन योजना में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) नई प्रोत्साहन योजना का मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इसकी शीघ्र घोषणा कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

रोजगारोन्मुखी शिक्षा संस्थान

4103. **श्री श्याम लाल कमल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत रोजगारोन्मुख शिक्षण संस्थानों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इन संस्थानों के भूतपूर्व विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में इन संस्थानों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संस्थानों के सफल विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने पर किसी प्रकार की निगरानी रखी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं योजनावधि के दौरान ऐसे कितने संस्थान खोले जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केंद्रीय प्रायोजित योजना के

अंतर्गत, 1991-90 के अन्त तक, देश में लगभग 4400 स्कूलों में 12,543 व्यावसायिक सेक्शन स्वीकृत किए गए थे। राज्य-वार ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य, उचित रूप से शिक्षा के विविधीकरण के जरिए, प्रत्येक व्यक्ति की नियोज्यता को बढ़ाना है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाएं, तदनुसार पूर्व-छात्रों को किसी प्रकार के रोजगार की गारंटी नहीं दे सकतीं।

(ग) और (घ) उन सफल छात्रों जिन्होने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया है, के रोजगार को मानीटर करने के लिए, फिलहाल कोई तन्त्र नहीं है।

(ङ) उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आठवीं योजना अवधि के दौरान, +2 स्तर पर, लगभग 5244 नए व्यावसायिक सेक्शन आरम्भ किए जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	स्कूलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	583
2.	अरुणाचल प्रदेश	4
3.	असम	100
4.	बिहार	151
5.	गोआ	26
6.	गुजरात	291
7.	हरियाणा	65
8.	हिमाचल प्रदेश	40
9.	जम्मू और कश्मीर	16
10.	कर्नाटक	299
11.	केरल	210
12.	मध्य प्रदेश	390
13.	महाराष्ट्र	469
14.	मणिपुर	19
15.	मेघालय	10
16.	मिजोरम	17
17.	नागालैंड	8
18.	उड़ीसा	181
19.	पंजाब	192
20.	राजस्थान	145
21.	सिक्किम	5
22.	तमिलनाडु	500

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्कूलों की संख्या
23.	त्रिपुरा	—
24.	उत्तर प्रदेश	600
25.	पश्चिमी बंगाल	39
26.	अंडमान और निकोबार	6
27.	चंडीगढ़	8
38.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दमन दीव	—
30.	दिल्ली	13
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	12
33.	अन्य-केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, दिल्ली	1
	कुल योग	4400

मोटामारी-जग्गैयाहपेट रेल लाइन

4104. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटामारी-जग्गैयाहपेट रेल लाइन पूरी हो गई है;

(ख) क्या जग्गैयाहपेट से विजयवाड़ा तक सवारी गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो रेलगाड़ियों को कब से चलाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्य न होने के कारण।

पंजाब में ऊपरी पुलों का निर्माण

4105. **श्री कमल चौधरी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च 1992 के अन्त तक पंजाब में कितने रेल ऊपरी पुल बनाए गए हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान जनता की मांगों को पूरा करने तथा

यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए पंजाब में और अधिक ऊपरी पुलों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ऐसे ऊपरी पुलों का निर्माण किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक लुधियाना के समीप ऊपरी सड़क पुल ।

(ख) और (ग) रेलें केवल ऐसे ऊपरी पुलों के निर्माण की योजना बनाती है जिन्हें संबंधित राज्य सरकार नियमानुसार लागत वहन की विधिवत सहमति देते हुए, प्रायोजित करती हैं, इस समय निम्नलिखित स्थानों पर ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण चल रहा है :—

(i) भटिण्डा के समीप ऊपरी सड़क पुल ।

(ii) फगवाड़ा के समीप ऊपरी सड़क पुल ।

(iii) ढिलवां के समीप ऊपरी सड़क पुल का पुनर्निर्माण ।

इसके अलावा पटियाला में एक ऊपरी सड़क पुल की स्वीकृति है और यह योजना स्तर पर है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में असम्बद्ध स्कूल

4106. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रखी गई आवश्यक शर्तों को पूरा न करने के कारण दिल्ली में कई स्कूलों को असम्बद्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यवाही से उन स्कूलों में नामांकित छात्रों की आगे की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की/करने का प्रस्ताव है ।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय

4107. **श्री शशि प्रकाश :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा-अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के अपने क्षेत्रीय कार्यालय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपने कर्मचारियों का दिल्ली में तथा दिल्ली से बाहर स्थानांतरण करने के संबंध में कोई स्थानांतरण नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पास चार क्षेत्रीय शिक्षा कालेज हैं जो भोपाल, भुवनेश्वर मैसूर तथा अजमेर में स्थित हैं तथा ये अलग-अलग विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, एन०सी०ई०आर०टी० के पास क्षेत्र सलाहकारों के 17 कार्यालय हैं, जो दिल्ली के बाहर स्थित हैं।

(ग) और (घ) एन०सी०ई०आर०टी० के अनुसार दिल्ली के अंदर या बाहर अपने कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए उसके पास स्थानांतरण की औपचारिक नीति जैसी कोई नीति नहीं है। तथापि परिषद् के किसी भी कर्मचारी को भारत के किसी भी भाग में स्थित परिषद् के किसी भी प्रतिष्ठान में स्थानांतरित किया जा सकता है। आमतौर पर स्थानांतरण प्रशासनिक दक्षता तथा कार्य की अपरिहार्यता को ध्यान में रखकर तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर रेलवे में रेल लाइनों का नवीकरण

4108 **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर रेलवे में किन-किन लाइनों का नवीकरण शुरू किया गया था और किन-किन रेल लाइनों का नवीकरण सम्बन्धी कार्य शुरू किया गया है;

(ख) प्रत्येक रेल लाइन के सम्बन्ध में अब तक कितना कार्य हो चुका है; और

(ग) इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : लाइनों के उन भागों का नवीकरण करने की योजना बनाई जाती है जिनका हालत के आधार पर नवीकरण करना अपेक्षित हो जाता है अत: सातवीं योजना में किन्हीं पूरी लाइनों के नवीकरण की योजना नहीं बनाई गई थी। नवीकरण कार्यक्रम में उत्तर रेलवे की अधिकांश महत्वपूर्ण लाइनों के भाग शामिल थे। कुल 2436 कि०मी० रेलपथ के नवीकरण का अनुमोदन किया गया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	रेल लाइनें	सातवीं योजना के दौरान कुल (कि०मी०)	शेष (कि०मी०)
1	2	3	4
1.	दिल्ली-मुगलसराय और अन्य संपर्क लाइनें	679	—
2.	गाजियाबाद-सहारनपुर-लुधियाना-अमृतसर और अन्य संपर्क लाइनें	409	40

1	2	3	4
3.	सहारनपुर-लखनऊ-कानपुर और अन्य संपर्क लाइनें	552	20
4.	दिल्ली-अम्बाला-शिमला-दिल्ली-भटिंडा-फिरोजपुर-दिल्ली क्षेत्र और अन्य संपर्क लाइनें	288	28
5.	दिल्ली-हिसार-श्री गंगानगर और अन्य संपर्क लाइनें	337	—
6.	फुलेरा-मेड़ता रोड-जोधपुर और अन्य संपर्क लाइनें	171	—
	जोड़	2436	88

(ख) और (ग) उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार 2348 कि०मी० (97%) पर कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है और विभिन्न लाइनों पर केवल 88 कि०मी० शेष है।

रेलपथ नवीकरण का शेष कार्य चालू वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा।

क्यूल भागलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करना

4109 **श्री लाईमन मराण्डी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूल-भागलपुर रेलवे लाइन को दोहरा करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस लाइन को दोहरा करने की भावी योजना का ब्यौरा क्या है; और इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) : जी हां।

(ख) और (ग) मौजूदा रेलवे लाइन का दोहरीकरण ढोये जाने वाले यातायात की जरूरतें पूरी करने के लिए परिचालनिक आधार पर किया जाता है। क्यूल और भागलपुर के बीच 76 कि०मी० में कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाने के काम को स्वीकृति दे दी गई है। मार्च, 92 तक 67.26 कि०मी० यातायात के लिए खोल दी गयी है और शेष कार्य वित्त वर्ष 1992-93 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

साक्षरोत्तर कार्यक्रम

4110. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरोत्तर कार्यक्रम को पूरे देश में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) नवसाक्षरों के केन्द्र-आधारित कार्यक्रम के लिए उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा की मुख्य नीति, जनशिक्षण निलयमों को एक संस्थागत संरचना प्रदान करना थी। निरक्षरता उन्मूलन की मुख्य नीति इस समय, क्षेत्र विशेष, समयबद्ध स्वयंसेवा आधारित लागत प्रभावी तथा परिणामप्रद-पूर्ण साक्षरता जन अभियान आयोजित करने की है न कि प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन अभियानों से लाभान्वित नव-साक्षर, फिर से निरक्षरता के अंधकार में न गिर जाएं, प्रत्येक पूर्ण साक्षरता अभियान के बाद एक उत्तर साक्षरता अभियान आयोजित किया जाता है जो दो वर्ष की अवधि तक जारी रहता है। इन अभियानों में, बुनियादी शिक्षा दक्षता के विस्तार, प्रबलन, स्थायीकरण विकास तथा इन दक्षताओं का उनके वास्तविक जीवन तथा कार्य-दशाओं में नियोजन तथा अव्यवस्थित को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया गया है। पूर्ण साक्षरता अभियानों में नवसाक्षरों द्वारा अर्जित उपलब्धि के स्तरों तथा उनकी वास्तविक शैक्षिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उन जिलों/क्षेत्रों जिनमें पूर्ण साक्षरता अभियान समाप्त हो चुके हैं, में उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के विभिन्न माडलों, जिनमें जनशिक्षण निलयम भी शामिल हैं, का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रशासनों तथा विभिन्न राज्यों/संघशासित प्रशासनों की स्वैच्छिक एजेन्सियों तथा जिला साक्षरता समितियों को जनशिक्षण निलयम का संचालन करने तथा उत्तर साक्षरता अभियान आयोजित करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संस्वीकृत राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों तथा एजेन्सियों को अनुदान मुक्त करना, उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करता है, अतः उत्तर साक्षरता तथा सतत शिक्षा के लिए राशि का राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

विवरण

उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के लिए संस्वीकृत की राशि

(रुपए लाखों में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	94.18	63.66	157.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.08	1 62	3.00

1	2	3	4	5
3.	असम	24.50	10.00	28.00
4.	बिहार	90.65	22.47	30.77
5.	गोआ	0.98	1.15	0.33
6.	गुजरात	87.78	147·65	177.76
7.	हरियाणा	10.74	3.52	2.10
8.	हिमाचल प्रदेश	4.20	8.16	10.00
9.	जम्मू और कश्मीर	4.90	6.90	12.00
10.	कर्नाटक	65.65	65.59	175.59
11.	केरल	27.89	43.24	161.58
12.	मध्य प्रदेश	164.46	130.59	81.22
13.	महाराष्ट्र	112.31	109.38	203.47
14.	मणिपुर	101.10	8.37	3.63
15.	मेघालय	8.21	8.40	11.01
16.	मिजोरम	4.18	2.39	3.38
17.	नागालैण्ड	8.16	5.16	7.16
18.	उड़ीसा	85.46	47.08	59.64
19.	पंजाब	37.13	17.75	10.28
20.	राजस्थान	102.91	104.31	40.35
21.	सिक्किम	3.64	0.01	1.00
22.	तमिलनाडु	111.38	69.97	38.71
23	त्रिपुरा	7.10	0.84	2.00
24.	उत्तर प्रदेश	128.49	86.09	80.07
25.	पश्चिम बंगाल	14.03	21.20	338.74
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.65	2.73	0.10
27.	चंडीगढ़	1.74	3.06	0.20
28.	दादरा और नगर हवेली	0.64	0.77	0.10
29.	दमन और दीव	0.73	0.66	0.30
30.	दिल्ली	0.55	5.83	0.25
31.	लक्षद्वीप	0.21	0.32	0.10
32.	पांडिचेरी	0.79	2.00	11.11

[हिन्दी]

मनिकापुर और कटरा के बीच रेल पुल

4111. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनिकापुर और कटरा रेल मार्ग को अयोध्या से जोड़ने के लिए मनिकापुर और कटरा के बीच रेल पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है, इस परियोजना का चरण-I अर्थात मनकापुर से कटरा तक आमान परिवर्तन का कार्य 1992-93 में पूरा हो जाएगा, तत्पश्चात कटरा में रेल पुल सहित कटरा से फैजाबाद तक नई लाइन के निर्माण से संबंधित चरण-II का कार्य शुरू किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बीच मार्ग में इंधन समाप्त हो जाने के कारण रेल इंजनों का रुका रहना

4112. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान डीजल से चलने वाले रेल इंजनों में रेलमार्ग पर ही इंधन समाप्त हो गया था जिसके कारण रेलगाड़ियां बीच मार्ग में ही रुक गई तथा यात्रियों को कठिनाईयां/असुविधाएं उठानी पड़ीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और रेल इंजनों में इंधन समाप्त होने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक वर्ष (1.4.91 से 41.3.92 तक) के दौरान कम इंधन लेकर चल रहे इंजन के कारण होने वाली डीजल इंजन असफलता की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रदूषण निवारण हेतु सहायता

4113. **श्री हरिन पाठक :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को वर्ष 1992-93 के दौरान जल, वायु और शोर प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है :

1.	बिहार	12.25 लाख रुपए
2.	पंजाब	5.00 लाख रुपए
3.	मेघालय	5.00 लाख रुपए

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

4114. **श्री रामपाल सिंह** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरप्रदेश के विभिन्न रेलवे जोनों में ऐसे कौन-कौन से प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिनका गत दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण/विस्तार किया गया है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है और इस पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) किन-किन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार कार्य शुरू हो गया है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और चालू वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है और यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिन प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया गया है और उन पर खर्च की गई राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है :

रेलवे	स्टेशन	आबंटित की गई राशि (लाख रुपयों में)
मध्य	आगरा	33.79
	झांसी	102.50
	चित्रकूट धाम करवी	11.02
उत्तर	लखनऊ	40.00
	इलाहाबाद	27.00
	मुरादाबाद	92.28
पूर्वोत्तर	लखनऊ	48.00

रेलवे	स्टेशन	आबंटित की गई राशि (लाख रुपयों में)
	गोरखपुर	381.71
	काठगोदाम	34.00
	इलाहाबाद सिटी	26.00
पश्चिम	आगरा फोर्ट	68.83

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में जिन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

रेलवे	स्टेशन	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	1992-93 के दौरान आबंटित राशि (लाख रुपयों में)	लक्ष्य
उत्तर	मेरठ सिटी	265.00	10.52	दिसम्बर, 92
मध्य	आगरा	68.08	16.25	दिसम्बर, 93
	झांसी	327.82	3.50	दिसम्बर, 95
	बांदा	106.70	50.00	दिसम्बर, 93

(ङ) लखनऊ उत्तर रेलवे, बादशाह नगर (लखनऊ)-पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा पहले ही उपलब्ध है। इस संबंध में आगरा और आगरा फोर्ट स्टेशनों पर कार्य शुरू कर दिया गया है और दिसम्बर, 93 तक कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्कों के लिए सहायता

4115. डा० कृपासिन्धु भोई :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अभयारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के संरक्षण, रखरखाव और विस्तार हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ऐसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितनी धनराशि दी गई ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास				बाघ परियोजना			पारि-विकास	
		1989-90	1990-91	1991-92	कुल	1989-90	1990-91	1991-92	कुल	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.80	37.00	51 79	129.59	14.60	33.225	21.331	69.156	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.98	23.75	18.55	66.20	22.165	28.920	15.757	66.842	—
3.	असम	08.76	*111.48	*18[illegible].70	*304.94	59.776	31.892	64.610	156.278	—
4.	बिहार	—	—	—	—	28.060	62.105	29.174	119.339	04.920
5.	गोआ	—	—	14.50	14.50	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	46.44	48.41	42.05	136.90	—	—	—	—	14.450
7.	हरियाणा	12.19	13.89	28 00	54.08	—	—	—	—	04.300
8.	हिमाचल प्रदेश	71.71	75.48	86.65	233.84	—	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	9.11	—	9.11	—	—	—	—	24.530
10.	कर्नाटक	63.02	111.48	77.36	251.86	15.241	22.420	30.925	68.586	09.000

* असम के आंकड़ों में "गेण्डों के संरक्षण" की स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की गई सहायता भी शामिल है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	केरल	19.08	41.04	30,35	90 47	23.980	52,725	17 679	94,384	08.000
12.	मध्य प्रदेश	55,09	60,16	127.41	242 66	35,860	55.735	58.472	150,067	—
13.	महाराष्ट्र	28.97	46.24	67.10	142.31	28.835	43,389	13.780	86,004	—
14.	मणिपुर	13.80	19.95	19,15	52.90	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	07.80	12 55	16.52	36,87	—	—	—	—	—
16	मिजोरम	04.55	13.00	26,77	44.32	—	—	—	—	—
17.	नागालैण्ड	—	03,90	02,50	06.40	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	13.65	36,27	49.45	99-37	19.685	49.164	41.60	110.009	12.500
19.	पंजाब	13.65	10.40	12 00	36.05	—	—	—	—	—
20.	राजस्थान	23.73	64,77	78.46	166.96	92.56	107.650	106,29	306.505	—
21.	सिक्किम	11.00	27.77	38.43	77.20	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	26,74	23.39	31.24	81.37	27.90	86 036	05.993	119,929	05,200
23.	त्रिपुरा	35.13	26.00	24.31	85.44	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	41.99	26,16	41,60	109.75	41.437	82,280	77.295	201,012	08.000
25	पश्चिम बंगाल	08,45	09.00	15,97	33.42	57.760	45,445	67.35	170.550	17.500
	केन्द्रशासित प्रदेश									
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	00.47	—	00.47	—	—	—	—	—
2.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. दादर व नागर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. दमन और दीव	—	02.00	—	02.00	—	—	—	—	—
5. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल	570.53	755.70	915.66	2241,89	467.864	700.986	549.816	1718.666	108.04

एक्सप्रेस गाड़ियों को दैनिक गाड़ियों में बदलना

4116. श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिन्हें जुलाई, 1992 की समय सारिणी में दैनिक गाड़ियों के रूप में बदला गया है अथवा निकट भविष्य में दैनिक बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1.7.1992 से 3071/3072 हावड़ा-जमालपुर एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में तीन दिन के बढ़ाकर प्रतिदिन कर दिए गए हैं।

"सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र"

4117. श्री के० पी० सिंह देव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र के वित्तपोषण का पैटर्न क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ग) उक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वित्त प्रदान करने की पद्धति अनुमोदित गैर-आवर्ती के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता और अनुमोदित आवर्ती मदों के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की है।

(ख) और (ग) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(लाख रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत राशि	खर्च की गई राशि
1989-90	19.685	18.425
1990-91	49.164	48.594
1991-92	41.160	38.853

सरकारी क्षेत्र में नया उत्पादन एकक

4118. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में रेलवे का कोई नया उत्पादन एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य अथवा संघ क्षेत्र का नाम क्या है जहां सरकारी क्षेत्र के इस रेलवे एकक को स्थापित किया जा रहा है; और

(ग) इस एकक को स्थापित करने के उद्देश्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान

4119. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा इंडियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला) प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देने के संबंध में जारी किए गए मार्ग निदेशों का ब्योरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने संस्थानों को अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार के समक्ष इन संस्थानों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का बेहतर प्रशिक्षण मानकों को बनाए रखने और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मार्ग निर्देशों को समाप्त करने हेतु देश भर में ऐसे संस्थान स्थापित करने के लिए एक समान नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) प्रशिक्षण संस्थाओं को शुरू करने की अनुमति राज्य उपचर्या परिषदों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता देने पर भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा उपयुक्त शर्तों को पूरा करने की शर्त पर विचार किया जाता है।

नीति के तौर पर भारत सरकार केवल उन राज्यों में कार्यरत पात्र संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जहां प्रशिक्षण क्षमता अपर्याप्त होती है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) चूंकि अधिकांश राज्यों में महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की क्षमता पर्याप्त है, इसलिए भारत सरकार का महिला बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या को शनैः शनैः कम करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संस्थाओं को उन राज्यों में जहां उनकी तैनाती के लिए रिक्ति मौजूद है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उन महिला बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं को अविच्छिन्न शिक्षा, जो पहले ही सेवारत है, प्रदान करने हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

(ङ) और (च) भारतीय उपचर्या परिषद ने महिला बहुद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या निर्धारित की है जिसका उद्देश्य देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एकरूपता रखना है। भारतीय उपचर्या परिषद ने महिला बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की न्यूनतम अपेक्षा भी निर्धारित की है ताकि प्रशिक्षण के बेहतर मानक सुनिश्चित किए जा सकें। भारत सरकार के पास भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों को समाप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान महिला बहु-उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण संस्थाओं, जिन्हें अनुमति दी गई थी, की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

आन्ध्र प्रदेश	—14
बिहार	— 1
केरल	— 7
मध्य प्रदेश	— 1
महाराष्ट्र	— 9
पंजाब	— 6
उत्तर प्रदेश	— 2
पश्चिम बंगाल	— 3
दिल्ली	— 1
उड़ीसा	— 1
कर्नाटक	— 1

कैलोरी की कमी

4120. **श्री वसुदेव आचार्य :**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और विकसित देशों में कार्य के स्वरूप को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित कैलोरी प्राप्त करने हेतु प्रतिदिन कितने ठोस आहार की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या औसत भारतीयों को अपेक्षित कैलोरी के अनुसार अपेक्षित मात्रा में भोजन मिलता है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार भारतीयों के लिए संस्तुत आहार मात्रा (आर. डी. ए.) कैलोरी की दैनिक आवश्यकता इस प्रकार है :

(किलो-कैलोरी में)

	पुरुष	महिला
एक स्थान पर बैठकर काम करने वाले	2425	1875
साधारण कार्य करने वाले	2875	2225
मेहनत का कार्य करने वाले	3800	2925

किसी व्यक्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत, अन्न, तरकारी, पशु प्रोटीन, वसा, कन्द और मूल

आदि से पूरी हो जाती है जो कि संतुलित आहार के घटक हैं। एक व्यक्ति के लिए औसतन 460 ग्राम/दिन ठोस आहार की सिफारिश की गई है। विकासशील देशों में, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक व्यक्ति के लिए 2300-3100 किलो-कैलोरी की सीमा में 2700 किलो कैलोरी की औसत आश्यकता की सिफारिश की है और यह अनाज, अधिकांश पशु प्रोटीन, वसा, कन्द और मूल आदि जैसे संतुलित आहार के घटकों से प्राप्त हो जाती है।

भारत में प्रति व्यक्ति ठोस आहार की कुल उपलब्धता इस प्रकार है :

	ग्राम/दिन
1989 (अनन्तिम)	552.6
1990 (अनन्तिम)	432.6
1991 (अनन्तिम)	471.2

उपर्युक्त सूचना के अनुसार भारत में 1991 में एक व्यक्ति के लिए ठोस आहार की उपलब्धता (अनन्तिम) संस्तुत किए गए अन्तर्ग्रहण से अधिक है।

[हिन्दी]

इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स का प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र

4121. **श्री ललित उरांव :**

श्री रामदेव राम :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स का प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र, 1992 लीक हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1992 की परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न पत्र पहले लीक नहीं हुआ है।

रेल इंजनों का निर्माण

4122. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर डीजल तथा बिजली से चलने वाले रेल इंजिनों का निर्माण किया जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान कारखानावार कितने-कितने रेल इंजनों का निर्माण किया गया है;

(ख) 31 मार्च, 1992 को रेलवे के सभी जोनों में डीजल तथा बिजली से चलने वाले कितने-कितने रेल इंजन उपलब्ध थे; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में डीजल तथा बिजली से चलने वाले रेल इंजनों के निर्माण का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें तथा रेलवे गैर रेलवे क्षेत्र की निम्नलिखित उत्पादन यूनिटों से बिजली और डीजल रेल इंजनों को प्राप्त कर रही हैं। इन यूनिटों में वर्षवार निर्मित किए गए रेल इंजनों की संख्या भी नीचे दी गई है :

रेलवे क्षेत्र	89-90	90-91	91-92
(i) डी. रे. का., वाराणसी (उ.प्र.)	140	147	150
(i) चि. रे. का., चित्तरंजन (प. बंगाल)	147	154	160
गैर रेलवे क्षेत्र			
(i) भेल, झांसी (उ. प्र.)	07	12	12

(ख) रेल इंजन

बिजली	1889
डीजल	3888

(ग) निम्नलिखित बिजली और डीजल रेल इंजनों को आठवीं योजना के दौरान प्राप्त करने का अनंतिम कार्यक्रम बनाया गया है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

रेल इंजन		
	डीजल	749
	बिजली	750

[अनुवाद]

रेलवे में यात्री सुविधाएं

4123. श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी रेलवे जोनों को यात्री सेवाओं और सुविधाओं में सुधार करने हेतु कोई मार्ग निर्देश जारी किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विभिन्न रेलवे जोनों द्वारा इन मार्ग निर्देशों का पालन किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि गाड़ियों को समय पर चलाया जाए, गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर निर्धारित मानकों के अनुसार यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की जाए तथा कड़ी नजर और निगरानी रखकर उनका समुचित ढंग से अनुरक्षण किया जाए।

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

रेलवे के क्षेत्र में भारत-पाक समझौता

4124. श्री एम० के० राठवा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1992 के दौरान पाकिस्तान रेलवे के किसी शिष्ट मंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) क्या उत्तर रेलवे और पाकिस्तान रेलवे के शिष्टमंडलों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक लागू किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) विचार-विमर्श किया गया था और बैठक के कार्यवृत्त 9-5-1992 को तैयार किए गए।

(ग) विचार-विमर्श की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं : —

(i) 207/208 (4607/4608) समझौता एक्सप्रेस के समयपालन में सुधार लाना।

(ii) समझौता एक्सप्रेस में पार्सलों की क्लीयरेंस के लिए अतिरिक्त मालडिब्बे लगाना ।

(iii) पाकिस्तान रेलवे द्वारा अटारी से 60-70 माल डिब्बों के ब्लाक भार की निकासी के लिए पर्याप्त अश्व शक्ति वाले रेल इन्जन की व्यवस्था करना ।

(iv) लाहौर और अमृतसर नियंत्रण कार्यालयों के बीच सीधा दूर संचार नियंत्रण सम्पर्क (लिंक) स्थापित करना ।

(v) प्रयास किए जाएंगे कि पाकिस्तान को रेल के माध्यम से और अधिक निर्यात किया जाए ।

लिए गए निर्णयों को यथासमय कार्यान्वित किया जाएगा लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी ।

[अनुवाद]

पर्यावरण और अनुकूल उत्पादन के लिए परिरक्षक और खाद्य संयोजी

4125. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री 17 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3437 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कृत्रिम रंगों तथा खुशबुओं के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए परिरक्षकों तथा संयोजियों हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृत्रिम रंगों तथा खुशबुओं के प्रयोग पर कब तक नियंत्रण कर लिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) यह मामला अभी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति के विचाराधीन है ।

केरल में परिवार कल्याण केन्द्र

4127. **श्री टी० जे० अंजलोज :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में परिवार कल्याण केन्द्रों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान जिलावार कितने कितने व्यक्तियों ने परिवार कल्याण के लिए आपरेशन कराये ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) राज्य सरकारों से विभिन्न श्रेणियों की परिवार कल्याण सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	जिला	1990-91			1991-92**		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1.	तिरुवनन्तपुरम	18890	21122	111.8	15200	23417	154.1
2.	कोलाम	18330	18479	100.8	14500	15296	105.5
3.	पथनामथिट्टा	8890	7454	83.8	7000	6873	98.2
4.	अलाप्पुझा	15000	9407	62.7	11500	8338	72.5
5.	कोट्टायम	13300	10387	77.9	10500	10468	99.7
6.	इडुक्की	7440	6829	91.08	6000	6864	114.4
7.	एर्णाकुलम	16670	17012	102.1	13300	13639	102.5
8.	त्रिसूर	18890	18895	100.0	14500	17381	119.9
9.	पालक्काड	17780	15563	87.5	14500	12419	85.6
10.	मालापुरम	17780	15337	86.3	15000	15053	100.4
11.	कोजिकोड	18890	24002	127.1	15200	20815	136.9
12.	वयानाड	4890	5251	107.4	4000	4982	124.6
13.	कन्नूर	16320	14704	90.0	13000	13098	100.8
14.	कासरगोड	6890	6100	88.5	5800	4955	85.4
	राज्य	200000	190547	95.3	160000	173599	108.5

**आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

बिजली के इंजनों की खरीद

4128. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या रेल मंत्री 28 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 785 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने बिजली के शेष 125 इन्जनों को प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं और उसका निष्कर्ष क्या निकला ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 1992-93 के दौरान 125 बिजली इंजनों का प्रापण कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(1) चि० रे० का० द्वारा 1992-93 के दौरान 120 बिजली रेल इन्जनों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

(2) बी० एच० ई० एल० से लगभग दस रेल इन्जनों के प्रापण का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

4129. श्री सुधीर सावन्त :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) क्या सरकार विशेष रूप से पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे केन्द्रों की स्थापना संबंधी वर्तमान मानदंडों में संशोधन करने का विचार करेगी ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को होने वाली समस्याओं को कम किया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) मैदानी क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या के लिए और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 3000 जनसंख्या के लिए एक उप-केन्द्र खोला जाता है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या के लिए और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए खोला जाता है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 जनसंख्या के लिए और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 जनसंख्या के लिए खोला जाता है।

(ख) चूंकि मानदण्डों में पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों की तरह बिखरी हुई जनसंख्या वाले इलाकों को उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा विशेष तौर पर कवर करने की व्यवस्था है, इसलिए इन मानदंडों को बदलने की आगे कोई योजना नहीं है।

1990 के दशक में महिलाओं के लिए चुनौतियों पर दक्षिण एशियाई सेमीनार

4130. श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

• (क) क्या हाल ही में दिल्ली में "1990 के दशक मे" महिलाओं के लिए चुनौतियों पर एक सेमीनार आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सेमीनार में भारत की महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए क्या-क्या सुझाव दिए गए और क्या-क्या टिप्पणियां की गयीं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं पर दक्षिणी एशियाई सेमिनार में क्षेत्र में बालिकाओं सहित महिलाओं की स्थिति में मौजूदा असमानताओं पर विचार-विमर्श करने के साथ-साथ 1990 के दशक के लिए चुनौतियों का निर्धारण किया गया और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यनीतियों की रूप-रेखा तैयार की गई। ये चुनौतियां जागृति विकास, महिला मुद्दों के प्रति संचेतना, साक्षरता और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, बालिकाओं/किशोरियों की देखभाल, बाल विश्व शिखर सम्मेलन की सिफारिशों के अनुपालन, संस्थानात्मक कार्यतन्त्र और नेटवर्क तथा सहायक सेवाओं के विषयों के संबंध में थीं।

(ग) सरकार को महिलाओं की स्थिति में मौजूदा सभी असमानताओं के विषय में जानकारी है तथा इन असमानताओं को दूर करने के लिए और अन्ततः महिलाओं को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक प्रयास और सुधारात्मक उपाय कर रही है।

खाद्यान्नों का अन्तर्राज्यीय व्यापार

4131. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और चावल उपजाने वाले प्रमुख राज्यों में खाद्यान्नों का मूल्य असामान्य रूप से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कोई प्रस्ताव है कि दलालों को हटाकर अन्तर्राज्यीय व्यापार आरम्भ किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां। प्रमुख गेहूं और चावल उत्पादक राज्यों में खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्य एक वर्ष पहले चल रहे मूल्यों की तुलना में अधिक है।

(ख) खाद्यान्नों का अन्तर्राज्यीय व्यापार आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम साहित्य सभा को सहायता-अनुदान

4132. **श्री प्रबीन डेका :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम भाषा और साहित्य के विकास हेतु असम साहित्य सभा सहित स्वयंसेवी संगठनों को कितनी सहायता-अनुदान प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकार का इन संगठनों के कार्यकरण पर कोई नियंत्रण है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मन्त्री (कुमारी शैलजा) : (क) असम साहित्य सभा को असम सरकार तथा मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति की सिफारिश पर, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशनार्थ वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत "विश्व की लोक-कथाएं" नामक शीर्षक से, असमी भाषा में पुस्तक के प्रकाशन के लिए वर्ष 1992 में 26,464/- रु० का अनुदान दिया गया था।

(ख) और (ग) चूंकि दिया गया अनुदान विशिष्ट प्रयोजनार्थ था, अत: संगठन के कार्यकरण पर किसी प्रकार के नियन्त्रण का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मीटर गेज और छोटी रेल लाइनों को बड़ी रेल लाइन में बदलना

4133. **श्री रामलखन सिंह यादव :**

प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री के० प्रधानी :

डा० विश्वनाथम कंनिथी :

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

श्री शिवाजी पटनायक :

श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

श्री ललित उरांव :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

डा० असीम बाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समान रेल लाइन (यूनिगेज) प्रणाली स्थापित करने हेतु मीटर गेज और छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) 1992-93 के दौरान शुरू की गई लाइन बदलने की परियोजनाओं के जोन-वार नाम क्या हैं, उनके लिए कितनी-कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और प्रत्येक परियोजना के संबंध में जोनवार अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्योरा क्या है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) मीटर/छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। पहले चरण में आमान परिवर्तन के लिए लगभग 11000 कि.मी. की पहचान की गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) आठवीं योजना के शेष वर्षों में निर्माण कार्यों का चयन कार्य योजना में शामिल लाइनों में से वर्षानुवर्ष आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। आठवीं योजना के दौरान, प्रचलित मूल्यों के आधार पर 3,500 करोड़ रुपये की लागत से 6,000 कि.मी. के आमान परिवर्तन का प्रस्ताव है।

विवरण

(ग) 1992-93 के दौरान निम्नलिखित आमान परिवर्तन परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

क्र० सं०	परियोजना का नाम	रेलवे	1992-93 के दौरान आबंटन (करोड़ रु० में)	प्रगति
1.	धौंड-बारामती	मध्य	6.88	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
2.	दिल्ली-रेवाड़ी	उत्तर	27.60	5%
3.	कोटकपूरा-फजिल्का	उत्तर	19.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
4.	बुढ़वल-सीतापुर	पूर्वोत्तर	40.95	20%
5.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल एवं सगौली-नरकटियागंज	पूर्वोत्तर	20.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
6.	इलाहाबाद-वाराणसी	पूर्वोत्तर	13.00	7%
7.	मनकापुर-कटरा-फैजाबाद	पूर्वोत्तर	10.00	35%
8.	नई गुवाहाटी-लमडिंग	पूर्वोत्तर सीमा	47.27	2%
9.	बेंगलूर-हुबली	दक्षिण	62.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
10.	डिंडीगुल-त्रिची	दक्षिण	2.00	75%
11.	मद्रास-डिंडीगुल	दक्षिण	1.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
12.	मिरज-लोंडा	दक्षिण-मध्य	1.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
13.	होसपेट-हुबली-गोवा	दक्षिण-मध्य	0.60	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
14.	गुंटूर-गुंतकल और गुंतकल-कल्लूरू	दक्षिण-मध्य	30.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
15.	सिकंदराबाद-द्रोणाचलम और सिकंदराबाद-बोलारम	दक्षिण-मध्य	70.00	0.5%
16.	काटपाडि-पकाला-तिरूपति	दक्षिण-मध्य	2.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
17.	गोंदिया-चांदाफोर्ट	दक्षिण-पूर्व	1.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
18.	पुरुलिया-कोटशिला	दक्षिण-पूर्व	5.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है
19.	रेवाड़ी-जयपुर	पश्चिम	33.00	कार्य अभी-2 शुरू हुआ है

गोरखपुर-मुजफ्फरपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4134. **श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत गोरखपुर-मुजफ्फरपुर बारास्ता छितौनी बाग रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुजफ्फरपुर-गोरखपुर खंड के आमान परिवर्तन कार्य को आमान परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज का आमान परिवर्तन कार्य शुरू हो गया है। छितौनी-बगहा रेल सम्पर्क पुनर्स्थापन परियोजना का कार्य भी प्रगति पर है। नरकटियागंज गोरखपुर का कार्य उपरोक्त परियोजना के पूरा हो जाने के बाद शुरू किए जाने की सम्भावना है, बशर्ते संसाधन उपलब्ध हों।

मगध एक्सप्रेस में मासिक यात्री टिकट

4135. **श्री तेज नारायण सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ से नई दिल्ली तक मासिक यात्री टिकट (एम. एस. टी.) पटना नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस में स्वीकार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या बक्सर और पटना के बीच मासिक यात्री टिकट को स्वीकार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सीजन टिकटधारियों को मगध एक्सप्रेस के अनारक्षित सवारी डिब्बों में अलीगढ़ और नई दिल्ली के बीच यात्रा करने की अनुमति है।

(ख) से (घ) सीजन टिकटधारियों को मगध एक्सप्रेस में बक्सर और पटना के बीच यात्रा करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दैनिक यात्रियों के लिए कई वैकल्पिक गाड़ियां उपलब्ध हैं। उन्हें इस गाड़ी में यात्रा करने की अनुमति देने से लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा होगी जो वांछनीय नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के घाटे

4136. **श्री नीतीश कुमार :**

डा० महावीपक सिंह शाक्य :

श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री चन्द्रजीत यादव :

डा० अयंत रंगपी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1992 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सी. बी. आई. प्रोब इनटू एफ. सी. आई. ह्यूज लॉसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) सिल्चर में रामनगर गोदाम में ढुलाई के दौरान कितने प्रतिशत खाद्यान्न की क्षति हुई है और इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) इसमें शामिल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र की रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलने पर भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय से संयुक्त प्रबंधक (सतर्कता) को इस मामले की प्रारम्भिक जांच करने के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में विस्तृत जांच करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद, प्रबंधक (सतर्कता) को सतर्कता स्कवाड के साथ रामनगर डिपो पर विस्तृत जांच करने के लिए सिल्चर भेजा गया है। जांच दल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय खाद्य निगम आगे आवश्यक कारंवाई करेगा।

(घ) भारतीय खाद्य निगम की लेखापरीक्षित रिपोर्टों के अनुसार पिछले 10 वर्षों के दौरान रामनगर डिपो में मार्गस्थ हानियां चावल के मामले में 3.1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक और गेहूं के मामले में 2.5 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न रही हैं। मार्ग में गायब हुए चावल और गेहूं का मूल्य क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) जांच दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ कारंवाई की जायेगी। तथापि, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में उन दो अधिकारियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है जिनके पास उनके आय के ज्ञात संसाधनों के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां पाई गयीं।

विवरण-1

रामनगर डिपो में मार्गस्थ हानि

जिन्स : चावल

वर्ष	हानि की मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (रु०)	प्रतिशतता
1	2	3	4
1980-81	2156.959	3257008.00	3.1
1981-82	4265.715	7624651.00	6.80
1982-83	4981.190	9029901.00	7.20
1983-84	2507.738	5537448.00	10.00
1984-85	1708.054	4094735.00	7.9

1	2	3	4
1985-86	2859.817	7412931.00	6.0
1986-87	4729.882	10395334.00	6.60
1987-88	4561.212	13546208.70	7.92
1988-89	2211.265	6567046.60	3.70
1989-90	3424.803	11342712.85	4.92
1990-91	3322.891	12414459.60	4.93
जोड़ :	36729.527		
1991-92 लेखापरीक्षा नहीं की गई और अनन्तिम	2442.636	10392475.10	5.96
जोड़ :	39172.163	101664910.85	
	39172 मीटरी टन	10.17 करोड़	

विवरण-2

रामनगर डिपो में मार्गस्थ हानि

जिन्स : गेहूं

वर्ष	हानि की मात्रा (मीटरी टन में)	मूल्य (रु०)	प्रतिशतता
1980-81	1114.805	1583023.00	5.26
1981-82	564.807	869802.78	4.41
1982-83	2533.036	4405294.00	6.49
1983-84	1350.285	2531657.00	5.66
1984-85	2392.881	4328641.00	7.6
1985-86	2368.690	4619622.00	9.9
1986-87	1351.012	2702060.00	3.79
1987-88	1249.248	267342[illegible].80	4.96
1988-89	459.479	987879.85	2.50
1989-90	746.946	1792670.40	3.70
1990-91	835.528	2005267.20	4.31
1991-92 (लेखापरीक्षित नहीं की गई और अनन्तिम)	425.319	1148361.30	4.79
जोड़ :	1539..036	29597699.33	
	15392 मीटरी टन	2.96 करोड़	

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजनाएं

4137. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों में नई रेल परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कुछ प्रस्ताव अलाभप्रद पाए गए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) नई स्वीकृत परियोजनाओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) फर्रुखाबाद से हरदोई/सांडिला तक नई लाइन के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारी निवेश की आवश्यकता और प्रस्तावित लाइन अलाभप्रद प्रकृति की होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय पर्यावरण सलाहकार समिति

4138. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :**

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पर्यावरणीय अनुसंधान कार्यों के संबंध में समन्वित कार्य करने के लिए सरकार का राष्ट्रीय पर्यावरण सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के उद्देश्यों, निदेश पदों और संरचना का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत तथा जल के उपभोग हेतु मानदण्ड

4139. **श्री रामानरायण बैरवा :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने तथा उसकी बरबादी रोकने हेतु विद्युत तथा जल के बेहतर और समुचित उपभोग के लिए कोई मानदण्ड किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मानदण्डों को लागू कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के तहत पानी के उपभोग पर उपकर किसी विशेष उद्योग का संचालन कर रहे व्यक्ति अथवा घरेलू प्रयोजन के लिए पानी का उपभोग कर रहे किसी स्थानीय प्राधिकरण से वसूल किया जाता है।

इस अधिनियम के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए पानी के उपभोग के बारे में मापदण्ड अधिसूचित किए गए हैं। उपकर में छूट उस उद्योग को दी जाती है जो 28 फरवरी, 1992 को अधिसूचित किए गए जल उपभोग के मानकों का पालन करता है और जो आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लेता है। इससे पानी के संरक्षण और उसके उपयुक्त प्रयोग में सहायता मिलेगी तथा उससे ऊर्जा का संरक्षण भी होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र

4140. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना छात्रवृत्ति के प्रवेश लेने वाले विदेशी छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय में इस समय प्रत्येक देश के कितने-कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं;

(घ) इन छात्रों से कितना प्रवेश शुल्क लिया जाता है;

(ङ) इन विदेशी छात्रों के मामलों में प्रवेशशुल्क में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना अनुसार कालेजों के प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 5 प्रतिशत सीटें विदेशी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। यह आरक्षण छात्रवृत्ति पाने वाले तथा स्व-वित्त पोषित छात्रों दोनों के लिए हैं। परन्तु यह आरक्षण ऐसे विदेशी छात्रों के लिए नहीं है जिन्होंने अर्हक परीक्षा भारतीय बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है।

(ग) इस समय अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर व डाक्ट्रोल स्तरों पर विश्वविद्यालय के विभिन्न

पाठ्यक्रमों में 1,000 विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर छात्र नेपाल, बंगलादेश, मारिशस, जोर्डन, फिलीस्तीन, इथोपिया, केन्या, सूडान व यूगांडा के हैं।

(घ) इन छात्रों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क की राशि वही है जो भारतीय छात्रों से ली जाती है।

(ङ) और (च) विश्वविद्यालय व इसके संस्थानों में विदेशी छात्रों के कल्याण के लिए कारपस निधि स्थापित करने के उद्देश्य से, विश्वविद्यालय इस समय अगले शैक्षिक वर्ष से पंजीकरण के लिए प्रत्येक विदेशी छात्र से नाम मात्र एक बार 200 अमेरिकी डालर लेने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकों की कमी

4141. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में, स्थान-वार कितने पुस्तकालयों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) क्या इन पुस्तकालयों में उच्च शिक्षा से संबंधित पाठ्य पुस्तकों की भारी कमी है जिसके कारण निर्धन छात्रों को अपनी शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्यत्र से पुस्तकें लेनी पड़ती हैं; और

(ग) यदि हां तो इन पुस्तकालयों में उच्च शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

चर्मशोधन शालाओं के बारे में सर्वेक्षण

4142. **डा० रवि मल्लू :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर में चर्मशोधन शालाओं का कोई सर्वेक्षण किया है तथा इनसे पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को हाल ही में साउथ-साउथ सॉलिडरिटी न्यू दिल्ली और विगत में अनेक अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा कानपुर की चर्मशोधन शालाओं के बारे में किए गये अध्ययनों की जानकारी है;

(घ) उन्होंने इस बारे में क्या टिप्पणियां की हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां।

एक विशेषज्ञ समिति ने जून 1990 में प्रवाह् जल, भूतल जल तथा भूमिगत जल एवं सार्वजनिक सीवरों पर टैनरियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कानपुर की टैनरियों का सर्वेक्षण किया था। इस समिति की मुख्य उपलब्धियाँ नीचे दी जा रही हैं।

(1) **प्रवाह् जल पर प्रभाव**

टैनरी अपशेष मे विद्यमान लवण एवं हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण खराब स्वाद तथा दुर्गन्ध उत्पन्न होती है। भारी मात्रा में निलंबित (सस्पेंडेड) तत्व से मात्स्यिकी पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा इससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्रोम टैन बहिःस्राव मछलियों तथा अन्य जलचर जीवन के लिए अत्यधिक जहरीला होता है।

(2) **भूमि जल पर प्रभाव**

(I) **द्रव बहिःस्राव**

भूमि उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि अवशेष जल में सोडियम की सान्द्रता कैल्शियम की अपेक्षा अधिक होती है। अपशेष में क्रोमियम स्लज सहित उच्च निलम्बित (स्सपेंडेड) ठोस मिट्टी की पारगम्यता पर प्रभाव डालते हैं तथा इस कारण मिट्टी में कमी उत्पन्न होती है।

(II) **ठोस अपशेष**

ठोस अपशेष, जिसमें चूना, क्रोमियम आदि शामिल होते हैं, इस समय टैनरियों के निकट निचले क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं या उन्हें निपटान के लिए नदी के किनारे ले जाया जाता है। निपटान स्थल में किसी भी प्रकार की लाइनिंग के अभाव में प्रदूषक या तो भूमिजल में घुल जाते हैं या सतह जल में सीधे मिल जाते हैं। कूड़ा-करकट जमा किए जाने के स्थल का वर्तमान समय में कोई उत्पादकतापूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(3) **भूमिगत जल का प्रभाव**

टैनरी अपशेष के निस्तारण का जमीन पर या जब यह सिंचाई के उपयोग में लाया जाता है, सबसे बुरा प्रभाव भूमिगत जल पर पड़ता है क्योंकि इसमें रंग भी चला जाता है तथा लवणता एवं क्रोमियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। पारगम्यता तथा मिट्टी की अन्य स्थिति के अनुसार इसका प्रभाव क्षेत्र, निस्तारण स्थल से कई किलोमीटर दूर तक हो सकता है।

(4) **सार्वजनिक सीवर में निस्तारण का प्रभाव**

टैनरी अपशेष में चूना की अधिकता होने पर कार्बन-डाई-आक्साइड की क्रिया से उत्पन्न कैल्शियम कार्बोनेट के इकट्ठा होने से सीवर में चोकिंग (अवरोधन) होती है। टैनरी अवशेष में अधिक मात्रा में सल्फाइड के कारण पक्के सीवरों को नुकसान पहुंचता है।

(ग) से (ङ) कानपुर में टैनरियों पर गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए गए अध्ययनों के संबंध में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

4143. **श्री राम सिंह कास्वां :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को 1990-91 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध खाद्यान्न आवंटन में अनियमितताएं बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई थी;

(ख) उक्त शिकयतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आवंटन किए जा रहे हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्यान्नों के आवंटन में अनियमितताओं के मामले में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं की गई।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

4144. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन महीनों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : आयोग का गठन 31 जनवरी, 1992 को किया गया था। इसके स्थापना काल से लेकर अब तक आयोग ने महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामलों की जांच की हैं और महिलाओं को तंग किए जाने संबंधी कई शिकायतों की जांच की है। आयोग ने महिला सांसदों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, महिला व्यावसायियों आदि के साथ बैठकें की हैं। अध्यक्षा और सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में कई महिला कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने ऐसी जेलों, सुधार गृहों आदि का निरीक्षण भी किया जहां महिलाओं को हिरासत में रखा जाता है। विशेष अध्ययनों के लिए तथा कानूनों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में यथा विनिर्दिष्ट कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों में खानपान सुविधाएं

4145. **श्री हरि केवल प्रसाद** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली-बरौनी सेक्शन में चलने वाली उन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के क्या नाम हैं जिनमें खानपान सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) क्या इस सेक्शन में शेष रेलगाड़ियों में ऐसी सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) दिल्ली-बरौनी खंड पर निम्नलिखित थ्रू एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही है :

4083/4084 महानंदा एक्सप्रेस
2553/2554 वैशाली एक्सप्रेस
5609/5610 अवध असम एक्सप्रेस
2521/2522 एन. ई. एक्सप्रेस
5207/5208 बरौनी-अमृतसर एक्सप्रेस

उपरोक्त गाड़ियों में पेंट्रीयान सेवा उपलब्ध है सिवाय बरौनी-अमृतसर एक्सप्रेस के जिसे हाल ही में 1.7.92 से चलाया गया है। गाड़ी की खान-पान संबंधी आवश्यकताएं मार्गवर्ती स्थैतिक इकाइयों के माध्यम से पूरी की जा रही हैं।

चावल का आयात/निर्यात

4146. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश से आयात की गई चावल की मात्रा और इसके मूल्य का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक देश को कितने चावल का निर्यात किया गया तथा इसे किस मूल्य पर निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा चावल का आयात अधिक मूल्य पर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) (क) : 1990-91 और 1991-92 के दौरान चावल का कोई आयात नहीं किया गया था। 1989-90 के दौरान आयात किए गए चावल का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

देश	मात्रा	मूल्य प्रति मीटरी टन
वियतनाम	2.59 (आगत तथा भाड़ा)	285.50 अमरीकी डालर से 297.00 अमरीकी डालर के बीच
वियतनाम	1.61 (जहाज तक निष्प्रभार)	230.00 अमरीकी डालर से 258.09 अमरीकी डालर के बीच
थाइलैंड	1.04 (जहाज तक निष्प्रभार)	313.00 अमरीकी डालर

(ख) 1989-90 से 1991-92 तक के दौरान चावल का किया गया कुल निर्यात निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1989-90 (अ०)	4 2	426.5
1990-91	5 1	461.6
1991-92 (अ०)	7.1	755

(अ०)=अनन्तिम

एक विवरण संलग्न है जिसमें उन देशों के नाम दिए गए हैं जिन्हें 1989-90 से 1991-92 तक के दौरान दस हजार मीटरी टन अथवा उससे अधिक मात्रा में चावल का निर्यात किया गया था।

(ग) और (घ) चावल का आयात यथासंभव श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया गया था।

विवरण

उन देशों के नाम, जिन्हें 198 -90 से 1991-92 के दौरान 10,000 मीटरी टन अथवा उससे अधिक चावल का निर्यात किया गया, और चावल के मूल्यों को बताने वाला विवरण।

(मात्रा हजार मीटरी टन में)
(मूल्य करोड़ रुपयों में)

देश का नाम	1989-90 (अ०)		1990-91		1991-92 (आ०)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
अल्जीरिया					14.1	8.3
बहरीन	11.6	13.2	—	—	—	—
ब्राजील	—	—	—	—	12.9	7.9
कनाडा	—	—	—	—	24.9	8.7
सं० अफ्रीका गणराज्य	—	—	—	—	13.4	7.9
कामोरोज	—	—	—	—	12.5	7.6
इण्डोनेशिया	—	—	—	—	25.2	15.2
ईरान	—	—	—	—	11.2	7.9
आइवरी कोस्ट	—	—	—	—	14.0	8.4
जोर्डन	—	—	—	—	122.0	75.0
कुवैत	13.1	38.2	11.5	13.1	—	—
ओमान	16.5	16.3	14.0	15.0	—	—
साऊदी अरब	155.0	163.3	125.5	143.3	163.4	277.7
सिंगापुर	—	—	—	—	17.1	11.8
तंजानिया गणराज्य	—	—	—	—	18.0	10.4
यू. ए. ई.	24.8	30.1	19.9	25.6	35.8	56.4
यू. के.	18.7	20.5	28.4	38.4	63.8	84.5
संयुक्त राज्य अमेरीका	11.8	18.1	11.7	19.9	40.1	42.4
सोवियत रूस	124.1	99.8	266.4	168.8	52.4	23.6

(अ०) = अनन्तिम

[अनुवाद]

कोंकण रेल परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति

4147. **श्री राम नाईक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेल परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मौजूदा कानून के अन्तर्गत रेल परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस अपेक्षित नहीं है, सिवाय उन रेल परियोजनाओं के लिए जिनमें वन भूमि अन्तर्ग्रस्त हो। गोवा में पड़ने वाले संरेखण, जिसमें वन भूमि में पड़ने वाला 7 कि०मी० का संरेखण शामिल है, के संबंध में पर्यावरण और वन मन्त्रालय से पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस अभी प्राप्त नहीं हुई है, इस मामले पर नियमित रूप से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

कन्डोमों का आयात

4148. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्डोमों का आयात बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कन्डोमों का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समय कन्डोमों की देशी उत्पादन क्षमता 9500 लाख से 11000 लाख नगों की मौजूदा वार्षिक जरूरत के मुकाबले 17180 लाख नग प्रतिवर्ष है। इसलिए कन्डोमों के आयात को बन्द करके कीमती विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है।

दुमंजिले डिब्बे

4149. **डा० ए० के० पटेल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में दुमंजिले सवारी डिब्बों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में रेल यात्रियों की भारी भीड़ की समस्या को सुलझाने हेतु पश्चिम रेलवे

में लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में दुमंजिले सवारी डिब्बे लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों पर (क्षेत्रवार) चल रहे दोमंजिले सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	—	26
पश्चिम रेलवे	—	31
पूर्व रेलवे	—	4
कुल		61

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डेमरेज के दावों का भुगतान

4150 **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे ने जोन-वार कितना डेमरेज लिया ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेल सेवा आयोग, भुवनेश्वर द्वारा भर्ती

4151. **श्री अर्जुन चरण सेठी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल सेवा आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे में नियुक्ति हेतु सामान्य संवर्ग में कितने उम्मीदवारों की अनुशंसा की गई;

(ख) इस भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान दक्षिण-पूर्वी रेलवे द्वारा ऐसे कितने उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

वन अनुसंधान संस्थान में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

4152. **श्री महेश कनोडिया :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में सभी श्रेणियों के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोटा भर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी में पदों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) आरक्षित पदों के पिछले बकाया पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) वन अनुसंधान संस्थान देहरादून (भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद) में श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने बताया है कि वे रिक्तियों के आरक्षण रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की भर्ती कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए शेष आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को भर्ती की बकाया समूहवार सूचना के सत्यापित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क०सं०	पद की श्रेणी और वेतनमान	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	समूह "क" अधिकारी कुल संख्या 147 (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9-3-1989 के पत्र संख्या 36012/3/89-स्थापना (एस. सी. टी.) के अनुसार वैज्ञानिकों के 115 समूह 'क' पदों को आरक्षण की परिधि से अलग रखा गया है और 17 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं)।			

1	2	3	4	5
	(ख) शेष पद :—	15	2	3
2.	समूह "ख"	73	11	2
3.	समूह "ग"	793	123	12
4.	समूह "घ"	659	172	10
	कुल	1540	308	27

[अनुवाद]

आपरेशन इवैल्यूएशन विभाग की परिवार कल्याण संबंधी रिपोर्ट

4153. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन इवैल्यूएशन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के निराशाजनक परिणाम रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ): (क) "पापुलेशन एंड द वर्ल्ड बैंक—इम्प्लीकेशन्स फ्रॉम ऐट केस स्टडीज" शीर्षक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम के ह्रासोन्मुख परिणाम सामने आए हैं जिसका कारण उच्च समानता वाले दम्पत्तियों के वन्ध्यकरण पर अधिक बल देना है ।

(ख) और (ग) सरकार अधिक प्रजनन क्षमता वाले कम आयु के दम्पत्तियों के लिए आवश्यक जन्मों में अंतराल रखने वाले तरीकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को अच्छी तरह समझती है । यह उस कार्य योजना का मुख्य घटक है जिसे हाल ही में इस मन्त्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से तैयार किया गया है । इस उद्देश्य के लिए कार्य-योजना के अन्तर्गत जिन उपायों पर विचार किया गया है उनमें जन्मों में अंतराल रखने वाले गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन को सुदृढ़ करना, सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी और अधिक प्रयास करना, गैर सरकारी संगठनों का अधिक सहयोग प्राप्त करना आदि शामिल है । यह कार्य-योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

मुम्बई-राहूरी रेल लाइन

4154. प्रो० राम कापसे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मार्च, 1991 में मुम्बई-कल्याण-मरबाड-अंगास-राहूरी रेल लाइन निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कुछ वर्ष पहले इस बारे में कोई संभाव्यता सर्वेक्षण कराया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 1971 में एक सर्वेक्षण किया गया था और 210 कि०मी० लम्बी प्रस्तावित लाइन पर उस समय 85 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था। इस लाइन के अलाभप्रद होने और संसाधनों की तंगी के कारण इसके निर्माण पर विचार नहीं किया जा सका था।

[हिन्दी]

पुष्कर झील क्षेत्र में पारिस्थितिकीय सन्तुलन

4155. **प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पुष्कर झील क्षेत्र में और इसके इर्दगिर्द पारिस्थितिकीय सन्तुलन बनाए रखने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को विदेशी सहायता यदि प्राप्त हुई है, के साथ-साथ कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मल जल का प्रयोग करके बालू टिब्बा पारि-प्रणाली के पुनरुद्धार की एक परियोजना, जिसे कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृति किया गया है, पुष्कर झील क्षेत्र में फरवरी, 1992 से कार्यान्वियनाधीन है।

(ख) और (ग) परियोजना का उद्देश्य बढ़ते हुए बालू के टिब्बों को रोककर पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम करना, चारा और ईंधन लकड़ी के उत्पादन में वृद्धि करना, कृषि वानिकी मॉडलों का विकास और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके घटकों में संसाधन आधार का सर्वेक्षण, ऊर्जा-वृक्षारोपण के कृषि वानिकी मॉडल तैयार करना, सिल्वी-चरागाह और कृषि बागवानी शामिल हैं।

कसोर्टियम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नामक कार्यान्वियन एजेंसी को चार वर्ष की अवधि में 200 हैक्टेयर भूमि का उपचार करने के लिए 19.66 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसमें से 8.64 लाख रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं। परियोजना के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं है।

[अनुवाद]

आधुनिक अग्नि शमन परियोजना

4156. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आधुनिक अग्नि शमन परियोजनाओं संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई धनराशि का राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वनों में लगने वाली आग को बुझाने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु विशेष दस्ते बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) "आधुनिक अग्नि शमन परियोजना" नाम की कोई स्कीम नहीं है। लेकिन, "आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धति" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1-4-1992 से शुरू की गई है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वनों में लगने वाली आग के निवारण और नियंत्रण में राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र सरकारों को संचार सुविधाओं प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास, स्थानीय अभिनव परिवर्तनों के लिए प्रोत्साहन जैसे व्यय की गैर-आवर्ती मदों पर शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(ख) राज्यों को 1992-93 के लिए निधि के अस्थाई प्रावधान के ब्योरे इस प्रकार हैं :—

	(रुपए लाखों में)
1. आंध्र प्रदेश	6.00
2. कर्नाटक	8.00
3. मध्य प्रदेश	8.00
4. महाराष्ट्र	8.00
5. उत्तर प्रदेश	7.00
6. हिमाचल प्रदेश	7.00
7. गुजरात	5.00
8. बिहार	6.00
9. तमिलनाडु	5.00
10. केरल	5.00
11. उड़ीसा	5.00
कुल :	70.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए रेल फाटक

4157. **श्री बी० धनंजय कुमार :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेल लाइनों पर रेल फाटक लगाए जाने के लिए मानदंड निर्धारित कर दिए गए हैं तथा दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान हसन-मंगलोर, बंगलोर-हुबली और मैसूर-बंगलोर रेल लाइनों पर फाटक लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसका निष्कर्ष क्या निकला और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) समपारों की व्यवस्था रेल अधिनियम, 1989 द्वारा शासित है। किसी रेल लाइन को यातायात के लिए खोले जाने से दस वर्ष तक, उन भूमियों, ("भूमि" शब्द में सरकारी सड़कें शामिल हैं) जिन पर रेल पथ बनाया जाता है, के उपयोग में रेल लाइन द्वारा उत्पन्न बाधा को दूर करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यक समपारों की व्यवस्था और उनका अनुरक्षण रेलों द्वारा अपनी लागत पर किया जाता है। तदुपरान्त, आरंभिक खर्च और आवर्ती अनुरक्षण तथा परिचालनिक खर्च वहन करने की विधिवत सहमति देते हुए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव प्रायोजित करने पर मौजूदा रेल लाइनों पर समपारों की व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन का बारसोई से राधिकापुर तक विस्तार

4158. **श्री सुब्रत मुखर्जी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुख्यालय रायगंज के महत्व को देखते हुए बारसोई से राधिकापुर तक बड़ी लाइन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षण कर्मचारी

4159. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :**

क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों की संख्या के आधार पर खोले जाते हैं तथा इसके लिए ग्रामीण/शहरी का कोई मानदंड नहीं होता। अतः ऐसे किसी आधार पर कर्मचारियों की उपलब्धता संबंधी अनुवीक्षण नहीं किया जाता है। कुल मिलाकर 30 अप्रैल, 1991 तक सस्वीकृत शिक्षकों के पदों की कुल संख्या 29486 थी जिसमें से 24227 नियमित शिक्षक अपने अपने स्थान पर नियुक्त थे।

(ग) से (ङ) समय समय पर होने वाली रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। वार्षिक आधार पर भर्ती की जाती है तथा यथासम्भव यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण में व्यवधान न आए स्थानीय स्तर पर तदर्थ नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है।

[हिन्दी]

कोटा डिवीजन में ब्रास की चोरी

4160. **श्री गया प्रसाद कोरी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में कोटा डिवीजन के लोको शेड में 40 किलोग्राम ब्रास की चोरी की घटना घटी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चावल की खरीद

4161. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल और अन्य खाद्यान्नों की खरीद की नवीनतम स्थिति क्या है तथा विद्यमान सीजन में खरीद लक्ष्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने और खाद्यान्नों के आयात से बचने के लिए विशेषकर पंजाब में गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाकर 350 रु० प्रति क्विंटल करने के बारे में सरकार को अखिल भारतीय किसान सभा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1991-92 के दौरान 31 जुलाई, 1992 तक 102.04 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान सहित) की वसूली कर ली गई है।

जहां तक गेहूं का संबंध है, वर्तमान रबी विपणन मौसम 1992-93 के दौरान 31 जुलाई, 1992 तक 63 96 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली कर ली गई है।

चूंकि मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन धान और गेहूं की वसूली पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और लेवी चावल की वसूली चावल मिल-मालिकों द्वारा खरीदी गई धान की मात्रा पर निर्भर करती है, इसलिए चावल और गेहूं की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम, 1992-93 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया गया था जिसमें उत्पादन लागत जमा किसानों के लिए उपयुक्त लाभ को भी कवर किया गया था। गेहूं की अधिक से अधिक वसूली करने के लिए पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 तक की अवधि के दौरान किसानों द्वारा भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की वसूली एजेंसियों को गेहूं की बिक्री करने पर उन्हें 25/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से केन्द्रीय बोनस भी दिया गया था। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय बोनस के अलावा 5/- रुपये प्रति क्विंटल का राज्य बोनस भी अदा किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 25/- रुपये प्रति क्विंटल के राज्य बोनस की घोषणा की थी। समर्थन मूल्य निर्धारित करने का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके और उन्हें अपनी उपज की मजबूरन बिक्री न करनी पड़े। सरकार का इस वर्ष 350/- रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य पर और गेहूं खरीदने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि इससे केवल निजी क्षेत्र का स्टाक सरकारी क्षेत्र में पहुंच जाएगा और देश में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता में वृद्धि भी नहीं होगी। विशेषकर केन्द्रीय बफर स्टाक के सन्दर्भ में कुल मिल कर खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से आयात किए गए हैं।

कर्नाटक में अंधेपन पर नियंत्रण

4162. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में अंधेपन को रोकने एवं इस पर नियंत्रण हेतु किसी कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है तथा वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) कर्नाटक के मांड्या जिले में दृष्टिहीनता की रोकथाम करने संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे कर्नाटक राज्य को शामिल किया गया है। कर्नाटक में इस कार्यक्रम की प्रगति कार्यक्रम के सकल परिव्यय की वृद्धि पर निर्भर करती है।

दिल्ली से अलवर के लिए रेल लाइन

4163. श्री अवतार सिंह भडाना :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी रेल लाइन के माध्यम से दिल्ली को अलवर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव में पलवल से अलवर को बरास्ता सोहना (मेवात क्षेत्र) छोटी रेल लाइन से जोड़ने की योजना भी शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दिल्ली और अलवर के बीच पहले ही मीटर लाइन है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के अस्पतालों में डाक्टर/रोगी अनुपात

4164. श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चल रहे केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के अस्पतालों में डाक्टर/रोगी अनुपात क्या है;

(ख) क्या यह अनुपात डाक्टर/रोगी के लिए निर्धारित अनुपात के मानदण्डों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डॉ० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई और न्यू मुम्बई के बीच रेल सम्पर्क

4165. श्री रवि राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र नगर औद्योगिक विकास निगम और भारतीय रेलवे निर्माण कम्पनी लिमिटेड ने मुम्बई महानगर तथा न्यू मुम्बई के बीच नई रेल लाइन बिछाने का कार्य संयुक्त रूप से करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों संगठन इसकी लागत का कितना-कितना अंश वहन करेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) मानखुर्द और बेलापुर के बीच नई रेल लाइन की लागत को महाराष्ट्र राज्य सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा 67% : 33% के अनुपात में वहन की जा रही है।

[हिन्दी]

सूरत स्टेशन पर आरक्षण कोटा

1466. श्री छीतूभाई गामीत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत के विभिन्न संगठनों से पश्चिम रेलवे के सूरत स्टेशन पर लम्बी दूरी के एक्सप्रेस अथवा मेल रेलगाड़ियों के आरक्षण कोटा में वृद्धि करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस स्टेशन पर एक्सप्रेस और मेल रेलगाड़ियों में प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण कोटे का ब्यौरा क्या है आरक्षण कोटे में वृद्धि के लिए की गई मांग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आरक्षण कोटे में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) हाल ही में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में सूरत स्टेशन पर उपलब्ध आरक्षण कोटे का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आरक्षण कोटे में वृद्धि के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) विभिन्न स्टेशनों के आरक्षण कोटे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं औचित्य और व्यावहारिक पाया जाता है समायोजन कर दिए जाते हैं।

विवरण

(ग) सूरत स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस या मेल गाड़ियों में उपलब्ध आरक्षण कोटा इस प्रकार है :—

गाड़ी संख्या	पहला दर्जा वातानु-कूल	वातानु-कूल 2-टियर	वाता-कुर्सीयान	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शायिकाएं	सीटें
1	2	3	4	5	6	7
1. 2903 बम्बई-अमृतसर फ्रंटियर मेल	4	—	—	6	15	—
2. 9019 बम्बई-देहरादून एक्सप्रेस	—	—	—	—	10	—
3. 9020 देहरादून-बम्बई एक्सप्रेस	—	—	—	2	80	—
4. 9023 बंबई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	149	—
5. 9024 फिरोजपुर-बंबई जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	17	—

1	2	3	4	5	6	7
6. 2925 बंबई-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस	2	2	4	—	64	—
7. 2951 बंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस	—	—	10	—	—	—
8. 2971 बंबई-जम्मू तवी एक्सप्रेस	—	2	—	—	54	—
9. 2981 अहमदाबाद-जम्मू तवी एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—
10. 2983 राजकोट-जम्मू तवी एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—
11. 2997 हापा-जम्मू तवी एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—
12. 9001 बंबई-अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस	—	—	—	2	—	—
13. 9002 अहमदाबाद-बंबई गुजरात-मेल	—	2	—	—	2	—
14. 9005 बंबई-ओखा सौराष्ट्र मेल	—	3	—	—	25	—
15. 9007 बंबई-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	42	—
16. 9011 बंबई-अहमदाबाद गुजरात एक्सप्रेस	—	—	4	—	—	84
17. 9012 अहमदाबाद-बंबई गुजरात एक्सप्रेस	—	—	4	4	—	80
18. 9015 बंबई-पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस	—	—	—	2	10	—
19. 9016 पोरबंदर-बंबई सौराष्ट्र एक्सप्रेस	—	—	—	—	6	—
20. 9017 बंबई-हापा सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	38	—
21. 9018 हापा-बंबई सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—
22. 9022 सूरत-बंबई फ्लाइंग रानी	—	—	—	43 (सीट)		569
23. 9028 बड़ोदरा-बंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस	—	—	—	—	8	—

1	2	3	4	5	6	7
24. 9031 बंबई-गांधीधाम कच्छ एक्सप्रेस	—	4	—	—	48	—
25. 9032 गांधीधाम-बंबई कच्छ एक्सप्रेस	—	—	—	10	10	—
26. 9055 बंबई-बडोदरा सायाजी नगरी एक्सप्रेस	2	8	—	—	—	40
27. 9057 बडोदरा-बंबई सायाजी नगरी एक्सप्रेस	2	10	—	—	—	30
28. 9061 बंबई-इन्दौर अवन्तिका एक्सप्रेस	—	4	—	—	40	—
29. 9165 अहमदाबाद-वाराणसी साबरमती एक्सप्रेस	—	—	—	—	72	—
30. 9109 वालसाड-अहमदाबाद गुजरात क्वीन एक्सप्रेस	—	10	—	—	—	32
31. 9110 अहमदाबाद-वलसाड गुजरात क्वीन एक्सप्रेस	—	—	—	2	—	—
32. 8033 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस	—	3	—	—	62	—
33. 2637 अहमदाबाद-कोचीन एक्सप्रेस	—	6	—	—	72	—
34. 2641 अहमदाबाद-मद्रास नवजीवन एक्सप्रेस	—	6	—	—	133	—
35. 1095 अहमदाबाद-पुणे एक्सप्रेस	—	12	—	—	46	—
36. 6501 अहमदाबाद-सिकन्द्राबाद एक्सप्रेस	—	6	—	2	36	—
37. 2603 राजकोट-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस	—	6	—	—	56	—
38. 2731 राजकोट-हैदराबाद एक्सप्रेस	—	6	—	2	72	—
39. 4245 सूरत-वाराणसी एक्सप्रेस	—	24	—	—	392	—
40. 5064 बांद्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
41. 2933 बंबई-अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस	2	—	30	—	—	55

1	2	3	4	5	6	7
42. 2934 अहमदाबाद-बंबई कर्णावती एक्सप्रेस	2	—	30	—	—	54
43. सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 2953 बंबई-नई दिल्ली ए०सी० एक्सप्रेस	6	—	65	—	—	—
44. सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 2954 नई दिल्ली-बंबई ए०सी० एक्सप्रेस	2	—	20	—	—	—
45. 2908 अहमदाबाद-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस	—	—	—	—	4	—
46. 2613 गांधीधाम-तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस	—	—	—	—	72	—

[अनुवाद]

बेटिकट यात्रा के विरुद्ध अभियान

4167. श्री कमल चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 और 1991 के दौरान उत्तर रेलवे और अन्य जोनों में बेटिकट यात्रा के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्री बेटिकट यात्रा करते पाए गए तथा ऐसे अभियानों के दौरान बिना बुक किए गए सामान के मामलों का जोनवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेटिकट यात्रा को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में, मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित/अचानक जांच, विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार अभियान और नए रेल अधिनियम में दिए गए निवारक दण्ड शामिल हैं।

विवरण

(ख) 1990 और 1991 के दौरान बिना टिकट अथवा उपयुक्त टिकट के बिना यात्रा करने वाले व्यक्तियों और बिना बुक किए गए सामान के पकड़े गए मामलों की संख्या तथा वसूल की गई राशि नीचे दी गई है :—

(आंकड़े लाख में)

रेलवे	बिना टिकट अथवा उपयुक्त टिकट के बिना यात्रा करते हुए पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या		वसूल की गई राशि (रुपयों में)		बिना बुक किए गए सामान के पकड़े हुए मामले		वसूल की गई राशि (रुपयों में)	
	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक	जनवरी से दिसम्बर 1990 तक
मध्य	10.07	5.77	447.44	484.05	2.73	3.13	79.99	108.49
पूर्व	10.06	5.23	319.22	349.58	8.27	8.57	111.33	143.82
उत्तर	9.28	6.16	505.90	549.88	2.96	3.11	82.33	111.13
पूर्वोत्तर	4.83	3.33	135.60	189.78	1.66	1.66	25.75	28.33
पूर्वोत्तर सीमा	1.46	0.65	95.11	64.57	0.26	0.34	5.92	7.58
दक्षिण	3.09	2.23	184.96	207.29	2.64	2.79	101.76	121.83
दक्षिण मध्य	3.95	2.93	242.50	302.96	2.60	3.68	70.94	135.59
दक्षिण पूर्व	7.54	2.33	205.89	172.32	4.96	5.58	72.67	96.92
पश्चिम	8.52	5.37	347.52	423.99	1.77	2.94	44.78	71.70
जोड़	58.80	34.00	2484.14	2744.42	27.85	31.81	595.57	825.39

[हिन्दी]

रोहतास किले का रखरखाव

4168. **श्री छेदी पासवान :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के रोहतास जिले में रोहतास किला और शेरशाह के रोजा के रखरखाव के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) क्या सरकार ने इस धनराशि के समुचित उपयोग की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रोहतास जिला (बिहार) स्थित रोहतास क़िले और शेरशाह सूरी के मकबरे के रखरखाव और संरक्षण पर हुए व्यय इस प्रकार हैं :

	रोहतास किला	शेरशाह सूरी का बमकरा
1989-90	4,562.00 रु०	40,295.00 रु०
1990-91	शून्य	63,738.00 रु०
1991-92	39,970.00 रु०	48,203.00 रु०

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

साहिबगंज में उपरिपुल

1469. **श्री साईमान मरान्डी :**

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में साहिबगंज जिला मुख्यालय में रेलवे बाई-पास सड़क पर एक उपरिपुल का निर्माण का प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी; और

(ग) उस पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा, उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण केन्द्र

4170. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कितने परिवार कल्याण केन्द्र तथा इस क्षेत्र में कितने स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार-गोंडा तथा बस्ती जैसे पिछड़े जिलों के लोगों में परिवार-नियोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु आधुनिक तरीकों के आधार पर कोई कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन की बैठक

4172. **श्री हरिन पाठक :**

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बचाओ आन्दोलन के नेता ने हाल ही में रियो दि जैनिरो में हुए पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्राइवेट निकाय/व्यक्तियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों को प्रायोजित करने वाली एजेंसियों/संगठनों का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) रियो दी जैनेरो में 3 से 14 जून, 1992 के दौरान आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में नर्मदा बचाओ आन्दोलन का कोई भी नेता शामिल नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रणथम्भोर राष्ट्रीय पार्क में अवैध रूप से शिकार किया जाना

4173. **डा० कृपासिन्धु भोई :**

श्री सुबास चन्द्र नायक :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रणथम्भोर राष्ट्रीय पार्क के बाघ अभयारण्य में बाघों का अवैध शिकार किए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस बाघ अभयारण्य में कितने-कितने बाघ थे;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शिकारियों द्वारा कितने बाघ मारे गए हैं; और

(घ) राजस्थान के बाघ अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रूप से शिकार करने पर रोक लगाने तथा बाघों को उचित संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हाल में रणथम्भोर में बाघों के कुछ अवैध शिकार किए जाने की खबर मिली है।

(ख) गणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रणथम्भोर बाघ

रिजर्व में बाघों की संख्या इस प्रकार थी :

1989	—	44
1990	—	44
1991	—	45

(ग) राजस्थान के वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1989 से 1991 के दौरान बाघों के अवैध शिकार की किसी घटना की कोई खबर नहीं दी गई है।

(घ) अवैध शिकार की हाल की रिपोर्टों के संदर्भ में, राज्य सरकार ने क्षेत्र निदेशक को उद्यान के आसपास के गांवों और कृषि फार्मों में नियमित गश्त सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं ताकि चोरी-छिपे शिकार करने वालों से बाघों की रक्षा की जा सके।

रेलवे वर्कशापों का विस्तार

4174. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में कुछ रेलवे वर्कशापों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना में किन-किन रेलवे वर्कशापों का विस्तार किया जाएगा;

(ग) 1992-93 के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या मांचेश्वर में स्थापित रेलवे वर्कशाप का भी विस्तार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान फिलहाल निम्नलिखित आठ कारखानों के विस्तार का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए 1992-93 में निर्धारित की गई राशि प्रत्येक कारखाने के सामने दर्शायी गई है :

कारखाना	1992-93 के लिए निर्धारित की गई राशि (करोड़ रुपए में)
(i) भुसावल	4.30
(ii) झांसी	12.31
(iii) जमालपुर	10.43
(iv) कांचरापाड़ा	0.57
(v) आलमबाग	8.26
(vi) पेरम्बूर	1.00
(vii) कोटा	6.69
(viii) दाहोद	6.64

(घ) और (ङ) जी नहीं। इस कारखाने का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह हाल ही में स्थापित किया गया है।

घड़ियाल अनुसंधान केन्द्र

4175. **श्री के० पी० सिंह देव :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उड़ीसा में कार्यरत घड़ियाल अनुसंधान केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष घड़ियाल अनुसंधान केन्द्र को केन्द्रवार कितनी-कितनी धनराशि दी;

(ग) क्या इन घडियाल अनुसंधान केन्द्रों में घड़ियालों से संबंधित कोई अनुसंधान कार्य आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) देश में कोई ऐसा केन्द्र नहीं है जो विशिष्ट रूप से घड़ियालों पर अनुसंधान कर रहा हो। तथापि, विभिन्न घड़ियाल प्रजनन केन्द्रों (चिड़ियाघरों के अलावा) पर घड़ियाल प्रजनन और प्राकृतिक अवस्था में घड़ियालों की आबादी के प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर कुछ अनुसंधान किए जाते हैं और जिन स्थानों पर घड़ियालों का कैप्टिव प्रजनन/पालन किया जाता है वहां उनको प्राकृतिक अवस्था में छोड़ा गया है। उड़ीसा में ऐसे केन्द्रों के नाम इस प्रकार हैं :

कैप्टिव प्रजनन/पालन केन्द्र	छोड़े जाने के स्थान
टिकेरपाड़ा	टिकेरपाड़ा
रामतीर्थ (सिमलीपाल)	हड़गढ़
डांगमल	भिटारकणिका
	सिमलीपाल

(ख) घड़ियालों पर अनुसंधान के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की अलग से कोई स्कीम नहीं है।

(ग) और (घ) अनुसंधान के क्षेत्रों में पुनर्जनन व्यवहार और जीव विज्ञान, लिंग निर्धारण में ऊष्मायन ताप की भूमिका, प्राकृतिक आबादी को प्रभावित करने वाले कारक और बीमारियां आदि शामिल हैं।

विद्यालय शिक्षा में सुधार संबंधी समिति

4176. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने राजधानी के विद्यालयों को शिक्षा में सुधार करने हेतु इनके पाठ्यक्रम संचालन और इससे संबंधित अन्य मामलों का विश्लेषण करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हाँ। 20 जुलाई 1992 को एक समिति गठित की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) लगभग एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

खेल संगठनों को सहायता

4177. **श्री ललित उरांव :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक राज्य में खेलों के विकास हेतु स्वायत्त और स्वैच्छिक खेल संगठनों तथा राष्ट्रीय खेल संघों को कितनी-कितनी सहायता देने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): धनराशि को राज्यवार अलग नहीं किया जा रहा है। स्वायत्त और स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों की जांच की जाती है और खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रत्येक मामले में अलग से अनुमोदित तथा वितरित की जाती है।

राष्ट्रीय खेल संघ राज्यों में खेलों के विकास में सीधे तौर पर शामिल नहीं है।

राजधानी एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

4178. **श्री एन० जे० राठवा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2302 डाउन राजधानी एक्सप्रेस 12 मई, 1992 को इलाहाबाद मंडल के भरवारी और मनोहरगंज स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कितने व्यक्ति मारे गए और कितने घायल हुए;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई जबकि राजधानी एक्सप्रेस के इंजन कर्मीदल के दो सदस्यों को मामूली चोटें आईं।

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य क्षेत्र, बम्बई के रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा दुर्घटना की जांच की गई है। उनके

निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक ट्रक ड्राइवर ने गेट-मैन को अस्थाई रूप से निश्चल करके उससे चाबियां ले ली और समपार फाटक का ताला जबरदस्ती खोलकर मोटर ट्रक को नजदीक आ रही गाड़ी के ठीक सामने से रेल लाइन पार करने का प्रयास किया।

(ङ) समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :

(I) सड़क उपयोगकर्ताओं को समपारों पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में शिक्षित करने के लिए टेलीविजन और रेडियो सहित प्रचार माध्यमों से शिक्षाप्रद अभियान चलाना;

(II) मोटर वाहन अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त जांच;

(III) सड़क उपयोगकर्ताओं और गाड़ी चालकों के लिए समपारों पर दृश्यता में सुधार करना;

(IV) समपारों के पहुंच मार्गों पर सीटी बोर्डों/गतिभंजकों और सड़क चिन्हों की व्यवस्था; और

(V) पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा समपारों के व्यापक निरीक्षण।

[अनुवाद]

गर्भनिरोधकों का वितरण

4179. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गर्भनिरोधकों के निःशुल्क वितरण में कमी करके इस बात पर अधिक जोर देने का विचार है; जिससे ये नाममात्र के मूल्य पर सभी को प्राप्त हो सकें;

(ख) क्या सरकार गर्भनिरोधकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में धीरे-धीरे कटौती करने की सोच रही है;

(ग) यदि हां, तो नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) उसके क्या वित्तीय प्रभाव होंगे; और

(ङ) इनका देश के उन दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन किस प्रकार किया जायेगा जहां पर लोग गरीब, अशिक्षित और जिन्हें इनकी अधिक आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) लागत-सार्थक तरीके से गर्भ निरोधन के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने की दृष्टि से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त वितरण को कम करने तथा गर्भ-निरोधकों के सामाजिक विपणन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।

सामाजिक विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत बेचे जाने वाले गर्भ-निरोधकों पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कमी करना इस कार्यक्रम को अंत में स्वतः संपोषित बनाने हेतु आवश्यक है।

(घ) आर्थिक सहायता में कमी करने संबंधी वित्तीय कठिनाई प्रत्येक प्रकार के गर्भ निरोधकों की प्रति यूनिट में कमी करने की मात्रा तथा मुफ्त बांटे गए/बेचे गए गर्भ निरोधकों की गुणवत्ता पर भी निर्भर करेगी।

(ङ) गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन कार्यक्रम में लगी विपणन कंपनियों का देश के दूर-दराज के भागों तक पहुंचने के लिए व्यापक आधारभूत ढांचा तथा संभारतंत्र है तथा ऐसी सभी कंपनियों को देश के दूर-दराज के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गर्भनिरोधक बेचने के लिए राजी किया जा रहा है। इसके अलावा, समुदाय आधारित वितरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी गर्भ-निरोधक उपलब्ध हो सकें। वे क्षेत्र जहां आर्थिक कारणों से अथवा सामाजिक विपणन/समुदाय आधारित वितरण कार्यक्रमों की पहुंच के अभाव के कारण गर्भ निरोधकों के मुफ्त वितरण की वस्तुत: आवश्यकता है, मुफ्त वितरण स्कीम के अंतर्गत रहेंगे।

दवाइयां खरीदने के लिए उप चिकित्सा केन्द्रों को वित्तीय सहायता

4180. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप चिकित्सा केन्द्रों के लिए दवाइयां खरीदने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उप चिकित्सा केन्द्रों में दवाइयों की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए सहायता में बढ़ोत्तरी करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए उपकेन्द्रों के लिए औषधें खरीदने हेतु प्रति उपकेन्द्र 2000/- रुपये प्रतिवर्ष का अनुदान दिया जाता है।

(ख) और (ग) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

शिक्षा के लाभ प्राप्त करने हेतु आय सीमा

4181. **श्री मोहन रावले :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों द्वारा मुफ्त शिक्षा, कपड़े और पुस्तकों का लाभ उठाने के लिए उनकी आय सीमा में वृद्धि करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आय सीमा के मानदण्ड देश के सभी भागों में समान हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में समानता लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) स्कूल शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकारें निर्धन परिवारों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मुफ्त वर्दी और मध्यान्ह भोजन

जैसे प्रोत्साहन के लिए अपनी योजनायें स्वयं बनाती हैं। ये सुविधायें प्राप्त करने के लिए छात्र की योग्यता निर्धारित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित आय-सीमा के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। यदि राज्य सरकारों द्वारा कोई सीमा निर्धारित की जाती है तो वह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगी। भारत सरकार द्वारा इन सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु छात्रों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कोई आय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या कार्यक्रमों के लिए आवंटन

4182. **श्री श्रवन कुमार पटेल :**

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

डा० जयन्त रंगपी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि भारत द्वारा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए अपर्याप्त संसाधन आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसे कार्यक्रमों के लिए धनराशि के नियतन की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) विश्व बैंक बहुत सी रिपोर्टें जारी करता है जिनमें अन्तरदेशीय तुलनाएं तथा देश विशेष के बारे में टिप्पणियां की जाती हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट का विशिष्ट रूप से उल्लेख न होने के कारण वांछित सूचना प्रदान करना संभव नहीं है।

महिला पर्वतारोही

4 8१. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की एक महिला पर्वतारोही एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर चढ़ी है;

(ख) अब तक कितनी भारतीय महिलाएं एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी हैं;

(ग) नई महिला पर्वतारोही को क्या प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार महिला पर्वतारोहियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भविष्य में और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी हां।

(ख) दो।

(ग) कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) तथा (ङ) सरकार पर्वतारोहण अभियान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने माउंट मामोस्टोंग कांगरो को अखिल महिला प्रि-एवरेस्ट अभियान के लिए 3.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। सरकार का राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार शुरू करने का भी प्रस्ताव है। उसके ब्यौरे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जाली नसबंदी आपरेशन

4184. **श्री प्रवीन डेका :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में जाली नसबंदी आपरेशनों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) असम राज्य से संबंधित जाली नसबन्दी का कोई मामला इस मन्त्रालय में ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के ध्यान में जब कभी कोई जाली मामला आता है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से उपयुक्त कार्रवाई हेतु इन मामलों की जांच करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है परिवार नियोजन विधियों के स्वीकारकर्ताओं के निरन्तर फील्ड नमूना सत्यापन संबंधी एक योजना प्रचालन में रही है। इसे केन्द्र और राज्य दोनों सरकारी तंत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

"ईंधन की लकड़ी का विकल्प"

4185. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :**

श्रीमती पुष्पा देवी सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईंधन की लकड़ी के विभिन्न विकल्पों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ-दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ-दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत सरकार ने ईंधन की लकड़ी के संरक्षण, खासकर निम्नलिखित के लिए नीतिगत उपायों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए एक नीति सलाहकार दल गठित किया है :—

1. ग्रामीण शहरी और औद्योगिक ईंधन की लकड़ी की मांग के सन्दर्भ में संरक्षण नीतियां।

2. जलावन की लकड़ी की मांग को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग;

3. उक्त विचारणीय विषयों से संबंधित कोई अन्य मामला।

(ग) और (घ) नीति सलाहकार दल ने एक प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसकी सिफारिशें विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन

4186. **श्री राम सिंह कास्वां :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के घटिया मुद्रण और जिल्दसाजी तथा इनमें घटिया कागज का इस्तेमाल करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई समिति गठित की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गाजियाबाद-मुरादाबाद रेल लाइन को दोहरा बनाना

4187. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद से मुरादाबाद तक रेल लाइन को दोहरा बनाने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा और इस पर अनुमानित व्यय कितना होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा इकहरी लाइन का दोहरीकरण उसकी खंडीय क्षमता के संतृप्त हो जाने पर शुरू किया जाता है, इस खंड पर यातायात अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचा है।

आद्रा मंडल में भर्ती

4188. **श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत आद्रा मंडल (डिवीजन) में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति भर्ती किए गए;

(ख) क्या इस मंडल में कामगारों को नियुक्त करने संबंधी कोई मार्ग निर्देश थे;

(ग) क्या कई मामलों में इन मार्ग निर्देशों का उल्लंघन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गर्भनिरोधक का प्रारम्भिक परीक्षण

4189. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गर्भनिरोधक के प्रारम्भिक परीक्षण को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो स्थगन के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या किसी तकनीकी समिति ने देश में इस गर्भनिरोधक के आरम्भिक परीक्षण के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) सरकार नॉरप्लांट-6 गर्भनिरोधक का कार्यक्रम-पूर्व प्रारम्भिक परीक्षण करने का विचार कर रही है। अब यह निर्णय किया गया है कि इस युक्ति की फेज-III क्लिनिकल जांच चुनिन्दा मेडिकल कालेजों में इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू करने के पहले भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा की जाएगी।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों के उत्तर

4190. **प्रो० राम कापसे :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर के बारे में 17 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4249 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि संसद सदस्यों तथा अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति की स्वीकृति दी जाती है तथा उन पर यथाशीघ्र कारंवाई भी की जाती है। उन्होने बताया है कि जनवरी, 1992 से जुलाई 1992 तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त ने 42 संसद सदस्यों तथा 11 मंत्रियों को पत्र लिखें तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पत्रों के जवाबों का अनुवीक्षण संयुक्त आयुक्त तथा उपायुक्तों के स्तर पर किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानान्तरण तथा दाखिले सम्बन्धी ऐसे अधिकार पत्रों का जवाब तभी दिया जाता है जब स्थानान्तरण तथा दाखिलों के श्रृंखलाबद्ध कार्य को अन्तिम रूप दिया जा चुका हो।

दलकोल्हा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकना

4191. **श्री सुब्रत मुखर्जी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवध-असम, कंचनजंघा तथा एन०ई० एक्सप्रेस को दलकोल्हा पर रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं, बहरहाल 1-7-1992 से दलकोल्हा स्टेशन पर 3141/3142 तीस्ता-तोरशा एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था कर दी गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पक्षी अभयारण्य

4192. **श्री गया प्रसाद कोरी** :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से पक्षी अभयारण्य है और ये कहां-कहां पर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पक्षी अभयारण्यों के रख-रखाव और इनके संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों ने राज्यवार कुल कितनी धनराशि प्रदान की है; और

(ग) पक्षी अभयारण्यों के विकास हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजना क्रियान्वित की जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) मुख्य रूप से पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के नाम और अवस्थिति का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) इन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रख-रखाव और परिरक्षण के लिए राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण 2 में दिया गया है।

(ग) पक्षियों के वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण और चोरी-छिपे शिकार रोधी मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-1

मुख्य रूप से पक्षियों के संरक्षण के लिए संचालित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की सूची

क्रम सं०	राज्य	जिला	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य का नाम
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार	अंडमान	मागापोडे
	द्वीपसमूह	अंडमान	नारकोंडम
2.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी	कोल्लेरू
		मेडक	मंजीरा
		नेल्लोर	नेलापट्टू
		मेडक	पोचारम
		नेल्लोर	पुलीकट
		कुरनूल	रोलापाडू
		कुडप्पा	श्रीलंकामालीवाड़ा
3.	अरुणाचल प्रदेश	सियांग	एरिंग
4.	असम	कामरूप	डिपोर बील
5.	बिहार	मुंगेर	नागी डैम
		मुंगेर	नकटी डैम
		हजारीबाग	पारसनाथ
		धनबाद	तोपचांची
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	सुखना झील
7.	गुजरात	जामनगर	खिजडिया
		अहमदाबाद व सुरेन्द्रनगर	नलसरोवर
		पंच महल	रतनमहल
		सुरेन्द्रनगर] कच्छ	वाइल्ड ऐस
8.	हरियाणा	गुड़गांवा	सुल्तानपुर

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	मंडी	बांदली
		बिलासपुर	गोविन्दसागर
		कांगड़ा	पोंग डैम
10.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	बालटाल
		श्रीनगर	होकरसर
		श्रीनगर	ओवेरा
11.	कर्नाटक	बेलगाम	घटप्रभा
		मैसूर	रांगनथिट्टू
		मैसूर	आदिचुंचा
			नागरी पीकॉक
			सैंक्चुअरी
12.	महाराष्ट्र	सोलापुर/	ग्रेट इंडियन
		अहमदनगर	बस्टर्ड
		औरंगाबाद	जायकवाडी
		अकोला	केटेपुरना
		रायगढ़	कारनाला
13.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	गांधीनगर
		ग्वालियर	घाटीगांव
		शिवपुरी	करेरा
		रतलाम	सैलाना
14.	उड़ीसा	पुरी और गंजम	चिल्का
		पुरी	नन्दनकानन
15.	पंजाब	अमृतसर	हरिके झील
16.	राजस्थान	कोटा	जवाहर सागर
		भरतपुर	केवलादेव
		जैसलमेर	डेजर्ट
17.	तमिलनाडु	तंजावुर	प्वाइंट कैलिमियर
		चेंगलपट्टू	पुलीकट
		चेंगलपट्टू	वेदान्तांगल
		चेंगलपट्टू	कारीकिली
		रामनाथपुरम	वेतनगुडी

1	2	3	4
18.	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	नवाबगंज
		राय बरेली	समासपुर
			पटना
			सामन
			सुरसरोवर
19.	पश्चिमी बंगाल	24 परगना	संजाखाली

विवरण-2

मुख्य रूप से पक्षियों के संरक्षण के लिए बनाए गए राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष			
		1989-90	1990-91	1991-92	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	14.80	13.62	15.03	43.45
2.	अरुणाचल प्रदेश	03.48	04.50	01.44	09.42
3.	गुजरात	10.51	07.60	07.07	25.18
4.	हरियाणा	05.00	—	19.56	24.56
5.	हिमाचल प्रदेश	01.50	00.75	02.50	04.75
6.	महाराष्ट्र	05.00	04.32	01.15	10.47
7.	मध्य प्रदेश	—	00.75	00.75	01.50
8.	उड़ीसा	—	02.40	05.00	07.40
9.	पंजाब	08.50	02.50	00.50	11.50
10.	राजस्थान	32.86	28.72	24.80	86.38
11.	तमिलनाडु	09.53	8.22	07.73	25.48
12.	उत्तर प्रदेश	—	02.76	14.34	17.10
	कुल :	91.18	76.14	99.87	267.19

[अनुवाद]

भिवंडी से पलवल तक रेल सम्पर्क

4193. **श्री अवतार सिंह भडाना :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवंडी औद्योगिक क्षेत्र से मंडकला होकर पलवल तक रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में हरियाणा सरकार का कोई अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य और पोषण बोर्ड

4194. **श्री के० प्रधानी** :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के खाद्य और पोषण बोर्ड के प्रमुख कार्यकलाप क्या हैं;

(ख) क्या पोषाहार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्षेत्रीय कर्मचारी प्रदान किए हैं;

(ग) क्या ये लोग पोषाहार शिक्षण प्रदर्शनी लगाने के लिए आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रदर्शनी के प्रति आदिवासियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में खाद्य और पोषण बोर्ड का भावी कार्यक्रम क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बोर्ड की भूमिका मूलतः खाद्य और पोषाहार विस्तार तथा शिक्षा, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के विकास, न्यूनता संबंधी रोगों का मुकाबला करने के लिए अपेक्षित उपाय करने, खाद्य संसाधनों के संरक्षण और कुशल उपयोग, आदि क्षेत्रों में परामर्शी और समन्वयकारी स्वरूप की है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) आदिवासी लोगों की प्रतिक्रिया सकारात्मक पाई गई है।

(ङ) बोर्ड को जो कार्य सौंपे गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए वह अपने प्रयास जारी रखेगा।

प्रथम राष्ट्रपति के निवास को राष्ट्रीय स्मारक बनाना

4195. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बिहार में जीरादेई गांव में भारत के प्रथम राष्ट्रपति निवास को के राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के जीरादेई गांव, जिला सीवान (बिहार) स्थित पैतृक

मकान को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित-स्मारक के रूप में पहले ही घोषित किया जा चुका है।

निजामुद्दीन स्टेशन में रखरखाव परिसर

4196 **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में वर्तमान धुलाई परिसर पर कार्य का दबाव बहुत अधिक बढ़ने के कारण वहां एक केन्द्रीकृत धुलाई और रख-रखाव परिसर की स्थापना की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वियन हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) परियोजना की लागत कितनी है तथा यह कब तक पूरी होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस कार्य को, 23.96 करोड़ रु० की यातायात सुविधाओं के भाग के रूप में 1987-88 में स्वीकृत किया गया था जिसमें धुलाई और अनुरक्षण सुविधाओं की लागत लगभग 8 करोड़ रुपये है। कार्य के इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

जनता नर्सरी योजना

4197. **श्री के०पी० सिंह देव :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आम जनता में रुचि पैदा करने हेतु जनता नर्सरी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसे कब शुरू किया गया था; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित विकेन्द्रित जन-पौधशाला स्कीम निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर वर्ष 1986-87 में शुरू की गई थी :—

(i) पौधशाला उगाने और वृक्षारोपण कार्यकलापों में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण निर्धनों, महिलाओं तथा उपेक्षित वर्गों के लिए व्यक्तिगत रूप से और संगठनों/संस्थाओं जिनमें स्कूल, सहकारिताएं आदि शामिल हैं, के माध्यम से स्व-रोजगार उपलब्ध कराना।

(iii) फार्म वानिकी तथा कृषि वानिकी को विशेषकर अवक्रमित फार्म भूमि पर आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यकलाप के रूप में प्रोत्साहित करना और उससे रोजगार तथा आय की संभावना में वृद्धि करना।

(iv) सुलभ जन-पौधशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से वाजिब दायरे में और अपेक्षित मात्रा में वांछित प्रजातियों की अच्छी किस्म की पौध स्थानीय रूप से उपलब्ध कराना।

राज्य वन विभाग के माध्यम से पौधशाला लगाने वाले व्यक्तियों को उगाई गई प्रति पौध के लिए 70 पैसे की आर्थिक मदद (सब्सिडी) दी जाती है, वर्ष 1992-93 से यह स्कीम राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई है।

(ग) वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक इस स्कीम के अधीन राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों (1989-91 से 1991-92 तक) में राज्य सरकारों/के०शा०प्र० प्रदेशों को दी गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8.00	39.00	194.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	9.95	12.50
3.	असम	7.00	18.30	20.99
4.	बिहार	58.20	50.00	32.50
5.	गुजरात	200.00	177.87	310.06
6.	हरियाणा	225.00	405.00	432.28
7.	हिमाचल प्रदेश	41.69	22.50	37.55
8.	जम्मू और कश्मीर	—	9.00	—
9.	कर्नाटक	196.00	150.00	30.00
10.	केरल	—	17.25	3.00
11.	मध्य प्रदेश	100.74	302.30	45.00
12.	महाराष्ट्र	450.00	235.91	425.00
13.	मिजोरम	33.10	33.15	26.91
14.	मणीपुर	4.40	4.95	9.35
15.	मेघालय	19.96	9.00	30.86
16.	नागालैंड	10.00	4.50	37.75
17.	उड़ीसा	47.57	22.50	91.20
18.	पंजाब	40.00	33.75	50.00
19.	राजस्थान	17.00	93.62	98.03
20.	सिक्किम	—	3.94	3.50
21.	तमिलनाडु	54.00	70.00	58.00

1	2	3	4	5
22.	त्रिपुरा	11.43	7.51	8.92
23.	उत्तर प्रदेश	210.00	67-50	—
24.	पश्चिम बंगाल	72.15	112.50	178.56
	योग :	1807.24	1900.00	2141.43

गैंडों की संख्या

4198. **श्री एन०जे० राठवा :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय गैंडों की राज्य-वार संख्या और उनकी प्रजातियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय गैंडों के आखेट की, प्रतिवर्ष, राज्य-वार कितनी घटनाएं हुई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न वन्यजीव रिजर्वों में गैंडों की संख्या इस प्रकार रही :—

राज्य	1989	1992
असम	1543	×
पश्चिम बंगाल	93	44
उत्तर प्रदेश	99	11

× काजीरंगा अभयारण्य में 1992 में गैंडों की गणना पूरी होने की खबर है जिससे 1129 गैंडों का पता चला है। असम के अन्य अभयारण्यों में गणना अभी की जानी है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान चोरी छिपे शिकार करने वालों द्वारा मारे गए गैंडों की संख्या इस प्रकार है :

राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
असम	67	30	40
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	67	30	40

"पैलेस ऑन व्हील्स"

4199. **श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1992 के "दि हिन्दू" में पैलेस ऑन व्हील्स

डिसएपोंइट्स फोरिन टूरिस्टस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस रेलगाड़ी का नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी का नवीकरण कब तक कर दिया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भूतपूर्व महाराजाओं के सैलूनों में आशोधन करके और उनकी मरम्मत करके 1982 में राजस्थान क्षेत्र में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई गयी थी। अत्यधिक पुराने हो जाने के कारण ये सैलून अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके थे और आगे परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं थे। अतः इस प्रतिष्ठित सेवा को चालू रखने के विचार से, एक नए वातानुकूल रेक का निर्माण किया गया और उसे 2 अक्तूबर, 1991 से चालू कर दिया गया। सवारी डिब्बों की आन्तरिक सजावट और अभिकल्प का कार्य इस प्रकार किया गया है कि उन्हें राजस्थानी परिवेश दिया जा सके। 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान इस गाड़ी द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2282, 2054 तथा 2198 थी। पर्यटन से संबंधित विभिन्न कारकों के कारण यात्रियों की संख्या भिन्नता रहती है।

"समुद्री प्रदूषण"

4200. **श्री सुधीर सावंत** :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी घाट के आस-पास प्रदूषण के कारण समुद्री-जीवों को हुई क्षति का कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार ने प्रदूषण के कारण पश्चिमी तट के साथ-साथ समुद्री जीवों को पहुंची क्षति का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान संस्थाओं के जरिए एक अध्ययन किया। तट से दूर समुद्री पारिप्रणाली अक्षुण्ण है किन्तु पश्चिमी तट, खासकर बड़े शहरों और कस्बों के किनारे जल की गुणवत्ता में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के निपटान के कारण खराबी आई है। परिणामस्वरूप, थाणे, माहिम और वेरसोवा जैसी संकरी खाड़ियों में आक्सीजन का स्तर विशेषकर निम्न ज्वार के समय बहुत कम हो जाता है।

(ग) समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) प्रदूषण के स्रोत स्थलों का पता लगा लिया गया है।

(2) महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पश्चिमी तट के साथ-साथ तटीय जल के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(3) जहां लागू हो, उद्योगों/नगर पालिकाओं को डिफ्यूजर प्रणाली वाले समुद्री आउटफालों का निर्माण करने के निदेश दिए गए हैं।

(4) केन्द्र सरकार ने सामान्य अनुदेश जारी किए हैं कि तट रेखा से 500 मीटर के भीतर कोई उद्योग/फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी जाए।

नई दिल्ली में परिक्रमा रेलवे

4201. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

श्री गुरुदास कामत :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली वे परिक्रमा रेलवे (ई०एम०यू०) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इसे हुए घाटे का ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घाटे को समाप्त करने और दिल्ली में इस सेवा का और विस्तार करने के लिए कदम उठाए जा रहे है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां, ई०एम०यू० सेवाओं के चालन में घाटे के निम्नलिखित कारण है :—

(i) गाड़ियों में कम भीड़-भाड़।

(ii) यात्री यातायात की कम दूरी।

(iii) परिक्रमा रेल में प्रति फेरा प्रति यात्री 1.50 रुपए का फ्लैट।

(iv) मासिक सीजन टिकट/तिमाही सीजन टिकट किरायों का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होना।

(ग) नवम्बर, 1991 के बाद, घाटे को कम करने के लिए दूरी के आधार पर फ्लैट दर की प्रणाली के किरायों में संशोधन किया गया था। परिक्रमा रेल पर ई०एम०यू० सेवाओं को और बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान संबंधी केन्द्रीय परिषद का पुनर्गठन

4202. **श्री बसुदेव आचार्य :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप समिति ने आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान संबंधी केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन पर अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(ख) क्या कुछ एककों/संस्थानों को बन्द करने की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों के कर्मचारियों के पुनर्वास के बारे में कोई सुझाव दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके पुनर्गठन और बन्द किये जाने वाले एककों के कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता की सीमा के बारे में की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) शासी निकाय की विकासात्मक (केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण) उप समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनका शासी निकाय द्वारा अभी अनुमोदन किया जाना है। इस अवस्था में अभ्युक्तियां देना असामयिक होगा।

अवध एक्सप्रेस को बड़ोदरा तक चलाना

4203. **प्रो० राम कापसे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5063/5064 अवध एक्सप्रेस को बड़ोदरा, गुजरात तक चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) 1-7-92 से 5063/5064 अवध एक्सप्रेस को बांद्रा (बम्बई) तक बढ़ा दिया गया है, जो दोनों दिशाओं में बड़ोदरा स्टेशन को सेवित करती है।

[हिन्दी]

ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना

4204. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना पर राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या उक्त योजना पर वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्य सरकारों को पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना के कार्यान्वयन के लिए दिए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपये में)

	*1989-90	1990-91	1991-92
	1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	266.87	205.90	206.00
2. असम	76.79	120.64	67.84

	1	2	3
3. बिहार	35.79	73.59	62.60
4. गोवा	2.99	3.83	—
5. गुजरात	87.81	169.58	41.96
6. हरियाणा	32.84	59.42	1.44
7. हिमाचल प्रदेश	17.54	24.30	22.00
8. कर्नाटक	57.68	90.80	90.76
9. जम्मू और कश्मीर	—	—	11.15
10. मध्य प्रदेश	137.53	202.15	202.16
11. महाराष्ट्र	164.15	255.11	255.08
12. मणिपुर	22.01	10.20	10.20
13. मेघालय	8.46	10.01	7.76
14. मिजोरम	2.88	3.57	3.44
15. नागालैंड	1.64	3.28	3.28
16. उड़ीसा	296.98	127.18	127.16
17. पंजाब	43.92	69.94	69.96
18. राजस्थान	66.35	130.30	53.88
19. सिक्किम	3.00	1.88	1.44
20. त्रिपुरा	7.49	10.98	11.04
21. उत्तर प्रदेश	311.82	540.71	540.68
22. पश्चिम बंगाल	146.09	241.35	241.40
योग	1790.63	2354.72	2031.23

(*)रेहबर-ए सेहत योजना के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड योजना की एक वैकल्पिक योजना है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम का कार्यनिष्पादन

4205. श्री के० प्रधानी :

श्री उद्धव बर्मन :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा हाल ही में की गई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो नवीनतम पुनरीक्षा कब की गई थी तथा उसमें क्या कमियां पाई गयीं; और

(ग) इन कमियों को दूर करने तथा भारतीय खाद्य निगम के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा जून, 1990 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी। इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा फरवरी, 1991 में लिए गए निर्णयों/अभिव्यक्त किए गए विचारों पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें भारतीय खाद्य निगम को भेज दिया गया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न निर्णयों/अभिव्यक्त किए गए विचारों पर कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है और उस पर गहरी नजर रखी जा रही है।

भुवनेश्वर-पुरी रेल लाइन को दोहरा बनाना

4206. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर से पुरी तक रेल लाइन को दोहरा करने की परियोजना काफी समय से लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की संशोधित लागत कितनी है; और

(घ) इसका निर्माण कब किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह एक अनुमोदित कार्य नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विभिन्न परिचालनिक सुधारों के कारण एकल लाइन की खंडीय क्षमता संतृप्त हो जाने पर दोहरीकरण किया जाता है। भुवनेश्वर-पुरी खंड पर यातायात का स्तर अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा है।

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों में रेल परियोजनाएं

4207. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1992 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं से संबंधित सांसदों के सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नई दिल्ली नगर पालिका के अस्पतालों में दवाइयों की बर्बादी

4208. **श्री राम सागर :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका शहर में स्थित अपनी विभिन्न डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में वितरण हेतु प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की दवाइयां खरीदता है परन्तु समाप्ति तिथि से पूर्व प्रयोग न किए जाने के कारण लाखों रुपये की दवाई व्यर्थ चली जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि की दवाइयां खरीदी गयीं और प्रयोग समाप्ति तिथि के पश्चात कितने मूल्य की दवाइयों को अनुपयोगी घोषित किया गया है; और

(ग) सरकार ने दवाइयों की बर्बादी न होने देने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधियों की खरीद पर खर्च की गई राशि और अनुपयोगी घोषित औषधियों की लागत इस प्रकार है :—

वर्ष	औषधियों की खरीद के लिए खर्च की गई राशि	अनुपयोगी घोषित औषधियां
1989-90	78,90,835.72 रु०	29,869.65 रु०
1990-91	89,29,641.75 रु०	44,697.61 रु०
1991-92	85,78,013 26 रु०	74,753.70 रु०

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार औषधियों के आपूर्तिकर्ताओं से ऐसी औषधियों को बदलने के लिए वचनपत्र लिया जाता है जिनकी मियाद उनके इस्तेमाल से पहले समाप्त हो जाती है। ऐसी औषधियां जो अनुपयोगी पायी गयीं, उन्हें बदल दिया गया।

(ग) औषधियां वास्तविक जरूरतों के अनुसार खरीदी जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए नई खरीद करते समय पिछले दो वर्षों में उपयोग की गयी औषधों की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। चिकित्सा अधिकारियों की एक उप समिति भी है जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) द्वारा की जाती है। यह समिति मांग की जांच-पड़ताल और पिछले वर्ष की खपत को ध्यान में रखते हुए नई खरीद के बारे में निर्णय लेती है।

रेलवे स्टेशनों के ऊपर खाली स्थान का उपयोग

4209. **श्री शरद दिघे :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण के

लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर खाली स्थान का उपयोग कर संसाधन जुटाने पर विचार कर रही है ताकि मुम्बई में वास्तविक सम्पदा की विपणन क्षमताओं का उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार और रेलवे के बीच इन संसाधनों के उपयोग के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सियालदह डिवीजन में डीजल मल्टीपल इंजन

4210. **डा० असीम बाला :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन में राणाघाट-गेदे और राणाघाट-बोंगांव लाइन पर डीजल मल्टीपल इंजन लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) डी० एम० यू० (डीजल मल्टीपल यूनिट) का परिचालन अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है, इसलिए पूर्व रेलवे के रानाघाट-गेदे और रानाघाट-बनगांव खंडों पर डी० एम० यू० गाड़ियां चलाने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों को रेल सेवाओं से जोड़ना

4211. **श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक स्थलों को रेल सेवाओं से जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) अलग से ऐसी कोई योजना नहीं है। जहां कहीं रेलवे लाइन पर्यटन स्थलों को मिलाती है वहां उपयुक्त गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं और भविष्य में यातायात और संसाधनों के अनुरूप उनका विस्तार किया जाएगा।

लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली में नर्सों की नियुक्ति

4212. **श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1992 के 'हिन्दुस्तान' में "जय प्रकाश नारायण अस्पताल, दिल्ली स्टाफ नर्सों की नियुक्ति में धांधली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है; और

(ग) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों की अर्हताप्राप्त नर्सों के लम्बे समय से उपलब्ध न होने के कारण तथा अस्पताल की सेवाएं जारी रखने की अनिवार्यता पर विचार करते हुए, कुछ नर्सों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में आपातिक एवं पूर्णतया अल्पावधि आधार पर नियुक्त किया गया।

दिल्ली प्रशासन ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित और सामान्य अभ्यर्थियों की रिक्तियों पर नियमित नियुक्ति करने संबंधी कारंवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश सरकार को रायल्टी

4213. **डा० लाल बहादुर रावल :**

श्री राजवीर सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग रेल लाइनों के लिए राज्य सरकारों को रायल्टी के रूप में कोई राशि देता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी रायल्टी राशि दी है;

(ग) अभी कितनी रायल्टी राशि का भुगतान किया जाना बाकी है; और

(घ) इसकी शेष राशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मलेरिया तथा उष्णकटिबंधीय रोगों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी

4214 **श्री रवि राय :**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया में 'ग्लोबल वार्मिंग में ट्रिग्गर एपिडेमिक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) जी हां। अन्य बातों के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य और पर्यावरण

आयोग, 1992 की रिपोर्ट यह बताती है कि वातावरण में ग्रीन हाऊस गैसों के बनने से भूमंडल में गर्मी पैदा करने और इससे वर्षा के प्रतिमान में परिवर्तन होने की सम्भावना है जो वेक्टरों के वितरण को प्रभावित कर सकती है और ये वैक्टर मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के कारकों को वहन करते हैं।

यह रिपोर्ट आगे बताती है कि व्यक्तिगत प्रयासों और ऐसे उपायों, जिनका अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास किया जा रहा है, के माध्यम से अब ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को कम करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में भारतीय क्षेत्रीय और भूमंडलीय सन्दर्भ में भूमंडल के गर्म होने से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में सरकार को सलाह देने, इस क्षेत्र में बहु-संस्थागत और बहु-विषयक अध्ययनों को बढ़ावा देने और समन्वय करने में सहायता करने और संगत क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन और उनकी मानीटरिंग करने में मदद देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विख्यात वैज्ञानिक और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

बाक्स एन वैगनों का मूल्य

4215. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाक्स एन वैगनों के निर्माताओं के लिए ऊपरी व्यय की विभेदक दरें निर्धारित की गयी थीं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में ऊपरी व्यय का औसत निकाला गया था, और सरकारी क्षेत्र को औसत दर से 10 प्रतिशत अधिक विभेदक दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां। वित्त मन्त्रालय के अधीन मुख्य सलाहकार (लागत) ने सिफारिश की है कि ऊपरी खर्च का प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए 10 माल डिब्बा निर्माताओं की औसत से 182% निर्धारित किया जाए और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 182% पर 10% की बढ़ोतरी से अर्थात् 182+18=200% का ऊपरी खर्च दिया जाए।

रेल मन्त्रालय द्वारा अपनाई गयी ऊपरी खर्च की प्रतिशत दरें उद्योग मंत्रालय द्वारा बी॰ सी॰ आई॰ पी॰ की अध्यक्षता में 1982 में गठित पिछली मूल्य निर्धारण समिति द्वारा यथा स्वीकृत दरों पर आधारित हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वैंट की खरीद में अनियमितताएं

4216. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

श्री लाल बाबू राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में रेल के सवारी डिब्बों के लिए पेंट की खरीद में अनियमितताएं किए जाने के मामले आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल फाटक

4217. श्री के० पी० सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को समाहित करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल फाटक लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गयी है; और

(ग) उन प्रस्तावों को लागू कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर छः समपारों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) खोरधा रोड-पुरी खंड में डेलांग-वीरपुरुषोत्तमपुर के बीच कि०मी० 471/1

(2) तालचेर-कटक खंड में ढेंकारियाल-हिंदोल रोड के बीच कि०मी० 451/3-4

(3) चक्रधरपुर-झारसुगुडा खंड पर धुतरा-धमडीह के बीच कि०मी० 501/11-13

(4) चक्रधरपुर-झारसुगुडा खंड में गड़पोस-सोंनारमुंडा के बीच कि०मी० 464/25-27

(5) बालासोर-कटक खंड में जेनापुर-हरिदासपुर के बीच कि०मी० 355/15

(6) खोरधा रोड-विशाखापत्तनम खंड में बेरहामपुर-गोलंथरा के बीच कि०मी० 608/6-7

क्रम सं० 1, 2, 4, 5, और 6 के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है।

(ग) इन स्थानों के निर्माण कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

नम भूमि, गरान और प्रवालभित्ति पर समिति का गठन

4218. श्री एन० जे० राठवा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नम भूमि, गरान (मैंग्रोव) और प्रवालभित्ति के संरक्षण के लिए किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस समिति से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) समिति का गठन मई, 1992 में किया गया था और इसकी पहली बैठक 25 जुलाई, 1992 को हुई थी। यह एक स्थाई समिति है जो कि सलाह देती है। वह समय-समय पर नीतियों, कार्यक्रमों और नमभूमि, कच्छ वनस्पति, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के संबंध में सिफारिशें करती है और ऐसी अन्य पारि-प्रणालियों पर सरकार द्वारा कार्यान्वियन के लिए विचार किया जाता है।

विवरण

संख्या जे० 22012/19/92-सी एस सी (डब्ल्यू)

भारत सरकार

पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण भवन,
सी. जी. ओ. कॉम्पलेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-3
दिनांक : 8 मई, 1992

कार्यालय ज्ञापन

विषय : नम भूमि, कच्छ वनस्पति तथा मूंगे की चट्टानों के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन।

नम भूमि, कच्छ वनस्पति और मूंगे की चट्टानों के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :

(क) गठन

1. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली। — अध्यक्ष

2. वन महानिरीक्षक, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य

3. प्रो० अमलेश चौधरी, प्रोफेसर, मेरीन विज्ञान, — सदस्य

कलकत्ता विश्वविद्यालय,
35, सर्कुलर रोड, कलकत्ता ।

4. श्री गोपीनाथ पिल्ले, सदस्य
सेन्ट्रल मेरीन फिशरीज अनुसंधान संस्थान,
कोचीन ।

5. प्रो० एन० बालाकृष्णन नायर, सस्स्य
सी. ए. आई. आर. के अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक,
जलीय जीवविज्ञान और मत्स्यपालन विभाग,
बीच, पो. ओ. तिरूवनतपुरम ।

6 डा० एस० ए० हुसन, सदस्य
बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी,
हारंबिल हाउस,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
बम्बई ।

7. डा० ध्रुवज्योति घोष, सदस्य
370, आई. पी. एन. एस. सी. रोड,
कलकत्ता-700047 ।

8. प्रो० आर० एस० अम्बास्ट, सदस्य
वनस्पति विज्ञान विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी-221005 ।

9. प्रो० सी० के० वार्ष्णेय, सदस्य
स्कूल ऑफ इन्वायरमेन्टल साइन्सेस,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली ।

10. डा० ए० आर० भारलेकर, सदस्य
वैज्ञानिक,
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान,
गोवा ।

11. निदेशक या उनका नामजद सदस्य, सदस्य
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण,
पी. 8, ब्रेबोर्न रोड,
कलकत्ता ।

12. निदेशक या उनका नामजद सदस्य, सदस्य
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण,
एम. ब्लाक, न्यू अलीपुर,
कलकत्ता-700053 ।

13. संयुक्त सलाहकार, (पर्यावरण और वन) — सदस्य
योजना आयोग,
योजना भवन, पालियामेंट स्ट्रीट,
नई दिल्ली ।

14. सलाहकार (सी. एस.) — सदस्य-सचिव
पर्यावरण और वन मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

(ख) विचारार्थ विषय :

1. (1) सरकार को नमभूमि, कच्छ वनस्पति, मूंगे की चट्टानों तथा सम्बद्ध पारि-प्रणालियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना ।

(2) इन क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण के बारे में सलाह देना ।

(3) संरक्षण के लिए नमभूमि, कच्छ वनस्पति और मूंगे की चट्टानों के बारे में सुझाव देना ।

(4) इन पारि-प्रणालियों से संबंधित मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करने के बारे में सलाह देना ।

(5) कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करना ।

2. समिति आवश्यकतानुसार किसी भी सदस्य को सहयोजित कर सकती है ।

3. समिति की बैठकें वर्ष में कम-से-कम दो बार नई दिल्ली में होंगी ।

4. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के व्यय को नियमानुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वहन किया जायेगा ।

5. सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाले व्यय को संबंधित एजेंसियों/कार्यालयों द्वारा वहन किया जायेगा ।

6. समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1994 तक होगा ।

[अनुवाद]

रेल संचार प्रणाली

4219. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने अपना निजी दूरसंचार नेटवर्क विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान सेवाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए डिजिटल माइक्रोवेव, आप्टिकल फाइबर और मैसेज स्विचिंग सिस्टम सहित डिजिटल संचार के युग में प्रवेश करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ग) इस योजना की विस्तृत रूप-रेखा क्या है और इस पर कितना पूंजी परिव्यय आयेगा; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे पर इस नवीकरण कार्य के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) रेलें, यात्री आरक्षण तथा माल भाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली के संबंध में धू संचार तथा डाटा ट्रांसमिशन के लिए आधुनिक डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली का उत्तरोत्तर उपयोग कर रही हैं, मुगलसराय-गया-धनबाद-खाना खंड पर गाड़ी नियंत्रण तथा ब्लाक संचलन के लिए स्टेशन से स्टेशन तक डिजीटल माइक्रोवेव प्रणाली शुरू की गई है तथा इसका और आगे विस्तार किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के चर्चगेट-विरार खंड तथा दुर्ग-नागपुर-इटारसी तथा इटारसी-भुसावल खंड पर आप्टिक फायबर प्रणाली शुरू की गई है।

रेलवे के टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर भी धीरे-धीरे आधुनिक डिजीटल टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था की जा रही है। अखिल रेलवे संचार कार्यों के लिए 1992-93 में कुल परिव्यय की राशि 76.68 करोड़ रुपए हैं।

(घ) पूर्व रेलवे पर मुगलसराय-धनबाद-खाना खंड पर स्टेशन से-स्टेशन तक डिजीटल माइक्रोवेव संचार प्रणाली शुरू कर दी गई है और इसका खाना-हवड़ा, बर्दवान-हवड़ा और सियालदह दक्षिण खंडों पर विस्तार किया जा रहा है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के टाटानगर-चक्रधरपुर-राउरकेला खंड पर आप्टिक फायबर संचार कार्य चल रहा है। दक्षिण-पूर्व रेलवे के क्षेत्रीय मुख्यालय तथा अधिकांश मण्डल मुख्यालयों में आधुनिक डिजीटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं। पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए वर्ष 1992-93 में परिव्यय की राशि 17.79 करोड़ रुपए है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का उत्सादन

4220. **प्रो॰ राम कापसे** :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 को समाप्त कर दिया जाए; और यह भी सुझाव दिया है कि इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन विकल्पों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रावेशिक शुल्क (कैपीटेशन फीस) लिए जाने के बारे में

[हिन्दी]

12.00 मध्याह्न

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए पिछले सप्ताह ऐतिहासिक फैसले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस देश में कई राज्यों में मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेजेज में कैपीटेशन फीस की प्रथा चल रही है और सरकार के निर्णय के मुताबिक चल रही है उसके खिलाफ फैसला दिया है। वह फैसला अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है और इस देश में विचार करने लायक वह फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में जो शिक्षा का अधिकार है, वह मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कोर्ट ने भी कहा है कि गरिमामय जीवन जीने के लिए और जो समानता का सिद्धान्त हमारे संविधान में है, उसके परिपालन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा को भी मौलिक अधिकारों जैसा दर्जा दिया जाए और जब समानता का अधिकार इस देश में है, तो कुछ धनी लोगों के प्रतिभाहीन लड़के-लड़कियों को इस तरह से कैपीटेशन फीस देकर एडमिशन मिलता है और उसके आधार पर वे इस तरह से डाक्टर और इंजीनियर बनते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब आरक्षण की बात चलती है तो मैरिट का सवाल उठाया जाता रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने एडीटोरियल में भी लिखा है, आपकी इजाजत से मैं इसको रखना चाहता हूं —

[अनुवाद]

ऐसी शिक्षा बेचने वाले ज्यादा-से-ज्यादा यह दावा कर सकते हैं कि वे ही नैतिकता विहीन शिक्षा बाजार में उत्तम शिक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे छात्र या उनके संरक्षक अथवा इस प्रकार की शिक्षा का व्यापार करने वाले व्यक्तियों की यह हिम्मत नहीं होती कि वे राज्य द्वारा योग्यता के विरुद्ध दिए जा रहे संरक्षण और पक्षपात की निन्दा कर सकें।

[हिन्दी]

जो मैरिट का सवाल उठाया जाता है आरक्षण के कांटैक्स्ट में, संविधान ने कहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनको आरक्षण देने की जरूरत है, लेकिन जब आरक्षण की बात की जाती है तो मैरिट का सवाल उठाया जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि इस मैरिट की घनघोर उपेक्षा हो रही है और खासकर तीन राज्यों में। अध्यक्ष महोदय वे राज्य हैं कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन तीन राज्यों में इस तरह की शिक्षा की दुकानें खुली हुई हैं। इन शिक्षा की दुकानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ गया है, तो हम केन्द्र सरकार से मांग करेंगे कि वह तत्काल इस फैसले पर अमल कराए और राज्य सरकारों के निर्देश के तहत इस प्रकार का कारोबार होता रहा है और जो गरीब लोग हैं, उनके प्रतिभाशाली बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और धनी लोगों के नालायक बच्चे

और बच्चियों का एडमीशन होता है और ऐसे कालेजों से वे डाक्टर और इंजीनियर बन कर निकलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में, ऐसे कॉलिज खोलने की इजाजत दी जाती रही है और इस देश में ऐसे संस्थान खुलते हैं। हमारे बिहार राज्य से और देशभर से बड़ी संख्या में जो अमीर लोग हैं जो कैपीटेशन फीस एक लाख से 14 लाख तक देकर इंजीनियरिंग और मेडीकल कॉलिजेज में एडमीशन लेते हैं जिनको सरकारी कॉलिज में शिक्षा लेने की इजाजत नहीं हो सकती है, उनको मेरिट के चलते, उनको डाक्टर और इंजीनियर बनाया जा रहा है। जब आरक्षण का सवाल उठता है, तब मेरिट का तर्क दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक फैसला है। हम सरकार से चाहेंगे कि इसको पूरी तरह से लागू कराए। इसके बारे में आल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एण्ड कालेजेज टीचर्स आर्गेनाइजेशन और आल इंडिया सैकिंड्री टीचर्स एसोसिएशन द्वारा कल ही प्रधान मंत्री को मेमोरेंडम दिया गया है, उसमें भी उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया है।

[अनुवाद]

"योग्यता, रुचि और सामाजिक प्राथमिकता निरर्थक हो गए हैं। विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में गुप्त व्यापारीकरण अपरिहार्य ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार शिक्षा के निजीकरण और व्यापारीकरण की नुकसानदेह प्रक्रिया को तत्काल रोके।"

[हिन्दी]

इस देश में हर चीज के प्राईवेटाईजेशन की बात चल रही है और सरकार मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज खोलने की स्थिति में नहीं है तो निजी क्षेत्र में खोला जा रहा है और उनको लाइसेंस दिया जा रहा है, अनुमति दी जा रही है। उनमें लड़कों को पैसे के बल पर, मेरिट की उपेक्षा करके ऐडमिशन दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक क्षण भी विलंब नहीं होना चाहिए और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यदि कानून इजाजत दे तो जिस प्रकार का ऐडमिशन हुआ है, ऐसे तमाम ऐडमिशन्स को रद्द करते हुए उनके पैसे को लौटा दिया जाए ताकि कम से कम हमारे देश में इस प्रकार के नालायक डाक्टर और इंजीनियर पैसे के बल पर न पैदा हो सकें। मेरिट की सही मायने में पूजा हो सके और उसको मान्यता मिल सके, मेरिट के आधार पर डाक्टर, इंजीनियर बनें।

हम केन्द्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पर अमल करने के लिए तत्काल राज्य सरकार को संविधान के तहत निदेश जारी किए जाएं। यह सारा कार्य कांग्रेस शासित प्रदेशों में हो रहा है। पिछली बार जब मंडल कमीशन लागू किया गया तो सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के द्वारा मेरिट का सवाल उठाया गया था। आज मेरिट कहां गया ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है, आप सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, इसी पार्टी की सरकारें जिन राज्यों में हैं वहां इस प्रकार से प्रोफैशनल ऐजूकेशन के बाजार खुले हुए है।

अभी आंध्र में 12 मैडिकल कालेजों को आपने ऐसी अनुमति दी है। हम मांग करेंगे कि इस पर रोक लगाने के लिए आज ही बिना देर किए हुए केन्द्र सरकार निर्देश जारी करे ताकि इस प्रकार

के इंस्टीट्यूशन्स में इस प्रथा को समाप्त किया जा सके और ऐसे तमाम ऐडमिशन्स को रद्द किया जा सके ताकि मैरिट के आधार पर इस प्रकार की शिक्षा में नामांकन हो सके।

श्री रवि राय (केन्द्रपाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस चीज को उठाने के लिए कल नोटिस दिया था। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं सब सांसदों से निवेदन करूंगा कि हमारे दो जज, जसटिस कुलदीप सिंह और जसटिस आर. एम. सहाय, जिन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले को दिया है, मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। कभी-कभी इस तरह की विधायिका को मौका देना चाहिए। हर दिन मौका दें तो अच्छा होगा। मैं इसलिए यह बात उठाना चाहता हूं कि कैपीटेशन फीस के बारे में जसटिस छागला, जो इस सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कहते थे कि ऐजूकेशन ब्लैकमार्केटिंग है और हमारी लोक सभा की ऐसटीमेट्स कमेटी ने इसको नैशनल डिसग्रेस कहा था। इसके बावजूद आप जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों से हिन्दुस्तान में, जैसा यहां कहा गया है कि बहुत से राज्यों में, इस जजमैंट में है कि प्राईमरी ऐजूकेशन के लिए 5 हजार और मैडिकल कालेज के लिए 14 लाख तक, आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हिन्दुस्तान में सिर्फ 4-5 प्रतिशत लोग ही 14-15 लाख रुपए देकर मैडीकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में ऐडमिशन ले सकते हैं। मैं जजमेंट को पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"इस निर्णय से न्यायाधीशों ने संविधान में दिए गए नीति-निर्देशक सिद्धान्तों में अबाध्यकारी शिक्षा के अधिकार को बाध्यकारी मौलिक अधिकार में बदल दिया है। अब ऐसे लाखों भारतीय जो गरीबी के कारण निरक्षर रह जाते हैं, अपनी राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, पंचायतों और जिला परिषदों से शिक्षा की मांग कर सकते हैं और अगर उन्हें इस अधिकार की जानकारी है तो नगर निगम राज्य तथा स्थानीय सरकारों से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत लेकर 2-3 कोटेबल कोट्स मैं संसद सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। हमारे लर्नेड जजिस ने संविधान की पंक्तियों को ठोस रूप दिया है। इसके लिए मैं उन्हें अभिनन्दन करता हूं। जो निर्गुण चीज था, उसको उन्होंने सगुण बना दिया है। इससे करोड़ों गरीब लोग, पिछड़े लोग और दलित लोग फायदा उठा सकेंगे। इससे हायर एजुकेशन बड़े घराने के बच्चों के लिए ही नहीं रह जायेगी। एक जजमेंट में वह कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"यह प्रथा हमारी शिक्षा प्रणाली और सांविधानिक योजना की जड़ों पर कुठाराघात करने वाली है। भारत में शिक्षा कभी भी विक्रय की वस्तु नहीं रही है। शिक्षा संस्थानों में प्रवेश देने के लिए कैपीटेशन फीस वसूल करना, नागरिकों के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को स्पष्ट रूप में नकारना है।

कैपीटेशन फीस शिक्षा को गरीबों की पहुंच से बाहर कर देती है। राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान को कैपीटेशन फीस वसूल करने की अनुमति देना पूर्णतः निरंकुश है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

[श्री रवि राय]

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सार यही है कि शिक्षा के क्षेत्र में समान-अवसर का अधिकार न्यायक्षेत्र से बाहर नहीं है।

न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में कहा है कि नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को, जो देश को चलाने वाले मूलभूत तत्व हैं, संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें मौलिक अधिकारों के साथ पढ़ा जाना चाहिए तथा अन्य अधिकार एक-दूसरे के अनुपूरक हैं।"

[हिन्दी]

इससे दो जिम्मेदारियां केन्द्र सरकार पर आती हैं। इस जजमेंट के पहले एजुकेशन सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। पहली बार इतिहास में रिपब्लिकन कांस्टीट्यूशन होने के बाद हमारे ननेंड जजिस ने इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा है। 45 साल की आजादी के बाद अभी भी करोड़ों लोग एजुकेशन से वंचित हैं। उन सबको एजुकेशन दिलाने के लिए केन्द्र सरकार की इससे एक कांस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी बढ़ गई है और वह जिम्मेदारी यह है कि एजूकेशन को फंडामेंटल राइट्स में लाने के लिए, वह सारे सदन की राय लेकर इसमें पहल करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि इसको सगुण स्वरूप देने के लिए यह फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिये। यह जब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रहेगा तब तक गरीब आदमी कोर्ट के सामने नहीं जा सकेगा। इसलिए मैं लॉ मिनिस्ट्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में सोच-विचार कर इस सिलसिले में कुछ करे।

कपीटेशन फीस के बारे में सम्पूर्ण बैन करने के लिये केन्द्र सरकार को भी सोचना चाहिये और तुरन्त कुछ करना चाहिये। इस सत्र में अगर हो सकता है तो ठीक है और अगर नहीं हो सकता है तो इसको अगले सत्र में लायें। अब एजुकेशन के राइट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगा दी है, उस पर आप आगे कारंवाई करें। कैपीटेशन फीस के बारे में एस्टिमेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में नेशनल डिसग्रेस बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो अपना फैसला दिया है, उसके प्रति केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्य सरकारें बाद में इस मामले में आयेंगी। इसलिये केन्द्र सरकार को इसमें पहल करके कांस्टीट्यूशन में प्रावधान करना चाहिये। बहुत बढ़िया फैसला सुप्रीम कोर्ट के दो जजों श्री कुलदीप सिंह और सहाय जी ने दिया है। इसलिये केन्द्र सरकार को इसमें जल्दी पहल करनी चाहिये।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार और सुविख्यात संसद विद् माननीय श्री रविराय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से पूर्ण रूप से सहमत हूं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सलाह दी है कि शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है। अब इस पर विस्तृत रूप से विचार करने के लिए काफी समय चाहिये। संसद इस पर विधान पारित कर सकती है। चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है। इस विधेयक में सभी प्रकार की शक्तियां तथा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैं सरकार से संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करने का अनुरोध करता हूं। यह लोक सभा की नहीं बल्कि राज्य सभा की

रिपोर्ट है। अतः यह व्यपगत नहीं हो सकती। माननीय मंत्री महोदय के पास चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक और केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक द्वारा प्रदत्त शक्तियां हैं।

साथ ही अभियन्ताओं के लिए भी परिषद् का एक तकनीकी बोर्ड है। अतः न्यायाधीशों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि न्यायाधीशों ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिए हैं। भारत सरकार कोई दिशानिर्देश जारी नहीं कर सकती है। जब भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक, भारतीय तकनीकी परिषद् (संशोधन) विधेयक जैसे विधेयक लम्बित हैं तो सरकार संसद के इसी सत्र में एक अध्यादेश जारी क्यों नहीं करती है ताकि जो खामियां हैं उन पर सभा में विचार-विमर्श किया जा सके।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, कैपीटेशन फीस के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय के बारे में मैं श्री नीतीश कुमार, श्री रविराय और डा० कृपासिंधु भोई द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय में नागरिकों के शिक्षा के अधिकार का अनुमोदन किया है।

शिक्षा को हमारे संविधान में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले यह विषय राज्य सूची में शामिल था। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में शामिल है, अतः शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर अधिक है। परन्तु दुर्भाग्य से शिक्षा के लिए, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, या उच्च शिक्षा हो बजट आबंटन बहुत कम है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि शिक्षा का लाभ आम लोगों, सबसे गरीब तबकों तक पहुंच सके।

जैसा कि श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कल विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अध्यापकों के संगठन के अखिल भारतीय संघ ने बोट क्लब पर एक रैली की जिसमें लगभग दो हजार व्यक्ति उपस्थित थे। वे मानव संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सिंह से मिलने गए। मुझे मालूम नहीं है कि उनके बीच क्या बातचीत हुई। मुझे यह कहना है कि अध्यापकों की मूल मांगें निजीकरण के विरुद्ध और लोकतंत्रीकरण के पक्ष में थी। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से यह उम्मीद करता हूं कि इस संबंध में उन्होंने शिष्टमण्डल को जो आश्वासन दिया है उसके बारे में वह स्पष्ट शब्दों में सदन में एक वक्तव्य देंगे :··· (व्यवधान)···

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय··मांग का समर्थन करते हुए।···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसी विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री राम नाईक : मैं केवल समर्थन कर रहा हूं और उसके बाद अपनी बात पर आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है तो माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में 13 नए प्राइवेट मेडिकल कालेज और आठ नए प्राइवेट डेंटल कालेज इसी सत्र में

[प्रो॰ रासा सिंह रावत]

खोलने के राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं। यहां के अनेक सांसदों ने, विधायकों ने और जन-प्रतिनिधियों ने इस बारे में घोर असन्तोष प्रकट किया है। वहां आन्दोलन की तैयारी चल रही है। ये कालेज ऐसे स्थानों पर खोले गए हैं, जहां प्राइमरी हैल्थ सैन्टर भी नहीं है महोदय, इसकी जांच कराई जाए और इसमें करोड़ों रुपए के गोल-माल होने की खबर अखबारों में आई है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष जी, भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो नॉर्म्स है, उनको भी ये किसी तरह से पूरे नहीं करते हैं। छोटे-छोटे भवनों के अन्दर जिनके पास चिकित्सा की कोई सुविधा मुहैया नहीं है, जिनके पास सुविधा देने के लिए प्राइवेट कालेज भी नहीं है, ऐसे बहुत से बोगस कालेज चल रहे हैं। जीवन-मरण का प्रश्न है, इसलिए माननीय मंत्री जी कृपया आप इस को गम्भीरता से लें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, मंत्री को इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने दी जाए, परन्तु यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय से ही संबंधित नहीं है। मेरे विचार से स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए और भारत सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में स्पष्ट निदेश जारी होने चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। · (**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार वह तत्काल नीति के बारे में नहीं बता सकते।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, विभिन्न निजी मेडिकल और इन्जीनियरिंग कालेजों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जिन विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी मेडिकल कालेजों में दाखिला मिल रहा है। इसकी सी०बी०आई० द्वारा जांच होनी चाहिए और आप पाएंगे कि इन मेडिकल कालेजों के अनेक संचालकों के राजनैतिक संबंध हैं और इसीलिए इन कालेजों से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यह एक बहुत अधिक मुनाफे वाला व्यवसाय बन गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं केवल स्वास्थ्य मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री से ही नहीं बल्कि सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश होना चाहिए और मेडिकल कालेज तथा इन्जीनियरिंग कालेज उस निशानिर्देश में अन्तर्गत चलने चाहिए।

श्री रमेश चेन्नीतला (कोट्टायम) : महोदय दिशानिर्देश बने हुए है परन्तु इसके बावजूद मेडिकल कालेजों और इन्जीनियरिंग कालेजों की संख्या कुकुरमुत्ते की भांति बढ़ती जा रही है। प्रत्येक कालेज से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। यह अन्याय है। कैपीटेशन फीस के बारे में न्यायालय के कुछ अन्य निर्णय भी हैं। कर्नाटक में और दूसरे स्थानों पर बहुत से मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज बायोमेडिकल कालेज खुल रहे हैं, गरीब छात्र इसके शिकार हो रहे हैं। कुछ कालेजों में प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध न होने पर भी मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए, कैपीटेशन फीस को रोकने के लिए और छात्र समुदाय को बचाने के लिए और देश की भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाएं।··· (**व्यवधान**)···

[हिन्दी

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेडिकल कालेज और इन्जीनियरिंग कालेज में कैपीटेशन फीस का सवाल है, माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से इस प्रश्न को उठाया है।... (**व्यवधान**)... इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है जिन लोगों को वहां पहले एडमिशन मिले भी हुए हैं, हमारे प्रदेश से सैकड़ों छात्र हर साल कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्रा में एडमिशन लेते हैं और कैपीटेशन फीस लेने के बाद, मंत्री महोदय जरा आप इस पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अचानक फिर ट्यूशन फीस बढ़ा दी जाती है, लेबोरेटरीस चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं और मैनेजमेंट अपनी मर्जी की, मनमानी फीस उनसे चार्ज कर रहे हैं तो जहां तक कैपीटेशन फीस का सवाल है वह मुद्दा तो आया ही है लेकिन जहां मनमानी ढंग से पिछले कुछ वर्षों में पैसे बढ़ाए गए हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए और एक यूनिफार्म फीस चार्ज की जाए, यह मेरा सुझाव है। (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं पहले तो यह कहूंगा कि जो दो लाख, चार लाख, पांच लाख कैपीटेशन फीस देते हैं... (**व्यवधान**) मुझे उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है जो पांच लाख, दो लाख, चार लाख देते हैं चूंकि मेरा विश्वास है कि यह पाप का ही पैसा है।... (**व्यवधान**) शुद्ध पाप का पैसा है तो इसलिए उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी, लेकिन जो चिकित्सा विज्ञान का ह्रास हो रहा है और उससे जो डिग्री लेकर के डाक्टर जाएंगे वे समाज का कत्ल करेंगे या कर रहे हैं यह ज्यादा खतरा है। दरभंगा, मधुबनी जैसी जगह में, जहां कुछ नहीं था, एक झोंपड़ी भी नहीं थी और वहां महाराष्ट्र, कश्मीर से विद्यार्थियों ने 70-80 हजार रु० दे-देकर अपना नाम लिखवाया। (**व्यवधान**)...एक बारी हमारे एक सांसद मित्र थे उन्होंने मुझे राष्ट्रपति भवन से देखा और गाड़ी पर चढ़ा लिया। रास्ते में बात करते हुए उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपया देकर उन्होंने नाम लिखवाया है, तो मैं हैरत में पड़ गया। (**व्यवधान**)

मैंने यही कहा कि ऐसे लोगों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। इसके लिए सरकार क्या तरीका निकालेगी, ताकि हमारी योग्यता पर, डिग्री पर इसका असर न पड़े और इस परम्परा को समाप्त करे। फाजिल पैसा कहां से इतना आता है, मेरी समझ में नहीं आता।... (**व्यवधान**)

अब तो यह पैसा और बढ़ेगा आज जो अर्थतंत्र में परिवर्तन हो रहा है, यह पाप का पैसा पूरी चिकित्सा शिक्षा को हड़प कर लेगा।... (**व्यवधान**)

मैं उसी के बारे में कह रहा हूं।... (**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा माफिया का असर कानून और व्यवस्था पर भी पड़ेगा।... (**व्यवधान**)

इसको व्यापार बनाकर पाप का पैसा इसमें लगाया जा रहा है। मेरे सुनने में आया कि मेरे कुछ मित्रों को ऐसे लोगों से सहानुभूति है जो 3-5-7 लाख रुपया लगाते हैं लेकिन इतना रुपया लगाने वाले दया के पात्र नहीं हैं, सहानुभूति के पात्र नहीं हैं।

अब सवाल यह है कि इस चिकित्सा की पढ़ाई से जो डिग्री हम प्राप्त करते हैं, उसका असर मरीजों पर क्या पड़ेगा, इसमें हम कैसे सुधार लाए। यह शिक्षा का मामला है, इसमें हम क्या

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

सुधार लाने के उपाय करें। इसकी जांच करके कठोर दण्ड देने का प्रावधान करें, लेने वाले के लिए भी और मेरा आग्रह होगा कि देने वाले के लिए भी, दोनों को दण्ड दिया जाए। अगर देने वाले को माफ किया जाएगा तो लेने वाला कभी नहीं पकड़ा जाएगा, यह मेरा कहना है। ··(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए, दूसरे विषय भी लेने हैं।

···(**व्यवधान**)···

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : **अध्यक्ष महोदय, एक आदेश में आंध्र में 12 मेडिकल कालेज और 9 डेंटल कालेज खुल गए हैं, इस पर भी जरा प्रकाश डालें।···(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : **देखिए, सिर्फ** पोलीटिकल विषय बनाना चाहेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, सही विषय को हाथ लगाना चाहेंगे तो कुछ निकलेगा।

···(**व्यवधान**)···

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : अध्यक्ष महोदय, रूस में हजारों भारतीय विद्यार्थियों को एजेंट्स के माध्यम से ले जाया गया और उनका भविष्य अधर में लटक गया है। उनको यूनिवर्सिटी से निकाल कर बाहर कर दिया है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें नहीं आएगा, बैठ जाइए।

···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण और नाजुक मामले पर हमने राजनैतिक बाधाओं को पार कर लिया है और मैं निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में सभा में जो चिन्ता व्यक्त की गई है मैं उससे सहमत हूं। चिकित्सा शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है और अभी भी हो रहा है। हमारे साथ कठिनाई यह है कि हम सरकारी क्षेत्र में नए मेडिकल कालेज नहीं खोल सकते हैं। परन्तु निजी मेडिकल कालेजों को इस संसद द्वारा बनाए गए नियमों और कानून का पालन करना होगा।

माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि क्या प्रतिभा को धन के मुकाबले अधिमान दिया जाए या धन को प्रतिभा के मुकाबले अधिमान दिया जाए। मेरा विचार है कि धन के मुकाबले प्रतिभा को अधिमान दिया जाना चाहिए। मुझे इसकी जानकारी है कि सब जगह इस संबंध में बेचैनी है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय पिछले महीने की 30 तारीख को दिया है और हम इसके प्रभावों की जांच कर रहे हैं। मैं तत्काल इसके बारे में विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। परन्तु मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि पिछले एक वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा संबंधी नीति की हमने काफी गहराई से जांच कर ली है। नीतिनिर्धारण का मामला विचाराधीन है और चिकित्सा परिषद को अधिक शक्तियां देने के लिए हम भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन

करने का विचार कर रहे हैं ताकि जो कालेज खुले हैं उन्हें परिषद की मंजूरी मिल सके और चिकित्सा शिक्षा में एकरूपता हो और इसका कुछ स्तर बन सके। माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं इस प्रयोजन के लिए अतिशीघ्र सभा के समक्ष एक विधान लाने की कोशिश करूंगा। मैं इसे इसी सत्र में लाने का भरसक प्रयास करूंगा या मैं इसे अगले सत्र में लाऊंगा।

श्री श्रीकान्त जेना : कैपीटेशन फीस के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री एम० एस० फोतेदार : चिकित्सा परिषद अधिनियम से संबंधित सम्पूर्ण मुद्दों पर हम सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : आपको चिकित्सा परिषद की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? आप कितने समय तक इसे ताक पर रखे रखेंगे ?

श्री एम० एस० फोतेदार : जैसा कि माननीय सदस्यों में से एक ने कहा कि इस प्रयोजन के लिए एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था। मुझे जब इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी। मैं उसे माननीय सदस्यों को बता दूंगा। उस रिपोर्ट में कुछ खामियां थीं जिसमें कहा गया था कि कैपीटेशन देने वाले छात्रों के विरुद्ध ही दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि केवल छात्रों के विरुद्ध ही दण्डात्मक कार्रवाई न की जाए बल्कि यह कार्रवाई कैपीटेशन फीस लेने वालों के विरुद्ध भी की जानी चाहिए। इसीलिए मैंने यह कहा है कि हम इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। जैसे ही विभिन्न सरकारी विभाग इस विधेयक को मंजूरी देंगे वैसे ही मैं इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरी शिक्षा और आनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हिस्टोरिक जजमेंट की लाइट मे हमने यह सवाल उठाया, प्रिंसिपल का सवाल उठाया। हमने सिर्फ मेडिकल एजूकेशन की बात नहीं की, पूरी शिक्षा का जो व्यवसाय बन रहा है उसको रोक कर कैपीटेशन फी की प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकार स्टेट गवर्नमेंटस को तत्काल, आर्टिकल 256 के तहत डायरेक्टिव इश्यू करने की जो पावर है, डायरेक्टिव इश्यू करे ताकि तत्काल यह प्रथा बन्द हो। हमने यह मांग की है।

दूसरी बात है शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारा कर दिया है उसके लिए सूटेबल लेजिस्लेशन लाने के लिए, कांस्टीट्यूशन अमैंडमेंट लाने के लिए सरकार इस पर रिएक्ट करे। सिर्फ मेडिकल एजूकेशन का सवाल हमने नहीं उठाया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि सरकार को इस बात पर, सिर्फ मेडिकल एजूकेशन ही नहीं बल्कि पूरी एजूकेशन पर वक्तव्य देने का निर्देश दें। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि यही सदन की पूरी राय होगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से जो आपने यहां पर प्रश्न उठाया, बहुत मौलिक है। उसके ऊपर विचार होना चाहिए। मगर एकदम ऐसा विचार करने से कोई सही रास्ते पर शायद हम नहीं जा सकेंगे। इसलिए जिन-जिन माननीय सदस्यों के मन में यह विचार है वे लिखकर माननीय मंत्री महोदय को दें। उनके साथ बैठ कर, कैपीटेशन फी कैसे दूर की जा सकती है तथा जो और घोटाले

हो रहे है वे कैसे दूर किए जा सकते हैं, कौन लोग इसमें है, पर विचार करें। यह सारा देख कर उसके बारे में जो पालिसी बनानी है, वह बनाएं। एट स्पर आफ द मूवमेंट इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं।

(व्यवधान)

———

12.30 म०प०

पोलीभीत, उ० प्र० में हुई हत्याओं की घटना के बारे में

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत ही भारी मन से और दुःखी मन से एक गम्भीर सवाल इस सदन के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। आज समाचार-पत्रों में भी है। आज से तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 30 निर्दोष व्यक्तियों की नृशंस हत्या उग्रवादी तत्वों ने, आतंकवादी तत्वों ने कर दी। इस कायरतापूर्ण कृत्य की मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। लेकिन उसके साथ ही श्रीमान्, यह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अकर्मण्यता और दिशा हीनता तथा कानून और व्यवस्था पर जो उनकी ढीली पकड़ है उसका ज्वलंत नमूना है।

आज से एक साल पहले 31 जुलाई को हम और हमारे मित्र श्री सत्यपाल सिंह यादव वहां गए थे और पीलीभीत के ठीक उसी स्थान पर जहां निगाहीघाट पूरनपुर थाने के अन्तर्गत यह घटना हुई है एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी जब कुछ आतंकवादियों ने कुछ लोगों की हत्या की थी। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक निर्णय दिया है और उनके परिवार वालों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो का दावा था कि जो आतंकवादी तौरतरीका है और उसके अनुसार छह महीने बाद या साल भर के बाद किसी घटना की पुनरावृत्ति होती है तो जिस व्यापक पैमाने पर सतर्कता पुलिस विभाग की होनी चाहिए वह नहीं रही। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस नाकाम और नाकारा साबित हुए। मैं इल्जाम लगाना चाहता हूं कि इन निर्दोष लोगों की हत्या उत्तर प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता के कारण हुई। जब शुक्रवार के दिन जंगल में कुछ बटोरने के लिए निर्दोष लोग गए तो उनमें से पचास लोगों का अपहरण कर लिया गया। उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह छिपकर आया। उनकी तलाश मे दो सौ के झुंड में लोग निकले तो दो नदियों के बीच मे तीन लोगों की लाश दिखायी पड़ी और उसके अवशेष मिले। मैं तीव्र निंदा और भर्त्सना करते हुए कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री इस बारे में सदन में वक्तव्य दें और जिस अपेक्षित मात्रा में उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए उनको रक्षा बल की आवश्यकता है उसी मात्रा में भारत सरकार अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है और जिस तरह के अत्यधिक आधुनिक हथियार उग्रवादियों के हाथ में है उस तरह के हथियार की मांग प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से करती है और ऐसा वक्तव्य आता है कि केन्द्र सरकार नहीं देती है और गृह मंत्री कहते हैं कि जितनी उनकी मांग आती है, उसकी पूर्ति करते हैं। लेकिन प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के परस्पर विरोधी वक्तव्यों के बीच में आज उत्तर प्रदेश की निर्दोष जनता पिसी जा रही है। इस अविलंबनीय लोक महत्व प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं गृह मंत्री महोदय से वक्तव्य चाहता हूं और उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर जहां प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है, उग्रवादी तत्वों का दखल है तो उसके बारे में केन्द्र सरकार

क्या कार्यवाही करने जा रही है। आतंकवाद का जो दायरा बढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके निवारण के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है। इस बारे में केन्द्रीय गृह मंत्री इस सदन में वक्तव्य दें, ऐसी मैं मांग करता हूं।·· (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं 31 जुलाई को श्री मोहन सिंह जी के साथ पीलीभीत गया था और मैं कल भी पार्लियामेंट नहीं आ पाया। इस घटना को देखने के लिए पूरनपुर गये थे। सबसे खतरनाक चिंताजनक बात यह है कि पूरनपुर, पीलीभीत जिले के अन्तर्गत मिला हुआ हमारा जिला है। वहां इतनी दहशत छायी हुई है कि दिन में सड़कों पर भीड़ समाप्त हो गई है। यह घटना शुक्रवार को हुई। ··(व्यवधान)·· शुक्रवार से तीन दिन पहले वहां पर दस्तकारा लोग कहरवा फल बटोरकर ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। जब वे वहां बटोरने के लिए गए थे तो तीन दिन पहले उग्रवादियों ने मार-पीटकर उनको भगा दिया कि हम किसी को जंगल में घुसने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी पुलिस हरकत में नहीं आयी और यह सरकार भी हरकत में नहीं आई। तीन दिन पहले हरकत में आ गए होते तो आतंकवादी पकड़े गए होते। पिछली बार जब मैं और श्री मोहन सिंह जी वहां गुरुद्वारे में गए थे तो वहां पर सिखों ने इस बात को कहा कि हमारे ग्यारह निर्दोष लोगों को एक ही जगह एक ही समय पर मारा था और इसकी सजा नहीं दी गई तो पीलीभीत जिले में गंभीर घटना होगी।·· (व्यवधान)

मान्यवर, इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और न ही केन्द्रीय सरकार ने कोई कदम उठाया। पीलीभीत में ऐसी घटना होने पर न पी० ए० सी०, न पुलिस और न सी० आर० पी० एफ० कोई व्यवस्था कर पायी है। मेरा इस बारे में इलजाम है कि जुलाई के पहले सप्ताह के अन्दर तहसील हैडक्वार्टर पर एक लड़के को मार दिया गया। मान्यवर, ऐसी अनेकों घटनाएं हो रही हैं। यू० पी० की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और न केन्द्रीय सरकार ही कुछ कर पा रही है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि होम मिनिस्टर वक्तव्य दें और कोई ठोस कदम उठायें।

डा० परशुराम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, पीलीभीत में जो आतंकवाद की घटना हुई है वह हृदय-विदारक है लेकिन इसके लिए केन्द्र की सरकार दोषी है क्योंकि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मांग की थी कि उनको नए और आधुनिकतम वाहन, हथियार दिए जाए ताकि आतंकवाद का मुकाबला कर सकें लेकिन अभी तक केन्द्रीय सरकार की तरफ से उनको ये हथियार नहीं दिए गए हैं। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की गंभीरता को समझे और उ० प्र० सरकार के लिए अत्यन्त ही आधुनिकतम हथियार की सप्लाई शीघ्र ही करे···(व्यवधान)···साथ ही उन दीन दुखी परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर उनको सहन शक्ति दे।

अध्यक्ष महोदय अगर आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, पीलीभीत में जो यह घटना हुई है, मैंने उस संबंध में आज ही सुबह यू० पी० के चीफ मिनिस्टर से फोन से बात की है। वे स्वयं आज सुबह ही 9 बजे पीलीभीत के लिए लखनऊ से रवाना होकर इस काण्ड को देखने के लिए गए हैं।

अध्यक्ष जी, हमारे अपोज़ीशन के नेता माननीय आडवाणी जी ने इस समस्या की गम्भीरता

[श्री मदन लाल खुराना]

को देखते हुए इस सदन के तीन बी० जे० पी० के संसद सदस्यों का एक डेलीगेशन पीलीभीत भेजने का तय किया है और वे कल जायेंगे। पीलीभीत के अन्दर आतंकवादियों की इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की सारे सदन को निन्दा करनी चाहिए, वह यहां नहीं हो सका है…(व्यवधान)…जिस समय आतंकवाद हुआ था तो सारा सदन उसके लिए सोच रहा था लेकिन आज वहां गरीब लोग मारे गए हैं तो आतंकवाद की इस कार्रवाई की कोई निन्दा करने को कोई तैयार नहीं है…(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर यहां बैठे हुए हैं। मेरा निवेदन है कि तराई क्षेत्र में जो आतंकवाद बढ़ रहा है और दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसको स्टेट की समस्या न मानकर इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेना चाहिए। इस संबंध में जो संबंधित राज्य हैं, उनके मुख्य मंत्रियों को बुलाकर कोई समन्वित नीति तय करनी चाहिए। होम मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वे इस बात को कन्फर्म करें कि यू० पी० सरकार की ओर से सी० आर० पी० एफ० की 80 कम्पनियों की मांग हो रही है लेकिन उसे 41 कम्पनियां ही अभी तक दी गई हैं? पंजाब के लिए 612 कम्पनियां, दिल्ली के लिए 106 कम्पनियां, असम के लिए 64 कम्पनियां हैं लेकिन यू० पी० के लिए केवल 41 कम्पनियां ही दी गई हैं और साथ ही पी० ए० सी० की यू० पी० को 20 कम्पनियां दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि यू० पी० की सरकार इनसे अपील कर रही है कि आतंकवादियों के पास आधुनिकतम हथियार हैं और केन्द्र सरकार हमको हथियार क्रेडिट पर नहीं बल्कि कैश पर दे, हम लेने के लिए तैयार हैं और आप उनको आधुनिक हथियार भी नहीं दिलवा रहे हैं। ये वहां की सरकार का कहना है।

अध्यक्ष जी, तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि नेपाल की सीमा के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है और उसमें 770 किलोमीटर की जो सीमा है, वह मिली हुई है। आतंकवादी हमला करके उस तरफ भाग जाते हैं। हम आपसे बार-बार अपील करते रहे हैं कि उस सारी सीमा को सील किया जाए किन्तु आपने अब तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की?

अध्यक्ष महोदय : आप खत्म कीजिए। आपकी बात बहुत लम्बी जा रही है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 36 करोड़ रुपया पिछले साल लगाया और इस साल 20 करोड़ रुपया रखा है। केन्द्र की सरकार इस बारे में क्या नीति अख्तियार कर रही है? मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने सीमित संसाधनों से अधिकतम उपयोग करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इसके बारे में केन्द्र सरकार क्या करना चाहती है, उसकी क्या योजना है, यह होम मिनिस्टर साहब इस सदन को बताएं।…(व्यवधान)…

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप वास्तव में इन विषयों पर विचार करना चाहते हैं और यदि आप इन विषयों पर केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहते हैं तो यह अत्यधिक कठिन हो जाता है। कृपया सन्तुलित और सही दृष्टिकोण अपनाएं जो हम सबको—राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार और हरेक व्यक्ति को—वास्तव में इस समस्या का समाधान करने में सहायक हो। केवल एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालने की कोशिश न करें।

…(व्यवधान)…

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, पहले आप हमें बोलने का अवसर दें।···

(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : मैंने केवल उन्हीं सदस्यों को अनुमति दी है जिनके पास कुछ जानकारी हो सकती है। जिन सदस्यों के पास कोई जानकारी नहीं है उनका इसमें भाग लेने का कोई प्रश्न नहीं है मैं बोलने का इच्छुक नहीं हूं। मैं इस बात पर सरकार की प्रक्रिया जानना चाहता हूं कि इस मामले पर क्या किया जा सकता है। अन्य सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहते हैं। कृपयामुद्दों को किनारे रखकर एक ही मुद्दे पर न अड़े रहो।

···(व्यवधान)···

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको जानकारी नहीं है।

···(व्यवधान)···

श्री लोकनाथ चौधरी : अभी-अभी आपने जो विचार व्यक्त किया है मैं उसका विरोध करता हूं।··· (व्यवधान)···

महोदय, 29 लोग मारे गए हैं। तीन दिन बाद पता चला कि उन्हें मारा गया था। इस क्षेत्र में काफी समय से उग्रवादी कार्यरत हैं। राज्य सरकार को उपाय करने चाहिए थे। क्या यह अपनी जिम्मेदारी को केन्द्र सरकार पर डालने का मामला नहीं है? ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर इस तरह चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : इसके दो पहलू हैं। राज्य सरकार कह रही है कि केन्द्र सरकार स्थिति से सही ढंग से नहीं निपटी है। लेकिन मन्त्री जी के बोलने से पहले, "उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट करना होगा कि पर्याप्त उपचारात्मक उपाय क्यों नहीं किए गए थे जबकि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में पहले कई बार हो चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी डालने से और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार पर जिम्मेदारी डाल देने से इस भयावह कार्य को रोका नहीं जा सकता। मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की सुरक्षा करे और केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी यह है कि वह राज्य सरकार को हथियार उपलब्ध कराकर उसकी सहायता करे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इन सब बातों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

श्री लोकनाथ चौधरी : हम जानना चाहते हैं किन परिस्थितियों में यह घटना हुई और इतनी घटनाएं होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए थे?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, मैं आपके इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि इस प्रकार के विषय या इस प्रकार की दुर्घटनाएं जब भी होती हैं, उनको सदन में उठाते हुए, राजनैतिक दृष्टिकोण से न देखा जाए तो अच्छा होगा क्योंकि उग्रवाद धीरे-धीरे अपने पैर फैला रहा है। वह केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब तक ही सीमित न रहकर, देश के अन्य भागों में भी जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हमको मानना होगा कि यह साधारण अपराध से अलग एक श्रेणी,

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

है। उस अलग श्रेणी को कोई एक सरकार या कोई एक ऑथोरिटी सफलता से डील कर सके, हरेक की अपनी कठिनाइयां हैं। जैसे हमने देश के अलग अलग भागों में देखा कि एक बहुत बड़े सेना के अधिकारी महाराष्ट्र में उग्रवाद के शिकार हुए, देश के पूर्व प्रधान मन्त्री तमिलनाडु के एक क्षेत्र में इसी उग्रवाद के शिकार हुए, इसीलिए जब आरम्भ में एक वक्तव्य आया था, हमारे माननीय सदस्य ने जिस तरह दोनों पहलुओं को सामने रखा – एक तरफ तो उन्होंने इस दुर्घटना पर चिन्ता जाहिर की और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस विषय में जो अपनी कठिनाइयां बतायी जा रही हैं, उनका उल्लेख किया, मुझे लगा कि उसका एक संतुलित प्रभाव हुआ है। लेकिन फिर बाद में, जो बातें कही गयीं, उसकी स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया यहां से भी होनी थी। इस सदन में हम उत्तर प्रदेश की सरकार की चर्चा करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड नहीं हैं, उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। हां, इस सदन में हम केन्द्र की सरकार से जरूर पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपसे इस विषय में क्या कुछ कहा है और आपका उसके प्रति क्या प्रत्युत्तर रहा या आपने क्या प्रत्युत्तर दिया।

जैसे श्री खुराना जी ने दो-तीन या चार मोटी बातें कहीं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमको लगातार पिछले 6 महीनों में जो बातें बतायीं क्योंकि पीलीभीत का वह क्षेत्र या पूरा तराई का क्षेत्र, जहां उग्रवाद खासकर के पंजाब में जब दबाव बढ़ा है तो स्पिल-ओवर करके आया है। वहां पर उनका कहना है कि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं हैं, ऑटोमैटिक वैपन्स हमारे पास नहीं हैं या जितना बल होना चाहिए, वह बल नहीं है, कम्पनियां कम हैं। इसलिए लगातार वे केन्द्र की सरकार से इस विषय में सहायता मांगते रहे हैं।

दूसरी ओर नेपाल का बोर्डर है, नेपाल के बोर्डर के संबंध में हमें नेपाल की सरकार से बात करनी पड़ेगी। जब नेपाल के प्रधान मन्त्री यहां आये थे, उनसे मैंने स्वयं निवेदन किया था। मैं समझता हूं कि इन विषयों के बारे में अगर गृह मन्त्री जी सदन को जानकारी दें, पूरा वक्तव्य दें तो अच्छा है लेकिन धीरे धीरे करके उग्रवाद जिस प्रकार से अपने पांव फैला रहा है, प्रसार कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी ओर से बहुत अच्छे ढंग से, दक्षता के साथ, उसका मुकाबला कर रही है लेकिन उनको जितनी सहायता चाहिए, जितना सहयोग चाहिए, वह मिलना भी उतना ही अपेक्षित है। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मन्त्री जी पूरी जानकारी इस विषय में सदन को देंगे।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : जो वहां पर घटना घटी है, उसके बारे में तो मैं उनसे जानकारी लेकर यहां पर कोई स्टेटमेंट, आज शाम तक हो सकता है उसकी इन्फार्मेशन आए, अगर आज हो तो कोशिश की जायेगी वर्ना कल तो डैफिनिटली हम उस घटना के बारे में यहां बयान दे सकेंगे। लेकिन यहां पर जो बातें कही जा रही हैं, वे बहुत विस्तृत किस्म की हैं। अगर वे सारी बातें जमा करनी हैं, कहां कहां पर आतंकवाद है, उससे होने वाले परिणाम, वहां की स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ये दोनों एक दूसरे की कैसे मदद करने की कोशिश करें, इसके बारे में अगर चर्चा करनी होगी तो मैं समझता हूं उसके लिए समय लगेगा, जल्दी उसके बारे में, सदन के सामने कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता।

एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि इस बारे में किसी को भी मन में यह शंका नहीं रखनी चाहिए कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों में, एक दूसरे के बारे में, इस आतंकवाद के लिए कोई अलग किस्म की भावना है, इसे मैं आपके दिल से निकाल देना चाहता हूं। जितनी मदद

स्टेट गवर्नमेंट की हम कर सकते हैं, हमने बराबर करने की कोशिश की है। बल्कि मैं खुद वहां गया था। पीलीभीत में जो इंसीडेंट हुआ, उसकी कुछ चीजें ऐसी मेरे सुनने में आयीं, जिन्हें मैंने देखना जरूरी समझा, तो मैं वहां गया। मैंने वहां के हालात को देखा और पूरे हालात देखने के बाद, उनको जितने ऑटोमैटिक वैपन्स हम दे सकते थे, अब उनकी मांग तो बहुत ज्यादा हो सकती है, हर जगह से सोफिस्टिकेटिड वैपन्स की मांग की जाती है तो सबको किस हद तक हम दे सकते हैं, उनको हमने देने की कोशिश की है। ये कम्पनियां मांगी जाती हैं, यहां तक उसकी नौबत आ पहुंची है कि हमारे पास कोई कम्पनी अब न रेस्ट के लिए है न ट्रेनिंग के लिए है। जितनी कम्पनियां थीं, अलग-अलग स्टेट्स में हमने भेज दी हैं। लेकिन जिस स्टेट में हमारी कम्पनियां जाती हैं...

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि यदि यू० पी० को अगर आप सेंट्रल फोर्स नहीं दे सकते हैं, तो कृपया हमारी जो पी० ए० सी० यहां लगी है, उसको ही वापस कर दीजिए। उसे तो हमें आप वापस कर सकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : यू० पी० की हद तक भी, जो मांग थी, उसमें भी करीब-करीब 40 45 कम्पनियां वहां भेजी हैं। उनकी अपनी कम्पनियां भी थी यह विषय इस किस्म का है कि इसके बारे में पूरी जानकारी अभी दे सकना मेरे लिए सम्भव नहीं है। जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, इसके बारे में जानकारी लेकर कल मैं स्टेटमेंट दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि लोग यहां चर्चा करें और बाद में मैं उसके ऊपर रिएक्ट करूं, इसके बजाय मैं पहले ही कर देना चाहता हूं कि यहां चर्चा में जो मस्जिद की बात आई और यह मस्जिद का मामला उठाया गया है, उसके बारे में भी मैं जानकारी लेकर, स्टेटमेंट दे दूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एक तो घटना के बारे में जो पीलीभीत में अभी 3 दिन पहले घटी है, उसकी जानकारी देंगे, लेकिन क्योंकि उग्रवाद इस क्षेत्र में फैला है और उग्रवाद की घटनाएं विगत साल भर में होती रही हैं और हमको यह जानकारी मिलती रही है कि उत्तर प्रदेश की जो अपेक्षा रही है और केन्द्र कितना कुछ दे रही है, अगर इसके बारे में जानकारी दे देंगे, तो हम बहस करने की स्थिति में होंगे।

———

[हिन्दी]

श्री राज नारायण (बासगांव) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एक आई० ए० एस० के सुपुत्र श्री सुधीर प्रसाद नामक एक अभ्यर्थी ने वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र लेकर परीक्षा पास कर ली।

12.57 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुधीर प्रसाद नामक एक अभ्यर्थी ने वर्ष 1987, 1988 एवं 1989 में आई०ए०एस० की परीक्षा एक सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थी के रूप में दी थी। इन परीक्षाओं में वे सफल नहीं हो सके। तत्पश्चात् श्री सुधीर प्रसाद ने वर्ष 1990 की आई० ए० एस० की परीक्षा में अनुसूचित जाति का अभ्यार्थी बनकर परीक्षा दी। श्री सुधीर प्रसाद ने जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ से

[श्री राज नारायण]

अनुसूचित जाति का एक फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। संघ लोक सेवा आयोग को कई माध्यमों से यह सूचना दी गई कि श्री सुधीर प्रसाद ने वर्ष 1990 की आई० ए० एस० की परीक्षा में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त करके प्रस्तुत किया है। श्री सुधीर प्रसाद ने वर्ष 1987, 1988, 1989 एवं वर्ष 1990 की आई० ए० एस० की परीक्षा, प्रार्थना पत्रों में अपने जन्म स्थान अलग-अलग जनपद जैसे गोरखपुर, रायबरेली, अलीगढ़ एवं अगरतला अंकित किए हैं। श्री सुधीर प्रसाद के द्वारा उक्त परीक्षाओं में प्रार्थना पत्र आज भी संघ लोक सेवा आयोग में उपलब्ध हैं। यह इस बात को इंगित करता है कि सुधीर प्रसाद आरम्भ से ही अपने प्रार्थना पत्रों में अपने अलग-अलग जन्म स्थान भरकर संघ लोक सेवा आयोग को धोखा देते रहे हैं। श्री सुधीर प्रसाद के द्वारा वर्ष 1990 की आई० ए० एस० की परीक्षा में अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र दिया गया है उसके बारे में जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ में भारत सरकार के कार्मिक विभाग को एवं संघ लोक सेवा आयोग को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि श्री सुधीर प्रसाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र पूर्णतया गलत है। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर और जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ दोनों ने ही भारत सरकार के कार्मिक विभाग और संघ लोक सेवा आयोग को लिखित सूचना दी है कि श्री सुधीर प्रसाद ने वर्ष 1990 में आई० ए० एस० की परीक्षा में अनुसूचित जाति का गलत प्रमाण पत्र देकर गैर-कानूनी लाभ लेने का प्रयास किया है। अतः उनकी आई० ए० एस०, की परीक्षा निरस्त कर दी जाए और उनके विरुद्ध धोखाधड़ी के अपराध में कानूनी कार्रवाई की जाए। इन रिपोर्टों के आधार पर तथ्यों को सत्यापित करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा श्री सुधीर प्रसाद को यह नोटिस दिया गया कि उनकी वर्ष 1990 का आई० ए० एस० की परीक्षा क्यों न निरस्त कर दी जाए। इस पर श्री सुधीर प्रसाद ने केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण (कैट इलाहाबाद) में वाद दायर करके यह आदेश करवा लिया है कि संघ लोक सेवा आयोग श्री सुधीर प्रसाद के मामले को एक महीने में निस्तारित कर दे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री सुधीर प्रसाद के प्रकरण को निस्तारित करना अभी शेष है। यदि संघ लोक सेवा आयोग 5 अगस्त, 1992 तक श्री सुधीर प्रसाद के प्रकरण की जैसा कि केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण इलाहाबाद ने निर्देश दिया है, नहीं किया जाता है तब श्री सुधीर प्रसाद को केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण इलाहाबाद के आदेशानुसार नियमों के विपरीत आई० ए० एस० की ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा। जिसमें अनुसूचित जातियों में असन्तोष व्याप्त होगा।

अतः इस तात्कालिक लोक महत्व के प्रश्न पर भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। श्री सुधीर प्रसाद ने एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में वर्ष 1987, 1988 एवं 1989 में आई० ए० एस० अपने तीनों चांस प्राप्त कर लिए थे, इनमें वे अनुत्तीर्ण रहे। अब तक उन्होंने अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र देकर 1990 की आई० ए० एस० की परीक्षा पास कर ली है। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि श्री सुधीर प्रसाद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी नहीं हैं। अतः शासन के द्वारा श्री सुधीर प्रसाद के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई वांछित है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बारे में यहां वक्तव्य दे और उनके कैंडीडेचर को समाप्त कर, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में एक नोटिस दिया है कि बछावत वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए और बजाए इसके कि 10 साल के बाद इसके लिए वेतन बोर्ड बैठे, इसके अलावा स्थायी तौर पर परमानेंट वेज डिटरमीनेशन मशीनरी की

स्थापना के लिए जो वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट हैं, वे हड़ताल पर हैं। यहां संसद में भी रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत कम आए हैं। यहां भी बहुत कम आए हैं। जब हम लोग सरकार में थे, हमने लेबर मिनिस्टर की हैसियत से कहा कि बचावत वेतन बोर्ड की सिफारिश को लागू किया जाएगा। हमने पहली बार जो अटारनी जनरल था, उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजकर तमाम हिदायत दी थी कि इसको लागू किया जाए। आज जो जर्नलिस्ट हड़ताल पर हैं उनकी डिमांड है कि इसके लिये एक परमानेंट वेज का स्ट्रक्चर बनाया जाए।

हम सरकार से जानना चाहते हैं, श्री गुलाम नबी आजाद को हमने कहा था, यह तमाम जर्नलिस्टस का सवाल है, यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यह राजनीति का सवाल नहीं है, अधिकांश जो अखबार के मालिक हैं, वे बचावत वेतन बोर्ड की अनुशंसा को लागू नहीं कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि परमानेंट वेज स्ट्रक्चर को कायम किया जाए जो मंहगाई के साथ-साथ ऑटोमैटिक बढ़ता जाये।

हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या सरकार कुछ करने का विचार रखती है या नहीं।

————

1.02 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

" राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 30 जुलाई, 1992 को अपनी बैठक में पारित बागान श्रमिक संशोधन विधेयक, 1992 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।" राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक

————

बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित

1.2½ म० प०

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथा पारित बागान श्रमिक (संशोधन) विधेयक, 1992 को सभा पटल पर रखता हूं।

————

[हिन्दी]

1.03 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

[अनुवाद]

1.04 म० प०

समिति के लिए निर्वाचन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3(4)(ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अध्यधीन 11 मई, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 3 (4) (ञ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अध्यधीन 11 मई, 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

1.4½ म० प०

अनुपूरक व्यय (सामान्य), 1992-92

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : मैं वर्ष 1992-93 के अनुपूरक व्यय (सामान्य) को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2423/92]

———

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे। श्री सुभाष चन्द्र नायक।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करने से पहले, आप मुझे एक निवेदन करने की अनुमति दें। बंगाल पोटरीज के कर्मचारी, जो सभी ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज प्रतिभूति घोटाले पर चर्चा को पूरा करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हम 377 के अधीन मामलों को पहले ही चर्चा के लिए ले चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बंगाल पोटरीज के श्रमिकों की दुर्दशा पर सहानुभूति रखिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कल बोलने का अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

जिन्हें आज बोलने का मौका नहीं मिला है, उन्हें कल निश्चय ही बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : पत्रकारों के वेतन में संशोधन के लिए एक स्थायी मशीनरी स्थापित न करने पर सरकार के निर्णय के विरुद्ध समाचार पत्रों के कर्मचारियों के बीच बड़ा असन्तोष व्याप्त है। श्रम मंत्री, श्री संगमा, को 15 दिन पहले एक नोटिस दिया गया था। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस बारे में क्या हुआ है और यह कि समाचार पत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए एक उपयुक्त मशीनरी स्थापित की जायेगी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : पत्रकारों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि एक नियमित वेतन बोर्ड स्थापित किया जायेगा जिससे कि प्रत्येक चार वर्षों पर, पत्रकारों के वेतन संशोधित किये जायें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय हम पहले ही 377 के अधीन मामले आरम्भ कर चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : शून्य काल के लिए आप एक घंटा ले चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सदन की इच्छा है कि शून्यकाल 1½ या 2 घंटे तक चलता रहे? इसके लिए समय सीमा होनी चाहिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को कतिपय मापदण्डों के अन्तर्गत कार्य करना चाहिये। उन सदस्यों को जो अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं, कल अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद, आप सदन को बता सकते हैं कि आप बाद में वक्तव्य देंगे ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं सभी पक्षों के माननीय सदस्यों की भावनाओं की और श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है कद्र करता हूं । लोकतंत्र में, प्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । प्रेस को स्वतन्त्र तथा सतर्क रखने के लिए, श्रमजीवी पत्रकारों की भूमिका बहुत है ।

मेरे विचार से श्रमजीवी पत्रकारों की अधिकतर माँगें उचित हैं । मैं निश्चय रूप से इस मुद्दे पर संबंधित मंत्री से चर्चा करूंगा और हम देखेंगे कि इस बारे में क्या कर सकते हैं ।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप इस बारे में सदन को कब सूचित करेंगे ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने कहा था कि आप मुझे श्री चन्द्रशेखर के बाद बोलने की अनुमति देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी माननीय मंत्री जी ने कहना है, कह चुके हैं । अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी । श्री नायक ।

(व्यवधान)

———

1.12 म॰ प॰

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) देश में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को कारगर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहण्डी)* : महोदय, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि देश में बाल श्रमिकों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । यूनिसैफ के एक अनुमान के अनुसार भारत में 145 लाख बाल श्रमिक हैं । इनमें से 90 प्रतिशत कृषि में व्यस्त हैं और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं । बाल श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों में भी होटलों, रैस्टोराजों तथा लघु कुटीर उद्योगों में कार्य करते देखा जा सकता है । इस तथ्य के बावजूद कि संविधान का अनुच्छेद 38 भारत के प्रत्येक नागरिक को संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षा प्रदान करता है और कानून के द्वारा बाल श्रमिकों पर रोक के बावजूद इन श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । स्वैच्छिक संस्थाएं बाल श्रमिकों को संरक्षण देने में असफल रही हैं । अब देश के बाहर श्रमिकों के रूप में बच्चों की तस्करी के कारण देश में गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है । अद्यतन अनुमान के अनुसार लगभग छः लाख बाल श्रमिक उड़ीसा में भिन्न-भिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं । इन श्रमिकों का पता लगाकर उन्हें उनके नियोक्ताओं के पंजे से छुड़ाकर उपयुक्त रोजगार प्रदान करने हेतु उन्हें आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण दिलाने के लिए यदि तत्काल उपाय नहीं किए गए तो यही बच्चे जवान हो जाने पर देश के लिए समस्या पैदा करेंगे ।

*मूलतः उड़ीसा में उठाये गए मामले के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

अतः मैं बाल श्रमिक व्यवस्था पर पूरी तौर पर प्रतिबन्ध लगाने और अविलम्ब ऐसे श्रमिकों का पता लगाकर उनका पुनर्वास करने की मांग करता हूं। (व्यवधान)

(दो) सम्बलपुर, उड़ीसा में सभी सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : महोदय, पश्चिमी उड़ीसा के लोगों के लिए सम्बलपुर में इस समय दूरदर्शन का कोई स्टूडियो नहीं है। कटक से सम्बलपुर की दूरी 300 किलोमीटर होने के कारण कटक में विद्यमान स्टूडियो से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भारत सरकार ने सम्बलपुर में एक सहायक स्टूडियो बनाने का प्रस्ताव किया था। उपग्रह प्रसारण सेवा आरम्भ होने के साथ ही इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया और सम्बलपुर में एक इलेक्ट्रानिक फील्ड यूनिट बना दी गई है। लेकिन यह व्यवस्था भी सम्बलपुर में सम्पादन सुविधा न होने के कारण बहुत लाभप्रद नहीं रही है। इसके अलावा इस व्यवस्था से उड़ीसा के पश्चिमी जिलों के कलाकारों को सम्बलपुर में अपना कार्यक्रम रिकार्ड कराने में सहायता नहीं मिली है। उन्हें अपने कार्यक्रमों को रिकार्ड करने के लिए कटक जाना पडता है। कटक दूरदर्शन केन्द्र उड़ीसा के पश्चिमी जिलों की सांस्कृतिक परम्पराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों की पर्याप्त संख्या प्रस्तुत करने में असक्षम है। नियमित समय अंतराल पर वीडियो टेपों को सम्बलपुर एच० पी० टी० में भेजना और वहां से लाना अभी भी जारी है और कटक दूरदर्शन केन्द्र कम समय में कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकने में सक्षम नहीं है। इस असुविधा को दूर करने के लिए सम्बलपुर में स्टूडियो की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। यह सम्भव है कि सहायक स्टूडियो से रिकार्डिंग तथा कार्यक्रमों के प्रस्तुतीकरण का पूरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो।

इसलिए, मैं सम्बलपुर में बिना किसी और विलम्ब के एक पूर्ण दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : महोदय, उत्तर प्रदेश सिंचाई के मामले में काफी पिछड़ा है। इस प्रदेश का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 257 लाख हैक्टेयर है जिसमें सिंचित क्षेत्र क्षमता 103 लाख हैक्टेयर है। शेष 154 लाख हैक्टेयर असिंचित है। इस असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने हेतु प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं केन्द्र सरकार को भेज रखी हैं।

इन योजनाओं को कार्यरूप देने हेतु केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक 5 सितम्बर को हुई थी। इस बैठक में अधिकांश सांसद सदस्यों का मत था कि विश्व बैंक के सहायता से उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना तृतीय चरण को मंजूरी केन्द्र सरकार शीघ्र दिला दे जिसके अधीन प्रदेश के एक हजार नये नलकूप .500 पुराने नलकूपों का आधुनिकीकरण 1500 पुराने नलकूपों का स्वतन्त्र विद्युत फीडो से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना पर लगभग 200 करोड़ की लागत आएगी परन्तु इससे लगभग 2 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचित क्षमता बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नलकूपों से शीघ्र किसानों को पानी मिलने लगेगा और देश में अधिक उपज बढ़ेगी तथा किसानों की आर्थिक दशा सुधरेगी।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विश्व बैंक की सहायता से राजकीय नलकूप परियोजना तृतीय चरण की मंजूरी दिलाई जाए।

(चार) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्यरत सभी श्रेणियों के वैज्ञानिकों के लिए एक समान वेतनमान और सेवा शर्तें लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में 4500 वैज्ञानिक कार्यरत हैं जिनमें 500 मेटेनरी वैज्ञानिक हैं। दोनों प्रकार के वैज्ञानिकों की नियुक्ति एक ही बोर्ड द्वारा एक ही प्रकार की शर्त पर की जाती है। इधर हाल के दिनों से जब डायरेक्टर जनरल का पद रिक्त था इसी बीच वित्त विभाग से बिना सलाह लिए मेटेनरी वैज्ञानिकों को अन्य वैज्ञानिकों की तुलना में प्रतिमाह 600 से 800 रुपया अधिक दिया जाने लगा है। इस बात को लेकर शेष वैज्ञानिकों में भयंकर असंतोष पैदा हो गया है और इस कारण पिछले दो तीन वर्षों में करीब तीन सौ वैज्ञानिक त्याग पत्र देकर अन्यत्र चले गए हैं। वित्त विभाग ने इस वेतन बढ़ोत्तरी पर असन्तोष प्रकट किया है।

अतः केन्द्र सरकार से मांग है कि वह दोनों प्रकार के वैज्ञानिकों के बीच जो असमानता पैदा कर दी गई है उसे दूर करे। दोनों प्रकार के वैज्ञानिकों को मिलने वाली प्रोन्नति की शर्त को भी एक समान करे।

[अनुवाद]

(पांच) तमिलनाडु के पेरियार जिले में उतुकुली मुख्य मार्ग पर ऊपरि पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिलनाडु के जिला पेरियार के उतुकली कस्बे को सर्वाधिक पिछड़े और अल्पविकसित क्षेत्रों में से एक घोषित किया गया है जो गोबिचेट्टिपालयम निर्वाचन क्षेत्र में स्थित है। इसलिए यहां बड़े पैमाने पर लघु उद्योगों की स्थापना की जा रही है। इस नगर के साथ तीन मुख्य व्यापार केन्द्र अर्थात् इरोड, तिरुपर तथा पोल्लाची स्थित हैं। इरोड से तिरुपर तथा पोल्लाची जाने के लिए वाहनों को केवल उतुकली से ही गुजरना पड़ता है। उतुकली से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर दो रेलवे फाटक हैं जिनमें से एक गोबिचेट्टिपालयम सड़क पर है और दूसरा धारापुरम सडक पर है। रेलगाड़ियों के गुजरने के समय इन रेल फाटकों के दोनों ओर 40-50 मिनट तक यातायात पूरी तरह रुक जाता है। चेनीमलाई सड़क पर एक नीचे का पुल है, लेकिन उसमे बड़े वाहन नहीं गुजर सकते। जब फाटक खुलता है, तो अपने खोये हुए समय को पूरा करने के लिए वाहन तेजी से जाने की कोशिश करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए बड़े वाहनों के यातायात की सुविधा के लिए उतुकली की मुख्य सड़क पर तीन मुख्य सड़कों को जोड़ने वाला ऊपरी पु। बनाए जाने की मांग इस क्षेत्र के लोग करते रहे इसलिए मैं, माननीय रेल मंत्री और जल-भूतल परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही करें।

(छः) विद्युत की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता को पर्याप्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : महोदय, एक समय की भारत की राजधानी तथा देश के व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा संस्कृति का केन्द्र कलकत्ता, आजकल औद्योगिक रुग्णता तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी इत्यादि के कारण बुरी अवस्था से गुजर रहा है। कोयले की कमी के कारण इस समय कलकत्ता में बार-बार और लम्बे समय तक बिजली की कटौती की जा रही है जिससे कलकत्ता और उसके उपनगरीय क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। घरेलू क्षेत्र तथा औद्योगिक एकक क्षेत्र दोनों से ही बिजली की कटौती की जाती है। कम से कम शहर के घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं की तो शाम के समय बिजली में कटौती न की जाती। इस समय जो कोयला सप्लाई किया जा रहा है, वह भी न

केवल घटिया किस्म का होता है बल्कि भीगा हुआ भी होता है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में विद्युत उत्पादन की एक एजेंसी दामोदर घाटी निगम ने भी बिजली की आपूर्ति को सीमित कर दिया है।

महोदय, पर्याप्त मात्रा में कोयला न मिलने की वजह से पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम भी कोलाघाट स्थित बिजली उत्पादन करने वाली चारों इकाइयों को पूरी क्षमता से नहीं चला पा रहा है। पश्चिम बंगाल काफी हद तक ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के रानीगंज कोयला खानों पर निर्भर है किन्तु रानीगंज में भूमिगत खानें आवश्यक मात्रा में कोयले का उत्पादन कर पाने में असक्षम हैं।

महोदय, इन परिस्थितियों में मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कलकत्ता को तत्काल पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई की जाए और बिजली की अनिश्चित सप्लाई की स्थिति को ठीक करके कलकत्तावासियों और विशेषकर बार-बार बिजली की कटौती से प्रभावित लघु उद्योगों को बचाया जाए।

(सात) कोहिनूर मिल्स, मुम्बई के कर्मकारों को बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे : सरकार ने 9 वर्ष पूर्व 15 कपड़ा मिलों अर्थात् उत्तर प्रदेश की दो तथा बम्बई की 13 कपड़ा मिलों का अधिग्रहण किया था, लेकिन उनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। राष्ट्रीयकरण न होने के कारण लगभग 50 प्रतिशत श्रमिकों को जो अर्थात् लगभग 20,000 श्रमिकों को न तो काम पर वापस लिया गया और न ही राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उन्हें उपदान तथा छुट्टी के वेतन आदि का भुगतान ही किया। इनमें से कुछ श्रमिक कोहिनूर मिल बम्बई के हैं जिन्होंने अपनी मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियन के माध्यम से 1654 ऐसे श्रमिकों को काम पर वापस लिए जाने के लिए मुकदमा दायर किया था। श्रम न्यायालय तथा बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय श्रमिकों के पक्ष में था जिसमें यह कहा गया था कि उन्हें उनका पिछला वेतन देकर काम पर वापस लिया जाए। लेकिन राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी है और मामला तीन वर्ष से लम्बित है। अतः सरकार को इस मामले पर फिर से विचार करके श्रमिकों को काम पर वापस लेना चाहिए। यहां तक कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम तथा राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के बीच स्थानीय स्तर पर हुआ समझौता भी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है। कपड़ा मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस मामले पर अविलम्ब कार्यवाही करे।

(आठ) देश में बाढ़ की बिभीषिका को रोकने के लिए विभिन्न नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आजादी के बाद देश में कुछ बड़ी-बड़ी योजनाएं भी बनी हैं, पर बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ विशेष काम नहीं हुआ। विज्ञान और टैक्नालाजी के युग में भी प्रतिवर्ष नदियों में बाढ़ के कारण अरबों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट होती है। हजारों लोग, पशु आदि डूबकर मरते हैं, लाखों लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। पेड़ों की अंधाधुन्ध कटाई और प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्परिणाम यह है कि उपजाऊ मिट्टी से नदियों के तल पट गए हैं। कटाव भी बढ़ता जा रहा है। दिनों-दिन यह समस्या और गहरी होगी। यदि समय रहते ध्यान देकर विशेष कदम न उठाए गए तो देश हाथ मलता रह

[श्री रामेश्वर पाटीदार]

जाएगा। जन-धन की हानि रोकना असम्भव हो जाएगा। आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार में बाढ़ के दुष्परिणाम सामने हैं। ब्रह्मपुत्र आदि नदियों पर बांधों की श्रृंखला के साथ-साथ पूर्व सिंचाई मंत्री डा० के० एल० राव की योजनानुसार देश की समस्त नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर राष्ट्रीय श्रृंखला तैयार की जाए, जिससे एक नदी की बाढ़ का पानी दूसरी नदियों में भेजा जा सके और सिंचाई का लाभ भी सब प्रदेशों को समान रूप से मिल सके। भारत की खुशहाली, संस्कृति और विकास नदियों के तटों पर ही पनपा है। इसमें राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को तो बल मिलेगा ही देश को तबाही से उबार कर विकास गंगा बहाई जा सकती है।

[अनुवाद]

(नौ) नागपुर महाराष्ट्र स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के आवर्ती व्यय में महाराष्ट्र राज्य सरकार के अंश पर जोर न दिए जाने की आवश्यकता

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन नागपुर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को स्थानांतरित करने या बन्द करने का प्रस्ताव है। इस संस्थान को महाराष्ट्र में ही रखने के लिए राज्य सरकार ने संस्थान के अनुरोध के अनुसार पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के अधीन दो एकड़ भूमि की पेशकश की है। लेकिन इस संस्थान ने अपने आवर्ती व्यय में से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने की मांग की है। राज्य सरकार 1989 से भारत सरकार के साथ इस मामले पर बात कर रही है और उससे अनुरोध किया है कि वह इस मांग पर जोर न दे क्योंकि इस संस्थान का अनुसंधान कार्य देश के सभी संबंधित लोगों के लिए लाभकारी रहेगा।

इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाए और संस्थान के आवर्ती व्यय में से 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने पर जोर न दे।

———

उपाध्यक्ष महोदय : लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2.25 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

1.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.25 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.25 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जाते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण आदि

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2408/92]

(3) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2409/92]

(5) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2410/92]

[श्री गुलाम नबी आजाद]

(7) (एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2411/92]

(9) (एक) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2412/92)

(11) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2413/92]

(13) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपयुक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2414/92]

(15) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2415/92]

(17) (एक) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2416/92]

(19) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2417/92]

पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1992 जो 5 मई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 475 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2418/92]

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कुमारी शैलजा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2419/92]

(3) (एक) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2420/92]

(5) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 2421/92]

(7) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2422/92]

———

2.30 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकारी प्रतिभूतियों में घोटाला

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, हम जितने कम समय में अपनी बातों को रख सकते हैं, रखेंगे। हालांकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सरकारी पक्ष भी चाहता है कि हम कुछ लम्बी बात को यहां पर रखें ताकि जे. पी. सी. बन रही है, तो हमारी जो अपनी भूमिका है, उसको हम पहले रख दें, तो फिर सरकारी पक्ष उसका सामना करने की तैयारी भी कर सके, लेकिन हम बोल रहे हैं वह कम है, यह कर के हम मानते हैं। चूंकि यह घोटाला और इसमें जुड़े हुए कांड इतने हैं कि हम कहां से शुरू करें, हमारे लिए यह समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल शाम को जब हमने अपने भाषण को समाप्त किया, तब रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी के बारे में हम कह रहे थे क्योंकि कांग्रेस पक्ष की तरफ से जब बातें यहां पर रखी गई तब यह कहा गया कि रिजर्व बैंक को कौनसा वह अधिकार था जिसको लेकर वह इस प्रतिभूति घोटाले को शुरू से रोकने का काम करता? मैंने उपाध्यक्ष जी यह बताया कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस मामले को 1991 के मार्च महीने में उठाया था। अभी परिस्थिति कोई इतनी गम्भीर नहीं हो चुकी थी, जिस प्रकार से आज हम देख रहे है और उन्होंने जो मार्च में एक इशारा कर दिया कि कितनी गम्भीर स्थिति है और उसके बाद जो दो, तीन, चार उनकी तरफ से पत्र और दस्तावेज बाहर निकले, वहीं तक अपने काम को सीमित न रखते हुए रेग्युलेशन बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत, अगर उपाध्यक्ष जी, उन्होंने कारंवाई की होती, तो यह स्थिति जो सामने है, जिस दौर में हमारे सामने खड़ी है, वह नहीं होती। जिस मात्रा में आज यह हमारे सामने खडी है, इस मात्रा में नहीं होती।

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि फायनेंस कमीशन के मेम्बर, इस माननीय सदन के सभासद, कल, देवी प्रसाद जी पाल, यहां पर बोले, तो उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक सुपरवाइज कर सकता है, लेकिन उनको कौनसा अधिकार था कि वे इन बैंकों के ऊपर काबू पाएं? मुझे आश्चर्य दो बातों को लेकर हुआ—अगर उनकी बात सही है, तो फिर हर बैंक, पब्लिक सैक्टर में हो, तो यह साम्राज्य है। इनको कोई पूछने वाला है ही नहीं, वे कहीं जाएं, किसी को भी लूटें, वे कुछ भी करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, रेगुलेट करने वाला कोई है ही नहीं। वित्त मंत्रालय कोई मतलब नहीं रखता हैं। किसको कहां रखा जाए, किस को कहां पोस्ट किया जाए, इससे ज्यादा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर तमाम बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने कोई ताकत है ही नहीं, इसको लेकर, मुझे आश्चर्य हुआ और दूसरा आश्चर्य इसलिए हुआ कि कानून को न जानते हुए भी यहां कानून के ऊपर बोलना, यह भी शोभा नहीं देता है।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

यह है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अन्तर्गत सैक्शन 27 कहता है—

"प्रत्येक बैंककारी कंपनी रिजर्व बैंक को विहित प्ररूप में और विहित रीति से प्रत्येक मास के लिए एक विवरणी, उस मास के जिससे वह संबंधित है, उत्तरवर्ती मास के अन्त से पूर्व प्रस्तुत करेगी जिसमें संबंधित मास के अन्तिम शुक्रवार को कारबार बन्द होने के समय अथवा यदि वह शुक्रवार पर क्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन अवकाश दिन है तो पूर्व गामी कार्य दिवस को कारबार के बन्द होने के समय (भारत में) इसकी आस्तियां और दायित्व दर्शित होंगे।"

[अनुवाद]

मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा।

प्रत्येक बैंक को अपने आस्तियां और दायित्व तथा इनके विहित प्ररूप के सम्बन्ध में एक मासिक विवरणी दर्शित करने होंगे।

[हिन्दी]

यानी अब जिस तरह से आपने पैसे पाए, क्या आपने जमा किया, आपने किसको क्या दिया, इस सबका स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। आप अब कह सकते हैं कि स्टेटमेंट आए, उनको हमने फाइल किया। तो मैं कहता हूं कि रिजर्व बैंक फाइल करने के लिए नहीं है। रिजर्व बैंक जांच करने के लिए है, निगरानी करने के लिए है।

जहां कोई गलत चीज होती है उनको दुरुस्त कराने के लिए हैं और वह अधिकार रिजर्व बैंक को है। आप सैक्शन 27(2) को देखिए।

[अनुवाद]

"रिजर्व बैंक किसी बैंककारी कंपनी को किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि वह इतने समय के अन्दर जितना रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएं, इस बैंककारी कंपनी के कारबार या कार्यकलाप इत्यादि के बारे ऐसे विवरण और जानकारी दे।"

[हिन्दी]

यानि 27(1) के अन्तर्गत आपके सामने जो दस्तावेज भेजते हैं, जो बैलेंस शीट, एकाउंटस या जो भी भेजते हैं तो उसमें यदि कोई भी गलती है तो फिर आप डायरेक्टिव दे सकते हैं कि इसकी सफाई हमें दे दें। रिजर्व बैंक ने इन सारे बैंकों के बारे में क्या किया। कराड बैंक आपमें पास रिपोर्ट भेजता था या नहीं ? अभी सिंडीकेट बैंक का नाम ही यहां पर नहीं आ रहा है लेकिन इस घोटाले में सिंडीकेट बैंक का कितना हाथ है, उनके रिकार्डस आपके पास नहीं आए कि नहीं ? केनरा उसके बारे में आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ? इसीलिए जो यहां पर बात कही गई उस बात बैंक के आए कि नहीं ? कौन से बैंक के पास नहीं आए और जो आए हैं में किसी प्रकार का दम नहीं है। उसी—

[अनुवाद]

...भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, धारा 35 :

निरीक्षण : (कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का) की धारा 235) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी भी समय करा सकेगा..."

[हिन्दी]

यहां आपके वित्त मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है उसको आपके वित्त मंत्रालय ने नहीं निभाया। आपने इस चीज की परवाह नहीं की।

[अनुवाद]

"आपने एक या अधिक अधिकारियों से किसी बैंककारी कंपनी का तथा उसकी बहियों और लेखाओं का निरीक्षण करा सकेगा।"

[हिन्दी]

क्या इस अधिकार का आपने इस्तेमाल किया? आप किसके पीछे लगे ? फिर आपके पावर्स :

[अनुवाद]

"रिजर्व बैंक को निर्देश देने की शक्ति" जो कि बहुत महत्वपूर्ण है,

में, "यदि रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि लोकहित में बैंककारी नीति के हित किसी बैंककारी कम्पनियों के कार्यकलापों का उसके निक्षेपकर्ताओं के हितों के लिए हानिकर रीति के अथवा बैंककारी कंपनी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से चलाया जाना रोकने के लिए साधारणत: किसी बैंककारी कंपनी को समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि साधारणत: बैंककारी कंपनियों को या विशिष्टत: किसी बैंककारी कंपनी को निदेश दिए जाएं तो वह समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझता है और यथास्थिति बैंककारी कंपनियां या बैंककारी कंपनी ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी।"

[हिन्दी]

आपने क्या किया ? आप कहते हैं कि हमें बड़ी चिन्ता हो रही है, आप प्रार्थना करते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी।

[अनुवाद]

ये अगर ऐसा कर सकें तो हमें खुशी होगी। बैंक, चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक के अनुरोध पर ऐसा करना तो रिजर्व बैंक का दायित्व है।

[हिन्दी]

उनका कहना कि कुछ तो ठीक रखें, हमें खुशी होगी, जो अनाप-शनाप चल रहा है, यदि आप उसे बन्द करें। आप यह बात उनके सामने क्यों करते हैं। हम इस बात को इसलिए यहां पर रख रहे हैं कि उन लोगों के जो अधिकार हैं, जिन अधिकारों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, उसको यह सदन ठीक ढंग से समझ लें। रिजर्व बैंक के हाथ में यहां तक अधिकार है कि अगर बैंक ने सही काम नहीं किया तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं। उसके अस्तित्व को खत्म करने की, उसको लिकवीडेशन में ले जाने की, निजी हाथों से सरकारी हाथों में लेने की, इतने अधिकार आपके हाथ में हैं और यहां खड़े होकर सरकारी पक्ष की ओर से कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। रिजर्व बैंक को क्या अधिकार हैं। इसलिए हम इस बात को बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

अब बैंक की बात को लीजिए। मैं यह किताब इसलिए नहीं लाया हूं। उसके लिए मैं केवल बैंकिंग रैगुलेशन एक्ट लाकर आपकी जिम्मेदारियों को आपको बता सकता था। मैं यह किताब इसलिए लाया हूं, इस किताब का नाम है "इंडस्स बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इण्डिया" अभी एक मित्र हमसे बोले कि यह शायद प्री हर्षद ऐडीशन होगा। यह प्री हर्षद ऐडीशन नहीं है यह हर्षद के बाद का ऐडीशन है।

[अनुवाद]

यह तो अप्रैल, 1992 में प्रकाशित अठारहवें संस्करण का दूसरा पुनर्मुद्रण है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस किताब में 1640 पेज हैं। इसमें हिन्दुस्तान के सारे बैंक से संबंधित हर कानून है और उन कानूनों के ऊपर 1000-1200 पेज की कमैंट्री है। टंडन की पहचान कम से कम वित्त मंत्री को कराने की जरूरत नहीं है। उनका बैंकिंग के मामले में अनुभव बहुत रहा है। यह सबसे बड़ी किताब बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस है। इसके 1640 पेज हैं जिसमें लगभग 15 लाख शब्द हैं। हम वित्त मंत्री से जानना चाहते हैं कि 15 लाख शब्दों में मुझे दो शब्द दिखा दे जो दुनिया में प्रचलित हो गए हम लोगों के बैंकिंग के व्यवहार को लेकर "बैंकर्स रिसीट"।

[अनुवाद]

इन दो शब्दों "बैंकर्स रिसीट" का पूरी बैंकिंग प्रणाली में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसे शब्द कोष, कानून, टिप्पणी या और कोई दूसरा नाम भले ही दे दिया जाए। इन दो शब्दों का हमारे बैंकिंग प्रणाली में कही भी जिक्र नहीं है।

[हिन्दी]

यह केवल हिन्दुस्तान में है। कल आपकी पार्टी के मुरली देवड़ा ने यह बात कही। बैंकर्स रिसिट पर कल बहुत चर्चा हुई। अनेक सदस्यों ने नेशनल हाउसिंग बैंक पर चर्चा की। यह नेशनल हाउसिंग बैंक की बैंकर्स रिसिट हैं। इसमें नम्बर नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। चूंकि उन लोगों ने पहले तय किया था।

[अनुवाद]

इसे हस्तांतरित कर दिया गया यद्यपि इसमें यह लिखा है कि यह हस्तांतरणीय नहीं है। जबकि इस दस्तावेज को सबसे ज्यादा हस्तांतरित की जाती है। इसमें लिखा है :

> "यह इस दिनांक से अहस्तांतरणीय है। अमुक व्यक्ति से इतने रुपए की रकम प्राप्त की गई। इतने रुपए की इतनी लागत मूल्य है और इतने प्रतिशत ब्याज की रकम हुई और इतने कर और अधिभार की कटौती हुई और इस व्यक्ति से इस तिथि को उस व्यक्ति को उस तिथि में यह दिया गया। बांड की सापेक्ष मूल्य इतना है जिसका भुगतान एक्सचेंज के रिसीट के निर्गत हो जाने के तत्काल बाद कर दिया जाएगा; इसमें कहीं पूर्ण विराम नहीं है—इसे अमूक-अमूक व्यक्ति के बैंक खाते में डाल दिया जाएगा।"

[हिन्दी]

इसमें 20 पैसे का स्टैम्प है। 400 करोड़ रुपए का इस कागज पर है। यह हिन्दुस्तान की बैंकिंग व्यवस्था है। हम लोग सरकार चला रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट है। पिछले साल इस सदन में जब खड़े होकर वित्त मंत्री को चुनौती देकर कहा था कि ये बैंक ऐसे लोगों के हाथों में गए हैं जो हर रोज इसको लूट रहे हैं। आपका कोई चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, हर चीज में अपवाद हैं। इस बात को मैं भी जानता हूं और वे भी जानते हैं जो साल में 200 करोड़ रुपए बैंकों से नहीं निकालता है। ऐसे में आप गुस्से में खड़े हो गए थे।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदार रहे हैं। ये बैंकों का उत्साह घटा रहे हैं।

[हिन्दी]

हम इसलिए याद करा देना चाहते हैं वित्त मंत्री जी को कि हम पहली बार यह बात नहीं उठा रहे हैं। हम सरकार में हैं या नहीं हैं, इस वक्त यह उठाने वाली बात नहीं है। हिन्दुस्तान में हर संस्था का ऑडिट होता है। आपका सी. ए. जी. डिफेंस एकाउन्ट्स को ऑडिट करता है, हर चीज का ऑडिट करता हैं, कोई भी मामला, कोई भी शिकायत उसके पास भेज सकते हो लेकिन एक बैंक है जिसका कोई ऑडिट नहीं। पी. ए. सी. उस पर नहीं पूछ सकती है, एस्टिमेट कमेटी उस पर नहीं पूछ सकती हैं, यह पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स है, इसको कोई नहीं पूछ सकता है। ये सब कुछ छोड़ दीजिए। मिलिट्री के एकाउन्ट्स के काम को सी. ए. जी. देखता है, रिपोर्ट करता हैं। बोफोर्स पर भी श्री चतुर्वेदी का, जो कि कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, उनका रिपोर्ट आया था। सारे देश की सुरक्षा पर विचार हो सकता है, रिपोर्ट दी जा सकती है लेकिन बैंक पर नहीं दी जा सकती है। ऐसा क्यों, यह हम जानना चाहेंगे ?...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर : यह तो बी. जे. पी. के** थे ...(व्यवधान)...

श्री मोहन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उधर के एक विद्वान सदस्य ने उठ कर आडिटर जनरल को एक पार्टी का * कहा है। यह किस के * हैं यह मुझे नहीं मालूम, क्या यह कारंवाई का हिस्सा हो सकता है...(व्यवधान)...

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं पहले की बात कर रहा था ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं * शब्द को रिकार्ड से हटा देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : महोदय, कृपया इनसे इस शब्द को वापस लेने के लिए कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उस शब्द को पहले ही रिकार्ड से हटा दिया है।

(व्यवधान)

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : जब वे बैठ कर बोल रहे थे, तब रिकार्ड दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो कहा सब दर्ज हो गया। दस-जनपथ का चपरासी दर्ज हो गया। ·· **(व्यवधान)** ··

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरा कहना यह है, यह जो स्थिति बिगड़ी है, इसकी कोई कट-ऑफ-डेट है कि फलानी सरकार आ गई तब से शुरू हुआ या यह पहले नहीं था। मैं यह बात सब के दिमाग से हटा देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

कि बैंक का अपना ही कानून होता है।

[हिन्दी]

इन्होंने चाहे जिस ढंग से अपने व्यवहार को चलाया। एक चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली आ गया और फाइव-स्टार होटल में बगैर स्वीट्स के उनकी बात नहीं चलेगी, उद्योगपतियों की एटेंडेंस के उनका काम नहीं चलेगा। किस तरह से उन्होंने बैंकों को लूटने का काम किया, उस पर तो हम सबूत के साथ आगे अपनी बात रखेंगे। लेकिन जब स्कैम-स्कैम बोलते हैं, तो हम सब को ऐसा लगता है कि हर्षद मेहता आ गया। वहां से सब गड़बड़ हो गया है। हर्षद मेहता के लिए जमीन बनाए रखने का काम हिन्दुस्तान की बैंकिंग व्यवस्था ने बनाए रखा था और जब तक उसके ऊपर हल्ला नहीं होगा, ये चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर या फाइनेंस मिनिस्ट्री के सारे मैन्डेरिन्स और रिजर्व बैंक, उनको आप जब तक नहीं पकड़ोगे, तो हर्षद मेहता को पकड़कर क्या करोगे। उसका तो नाम भी दलाल है और काम भी दलाली का है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको तो कोई भी बाजार में जाकर दलाली करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और इन तीनों ने मिलकर इस्तेमाल किया। आज उसको पकड़कर जेल में रखते हो और लोग बोलते हैं कि ठीक हुआ कि हर्षद मेहता को जेल में रखा। उसको जेल में रखने से क्या होगा, जो असली लोग हैं, जिन्होंने यह सब बदतमीजी की है, उन लोगों के बारे क्या हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हू, नेशनल हाउसिंग बैंक होल्ली-ओन्ड रिजर्व बैंक के द्वारा और हन्ड्रेड परसेंट इक्विटी है रिजर्व बैंक की और जब रिजर्व बैंक के गवर्नर से पहली बार सवाल पूछा गया, तो वे बोलते हैं कि उसमें हमारा एक ही डायरेक्टर था। इसका मतलब कल अगर कहीं बोगस नोट छप जाए, तो वहां हमारा कोई डायरेक्टर नहीं था, इस लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं पूछता हूं, आपके दफ्तर में क्या होता रहा, नेशनल हाउसिंग बैंक आपका ही बैंक है—ओन्ड-बाई-यू। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 6 मई को दो महीने तक विचार-विमर्श करके, सारे बैंकर्स बैठा कर बैंकर्स रिसीट के परफोर्मा की इल्लिगल चीज में भी थोड़ी-सी लिगेलिटी लाने की कोशिश की। क्या लिगेलिटी है—

[अनुवाद]

इस पर क्रम संख्या लिखा होना चाहिए। जब तक यह संख्या नहीं लिखी जाती है। जो भी प्रतिभूतियां हस्तांतरण किया जा रहा हो— उसके नाम, ब्याज-दर, सापेक्ष मूल्य, विक्रय दर एवं प्रतिशत तथा भुगतान करने की तिथि —

[हिन्दी]

इन सब चीजों का परफोर्मा तैयार करके सारे बैंकों को बांटा और रिजर्व बैंक के पास गया और बैंक आफिसरों ने भी इसके बारे में जिक्र किया अपने 26 जुलाई के पत्र में। फेरवानी तो आप

लोगों का बड़ा भगवान है, क्यों रहा उसका भी भंडाफोड़ हो जाएगा। उसको हटा दिया गया और किस कांड लेकर हटा दिया गया, वह भी मालूम है—बैंक आफ बड़ोदा, फिस्कल सर्विस, और उसके साथ जुड़ी सारी बात, रिलायंस ये सारी चीजें थी। उधर ये मामला बनाने के लिए महाराष्ट्र में श्री शरद पवार ने उनको एकमोडेट किया। महाराष्ट्र की एक कम्पनी का चेयरमैन बना दिया और फिर जैसे ही बात बन गई, सरकार फिर आ गई तो फेरवानी पहुंच गया। वह भी आपकी बाई-प्रोक्सी सरकार थी, उसके जरिए यह कर दिया। फेरवानी चाहे जिस तरह से नेशनल हाउसिंग बैंक को इस्तेमाल करता और कहां तक इस्तेमाल किया, यही बात देखने की है। (व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, नेशनल हाउसिंग बैंक ने 1271 करोड़ रुपया सीधे हर्षद मेहता के एकाउंट में पहुंचाने का इन्तजाम किया—1271 करोड़ रु० इन रसीदों के द्वारा और इन डायरेक्ट ट्रांसफर्स के द्वारा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस के लोग खड़े होकर कहते हैं कि नाम दे दो, वरना यह बहस किस लिए और कहते हैं कि सरकार का बचाव हम करेंगे। मगर इस देश का 1271 करोड़ रु०, गरीबों के लिए मकान बनाने के वास्ते बनाया हुआ, रिजर्व बैंक के मुनाफे से उसमें पैसा आता था, 1271 करोड़ रुपया जो नहीं था वह भी पैसा बैंक रसीद के जरिए, बोगस पैसा उस आदमी ने पैदा किया और उस पैसे को हर्षद मेहता जैसे बदमाश को, जो औरों की दलाली करके बदमाश बना था तो उसको उठाने के लिए आपने उस पैसे का इन्तजाम किया और उसके बाद भी कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी, दुःख, शर्म कोई चीज हम नहीं देख पा रहे हैं। लोग यह समझ रहे हैं कि एक और बहस हो रही है, कोई केन्द्र और कोई राज्य का विवाद है या दोनों दलों के विवाद हैं, पक्ष या विपक्ष के विवाद हैं और उसमें एक और बहस हो रही है। जिस प्रकार से हम लोग यहां बहस में फंसे रहते हैं तो इसलिए उपाध्यक्ष जी बैंकों का, इस मामले में जो बैंकर्स रसीट को लेकर जो एक स्थिति बनाने का काम हुआ, हम आज सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि जे. पी. सी. अपने काम को करे लेकिन यह बैंकर्स रसीद का जो बोगस पैसा बनाने का तरीका है, आप लोगों का इस काम को खत्म करिए। आज आदेश जाए, अगर अभी तक आपने नहीं भेजा तो बैंकर्स रसीट नाम की चीज व्यवहार में नहीं रही, यह खत्म किया जाए, वरना यह सब चीज अगर हम लोग बनाए रखेंगे तो पांच साल बाद ये कांड फिर आ जाएंगे और ये चलते रहेंगे। इसलिए हम आपसे सबसे पहले ये बैंकों की जो स्थिति है, ये जो मामला है हम चाहेंगे कि इस पर कुछ स्पष्ट बात आ जाए। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : जार्ज साहब, ये लोग नहीं कहेंगे। (व्यवधान) इसलिए मैं एक मिनट में इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने विदेशी बैंकों में भी आफ रिकार्ड का हिसाब चल रहा है यह रिपोर्ट दी थी। मैं आग्रह करता हूं ···(व्यवधान)··· आप सेना में भी रह चुके हैं उस पर कुछ जानकारी दे सकेंगे तो मदद मिलेगी, आगे के लिए भी और अभी के लिए भी।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : महोदय, जिन बैंकों ने यह सारी धांधली वाला काम किया है मैं उस पर बारीकी में नहीं जाता हूं क्योंकि दोनों जानकी रमण कमेटी की दो रिपोर्ट सदन के सामने है और मैं यह विश्वास करता हूं कि वैसे तो सब लोगों ने पढ़ा है···(व्यवधान) लेकिन विदेशी बैंकों को लेकर हमारी एक आपत्ति है कि आप विदेशी बैंकों के साथ क्यों इतना प्यार का रिश्ता बनाए हो, आज भी। विदेशी बैंकों ने जितनी बदमाशी की इसकी कल्पना की जा सकती है। आपके ये सारे जो ट्रांजेक्शन हो गए, बैंकर्स रसीट का इस्तैमाल, सिक्योरिटीस ट्रांसफर के 70 प्रतिशत तो विदेशी बैंक की तरफ से हुए, 40 प्रतिशत तो चार ब्रोकर्स के जरिए हुए, चार ब्रोकर्स का 40 प्रतिशत और

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

विदेशी बैंकों का 70 प्रतिशत, सिक्योरिटी स्केल 9 लाख करोड़ रु० के ट्रानजेक्शंस कुल हुए, तो 9 लाख करोड़ रु० के और उससे अधिक कुल ट्रानजेक्शंस में से 70 प्रतिशत जिन 4 बैंकों के जरिए हो गए तो वे बैंक बड़ी मस्ती में हैं। मैं आपको याद दिलाऊं बी. सी. सी. आई. अब यह हिन्दुस्तान में हर रोज कोई न कोई मामला उठता है इसलिए कल वाला मामला दब जाता है।

अमरीका में बी. सी. सी. आई. के मामले को लेकर अमेरिका के भूतपूर्व रक्षा मंत्री क्लर्क क्लिफर्ड पर परसों अदालत में मुकदमा शुरू हो गया है। वह अमरीका की राजनीति में पिछले 40 सालों में बहुत तगड़ा आदमी रहा है और वह जेल जाएगा, अमरीका में उसको जेल भेजेंगे। अमरीका में निक्सन के कानून मंत्री को 7 साल के लिए जेल भेजा गया था, क्योंकि उसने एक झूठ बोला था, लेकिन यहां जितने चोरी करने वाले, लूटने वाले लोग हैं, वही हम लोगों को नियम के आधार पर बातें बताने बैठ जाएंगे। तो उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी बैंकों के बारे में यह आपत्ति है, आपके व्यवहार से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने जो यह सारी धांधली की, उसमें उन्होंने पैसे का क्या किया, वह तो अपनी जगह पर है, उसके बारे में जानकी रमन कमेटी ने सब बातें बताई हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है, कि किस तरह से हितेन दलाल के घर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के गुण्डों ने विलायत से लाए हुए और हिन्दुस्तान में रिक्रूट किए हुए मसल मेन,

[अनुवाद]

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक निजी तौर पर दलाल के घर पर छापा मारकर प्रतिभूतियों को अपने कब्जे में ले लिया।

[हिन्दी]

एक विदेशी बैंक हिन्दुस्तान में इस प्रकार का काम करेगा, प्राइवेट रेड कराएगा, सी. बी. आई. या पुलिस को साथ लेकर नहीं —

[अनुवाद]

> "उन्होंने दलाल के घर पर छापा मारकर प्रतिभूतियों को जब्त कर लिया जिससे कि अपने घाटे की रकम को बदल कर पूरा कर सके।"

[हिन्दी]

यह काम उन लोगों ने किया और आप कुछ भी नहीं बोलेंगे इसके बारे में।

सिटी कार्पोरेशन जो अमरीका का बैंक है, जिस बैंक ने हिन्दुस्तान में जितनी धांधली करनी थी, उसके बाद जब यह काण्ड सामने आ गया तो उस काण्ड से संबंधित जितने रिकार्ड्स थे, सब को फिर से लिखने का काम किया। ओरिजनल रेकार्ड्स को थ्रू सेटलाइट अमरीका भिजवाने का काम किया, जो ओरीजनल रिकार्ड था, वह थ्रू सेटलाइट अमरीका के अपने दफ्तर में भिजवाने का काम किया और बम्बई के ओबेराय टावर्स में 1-2 नहीं, 9 कमरों में कंप्यूटर्स लगाकर पूरे अकाउंट्स को डाक्टर करने का काम किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई उनको पकड़ने की बात नहीं हुई।

तो विदेशी बैंक हिन्दुस्तान में मस्ती में रहेंगे और बी०सी०सी०आई० जो हिन्दुस्तान में बंद हो, यह निर्णय आपका नहीं था, बी०सी०सी०आई० को बंद कराने का निर्णय इंगलिस्तान ने लिया था, ब्रिटेन ने लिया था, बैंक आफ इंग्लैंड ने कहा कि इस बैंक का सारा हिसाब-किताब अपने आप हाथ में लो, इसके सारे व्यवहार को बंद करो और बी०सी०सी०आई० को एक अंतर्राष्ट्रीय स्कैम को लेकर

अगर बैंक आफ इंग्लैंड आदेश देता है कि समूची दुनिया में इस बैंक के अकाउंट्स पर कब्जा करो और यहां हमारे देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को खत्म करने का जो प्रयास चला, इसमें कितना नुकसान हो रहा है देश को, मैं भविष्य की बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज हिन्दुस्तान में जो विदेशी पूंजी आनी चाहिए, आज हमारी फाइनांशियल मार्केट जिस तरह से बनी रहनी चाहिए, आज लोगों का विश्वास इस देश की अर्थव्यवस्था पर जिस तरह से बना रहना चाहिए, उसको कितना धक्का पहुंचा है और इस धक्का पहुंचने के सबसे बड़े कारणीभूत विदेशी बैंक हैं, लेकिन उनको आप हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपके बहुत से अफसरान, जिनके बेटे, जिनकी बेटियां, जिनकी बहुएं, जिनके दामाद, सब वहां बैठे हैं, इसलिए आप हाथ नहीं लगाओगे, हाथ लगाना तो अलग बात है, कल वी० पी० सिंह जी ने कहा, इस बात को छेड़ा कि नई सिक्यूरिटी आने के पहले विदेशी बैंक अपने पास जो पुरानी सिक्यूरिटीज रखते थे, उसको ऑफ लोड करते थे। कौन उनको जानकारी देता था? वित्त मंत्री जी बताएं कि नई सिक्योरिटी इश्यू करने के वक्त हिन्दुस्तान में कितने लोगों को उसकी जानकारी होती है? वित्त मंत्री जी को होती है, रिजर्व बैंक के गवर्नर को होती है, वित्त सचिव को होती है और किस को होती है? कहां से यह जानकारी आयी, कैसे यह जानकारी आयी? जे पी०सी० क्या जांच करेगी इसकी? आप नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई यह सोचकर बैठा हो कि हम लोग सारे सबूत जला रहे हैं, हम लोग नहीं पकड़े जाएंगे, कुछ मामलों में नहीं पकड़े जाओगे, क्योंकि सबूत जला चुके हो, हम जानते हैं, लेकिन यह न समझिए कि बिल्कुल नहीं पकड़े जाओगे। हम सबको कहेंगे कि समय रहते अगर निकल जाओगे तो ठीक रहेगा।

यहां पर जब काण्ड की बात सबसे पहले शुरू हुई तब एक मांग थी कि अपने सारे अफसरों को बोलो कि पिछले 6 महीनों में, आज मैं कहूंगा कि पिछले 10 महीनों में कितनी कम्पनियों के कितने शेयर आपने, आपके रिश्तेदारों ने खरीदे। प्रधान मंत्री से लेकर वित्त मंत्रालय से हो कर अन्य जो लोग इनके इर्द-गिर्द में चलते-फिरने वाले लोग हैं, कितने लोगों ने शेयर खरीदे और स्टाफ मार्किट से आपने या आपके परिवार के लोगों ने या आपके नजदीक के लोगों ने कितनी आमदनी बनाने का काम किया? वित्त मंत्री ने स्वयं सिर हिलाकर कहा कि यह बिल्कुल दुरुस्त है। जब उन्होंने सिर हिला कर कबूल किया तो मैंने अपने भाषण को समाप्त करते हुए कहा कि यह बात आपने मानी है, मेरी अन्तिम मांग है कि अपने मंत्रालय के सारे मंत्रियों को बोलो कि वे भी इसी प्रकार लिखित रूप में दें। अखबारों में आ गया कि प्रधान मंत्री ने अब चिट्ठी भेजी है, ये-ये प्रश्न पूछे हैं। लेकिन बात आयी है कि हैं ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अफसरों ने कहा कि हम नहीं देंगे। फिर हिम्मत भी हो गयी अफसरों ने लिखकर दिया, सबसे यह स्टेटमेंट आ गयी, इसको वेरीफिकेशन हो गयी। क्योंकि जब पूछा जाता है कि कहां ये सब चीजें शुरू हो गयी हैं तो इसकी जड़ को, आपके वित्त मंत्रालय से आपको पकड़ना होगा,

3.00 म० प०

सरकार के उन स्थानों पर आपको पकड़ना होगा जहां कानून की कोई परवाह नहीं है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इसकी कोई कट-आफ डेट बनाना सम्भव नहीं है। इस वक्त बेंगलूर में विजया बैंक के ऊपर सी०बी०आई० का एक मुकदमा दर्ज है, जो जून, 1990 में दर्ज हो गया। यह मुकदमा दर्ज है एक कम्पनी को लेकर। पहले मैं कानून बनाऊंगा।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[अनुवाद]

"भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 468, 471 के साथ पठित धारा 120(ख) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ पठित धारा 5(2) के अन्तर्गत अपराध तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 468, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) के साथ पठित धारा 5(2) के अन्तर्गत विशिष्ट अपराध।

अभियुक्तों के नाम इस प्रकार थे :—

(एक) श्री के० विश्वनाथ, भूतपूर्व मुख्य प्रबंधक, विजया बैंक, बैंक स्ट्रीट शाखा, हैदराबाद।

(दो) विजया बैंक मुख्य कार्यालय, बंगलौर के कर्मचारी जिनके नाम का पता नहीं चला है,

(तीन) मैसर्स एशियन वाइर रोपस लिमिटेड, 26 इन्डस्ट्रियल एरिया, पटानचेरू, हैदराबाद जिनके प्रतिनिधि श्री जानकीराम थे।

की गयी कार्यवाही :

मुकदमा दायर करके जांच शुरू हुई। विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि श्री के० विश्वनाथ 1986-87 के दौरान विजया बैंक की हैदराबाद स्थित एक शाखा में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए विजया बैंक के मुख्य कार्यालय के कतिपय अज्ञात कर्मचारियों तथा मैसर्स एशियन वाइर रोपस लिमिटेड हैदराबाद के भूतपूर्व चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक, श्री एम० जानकीराम के साथ मिलकर बैंक को विभिन्न तरीकों से ठगने के आपराधिक षड़यंत्र में शामिल हुए।...(व्यवधान)

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपट्नम) : वह अब एक मंत्री है।...(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वह एक मंत्री है? अच्छा तो यह भी एक योग्यता है।...(व्यवधान)...श्री एम० जानकीराम आज सरकार में एक मंत्री है। यह तो कहानी का सिर्फ एक भाग है...(व्यवधान)...श्री एम० जानकीराम का मंत्री होना कहानी का मात्र एक भाग है।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : क्या आप किसी को बचा रहे हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, उनको भी नहीं जो उसमें शामिल हैं। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इसके बारे में जानें। मैं आज फिर नाम नहीं लूंगा। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह व्यक्ति स्वयं ही समझ जायेगा।...(व्यवधान)... मुझे नहीं पता कि उनमें आत्म-दाह करने की शक्ति है या नहीं...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कैसे यह काम हो गया। एशियन वायर रोप्स बैंकरप्सी में गई हुई कम्पनी, और आन्ध्रा बैंक और बैंक आफ हैदराबाद के साथ उसका क्या व्यवहार था। उन दो बैंकों ने हम आपको बता देंगे...(व्यवधान) क्या हुआ। विजय बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सदानंद सेठी पिक्चर में आए जिनको हमारी सरकार ने हटा दिया और आपने लाने की बहुत कोशिश की। हम

बधाई देंगे सी०बी०आई० के अफसरों को जिन्होंने आपकी सारी हरकतों के बावजूद उन्हें आने नहीं दिया और वित्त मंत्री तथा प्रभाव मंत्री को बधाई देंगे कि जो अन्दर से दबाव था, उसको कबूल नहीं किया।...(व्यवधान) क्या होता है।

[अनुवाद]

विजया बैंक की बोर्ड की बैठक हैदराबाद में होती है। बैंक की बोर्ड की मीटिंग हैदराबाद में होती है।

[हिन्दी]

फाइव स्टार होटल में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सदानंद सेठी और एक डायरेक्टर को छोड़कर सभी लोग विरोध करते है। श्री सदानंद सेठी और गवर्नमेंट डायरेक्टर सी०डब्ल्यू० मीरचंदानी को छोड़कर बाकी सभी लोग विरोध करते हैं। यहां तक कि रिजर्व बैंक के रिप्रजेन्टेटिव डायरेक्टर, जो उन्होंने बकायदा अपना वोट उसके विरुद्ध देने का काम किया। फिर क्या होता है। चेयरमैन अपना जादू चलाते हैं और पास करते हैं। इन दो लोगों के समर्थन और बाकी सभी लोगों के विरोध के बावजूद पास कराते हैं, फिर क्या होता है। उस होटल में केन्द्र के उस वक्त के एक मंत्री बगल के कमरे में बैठे हैं और सारा बोर्ड उस कमरे में जाता है। पूरा बोर्ड वहां जाकर फिर वापिस आता है और फिर मीटिंग हो जाती है और फिर पास हो जाता है। जून 1990 में 23 करोड़ रुपया विजय बैंक का डूब गया और एशियन वायर्स एंड रोप्स के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वे आन्ध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री बनकर बैठे हैं, वे एम० जानकीराम हैं। सदानंद सेठी हट गये लेकिन उन्होंने जो फैसले ले लिए और दो सौदे हुए, कल किसी ने कहा कि आप जांच करने का धंधा शुरू करें। उसकी जांच करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहा। लेकिन वह जांच होनी चाहिए। लेकिन सदानंद सेठी को एयर इन्डिया के बोर्ड पर रखने का काम जरूर हो गया है। फिलहाल, सी०बी०आई० के केस से कैसे बच जाएं...(व्यवधान) एयर इन्डिया के डायरैक्टर बनेंगे...(व्यवधान) कौन मंत्री हो सकता है...(व्यवधान) स्कैम-स्कैम करके जो किसी कट आफ डेट की खोज में लगे हैं तो वह ठीक नहीं होगा। हमने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन के कांड को उठाया था...(व्यवधान) सिंडीकेट बैंक के मामले बी०सी०सी०आई० के उस वक्त वह बात चली कि सिंडीकेट बैंक ने जो सौ करोड़ रुपया दिया है और फेयरग्रोथ के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर०एस०पाई...(व्यवधान) वित्त मंत्री वहां पर नहीं हैं, बैंकिंग मंत्री यहां पर बैठे हैं, उनसे पूछ लिया जाए कि फेयर ग्रोथ में उसके परिवार के कितने मेंबर्स थे। कितना सौ करोड़ रुपया उन्होंने अपने एकाउंट में लिखा है इन्वेस्टमेंट का और फेयरग्रोथ को दिया है "टू प्ले इन शेयर्स"। उनके ऊपर सी०बी०आई० के मुकदमे रहे और जो संबंधित लोग हैं उन्होंने मिलकर उन मुकदमों को हटाने का काम किया। उनमें एक है श्री प्रभु। जो बाद में हर्षद मेहता के नौकर हो गए जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर केनरा बैंक के जबकि दुनिया के सारे बैंकों में इस बैंक का नाम है और ऐसे कांड में इस देश का बैंक है। जिस दिन रिटायर होता है, दूसरे दिन जाता है हर्षद मेहता के घर, एक करोड़ रुपया तनख्वाह, बैंगलोर के आफिस का मैनेजर और एक मर्सडीज कार, इस पर बिक जाता है। क्या देश का बान और क्या पब्लिक सैक्टर की बात हम कर रहे हैं। कौन से पब्लिक सैक्टर की बात हम कर रहे हैं।

रत्नाकर रिटायर हो जाता है। अपना जो भी प्रभाव है और जितने भी मंत्रियों के साथ रिश्ते हैं। उन सारे रिश्तों का प्रयोग आर०एस०पई के ऊपर जो मुकदमे हैं, उनको वापस लाने में

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

करता है। सौदा हो जाता है और फेयरग्रोथ खड़ा हो जाता है और एक बड़े पब्लिक सैक्टर के मैनेजर को अपने साथ लेकर। उसका नाम कृष्णमूर्ति है।

कृष्णमूर्ति, हम भी मानते थे कि बहुत बड़ा पब्लिक सैक्टर का मैनेजर है और हमने भी कहा है, बहुत बड़ा मैनेजर है, सबसे बड़ा मैनेजर है, लेकिन अब मालूम हुआ कि कितना बड़ा मैनेजर था। जिस दिन रिटायर हो गया था उसी दिन 7 कम्पनियां घर के अन्दर से निकलीं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुरई) : इनमें से बहुत सी कंपनियां उसके बच्चों की हैं। और चाहे जो भी संबंध हो लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह सब उस ही दिन पैदा हुए, जिस दिन सेवानिवृत्त हुए। यह एक बिल्कुल झूठा आरोप है। और मैं यह अनुरोध करता हूं कि श्री कृष्णमूर्ति इसका उत्तर देने के लिए यहां नहीं है, अतः यह आरोप कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री के० पी० रेड्डया यादव : अगर एक वयस्क बेटा या बेटी व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हों, और उन्होंने शेयर खरीदे हों या उनमें पूंजी लगायी हो तो क्या उसका तात्पर्य यह है कि उसके मां-बाप ने चाहे वे अधिकारी हों या मन्त्री एम०पी० हों, वे शेयर खरीद लिये हैं? मैं माननीय सदस्य से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मेरे विचार में, अगर मंत्री या किसी ससंद सदस्य या अधिकारी ने स्वयं शेयर खरीदे हैं, या फेयरग्रोथ में पैसा लगाया है या हर्षद मेहता के साथ पैसा लगाया है तो वह उत्तरदायी जरूर होगा, परन्तु अगर उनके बेटों या बेटियों ने कहीं पर पूंजीनिवेश किया है तो वे उसके लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डया, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने तथ्य बता दिए हैं। अगर यह ठीक नहीं है तो जब आपको इसका खण्डन करने का अवसर मिले तो आप उसका खण्डन कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकता।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री फर्नान्डीज ने जो तथ्य कहा है, उसका आपके द्वारा दिया गया विवरण, गलत है। मेरा विशिष्ट अनुरोध है कि इस तथ्य को देखते हुए कि श्रीकृष्णमूर्ति इस आरोप का खण्डन करने के लिए इस समय सदन में नहीं है, या तो श्री फर्नान्डीज को इस दावे को मान्य करना चाहिए कि ये सात कम्पनियां उस दिन बनी थीं जिस दिन श्री कृष्णमूर्ति सेवानिवृत्त हुए, या उनको ऐसा आरोप ही नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप इसे तथ्य ही समझते हों। वह जानते हैं कि यह तथ्य नहीं है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, आपका विनिर्णय चाहता हूं जिसे सरकार से इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि हमारी सरकार ने उसको इस्तीफा देने के लिए कहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, श्री मणि शंकर अय्यर ने एक बहुत ही संगत मुद्दा उठाया है। जब हम एक व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाते हैं, तो अगर वह व्यक्ति सदन में न हो, तो वह उसका खण्डन नहीं कर सकता। जो मुद्दा उठाया गया है, वह बहुत सही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, फिर तो हमें हर्षद मेहता के बारे में भी बात नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मणि शंकर अय्यर ने एक बहुत सही मुद्दा उठाया था क्योंकि वह व्यक्ति विशेष उसका खण्डन करने के लिए सदन में नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हर्षद मेहता भी सदन में नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हर्षद मेहता चर्चा का विषय है। आप हर्षद मेहता की श्रीकृष्णमूर्ति से तुलना नहीं कर सकते। हर्षद मेहता एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर यह सब कुछ मामला बना है इस वजह से हर्षद मेहता का नाम लेना नियमों के विरुद्ध नहीं है। इसलिए, अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : श्री अय्यर ने श्री जार्ज फर्नान्डीज की उस टिप्पणी के बारे में कुछ कहा है कि जब कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है। परन्तु उन्होंने खुद जो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा है जो कि यहां पर नहीं है, उसका औचित्य क्या है ?

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरी तर्कसंगतता यह है कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न में ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं है, जो कि सदन में नहीं है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि एक ऐसा वक्तव्य दिया गया था जो कि वस्तुतः गलत है। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने यह आरोप लगाया था कि जिस दिन श्री कृष्णमूर्ति ने इस्तीफा दिया था उसी दिन सात कम्पनियां बनी थीं। चूंकि यह सच नहीं है, इसलिए मैं केवल उनसे यह वक्तव्य वापस लेने के लिए कह रहा हूं क्योंकि वे कम्पनियां रजिस्टर्ड थीं और हम यह जानते हैं कि वे पहले से स्थापित थीं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने यह नहीं कहा कि कृष्णमूर्ति जिस दिन रिटायर हुए उस दिन कम्पनी ने जन्म लिया। मैंने कहा कि वह कम्पनी उस दिन सामने आई। कम्पनी का एक डायरेक्टर उनकी पत्नी, कम्पनी का एक डायरेक्टर उनका भाई। उस कम्पनी का शेयर एक और कम्पनी में जिसमें उसका एक डायरेक्टर उनका भाई, एक डायरेक्टर उनका बेटा, एक उनकी बहू। उसकी पूंजी एक और कम्पनी में, उसमें फिर इन तीनों की जमात। इस तरह से सात कम्पनियां बनी हुई थीं— ई०डी०एक्स० सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डय्या, आप इतने संवेदनशील क्यों हैं ? आपको इसका खण्डन करने का मौका मिलेगा।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अगर यह सत्य है, तो इसे रिकार्ड में रहने दिया जाए। अगर इसमें कोई सत्य नहीं है, तो माननीय सदस्य इसे प्रमाणित करें या इसका खण्डन करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जिस दिन उनका रिटायरमेंट हो गया, उस दिन मैंने प्रधान मंत्री को दो पेज की चिट्ठी लिखकर, इतना ही नहीं जो मैं अभी कह रहा हूं इससे अधिक मामले उनके पास भेजने का काम किया है। मैं प्रधान मंत्री जी के उत्तर की इंतजारी में हूं। अभी आठ या दस दिन हो चुके हैं।···(व्यवधान)···प्रधान मंत्री मेरी बातों को मानेंगे क्योंकि सारी चीजें सबूत के साथ हैं।···(व्यवधान)

3.18 म० प०

(श्रीराम नाईक पीठासीन हुए)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : हरेक नया सभापति उन्हें एक घण्टे का वक्त देंगे।

सभापति महोदय : श्री देवरा जी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको उठकर कुछ कहने की अनुमति दूंगा, बशर्ते कि वह आपको ऐसा करने का अवसर दें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज : मैं कृष्णमूर्ति पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वे इस्तीफा देकर बैठे हैं और शायद उनका इस्तीफा स्वीकार भी हुआ है। मुझे याद नहीं, इस्तीफे की स्वीकृति का ऐलान तो नहीं हुआ है। उनके जो मामले हैं, उन मामलों की कल्पना नहीं की जा सकती है। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा या सबसे कीमती रैजीडेंशन ऐडरैस आज जो है वह दिल्ली में है—23ए, पृथ्वीराज मार्ग। टाटा ने वहां पर मकान बनाए हैं।

[अनुवाद]

वह चार हजार रुपये प्रति वर्ग गज की दर से चेक भुगतान द्वारा होगा। ई०डी०एक्स० सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पहले निदेशक श्रीमती कृष्णामूर्ति और श्री कृष्णमूर्ति के भाई थे। जब वह योजना आयोग के सदस्य बने, तो निदेशक उनके कर्मचारियों में से एक और एक उनके भाई थे क्योंकि वह सरकार में आ गए थे। जिस दिन से वह सरकार में नहीं रहे, उसी दिन वे ई०डी०एक्स० में वापस आ गए और श्री कृष्णमूर्ति जब वह सरकार में नहीं रहे तो उनको अपनी सेवा का भुगतान अमरीकन डालर, फ्रैंक तथा ब्रिटिश पाउण्ड में प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

इसलिए बहुत विवाद में मत जाइएगा क्योंकि कृष्णामूर्ति का आपसे बहुत गहरा रिश्ता है। मैं यह जानता हूं कि उनसे आपका दोस्ताना रिश्ता था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं एक निजी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा मत डालिए। उन्हें अपनी बात कहने दें।

(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं सितम्बर 1971 से श्री कृष्णमूर्ति का निजी मित्र रहा हूं, उस समय मैं पहली बार उन्हें औद्योगिक विकास मंत्री के निजी सचिव की हैसियत से मिला था; मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं श्री जार्ज फर्नाण्डीज का भी निजी मित्र रहा हूं जब मैं सरकारी कर्मचारी था मैंने उनके मंत्री होते हुए उनके तहत अक्तूबर, 1976 में बगदाद से नौ दिन तक काम किया था। वह इस तथ्य से व्यावसायिक रूप से ..., फिर भी मैं अब भी श्री जार्ज फर्नाण्डीज का निजी मित्र हूं। इसलिए मुझे इस तथ्य पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है कि मैं उनका मित्र था और अब भी उनका मित्र हूं उनका मित्र रहूंगा। और जिस दिन न्यायालय में कृष्णामूर्ति के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं और उन्हें अपराधी ठहराया जाता है तब मैं उस दिन श्री कृष्णामूर्ति का निजी मित्र नहीं रहूंगा। तब तक मैं इस व्यक्ति के कथन स्वीकार नहीं करूंगा, उन्होंने श्री कृष्णामूर्ति को अपना सचिव रखा और आज वह खड़े होकर कुछ असत्य ही कह रहे हैं जो कि उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्णत: अविश्वास है जो इस व्यक्ति के मंत्री होते हुए दो वर्षों तक उल्लेखनीय कार्य करता रहा।

वह अब इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं जबकि वह मुझ से भी बेहतर यह जानते हैं।*···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे केवल इतना सिद्ध करना था कि यह उनके स्पोक्समैन हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने पहले ही यह भी कहा है कि वह आपको भी बहुत सम्मानपूर्वक देखते हैं। उन्होंने यह कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि मैं एक-एक आरोप को न केवल सिद्ध करूंगा बल्कि इतना ही एक इशारा दूंगा कि आई०ए०डी०ए०···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : श्री कृष्णामूर्ति वह व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका सीमेन्स से परिचय कराया था।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम इसी की इन्तजारी में हैं, हमें बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : आप तो काफी लोकप्रिय हैं; संयुक्त संसदीय समिति आपको भी बुलाएगी।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रवि राय : सभापति महोदय, आपने पीठासीन होने के बाद एक डायरेक्शन दिया था कि जो कोई सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर उठायेगा, वह खड़े होकर उठायेगा। मणि शंकर अय्यर जैसे माननीय सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि वह बैठे-बैठे टिप्पणियां करें। आप उन्हें बोलने की इजाजत दें या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन आपकी डायरेक्शन मानी जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं उनका आभारी हूं; हमें बैठकर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई सदस्य हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो श्री जार्ज फर्नान्डीज उनकी बात सुनेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं कल किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए उन्हें अवसर देने को तैयार हूं।

सभापति महोदय : हम केवल घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम में इतनी हिम्मत है···(व्यवधान)···

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें केवल घोटाले पर चर्चा करनी चाहिए और वह इस पर केन्द्रित रहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर नहीं होती तो हम सड़क पर खड़े नहीं होते·· **(व्यवधान)**···मैं इतना ही कहूंगा कि आज जाकर उनसे पूछ लीजियेगा कि बम्बई में कौन सा मकान है जिस पर पांच लाख रुपया पिछले साल का किराया ई० डी० एक्स० सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आया है। वह मकान कहां है और उसमें कौन है ? मकान है ही नहीं, लेकिन पांच लाख का किराया कम्पनी में है। मेरे पास पूरे एकाउन्ट्स हैं। आप इतना पूछ कर आइए। अगर उसका समाधानकारक जवाब दें तो हमें बता दीजिये।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप जानते हैं तो हमें बताइये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे इतना ही कहना है कि इतनी मजबूती से जो बोल रहे हो तो बिना किसी जानकारी के ही बोल रहे हो। इतना ही सिद्ध कर रहे हो कि आप उनके बचाव के लिए यहां खड़े हो, ऐसी चीजों के बचाव के लिए खड़े हैं, जिसको प्रधान मन्त्री भी बचाव करने के लिए तैयार नहीं हैं।··· **(व्यवधान)**···वह मुझे मालूम है। दोनों के ग्रुप में हैं नहीं तो हमारे लिये··· **(व्यवधान)**··· सभापति जी, बैंक का मामला खत्म करने के पहले···

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं दूसरे अन्तिम मुद्दे पर बोल रहा हूं और शीघ्र ही समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

बैंक का मामला खत्म करने के पहले एक शेयर की जमात, जिसकी चर्चा इस सदन में हुई नहीं है, न बाहर हुई है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। वह है—हिन्दुस्तान का उद्योगपति। इस सारे कांड में उद्योगपतियों का हाथ रहा है, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। वह चाहे टाटा हो, वह अम्बानी हो या और कोई भी बड़ा घराना हो, बिरला हो। मैंने उदाहरण के तौर पर घरानों का नाम लिया है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक घराने की बात करूंगा। उनकी यहां पर चर्चा ही नहीं हो रही है, कितना इन्साइडर ट्रेडिंग हो रहा है। अपने-अपने शेयर को चलाने के लिए, अपनी-अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपनी कम्पनी पर अपना कब्जा और जमाने के लिए यह स्टॉक मार्केट का मैनीपुलेशन हुआ है। इसकी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि वित्त मन्त्री जी उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं ? स्टॉक स्कैम में उद्योगपतियों का जितना हाथ रहा है, वह आपके जो ब्रोकर्स हैं, उनसे दस गुना ज्यादा है। इन लोगों ने ब्रोकर्स को हाथ में लिया और तरीकों पर चर्चा की कि पैसा कहां से लाया जाये और कौन-कौन से उपायों का इस्तेमाल किया जाये। बैंक के लोगों के साथ तो इन लोगों के रिश्ते थे, उन रिश्तों का इस्तेमाल किया और स्टॉक मार्केट को बढ़ाने-चढ़ाने का काम किया। इसमें जो गुनाहगार की जमात है, उनमें से मैं एक गुनाहगार का नाम जरूर लूंगा। सदन में एक दफा उसकी चर्चा हुई थी और आप लोगों पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। उन्होंने फोर्जरी भी कही है कंपनी को हाथ में लेने के लिए, लेकिन फोर्जरी का सदन में भंडाफोड़ करके उस कंपनी को हाथ में जाने से रोक दिया गया। वह कम्पनी है—लार्सन एंड टूबरो या रिलायेंस। रिलायेंस के शेयर पिछले साल जुलाई में 176 रुपये पर थे। 176 वाला शेयर दिसम्बर महीने में 132 पर था और

132 का शेयर जो दिसम्बर, 1991 को था वह जनवरी में 151 का हुआ, फरवरी में 228 का हुआ, मार्च, में 437 का हुआ और अप्रैल में 360 का हुआ। मई में थोड़ा घट जाता है और 280 एवरेज हो जाता है, लेकिन 360 पर बैठ जाता है और जून में फिर वह 230 का हो जाता है। आपको मालूम है, यह खेल क्यों हुआ—यह खेल इसलिये हुआ कि यूरो मार्केट में अपने शेयर को बेचने का काम करना था। अब यूरो मार्केट में भी गिर गया है। यह मैनीपुलेशन किस तरह से हुआ, स्टॉक मार्केट का मैनीपुलेशन किस तरह से हुआ ?

इसी प्रकार ए० सी० सी० का शेयर क्या आप कह सकते हैं कि अपने आप बढ़ गया। ए० सी० सी० के शेयर में भी इन्साइडर ट्रेडिंग था। टाटा के शेयर में इन्साइडर ट्रेडिंग था, अम्बानी में पूरा मैनीपुलेशन हुआ। यहां तक मैनीपुलेशन हुआ कि बैंक आफ ओमान—वित्त मन्त्री जी इसका ठोस जवाब दें—ने पिछले साल दिसम्बर महीने में रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर कहा कि हमारे पास सौ करोड़ रुपये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के डिपाजिट्स आ गये हैं, यह कह करके कि इसको रिलायंस में डाल दो। उन्होंने शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। कितना इन्साइडर ट्रेडिंग हो गया और आज जब ये बातें छेड़ते है, तो फिर आरोप लगाते हैं कि किस लिए।

अब मैं अपनी बात खत्म करते हुए आखिरी जुमले पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप पहले ही दो घंटे ले चुके हैं। कृपया भाषण समाप्त कीजिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप जानते हैं कि मुझे आधे समय के लिए भी बोलने की अनुमति नहीं दी गई है (**व्यवधान**) मैं खड़ा हुआ हूं और मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

मैं अब आखिरी जुमले पर आ रहा हूं और वह मामला है पब्लिक अंडरटेकिंग्स का।

जानकी रमण कमेटी का जो जुलाई, 1992 की रिपोर्ट है उसके 9 न० पन्ने पर पैराग्राफ 4 को मैं पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "सरकारी क्षेत्र के बैंकों की व्यापारिक बैंकिंग सहायक कम्पनियों ने अन्तःनिगमित जमा तथा पी० एम० एस० और ऐसी ही योजनाओं के तहत काफी अधिक राशि प्राप्त की है और इन राशियों को तुरत वादा सौदे के तहत दलालों को उपलब्ध कराया। अनेक मामलों में ये सौदे शेयरों के लेन-देन के सौदे रहे हैं और अक्सर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, निगमों द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई है। जहां पर पी० एम० एस० के तहत धनराशि प्राप्त हुई है, सहायक कंपनी केवल एक एजेंट के रूप में कार्यरत है और यह निवेश उस संस्था द्वारा किया गया है जिसने धनराशि रखी है।"

अब यह हस्ती कौन है ? यह हस्ती वह दलाल हो सकता है जो सरकारी क्षेत्र के निगम से धनराशि लाया है या यह ऐसा उद्योगपति हो सकता है जो सरकारी क्षेत्र के निगम से धनराशि लाया है। दोनों ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस काम में लगे हुए हैं। यह सौदे करने वाले दलाल संबंधित सरकारी क्षेत्र के निगमों के प्रमुखों या धनराशि चाहने वाले लोगों या उद्योगपतियों से सौदे कर रहे हैं।

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

[हिन्दी]

लेकिन जिनको बैंक इतना ही कहते हैं कि हम तभी उनको पैसा देंगे कि तुम कुछ पैसा डिपोजिट करके लाओ तो वे उसके जरिए वह पैसा आता है।

[अनुवाद]

अब श्री जानकी रमन ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है :

"जहां पर धनराशि पी० एम० एस० के तहत प्राप्त की गई है, सहायक कम्पनी केवल एजेंट के रूप में काम कर रही है और निवेश उस संस्था द्वारा किया गया है जिसने यह धनराशि रखी है।"

अब यह अन्य घोटालों जितना बड़ा घोटाला है।

[हिन्दी]

अब मैं वित्त मन्त्री जी से कुछ ठोस प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास यहां पर एक दस्तावेज है जो कल मुझे मंत्रालय ने दिया है, जो लोक सभा सेक्रेटेरियेट ने दिया है और यह है—

[अनुवाद]

प्रस्ताव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नोटिस विशेष वाहक द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री।

[हिन्दी]

मैंने एक नोटिस आफ मोशन दिया था, ओ० एन० जी० सी० के इनवेस्टमेंट के बारे में, आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के बारे में एक नोट दिया है और कुल कितने इनवेस्टमेंट हो गये उसकी पूरी सूची दी है। मैंने उसका हिसाब लगाया, लंच के समय जब और लोग खाना खा रहे थे, कुल हिसाब है, देश के भीतर के बैंकों ने जो पैसा दिया है—

[अनुवाद]

विभिन्न लेनदेन में 4036 करोड़ रुपये हैं। मुझे पता है कि यह 4036 करोड़ रुपये नहीं हैं। हर माह पुनः नवीकरण हुआ है। दलालों द्वारा विशेष आधारों पर विशेष ब्याज पर व्यापार करने के लिए धनराशि को आमतौर पर एक महीने के लिए जमा किया गया।

[हिन्दी]

और विदेशी बैंकों में इन लोगों ने पैसा दिया है 1365 करोड़ रु० और यह दो सालों का हिसाब है। यह हिसाब है 5.40.1990 से 7.2.92 का, इसमें पिछले दो सालों का पूरा हिसाब है। अब मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो इनवेस्टमेंट है या सरप्लस फंड्स हैं, ओ० एन० जी० सी० का तो अपना अलग कानून है।

[अनुवाद]

यह विशेष तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम है और इस अधिनियम के तहत शेयरों या वादा सौदों या अन्य सौदों में निवेश के लिए ऐसी धनराशि को बैंक में जमा करने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

यह सरकार का पैसा है, कानून है। उनका पैसा रिजर्व बैंक में या रिजर्व बैंक की तरफ से स्टेट बैंक आफ इंडिया में और उसकी तरफ से नोमिनेटेड जो बैंक हैं, इसका मेरे पास कानून है :—

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 19 (3) में प्रावधान है :

> "आयोग की सभी राशियां भारतीय रिजर्व बैंक या इस बैंक के एजेंट या बैंकिंग कम्पनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 के तहत गठित नए बैंक या ऐसे अन्य निर्धारित बैंक या सरकारी खजाने में रखी जाएंगी या उन्हें ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा जिन्हें केन्द्र सरकार ने अनुमोदित किया है।"

आप क्यों सिर हिलाते हो, मेरे पास दस्तावेज है, यह कानून है जो अमेंड नहीं हुआ है, अनअमेंडेड कानून है, सुबह ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर मुझे यहीं पर दिया गया है, डिपाजिट्स के बारे में। ओ० एन० जी० सी० का, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए कानून नहीं है, लेकिन ओ० एन० जी० सी० के लिए कानून है। इस कानून को आपके लोगों ने कैसे तोड़ा।

वित्त मन्त्री जी ने यहीं पर बयान दिया, मैंने पढ़ा, क्योंकि यह सवाल कई दिनों से चल रहा है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का, किसी ने कहा कि किसी का लड़का विदेशी बैंक में काम करता है, तो वित्त मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने खबर दी है कि उनका लड़का विदेशी बैंक में काम नहीं करता है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी लड़की विदेशी बैंक में काम करती है और उनका दामाद विदेशी बैंक में काम करता है, यह उन्होंने नहीं बताया। कहां तक आप बोलेंगे, वित्त मन्त्री जी ने खड़े होकर एस० एल० खोसला को सर्टीफिकेट दे दिया कि उनका लड़का विदेशी बैंक में नहीं है, उन्होंने मुझे बताया है। सही कहा है। (व्यवधान) लेटिन में क्या है—

[अनुवाद]

सत्य का गोपन।

[हिन्दी]

और खूबी से बात होती है, वित्त मन्त्री जी आप क्यों इन लोगों का बचाव करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि उनकी बेटी, उनका दामाद, विदेशी बैंक में काम करते हैं, लड़का मान लिया नहीं है, किसी ने गलत खबर दे दी। मैं नाम दे सकता हूं, यहां नाम नहीं बोलूंगा उन लोगों के। पिछले दो सालों से पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने जिस तरह से अपना खेल खेलने का काम किया, मुझे यह कोई न कहे कि 1990 में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार थी उस वक्त पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अधिकारियों ने या सरकार चलाने वाले किसी व्यक्ति ने गलत काम किया तो उसको माफ कर देना चाहिए, यह किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। कौन सी तारीख को कौन था, कौन सी तारीख को कौन था, यह बहस करने के लिए मैं यहां पर खड़ा नहीं हुआ हूं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के पैसे का जो गलत इस्तेमाल हुआ, वह कैसे हुआ। कितनी कंपनियां हैं, जिन्होंने अपने पैसे को इन बैंकों में देने का काम किया। "सेल" का नाम मैं लूं, "पोर्ट ट्रस्ट" का नाम मैं लूं, किसी भी मन्त्रालय के पास जमा करने के लिए पैसा था, उनकी पब्लिक अंडरटेकिंग्स ने ब्रोकर्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट्स से सौदा करके इन बैंकों में पैसा रखने का काम किया और वह पैसा सट्टा बाजार में गया या अलग अलग पूंजीपतियों के अपने व्यवहार के लिए उनके पास गया और

मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यहां पर कहता हूं कि इस काम को करते हुए न्यूनतम 2 और अधिकतम 5 प्रतिशत कमीशन मिला। आप पूरी फाइलस को सील करिए, जिन जिन कंपनियों ने पिछले 2 सालों में, फ्राम दी बिगनिंग आफ 1990, सारे कानून तोड़कर यह काम किया जिसको वे नहीं कर सकते थे। सारे कानून तोड़कर जो पैसा दिया गया, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

जेल तो आगे हो ही जाएगी। मैंने प्रधान मन्त्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है—

[अनुवाद]

मैंने उन्हें कहा है, "क्या आपने पेट्रोलियम, ऊर्जा, भूतल परिवहन, संचार, इस्पात और उद्योग मंत्रियों से कहा है कि वे उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनके तहत उपक्रमों की राशि या उनके तहत राशि दी गई और किस आधार पर ? आप कम से कम यह तो करें कि तुरन्त उनके इस्तीफे मांगें और मैं इसके लिए आपसे आग्रह करता हूं।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

लिस्ट तो आ जाएगी, आप चिन्ता मत करिये।

सभापति महोदय, मैं खत्म करूंगा कल एक प्रश्न पूछा गया, एक चुनौती दी गई और वह प्रश्न और चुनौती श्री मुरली देवड़ा ने दी, उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, अब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने आरोप लगाया है कि संबंधित मंत्री ये हैं। उन्होंने अपने तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से धनराशि बैंकों में जमा की है। उनके पोर्टफोलियो मैनेजमैन्ट में उपलब्ध धनराशि दलालों और पूंजी बाजार के पास गई हैं। अन्ततः सारा घोटाला इन सरकारी क्षेत्रों से ही उपजा क्योंकि धनराशि सरकारी क्षेत्र से ही दी गई। श्री फर्नान्डीज मंत्रियों के इस्तीफे मांग रहे हैं लेकिन वित्त मन्त्री चुप हैं। यह इस मामले की मुख्य बात है।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय अन्त में उत्तर देंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं और सभा भी जानना चाहेगी······

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं अन्य बातें भी कहना चाहता हूं। यह तो एकतरफा हो रहा है।

सभापति महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री श्रीकान्त जेना : धनराशि सरकारी क्षेत्रों से आई। अनेक मंत्री इन सरकारी क्षेत्र के प्रभारी हैं। क्या ये मंत्री उत्तरदायी नहीं हैं ? श्री फर्नान्डीज ने आरोप लगाया है कि मंत्रियों ने वित्त मंत्रालय के दिशानिदेशों का उल्लंघन किया है, वे उत्तरदायी हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने छः मंत्रियों पर आरोप लगाया है और वित्त मन्त्री चुप्पी साधे हैं। उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह सच है या नहीं। हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस विशेष मुद्दे पर चर्चा 9 जुलाई को शुरू हुई। चार दिन बाद इस चर्चा को शुरू हुए एक महीना हो जाएगा। मेरे विचार से ऐसा पहली बार हुआ है। हम यह सरकारी कार्य की कीमत पर कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि

यह चर्चा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका अपना महत्व है और यही कारण है कि पहले ही दिन जब यह मामला उठाया गया तब हम पूर्ण चर्चा के लिए सहमत हुए थे बाद में स्वयं प्रधान मन्त्री ने इस मुद्दे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमति दी। हम इस पर पूर्ण चर्चा के लिए सहमत हुए हैं लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम लगातार कई महीने तक इस पर चर्चा करें। लेकिन ऐसा हो रहा है। हम इस पर एक दिन दो दिन चर्चा कर सकते है लेकिन 27 दिन तक नहीं। मैं अनुरोध करता हू कि हम आज इस चर्चा को पूर्ण कर लें। मेरे विचार से हम सरकारी कार्य के प्रति बहुत अन्याय कर रहे हैं। यह सभा का कर्तव्य है कि कुछ सरकारी कार्य भी करे।

मैं गत दो दिनों से सभा का रवैया देख रहा हूं। जब 6 बजते हैं तो सदस्य कहते हैं कि हम कल यह चर्चा जारी रखेंगे। सभा का रिकार्ड देखने पर मैंने पाया कि कुल सात घंटे इस पर चर्चा हुई और सभा में लगभग आधी तादाद वाली सत्ताधारी पार्टी को केवल एक घंटा दिया गया।

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) **:** आप अपने सदस्यों को मना रहे थे लेकिन वे आपका बचाव नहीं करना चाहते थे।

श्री गुलाम नबी आजाद : इसलिए मैं माननीय पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करूंगा कि सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को भी समय दिया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जबकि यह बात निकल ही गयी है मैं इतना ही कहूंगा कि जो समय की बात इन्होंने कही है कि लम्बे समय से यह चल रहा है···

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : मैंने एक शब्द भी नहीं कहा है। आप सभापति के नाते स्वयं फैसला करें। सत्ताधारी पार्टी की संख्या सभा का लगभग आधा है उसे कुल सात घंटे की चर्चा में केवल एक घंटा कैसे मिला।

सभापति महोदय : पीठासीन अधिकारी से तर्क मत करिये। मैं सुझाव दूंगा कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय के साथ एक बैठक की जाए। मैं उपाध्यक्ष महोदय द्वारा तैयार सूची के अनुसार चलूंगा और श्री जार्ज फर्नान्डीज से आग्रह करता हूं कि वह काफी समय ले चुके हैं इसलिए 3 या 4 मिनटों में अपना भाषण समाप्त करें। आप अपने अन्तिम मुद्दे को पूरा कर लें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और मैं चार मिनट में भाषण समाप्त कर दूंगा।

[हिन्दी]

कल आपने मुझे चुनौती देकर कहा कि टी० बी० रूइया का नाम लिया और जो असली लोग हैं जिनके ऊपर आपकी नजर नहीं जा रही है···(**व्यवधान**) जैसे और लोगों के नाम हैं श्री पी० पालीवाल,···(**व्यवधान**)

ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा नहीं तो फिर विवाद हो जायेगा। फेयरग्रोथ का नाम लें तो उसमें पी० डी० लूथरा का नाम ले सकते हैं। ऐसे लोगों का नाम ले सकते हैं जो कहीं न कहीं फंसे हुए है और सत्तारूढ़ दल के लोगों से रिश्ते है। कहां-कहां रिश्ते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। कल आपने कहा कि टी० बी० रूइया का कांग्रेस के साथ क्या रिश्ता है और यह कहा कि मैं बम्बई

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

में कांग्रेस का अध्यक्ष हूं · (व्यवधान) आप अपने शिखर नेतृत्व से कितनी दूर हैं। इसका सबूत चाहें तो दूं। 28 फरवरी के बाद पिछले दो महीने के अन्दर यानि जून महीने में टी० वी० रूइया की कंपनियों ने साढ़े सात लाख रुपया, दस लाख रुपया और साढ़े सात लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन को देने का काम किया है। तो रिश्ते कहां-कहां हैं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या राजीव गांधी फाउंडेशन भारत सरकार से सम्बद्ध है ? कृपया ऐसा मत कहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हर्षद मेहता पर 28 फरवरी को जब रेड हुई तो टी० वी० रूइया पर रेड हो गई। हर्षद मेहता ने ग्रोमोर रिसर्च एंड मैनेजमेंट लि० के नाम पर सवा छः लाख रुपया, बी० बी० ज्योत्सना के नाम पर सवा छह लाख रुपया और अपने भाई अश्विन मेहता के नाम पर सवा छह लाख रुपया यानि कुल मिलाकर 25 लाख रुपया उन्होंने दिया और 25 लाख रुपया टी० वी० रूइया ने दिया, पैसे वहां दिए, यह रिकार्ड भी है और लोगों के नाम अभी नहीं बताऊंगा।···(व्यवधान) रिकार्ड के ऊपर इतने पैसे हो गए, रेड को लेकर और घोटाले को लेकर वहां-कहां गए, उसकी कल्पना आप या सदन कर सकता है। यहां पर परसों किसी ने कहा कि एक मूंदड़ा कांड हुआ था। उस कांड की इस कांड से कोई तुलना नहीं की जा सकती है, बात सही है। वह एक करोड़ 26 लाख का मामला था, यह दस हजार करोड़ से अधिक का मामला है। दोनों में एक बात समान है। एक वाक्य पढ़कर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं।·· (व्यवधान) जस्टिस विवियन बोस ने जो कहा है, वह पढ़कर सुनाता हूं।·· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अब मैं न्यायमूर्ति विवियन बोस की जांच रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं। वह कहते हैं :

"श्री मुन्धरा द्वारा कांग्रेस कोष में चंदा दिए जाने और सरकार को प्रसन्न करने के लिए और कानपुर मिल को चालू रखने और राजनैतिक कारणों से उसकी मदद करने से सहायता करने का औचित्य साबित हो जाता है और उन्हें धनराशि देने का संभावित उद्देश्य दर्शाता है।"

"···इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जून मास में हुए सौदे का उद्देश्य श्री मुन्धरा को मदद करना था। जहां तक इसके उद्देश्य का संबंध है यह अस्पष्ट है। हम नहीं समझते कि हमें पूरी सच्चाई बताई गई है और रिकार्ड में जो कुछ उल्लिखित है, उससे अन्यथा हम अनुमान नहीं लगा सकते। रिकार्ड के अनुसार तो वही उद्देश्य प्रतीत होता है जिसका हमने उल्लेख किया है कांग्रेस कोष में श्री मुन्धरा द्वारा दिया गया तदप्रसित चंदा और कानपुर मिल के बारे में उसे दिए गए आश्वासन को पूरा करने का प्रयास।"

[हिन्दी]

फिरोज गांधी ने यह सारा काम किया था। उन्होंने यह सारा भण्डाफोड़ किया था।

सभापति जी, इस और उस मामले में जरूर फर्क है, क्योंकि वह बहुत छोटा मामला था, यह

बहुत बड़ा मामला है। इस काम को फीरोज गांधी ने कांग्रेस की तरफ से उठकर सार्वजनिक जीवन और इस देश की राजनीति में उच्च स्तर पर स्वच्छता लाने की दृष्टि से यह उस समय किया था। यहां जो आज काण्ड है, जो उससे कई गुना बड़ा है, उसके बचाव में आज आप यहां खड़े हैं। तथ्यों को बाहर लाने से इंकार कर रहे हैं। परन्तु एक समानता थी, तब भी पैसे का रिश्ता था, आज भी पैसे का रिश्ता है।

सभापति जी, आज मैं यहां पर, पहले अध्याय को समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : मैं एक निजी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख किया। कल जब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने श्री टी० बी० रूइया और बम्बई कांग्रेस का उल्लेख किया था (व्यवधान) उन्होंने कहा बम्बई कांग्रेस (व्यवधान) उन्होंने कल कहा या आज नहीं। उन्होंने कल कहा था और मैं खड़ा हुआ था और यह कहा था। मैं विगत 11 वर्षों से बम्बई नगर में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैंने श्री टी० बी० रूइया को कभी नहीं देखा न कभी बात की है। (व्यवधान) उसे कार्यवाही से निकाल दिया गया था। (व्यवधान) उन्होंने आज किसी अन्य न्यास का उल्लेख किया। मैं अनुरोध करता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिए यह ठीक नहीं है कि किसी का नाम लें। उन्होंने कल अपने भाषण में तीन चार व्यक्तियों का उल्लेख किया था और अन्तिम नाम लेते समय उन्होंने मेरी तरफ देखा और किसी आनन्द जैन का नाम लिया। मैंने आज सुबह यह पता लगाया और मुझे बताया गया—मैं नहीं जानता कि यह सच है या नहीं—उनके विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और अदालत में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया। मुझे यही बताया गया था। कल आपने कहा

[हिन्दी]

आपने 4 नाम बताए

[अनुवाद]

यह बम्बई, दिल्ली तथा पूरे देश में समाचार पत्रों में आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट उनके खिलाफ दर्ज नहीं की गई।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं, हमने वह नहीं कहा। सभापति जी, मैं बता दूं कि कल मैंने क्या कहा था, ताकि गलतफहमी न हो। मैंने कहा कि उस मीटिंग में कुल लोग जो थे, एफ०आई०आर० जो फाइल हो गई, उसमें 4 दलाल और बैंकों के 5 अधिकारी थे, लेकिन और जो 4 लोग थे, जिनका बहुत बड़ा क्लाउट है जिनकी बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल पकड़ है, उनका नाम दिया गया था। मैंने इतना ही कहा था।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : यही चीज फर्नान्डीज साहब मैं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो टी०बी० रूईया के बारे में कहा, न हमारा उनसे कोई सम्बन्ध है, न हमने उनको 20 बरस में देखा है। दूसरी बात फर्नान्डीज साहब यह है कि जिनके नाम एफ०आई०आर० में हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, जिनका नाम नहीं आया है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है। हर इंसान की अपनी इज्जत है। जिनका नाम पेपरों में आता है, उनको जरा तकलीफ होती है,

[श्री मुरली देवरा]

दूसरे काम के अंदर। मैंने सुना है कि जो नाम आपने कल लिए, जिनके नाम न एफ०आई०आर० में हैं, न कहीं मेंशन हैं। इसीलिए मैं उनको निवेदन कर रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सर, मैंने कल यह कहा कि एफ०आई०आर० को फाइल करते हुए आया कि मीटिंग में मौजूद थे, उनकी सूची उन्होंने बोर्ड के सामने दी, वे केनरा बैंक के जनरल मैनेजर थे या पता नहीं कौन थे, मिस्टर कामथ ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप उनसे सहमत हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नहीं महोदय, मैं सहमत नहीं हूं।

सभापति महोदय : उन्हें इसे पूरा करने दें।

श्री मुरली देवरा : मैं पूरा कर चुका हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

तो उसमें 4 ब्रोकर्स के नाम, 5 बैंकों के अधिकारियों के नाम।

[अनुवाद]

अभियुक्तों ने नहीं, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों ने समझौते के लिए कहा।

[हिन्दी]

मगर और 4 लोग उस मीटिंग में मौजूद थे जिनके नाम···

[अनुवाद]

केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक श्री जे०वी० शक्ति जिनका नाम बहुत विख्यात है; उन सहित उनके नाम का उल्लेख नहीं था कि वे उस बैठक में उपस्थित थे। केनरा बैंक के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक पर कैसे आरोप लगाया जा सकता है ? कम से कम अभी नहीं। केनरा बैंक के अन्य अधिकारी जो अनुपस्थित थे। उन पर कैसे आरोप लगाया जा सकता है ? केनरा बैंक के अन्य अधिकारी अभियुक्त के रूप में कैसे उपस्थित थे ?···(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से दोनों अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। श्री मणि शंकर अय्यर, आप अब आप भाषण शुरू कर सकते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : सभापति महोदय मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि विपक्ष के महासांड द्वारा बीच में रोका-टोकी समाप्त किये जाने के तुरन्त बाद मुझे बोलने का अवसर दिया है।

हम संसद के रूप में फिल्म उद्योग के बहुत ऋणी हैं क्योंकि हमने उनसे श्री राजेश खन्ना को ले लिया है। मेरा सुझाव है कि फिल्म उद्योग के बहुत आभारी हैं और हम संसद से फिल्म उद्योग पर आते हैं और इस महान अभिनेता जिन्हें हमने आज अदा करते हुए देखा है उन श्री जार्ज फर्नान्डीज पर पुनः आते हैं। मैं एक भूमिका का सुझाव देना चाहता हूं। अब हैलन थोड़ी बूढ़ी हो

गई है मेरा सुझाव है कि कपड़े उतारकर नृत्य करने वाले कलाकार की तरह यह महान कलाकार हमें दो घंटे 27 मिनट से बता रहा था कि वह सब कुछ उजागर करने जा रहे हैं और एक के बाद एक पर्दा उठाएंगे और अन्त में केवल जार्ज फर्नान्डीज तक ही सीमित रह गए। संभवत: वह हैलन के बाद कपड़े उतार कर नृत्य करने वाले कलाकार की भूमिका करने वाले सही व्यक्ति हैं।

अगर वह इस भूमिका को अदा करना नहीं चाहते तो मेरा सुझाव है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज का नाम गिनिज बुक आफ रिकार्डस में लिखा जाए क्योंकि उन्होंने अभी हमें जो कुछ दिखाया है, वह कानून की बिग बुक के समान था।

इस देश में स्टाक और शेयर के संचालन पर 15 लाख शब्द कहे गए हैं और 2 घंटे 27 मिनट से भी अधिक समय तक श्री जार्ज फर्नान्डीज से सुने अनेक शब्दों ने दूसरा स्थान ले लिया है और इसने कुछ हद तक हमारा ज्ञान बढ़ाया है।

श्री फर्नान्डीज से हमें मुख्य ज्ञान क्या प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें यह बताने के लिए 2 घंटे 27 मिनट लिए कि यह एक महा घोटाला है। यह बात कहने में हमें केवल चार शब्दों का उपयोग करना पड़ा। वह एक महा घोटाला है और इसलिए हमने संयुक्त संसदीय समिति का प्रस्ताव किया है।

महोदय, मैं इस सत्र के शुरू होने से ठीक पहले श्री सैफुद्दीन चौधरी के साथ एक दूरदर्शन कार्यक्रम में आया था। जब घोटाले का प्रश्न आया तो उन्हं ने दूरदर्शन पटल पर ही मुझसे पूछा कि क्या हम संयुक्त संसदीय समिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इसे घोटाले पर कार्यवाही करने के लिए अन्ततः कारगर माना गया। मैं वहां पर उन्हें उत्तर देने में असमर्थ था क्योंकि मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं गर्व के साथ यह कहता हूं कि मेरा भी योगदान रहा है कि इस मामले से सत्र के मध्य में विपक्ष के अनुरोध अर्थात संयुक्त संसदीय समिति का गठन हो और हम इसका अनुसरण करें।

मुझे आशा है और मैं प्रार्थना करता हूं कि एक माह पूर्व श्री जसवन्त सिंह ने वाद-विवाद के दौरान हस्तक्षेप करते हुए जो चेतावनी दी थी, इसके बावजूद विपक्ष इस देश के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जो उन्होंने बोफोर्स मुद्दे पर हमारे द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के गठन पर किया था। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से आग्रह करता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे पर वास्तव में अध्ययन किया है और उन्हें जानकारी है कि क्या गलती हुई और उनके अमूल्य संबंध हैं भूपेन दलाल के साथ उनकी मित्रता इस पूरे घोटाले में अत्यधिक दिलचस्प है और हमारे यहां विद्वान हैं श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे आर्थिक विद्वान हैं जो संयुक्त संसदीय समिति के कार्य में पूर्ण रूप से भाग लेंगे।

अगर भाजपा श्री जसवन्त सिंह को इसमें नहीं रखती है तो मुझे उनकी अनुपस्थिति पर खेद नहीं होगा क्योंकि जब भी मैं उन्हें देखता हूं तो स्वयं ऐसे शब्द उपयोग करने लगता हूं कि उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से निकालना पड़ता है। जब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को देखता हूं और देखता हूं कि उन्होंने किस प्रकार पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए हैं और 2 घंटे 27 मिनट तक बोले हैं और अभी भी हमें बताने के लिए काफी कुछ बचा है तो मैं चाहता हूं कि वह संयुक्त संसदीय समिति में हों।

मंत्रियों के नामों के बारे में अत्यन्त दिलचस्प बात यह है कि वह इन्हें उजागर नहीं करेंगे क्योंकि अगर वह ऐसा करते हैं तो पीछे बैठने वाले हम में से कुछ मंत्रिमंडल में आ जाएंगे। वह इस देश को यह मुख्य जानकारी देने के लिए गत दो महीने से धमकी दे रहे हैं और हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आशा है कि संयुक्त संसदीय समिति में श्री

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जार्ज फर्नान्डीज के भाग लेने से हम सत्य का पता लगा सकेंगे और वह इसका पता लगाने के लिए बहुत उत्सुक है और सभा में इसपक्ष में हम भी यह चाहते हैं।

4 00 म.प.

शायद, सत्य तक पहुंचने की हमारी उत्सुकता विरोधी दल से भी ज्यादा है। एक बात का अब मुझे विश्वास है कि इस बारे में हमारी ईमानदारी उनकी ईमानदारी से कम नहीं है, कि यह पता लगाने का हमारा आग्रह उनसे अधिक है कि गलती कहां हुई है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है, और उनके सम्पर्क सूत्र कौन-कौन से हैं, क्योंकि यह एक ऐसा घोटाला है जिसने हमें प्रभावित किया है, एक सरकार होने के नाते ही नहीं अपितु एक राष्ट्र के तौर पर भी। इस घोटाले की वजह से हम सब को अत्यधिक क्षोभ है और अगर हम यह पता लगा सकें कि कैसे, कहां यह गलती हुई, क्यों हुई, तथा इसके पीछे किसका हाथ है, फिर शायद हमें इन बातों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का ही पता नहीं चलेगा जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, अपितु हम वह व्यवस्थित परिवर्तन भी ला पाएंगे जो कि आवश्यक है ताकि उस व्यवस्था का इस तरीके से दुरुपयोग न हो सके जिस तरीके से हुआ है।

मैं उतना ही चिन्तित हूं जितना भी फर्नान्डीज या उनके कोई सहयोगी, कि मैं इस बात का पता करूं कि वे लोग कौन थे, जो इसके लिए उत्तरदायी हैं। परन्तु मेरा सुझाव है अगर हमारी व्यवस्था में खामी नहीं होती, तो हमारे पास ऐसे अपराधी न होते जो उन खामियों का फायदा उठाते। और, इस वजह से जब तक हम यह न पता कर लें कि ये खामियां क्या थीं, और उन अपराधियों ने इन खामियों का फायदा कैसे उठाया, तब तक हम ठीक प्रकार से इसमें अंतर्ग्रस्त उच्च पदस्थ लोगों की अपराधियों के साथ सांठ-गांठ का पर्याप्त मात्रा में पता नहीं लगा पाएंगे। यदि हम इस सांठ-गांठ का पता लगाने की गलत तरीके से शुरूआत करते है, या अगर हम केवल किसी व्यक्ति विशेष को फंसाने की चेष्टा करते हैं और फिर इस घटना पर झूठे आंसू बहाएं तो मैं नहीं सोचता कि हमारे राष्ट्र को जितनी क्षति पहुंची है, हम उसका निराकरण कर सकेंगे।

अब, संयुक्त संसदीय समिति पहले तो इस प्रणाली को समझने, फिर इसकी खामियों को समझने का प्रयास करेगी, जिनका श्री हर्षद मेहता जैसे चालाक और अपराधी लोगों ने फायदा उठाया और उसका फायदा उठाने के बाद, इतना धन अर्जित किया जो कि सीमा से बहुत अधिक था; इतना अधिक कि सामान्य भारतीय ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। फिर हमें यह देखना है कि इन अपराधियों की किन अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ थी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उच्च पदस्थ लोगों के द्वारा इस प्रकार की आपराधिक क्रियाशीलता को सक्रिय प्रोत्साहन दिया गया था।

अतः मैं नहीं समझता कि श्री सोमनाथ चटर्जी या दूसरों के लिए यह उचित होगा, कि वह वित्त मंत्री द्वारा इस प्रणालीगत विफलता की ओर ध्यान दिलाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का उपहास उड़ाएं। मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री यह सोचते हैं कि प्रणालीगत विफलता का पता चलने से व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल जायेगी। वे दायित्व तो रहेंगे। परन्तु हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस घोटाले के साथ सम्बद्ध व्यक्तियों के अपराधों की गहनता का अन्दाजा लगायें जब तक कि हम पहले यह न समझें कि इस व्यवस्था में ये खामियां कैसे उत्पन्न हुई हैं।

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा हमें इन सब बातों को समझने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त

हुआ है । हमें उन अनुचित प्रक्रियाओं, जिनसे ये आपराधिक कार्य किए गए, और इन अपराधियों की राजनीतिक सांठ-गांठ का पता लगाने की आवश्यकता है । मेरे विचार में यह एक ऐसा कार्य है जो कि हमें एक राष्ट्रीय कार्य की तरह से करना है, सरकार बनाम विरोधी दल के रूप में नहीं, अपितु हम सबको एकजुट होकर इस देश के शत्रुओं का सामना करना है । क्योंकि, जो इस घोटाले के लिए जिम्मेदार रहे हैं, वे केवल साधारण अपराधी ही नहीं माने जा सकते । वे देश द्रोही हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की वित्तीय संस्थाओं को विनष्ट किया है, जिससे संसार की नजरों में हम गिर गए हैं, और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों की संभावनाओं को नष्ट किया है जिसके लिए हम आज देश के शासक होने के नाते जिम्मेदार हैं ।

अगर वह प्रणालीगत खामियां नहीं होती, तो घोटाला नहीं होता ।

तो यह खामियां क्या थीं ? ये कब हुईं ? यह पता लगाना बहुत जरूरी है । अगर हम यह स्थापित कर लें कि ये खामियां, इक्कीस जून, 1991, को शुरू हुईं तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की वर्तमान सरकार, श्री नरसिंह राव की सरकार, जिसके वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह है, ही एक सरकार है जो इसके लिए जिम्मेदार है, मुझे खेद है, मुझे इससे भी एक कदम आगे जाना चाहिए कि अगर ऐसा हो कि यह खामियां इक्कीस जून, 1991 को नहीं अपितु 1992 का बजट प्रस्तुत करने वाले दिन उत्पन्न हुई थीं, तो फिर, हमे वित्त मंत्री को ही उसका उत्तरदायी समझना चाहिए । परन्तु अगर ये खामियां पहले से थीं तो मेरे विचार में, हमें इससे पहले की अवधि को देखना पड़ेगा कि यह कब उत्पन्न हुईं और उनके उत्पन्न होने के क्या कारण थे ?

महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस समय ये खामियां उत्पन्न हुईं तब उनका कारण अपराधिक उद्देश्य नहीं था । मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि जब ये खामियां उत्पन्न हुई, तो ये खामियां जानबूझकर अपराधिक उद्देश्य से पैदा की गई थीं । ऐसा हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज से सम्बद्ध कोई एक व्यक्ति इतना दूरदर्शी हो कि उसने यह पूर्वानुमान लगा लिया हो कि अगर उसने ऐसी खामियां पैदा कर दीं तो वह उसका उपयोग चार या पांच साल पश्चात् कर सके । अगर ऐसा है तो हम संयुक्त संसदीय समिति में इसका पता चला लेंगे । असल बात यह है कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा ठीक प्रकार से कार्य करने के संबंध में विचार करने के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है बल्कि यहां प्रश्न किए जा सकते हैं । जब तक उपयुक्त प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तब तक सही उत्तर प्राप्त नहीं होंगे । इसलिए मेरा यह विचार है कि इस पूरी घटना को समझने के लिए केवल इन खामियों का आकलन करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह कब हुआ है, उसके बारे में सोचना भी बहुत आवश्यक है । यदि ये खामियां पहले से ही थीं तो हमें यह देखने की आवश्यकता है कि क्या उनको पहले ही ठीक नहीं किया जाना चाहिए था अथवा क्या जानकी रमण समिति की रिपोर्ट आने से पहले इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी ।

महोदय, जिन खामियों की ओर श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ध्यान आकर्षित किया है उनमें से एक को हम लेते हैं । उन्होंने अपने भारी भरकम दस्तावेज से उद्धृत किया कि अधिसूचित बैंकों की परिसंपत्तियों तथा देनदारियों की रिपोर्ट की स्थिति के अनुसार शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की गई थी । मेरा निवेदन है कि श्री फर्नान्डीज ने घोटाला होने की प्रथम दृष्टया पहली प्रक्रियागत अभिव्यक्ति सही रूप में यही बताई है कि बैंकों से यही बताने की अपेक्षा की गई थी कि शुक्रवार के दिन उसने क्या कारबार किया । उसे हमारे केन्द्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कारबार किया था । निःसन्देह प्रसिद्ध यूनानी गीत के अनुसार उन्होंने रविवार को कुछ कारबार नहीं

[श्री मणि शंकर अय्यर]

किया। अतः यदि यह बेकार का नियम बनाया नहीं गया होता कि केन्द्रीय बैंक को यह बताया जाएगा कि महीने के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति अथवा महीने के किसी दिन विशेष स्थिति के अनुसार उसने क्या कारबार किया तब हम शायद ऐसी परेशानी में नहीं पड़ते। शायद भविष्य में इसका एक समाधान यह होगा कि हम यह देखें कि क्या आधुनिक तकनीक—मुझे आशा है कि इसके लिए हमें मार्क्सवादी पार्टी समर्थित ट्रेड यूनियनों का सहयोग मिलेगा— का उपयोग करके हम ऐसे घोटाले को रोक सकते हैं जिसमें अंततः गरीब जनता के धन की ही बर्बादी होती है। हम ऐसे सौदों में कम्प्यूटर प्रणाली के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं क्योंकि ये सौदे लाखों करोड़ों रुपए के होते हैं। इसमें दूसरी खामी यह है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में कार्य करने के लिए आधुनिक तरीके के अभाव में अपराधियों को यह देखने का अवसर प्राप्त हो जाता है कि हम कहां गलती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्री फर्नान्डीज ने इस बात की ओर भी सही ध्यान आकर्षित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों में यह कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के अनुदेशों पर ही निर्देश जारी किए जा सकते हैं। मेरे विचार से तथ्य यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 1991 में जारी निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक की मान्यता प्राप्त है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह कोई निर्देश नहीं था, यह केवल अनुरोध था। बाद में जब उन्होंने पाया कि अनुरोध लागू नहीं किया जा रहा तब उन्होंने एक और पत्र लिखा और उसमें भी अनुरोध ही किया गया था।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं इस शुद्धि को स्वीकार करता हूं। मुझे खेद है। मैंने गलती से उसे निर्देश कर दिया था। मैं उस प्रक्रिया के बारे में सोच रहा था जिसमें वाणिज्यिक बैंकों और केन्द्रीय बैंकों के संबंधों में यदि कुछ गलत बात पाई जाती है और किसी नियम का पालन नहीं किया है तब निदेश दिए जाते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने इसमें तकनीकी त्रुटि की है। मैंने जो कुछ कहा है मैं उसे वापिस लेता हूं।

जुलाई, 1991 में केन्द्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि वे जिन उपायों को अपना रहे थे उनमें से कुछ उपाय उचित नहीं थे। मेरे विचार से यह तारीख महत्त्वपूर्ण है। जुलाई, 1991 में भारत की वर्तमान सरकार को सत्ता में आए कुछ सप्ताह ही हुए थे और मैं नहीं समझता कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने दलालों के साथ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनके स्वयं के धन के लिए जो गैर-कानूनी अथवा अनुचित तरीके अपनाए जा रहे थे वे 21 जून, 1991 को ही शुरू किए गए थे। यह कार्य लम्बे समय से चला आ रहा था। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह कार्य कब शुरू हुआ। यह कार्य 7 नवम्बर, 1990 या 29 नवम्बर, 1989 अथवा 31 दिसम्बर, 1984 को भी शुरू हुआ हो सकता है। मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन शायद पिछली तीन सरकारों—श्री चन्द्रशेखर की सरकार, श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह की सरकार और संभवतः श्री राजीव गांधी की सरकार के समय शेयर बाजार में इस प्रकार के कार्य शुरू हुए होंगे। उस समय इन्हें तकनीकी मामला ही माना गया था, यद्यपि उस समय भी यह अनुचित और गलत था लेकिन ऐसा नहीं माना गया था कि इससे घोटाला हो जाएगा। उस समय सामान्य बैंकिंग प्रथाओं, परम्पराओं और नियमों का उल्लंघन किया गया था। ऐसी सामान्य परिस्थितियों में जुलाई,

1991 में श्री वेंकटरमणन ने अपने स्वभाव के अनुरूप एक सामान्य-सा पत्र संबद्ध वाणिज्यिक बैंकों को लिखा था। भारतीय रिजर्व बैंक पुलिस के समान कार्य करने वाला संगठन नहीं है और न ही अपराध की जांच पड़ताल करना इसका कार्य है। यह कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा इसके भूतपूर्व अधिकारी श्री माधवन का है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य यह पता लगाना है कि ··(**व्यवधान**) मैंने उनके लिए भूतपूर्व शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि वह अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भूतपूर्व अधिकारी हैं।··· (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। मेरे विचार से इसका आशय केवल 'हाल ही का' से है।

श्री मणि शंकर अय्यर : भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य यह देखना है कि व्यवस्था में कौन-सी कमियां हैं और इस स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को यह चेतावनी देना है कि व्यवस्था में ऐसी कमियों परम्पराओं और नियमों के अनुरूप नहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कार्य किया है। ऐसा करते हुए इस केन्द्रीय बैंक ने सम्बद्ध अनुसूचित बैंकों द्वारा उसे प्रस्तुत की गई अनुपालन रिपोर्टों पर भी अवश्य भरोसा किया। जिन अनुसूचित बैंकों द्वारा ये अनुपालन रिपोर्टों पर प्रस्तुत की गई थीं, वे जुलाई, 1991 के पत्र के अनुसार ही थीं। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने ठीक ही कहा है कि इस बारे में प्रथम दृष्टया प्रमुख अपराधी चार दलाल और चार बैंक थे। केवल यही नहीं, सम्बद्ध वाणिज्यिक बैंकों ने भारत के केन्द्रीय बैंक के अनुरोध को मानते हुए यथार्थ अनुपालन रिपोर्टें प्रस्तुत की थीं। मेरे विचार से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी के रूप में इन अनुपालन रिपोर्टों को स्वीकार करते समय कुछ संदेहपूर्ण दृष्टिकोण से उनकी जांच करनी चाहिए थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है।

जब यह घोटाला सामने आया तब यह देखना आवश्यक हो गया कि क्या अनुपालन रिपोर्टें भेजी गई थीं या नहीं और यदि हां तो क्या यथार्थ थीं और यदि कोई अपराध किया गया है तो उसका पता लगाया जाये। जनवरी, 1992 के अन्त तक, अर्थात् संसद को पता चलने से पूर्व ही बंबई शेयर बाजार में किए जा रहे लेन-देन के बारे में जांच कार्य शुरू किया गया। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो इस लोक सभा के गठन के कुछ समय बाद ही जबकि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अर्थात 'सेबी' के लिए नया अधिनियम बनाया गया था और ऐसे मामलों की जांच के लिए ही इसे शक्तियां प्रदान की गई थीं, मुझे समाचार पत्रों से पता चला कि 'सेबी' के चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय को एक पत्र लिखा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गलत कार्य किया जा रहा है और हमें बताया जाए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए—वैसे इस बात की पुष्टि अथवा खंडन वित्त मंत्री महोदय ही कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने उनसे यह उचित ही कहा था कि ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए ही इस बोर्ड का गठन किया गया है अतः बोर्ड को इस बारे में की गई कार्यवाही से मंत्रालय को अवगत कराना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा था कि 85 करोड़ भारतीयों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा ने आपको यह दायित्व दिया है और आपने जो कुछ सुना है उस पर कार्यवाही करना आपका दायित्व है।

नया सेबी अभी नया ही है, उसे पूरे काम को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या कोई घोटाला हुआ है और यदि हां तो कितना बड़ा घोटाला हुआ है। महोदय, यहां पर उल्लेखनीय है कि अभी तक हमारे देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में घोटाला होने के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। श्री हर्षद मेहता का नाम यहां कभी नहीं लिया गया। उसका नाम केवल अनेक उन

[श्री मणि शंकर अय्यर]

पत्रिकाओं के मुख पृष्ठों पर ही देखा जाता रहा है जिन पर हमारे विपक्षी सदस्य अपनी जानकारी के लिए निर्भर रहते हैं। जब हम कार्रवाई कर रहे थे, उस समय मारे गए कुछ छापों से यह पता लगने लग गया था कि बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है। मार्च, 1992 के आरम्भ में जब यह स्पष्ट हो गया जबकि उस समय भी इस सभा को इस मामले का पता नहीं था, तो यह बात स्पष्ट हो गई कि घोटाला हुआ है।

जो लोग घोटाले में शामिल हैं वह जानते हैं कि यह दुष्चक्र बहुत लम्बा है। एक बैंक का ऋण चुकाने के लिए दूसरे बैंक से ऋण लिया गया और दूसरे बैंक का ऋण चुकाने के लिए तीसरे बैंक से ऋण लिया गया और यह दुष्चक्र इसी तरह चलता रहा और तत्पश्चात वे काफी लम्बे समय तक बचते रहे और किसी को भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी। गलती कहां पर हुई कि मार्च के अन्त में यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत सरकार के स्वामित्व वाले बहुत से अनुसूचित बैंक इस संकट में फंसे हुए हैं और वे इससे केवल तभी उबर सकते हैं जबकि उनके साथ शामिल व्यक्ति या व्यक्तियों को अन्यत्र कहीं से धन मिलने लगे। जब पोल खुली तो केवल एक ही बैंक ऐसा था जिसने यह गलती की थी और उसे यह मालूम था कि इस तरीके से अपराधी बच सकता है और उसने उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ी धनराशि दे दी और यह मामला वहीं पर समाप्त हो गया। मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति, इस संस्था के लिए नहीं। नितांत जरूरी है कि वह यह पूछे कि उस बैंक का अध्यक्ष कौन था, मैं समझता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने राष्ट्रीय आवास बैंक के संदर्भ में अन्तत: शब्द का प्रयोग ठीक ही किया है।

अभी तक राष्ट्रीय आवास बैंक का जो अध्यक्ष था। उसे वित्तीय मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है परन्तु जिस वित्तीय संस्थान के लिए वह उत्तरदायी था उसे छोड़ते समय वह भी संदेह के घेरे में आ गया। उस विशेषज्ञ का नाम सुझाने के लिए जिम्मेवार कौन है इसके बारे में अब कोई संदेह नहीं है और न ही इस बारे में कोई संदेह है कि उस बैंक का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था और किस बारे में वह संदेह के घेरे में आ गया?

यहां उन दो सरकारों के बीच अन्तर है पहली सरकार का दोष यह है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष के तौर नियुक्त किया जो संदेहास्पद था और दूसरी सरकार का दोष यह है कि उसने उस व्यक्ति को हटाया नहीं। साथ ही मैं देश की मौजूदा सरकार श्री पी० वी० नरसिंह राव की सरकार को बधाई देना चाहता हूं। श्री फेरवानी का अपने पूरे कार्यकाल के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास रहा कि देश के इस महत्वपूर्ण बैंक के लिए उनकी वित्तीय प्रतिभा बहुत आवश्यक है परन्तु इसके बावजूद सरकार ने उनकी सेवा से पुष्टि नहीं की जब तक वह कदाचार से बिल्कुल मुक्त नहीं कर दिए जाते। और इसीलिए राष्ट्रीय आवास बैंक काफी लम्बे समय तक एक पूर्ण रूप से नियुक्त अध्यक्ष के बगैर काम करता रहा। मैं समझता हूं कि यह जांच करना संयुक्त संसदीय समिति की जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि 85 करोड़ लोगों में से, जिस सरकार पर मैंने कल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया था, उस सरकार ने उस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष कैसे मनोनीत किया। उस सरकार ने ऐसा क्यों किया? किसके जरिए किया? यह लोग कौन थे जिन्होंने आकर उनसे बात की? यह भी प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को इस तरह क्यों चुना गया। मुख्य प्रश्न होने के कारण मेरा इससे कुछ लेना-देना नहीं है। परन्तु क्योंकि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बिलकुल ठीक ही इसके लिए बैंक को

जिम्मेदार ठहराया है।" मैं समझता हूं कि हमें इस प्रश्न की संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जांच करनी चाहिए।

अन्दर ही अन्दर यह काम हो रहा था। हमारे पास जो साक्ष्य हैं क्या उनका मतलब है कि यह गुपचुप काम 1992 के बजट के दिन से आरम्भ हुआ जिस दिन से केवल श्री मनमोहन सिंह जिम्मेदार हैं? क्या यह 21 जून, 1991 से शुरू हुआ जबकि केवल श्री नरसिंह राव की सरकार जिम्मेदार है? क्या यह इससे पहले शुरू हुआ? हमें यह जानने की आवश्यकता है कि क्या यह व्यवस्था की असफलताएं थीं जिनके कारण अन्दर ही अन्दर चुपचाप काम हुआ और इसका कुछ श्रेय हमारी सरकार को है जिसने देश में अन्दर ही अन्दर चुपचाप हो रहे कामों की बुराइयों का पता लगाया और उसे उस अधिनियम में लाए जिसका उल्लेख मैंने एक मिनट पूर्व किया और जिस अधिनियम के अन्तर्गत सेबी पुन: अस्तित्व में आया।

हमें इस पर दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ईमानदारी और निष्पक्षता से विचार करना चाहिए। मुझे यह निवेदन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने इस सभा में बहुत ही खतरनाक सिद्धान्त के बारे में सुना है, एक फासीवादी सिद्धान्त के बारे में सुना है, एक ऐसे सिद्धान्त के बारे में सुना है जिसे हिटलर के देश जर्मन में केवल एक कानून के रूप में लागू किया गया था, जिसे एक विपरीत विधिशास्त्र के रूप में लागू किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि श्री जसवन्त सिंह ने दूसरे संदर्भ में हमें बताया कि मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि वह उन लोगों में से एक है जिन्होंने इस वाद-विवाद की शुरूआत की थी, ऐसे मामलों में दोष का पता लगाया जाना चाहिए और बेगुनाही साबित की जानी चाहिए। मेरी सरकार न तो इस सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहती है और न ही हम इसे वर्गीकरण के रूप में श्री जार्ज फर्नान्डीज पर लागू करने के इच्छुक हैं। जो साक्ष्य दिए गए हैं उनके आधार पर जब तक न्यायालय उन्हें दोषी करार नहीं दे देता है तब तक मैं यह समझता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज बेगुनाह आदमी हैं। मैंने तीन शब्दों का इस्तेमाल किया था जिन्हें सभापति महोदय ने निकाल दिया था उनका इस्तेमाल ब्रिटेन की संसद में किया गया था। मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें क्यों निकाला गया है। चूंकि मैं इन तीन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हू इसलिए मुझे चौथे शब्द का प्रयोग करने की अनुमति चाहिए। मुझे श्री जसवन्त सिंह का इस सभा में खड़ा होकर एक ऐसी महिला पर आरोप लगाना एकदम गैरजिम्मेदाराना लगता है जो इस देश के लिए शहीद हुई और जिसने मेरी पार्टी का नेतृत्व किया। हालांकि उनसे कुछ राजनैतिक गलतियां भी हुई हैं। परन्तु बहुत से राजनैतिक कृत्यों का श्रेय भी उन्हें जाता है। उन पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी की हत्या में किसी तरह से शामिल होने का आरोप लगाना गलत है जो कि कार दुर्घटना में मारा गया था। मैं यह क्यों मानकर चलूं कि श्री जसवंत सिंह और उनके दूसरे लोग जो कि इस तरह के कार्य करने में सक्षम हैं, ऐसा कह रहे हैं कि इस महान कांग्रेस परम्परा से जुड़े लोग इस प्रकार के कार्य के लिए उत्तरदायी हैं। सभापति महोदय, मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि विपर्यय न्याय-शास्त्र के सिद्धान्त के नाम पर विपक्ष को किसी व्यक्ति पर ऐसे आरोप लगाने का अधिकार है जिसे वह सही मानता है जब तक कि वह व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोप को झूठ साबित करने में सफल न हो जाए। यह नैसर्गिक कानून और हमारे संविधान का पहला सिद्धान्त है। और अगर यह हिटलर का न्याय-शास्त्र न हो तो यह न्याय-शास्त्र का भी पहला सिद्धान्त है कि जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आरोपित व्यक्ति को निर्दोष माना जाना चाहिए। आरोप नि:संदेह लगाए जा सकते हैं जिसकी जांच के लिए प्रक्रिया निर्धारित है। यह संभव है कि पुलिस द्वारा दर्ज एफ. आई. आर. गलत साबित हो; यह

[श्री मणि शंकर अय्यर]

संभव है कि किसी व्यक्ति पर चलाये जा रहे मुकदमे को न्यायालय खारिज कर दे और साथ ही यह भी सत्य है कि मुकदमे की इस लंबी प्रक्रिया में आरोपित व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ित होना पड़ता है। लेकिन सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि एक बार दुर्घटना में कुछ पुलिस अधिकारी मर गए थे, हम अपने कानून तंत्र में किसी भी दृष्टि से यह नहीं कह सकते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी हत्यारिन थी या हत्या में सहअपराधिन थी। जब इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, मैं आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिए चार विशेषणों का प्रयोग करूंगा। पहला लोप हुआ, दूसरा लोप हुआ, तीसरा भी लोप हुआ और चौथा ढोंगी।...(व्यवधान)

मैं यह मानने को तैयार हूं कि मैं ऐसी व्यवस्था का बहुत प्रशंसक हूं जिसमें श्री क्लार्क क्लीफोर्ड जैसे व्यक्ति को भी अपराध करने के कारण जेल जाना पड़ता है। मेरा मानना है कि इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री कानूनी रूप से किसी अपराध के लिए उत्तरदायी है तो उन्हें भी जेल जाना चाहिए। (व्यवधान) या अगर कोई वास्तव में डायनामाइट मामले में शामिल हैं तो उसे भी जेल जाना चाहिए। लेकिन जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने हजारों लोगों की हत्या करने का प्रयास किया था, मैं उन्हें निर्दोष ही मानूंगा। हालांकि यह बात प्राप्त सभी सूचनाओं के विरुद्ध है, फिर भी एक लोकतांत्रिक और एक गैर भाजपा सदस्य होने के नाते मैं यह मानता हूं कि वह निर्दोष है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप तो अभी सदन में नए आए हैं। इस सदन में इसके पहले एक नहीं दो बार हमको टोका गया था कि हमने डायनामाइट का इस्तेमाल किया था। मैंने किया था और मैंने इस सदन में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के रहते हुए इस बात को कहा था कि इस देश में फिर कोई तानाशाही लावे तो मैं फिर डायनामाइट का इस्तेमाल करूंगा बल्कि पिछली बार की बेवकूफियों को नहीं करूंगा उससे अधिक मजबूती से करूंगा। जहां तानाशाही होगी तो वहां कोई भी रास्ता तानाशाही को बैठाने के लिए दुरुस्त है।...(व्यवधान)।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं एक अन्य बहुत ही संवैधानिक मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूं जिसे कि मैं सोचता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब भारत के केन्द्रीय बैंक की स्थापना हुई थी...

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अभी-अभी जार्ज साहब ने कहा है कि अगर तानाशाही होगी तो जैसे डायनामाइट पहले हुई थी तो उससे अधिक मजबूती से करूंगा। इसमें अलग-अलग विचार हैं। हो सकता है कि मेरे विचार में या आपके विचार में तानाशाही हो। इस सदन में अगर वरिष्ठ लोग चैलेंज करते हैं हम डायनामाइट का इस्तेमाल करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह देश के लिए अच्छा नहीं है। जार्ज साहब ने जो कहा वह नहीं कहना चाहिए... (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री राम नाईक) : इसमें प्वाइन्ट आफ आर्डर की बात नहीं है, आपके विचार हैं और उनके विचार हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : सभापति महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज का आभारी हूं जिन्होंने हमारा ध्यान इस दस्तावेज की ओर खींचा, जो कि मैं सोचता हूं··· (व्यवधान)·· मैं दूसरे मुद्दे की बात कर रहा था। हस्तक्षेप करने के समय मैं यह बता रहा था कि 1937 में रिजर्व बैंक की स्थापना किए जाने के वक्त इसे सरकार के नियन्त्रण से अलग रखने के उद्देश्य से एक विशेष अधिनियम लाया गया था। तब से लेकर वह अधिनियम लागू है। शायद मैं गलत कह गया, यह 1937 की नहीं, 1935 की बात है। ब्रिटिश-काल के दौरान जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी संसद ने जान-बूझकर एक अधिनियम बनाया था जिसका उद्देश्य रिजर्व बैंक को भारत सरकार के संदर्भ में कुछ स्वायतत्ता प्रदान करने की थी। और आजादी के बाद न सिर्फ उस स्वायतत्ता को बनाए रखा गया बल्कि उसे और भी सुदृढ़ किया गया। मैं सोचता हूं कि अगर हम अपने देश के केन्द्रीय बैंक को सरकार के पूर्णतया अधीन कर देते तो वह बैंक अपने कार्य का निर्वाह करने में सक्षम नहीं हो पाता। उसी प्रकार अगर रिजर्व बैंक के द्वारा कोई भूल-चूक हुई हो तो इसके लिए केन्द्र सरकार को स्वतः ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मेरे विचार से हमें स्पष्ट रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर देश के केन्द्रीय बैंक के द्वारा कोई गलती हो गयी हो तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए, इस बात का मूल्यांकन उस अधिनियम के आधार पर किया जाना चाहिए जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी और जिसके आधार पर यह अब तक कार्य करता रहा है। सरकार के उत्तरदायित्व के संबंध में जार्ज साहब ने कार्य सम्बन्धी नियम की ओर ध्यान दिलाकर मेरे विचार से बहुत अच्छा किया है। मैं एक असैनिक अधिकारी की हैसियत से कई वर्षों तक इन कार्य-सम्बन्धी नियमों से जुड़ा रहा हूं और मुझे यह पता नहीं था कि इन्हें कब प्रख्यापित किया गया। मैं अपने मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज का बहुत ही आभारी हूं जिन्होंने मेरे अल्प-ज्ञान में इस सूचना को जोड़ा है कि कार्य सम्बन्धी नियम 24 जनवरी 1961 को बनाए गए थे और तब से लेकर इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के अन्दर जो भी खामियां रही है, चाहे वह 1964 तक पंडित जवाहर लाल नेहरू की सरकार हो या जनवरी 1966 तक श्री लालबहादुर की या 1966 से 1977 तथा 1980 से 1984 के बीच श्रीमती इन्दिरा गांधी की या 1984 से 1989 के बीच श्री राजीव गांधी की या 1991 से अब तक श्री पी०वी० नरसिंह राव की या फिर 1977 से 1979 के बीच जनता पार्टी की या 1989 से 1990 के बीच राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हो या फिर श्री चन्द्रशेखर की 1990 से 1991 की अन्तर्कालिक सरकार हो, सभी को एक ही कसौटी पर मापा जाना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रक्रिया मे कोई खामी पायी जाती है या यह पाया जाता है कि 1991 में व्यवस्था में दोष था तो 1991 में जो वित्त मंत्री थे उन्हें भी उतना ही दोषी माना जाना चाहिए जितना कि 1990 के वित्तमंत्री को। अगर यह दोष 1977 में भी व्याप्त था तो तत्कालीन विदेश मन्त्री को भी दोषी माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम हंस को अच्छा दाना खिलाया जाए और नरहंस को अन्य प्रकार का दाना। हमें तो सभी के लिए समान कानून का पालन करना होगा खासकर उस कानून का जिसकी तिथि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बतायी हैं। मैं कोई उस तिथि को प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। 24 जनवरी 1961 को बने कार्य-संबंधी नियम में एक बार भी संशोधन नहीं हुआ। अगर इस बात को ध्यान में रखें तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या एक अवांछित व्यक्ति श्री रत्नाकर को पकड़ा जाना चाहिए था चाहे वह 29 नवम्बर 1989 और 21 जून 1991 के दौरान उत्कर्ष पर रहे हों या नहीं हो? क्या श्री मनमोहन सिंह को श्री रत्नाकर के द्वारा 21 जून 1991 और 2 जनवरी 1992 जिस दिन उन्होंने इस पद का प्रसन्नतापूर्वक त्याग किया के बीच किए गए किसी कार्य या

[श्री मणि शंकर अय्यर]

छोड़ दिए गए कार्य के लिए दोषी माना जाना चाहिए ? अगर उन्हें उस सज्जन और उनके साथियों द्वारा 6 महीने और कुछ दिन की अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए दोषी ठहराया जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि जिन लोगों ने उन्हें नवम्बर 1990 से 20 जून 1991 के बीच और 29 नवम्बर 1982 से 7 नवम्बर 1990 के बीच पनपने का मौका दिया, उन लोगों को बचने का मौका मिलना चाहिए ।

और यदि ऐसा ही माना जाए कि वे मंत्री श्री रत्नाकर की ज्यादती के लिए उत्तरदायी नहीं है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस घटना के लिए केवल श्री मनमोहन सिंह को ही उत्तरदायी माना जा सकता है । पुन: हम वापस उसी प्रश्न पर आ जाते हैं कि पहले यह प्रणाली की विफलता का मामला ही बनता है और तत्पश्चात ही व्यक्ति विशेष का सवाल उठता है ।

महोदय, हमें बैंक आफ कराड के बारे में बताया गया कि इस बैंक की पूंजी केवल 30.72 लाख रुपए है—मैं तो सही आंकड़े देने के लिए आपका आभारी हूं, यह तो वह जानकारी है जिससे मुझे मामले की गहराई से वास्तविकता का पता चल सकता है—और यह बैंक 1,700 करोड़ रुपए की बैंक प्राप्तियों में संलिप्त रहा । अब मैं यह नहीं समझता कि बैंक प्राप्तियों के 1,200 करोड़ मूल्य तक पहुंचने के पश्चात ही यह घोटाला शुरू हुआ । घोटाला तो बैंक प्राप्तियों के 30.72 लाख रुपए होने के पश्चात से ही शुरू हो गया था । उस समय किसकी सरकार थी जब बैंक आफ कराड ने अपने पूंजीगत मूल्य के बराबर के मूल्य की बैंक प्राप्तियों का कारोबार शुरू किया ? किसकी सरकार ने इसमें 30.72 लाख रुपए से अधिक वृद्धि करने की अनुमति दी ? वह किसकी सरकार थी जो उस समय चुप रही जब यह राशि 30.72 लाख रुपए से बढ़कर एक करोड़ हो गई, एक करोड़ से पांच करोड़ हो गई, पांच करोड़ से पचास करोड़, पचास करोड़ से सौ करोड़, सौ करोड़ से पांच सौ करोड़ और पांच सौ करोड़ से एक हजार करोड़ हो गई ? यदि यह राशि 30.72 लाख रुपए से बढ़कर 1,199 करोड़ रुपए नहीं होती तो यह 1200 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंच पाती । इसलिए दोषी व्यक्तियों का पता लगाने से पहले यह पता लगाएं कि यह प्रणाली उस दौरान कहां चूकी जब इसमें कई व्यक्ति संलिप्त हो गए ।

अब मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के कार्यकरण के बारे में बताता हूं । उन्होंने स्वयं को इस घोटाले से कैसे जोड़ा, बड़े-बड़े दिग्गजों से मेलजोल कैसे बढ़ाया, प्रशासन तक उनकी सहज पहुंच कैसे हुई, एक-दूसरे को उपहार देने का कारोबार कैसे चला, हर्षद मेहता से उपहार किस प्रकार लिए गए और बदले में बड़े-बड़े उपहारों के लिए छोटे-छोटे उपहार किस प्रकार दिए गए ? क्या यह सब 21 जुलाई, 1991 से अप्रैल, 1992 के अन्त की किसी तारीख तक ही चला ? क्या स्टैंडर्ड बैंक 29 नवम्बर, 1989 से 20 जून, 1991 तक अनपेक्षित गतिविधियों, यहां तक कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहा ? और यदि ऐसा है तो क्या हम अपनी इस व्यवस्था के लिए उन दिनों के जिम्मेवार व्यक्तियों से ऐसा न कहें कि वे आगे आएं और स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेवारी कबूल करें ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं समझता हूं कि आप उस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं जिस पर अधिक ध्यान देने और अधिक समय लगाने की आवश्यकता नहीं है । वित्त मंत्री आए और चले गए, चाहे उन्होंने अपने कार्यकाल में ठीक किया अथवा गलत, लेकिन अब वे हमारे साथ नहीं है । हमारा सम्बन्ध वर्तमान से है । हम तो श्री मनमोहन सिंह से ही पूछ ताछ कर सकते हैं ।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वे आए और चले गए। हम उनसे इस्तीफा नहीं मांग सकते क्योंकि भारत की जनता ने पहले ही उन्हें निकाल बाहर कर दिया है। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि श्री मनमोहन सिंह को इन गलतियों के लिए जिम्मेवार ठहराया जाए जो उनके कार्यभार संभालने से पहले की गई और जब हम सभी को रिकार्ड से मालूम यह हुआ कि उनके कार्यभार संभालने के लगभग दो सप्ताह के अन्दर भारतीय रिजर्व बैंक ने एहतियात के तौर पर यह कहा कि यदि ऐसी प्रक्रियात्मक अनियमितताएं चलती रहीं तो वे मुसीबत में फंस जाएंगे तो मैं यह बात स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : आप बिना कारण श्रेय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि यह प्रपत्र डा० मनमोहन सिंह के कार्यभार संभालने से पहले जारी किया गया हो।

श्री मणि शंकर अय्यर : श्री भूपेन दलाल के पुत्र का उल्लेख किया गया है। श्री भूपेन दलाल का नाम आया जो हमारे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज के लिए जानकारी हासिल करने का स्रोत है। अतः मेरा अनुरोध है कि श्री भूपेन दलाल और जार्ज फर्नान्डीज के बीच मित्रता के बारे में भी संयुक्त संसदीय समिति जांच करे।

म० प० 4.40

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं जानना चाहता हूं कि भूपेन दलाल के पुत्र बैंक आफ कराड के निदेशक कब बने या बैंक आफ कराड के निदेशक कब तक बने रहे। क्या तत्कालीन सरकार के रेल मंत्री ने अपनी सरकार के गुनाहों की सामूहिक जिम्मेवारी लेते हुए, क्या उस सरकार के कश्मीर मामलों के वस्तुतः मंत्री ने उस मंत्रीमण्डल के, जिसमें वे सिलवटें वाला पायजामा पहने नियमित रूप से आया करते थे, समक्ष खड़े होकर यह बताया कि इस देश को अपने गुनाहों से कलुषित करने वाला उनके मित्र, उनके घनिष्ट मित्र श्री भूपेन दलाल का पुत्र—बैंक आफ कराड का निदेशक है? क्या उस समय उन्होंने खड़े होकर यह कहा था कि उनके पास बैंक आफ कराड की एक रिपोर्ट है, जिसके आवरण पर श्री शरद पवार का फोटो छपा है? तब उन्होने ऐसा नहीं किया। जब यह सब आप जानते थे तो मुझे मालूम नहीं था।

इसमें अन्तर इतना है कि उस समय श्री भूपेन दलाल ने उन्हें यह नहीं बताया कि वह किस तरह का अपराधी है और अब वे निरन्तर स्पष्ट रूप से श्री जार्ज फर्नान्डीज को अपनी सब गतिविधियों के बारे में बताते हैं, इसलिए मंत्री रहते हुए वे इनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सके। और अब वे कहते हैं कि क्योंकि भारत की जनता ने उन्हें इस सभा से इस सरकार से निकाल बाहर कर दिया है इसलिए वे उनकी ज्यादतियों के लिए जिम्मेवार नहीं हैं। और अब वे मेरे मित्र श्री मनमोहन सिंह को इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं इस देश में हो रहे महान परिवर्तनों के मसीहा हैं, ये वो महापुरुष हैं जो भारत को 21वीं सदी की महान आर्थिक शक्ति बनाने के सूत्रधार हैं। आप उन पर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान ढर्रे पर चलने वाले नहीं हैं। वे तो ईमानदार और निष्ठा के प्रतीक हैं। अब वह महानुभाव जिन्होंने भारत के प्रधान मंत्री के रूप में इस व्यक्ति को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था, इस सज्जन के विरुद्ध जो अब वित्त मंत्री हैं नियमित रूप से इस सभा में बोलते हैं। यह महानुभाव इतने अप्रतिष्ठित

[श्री मणि शंकर अय्यर]

हो गए हैं कि अब वह न केवल प्रधान मन्त्री पद खो चुके हैं बल्कि इतिहास में वे एक पाद टिप्पणी, एक अत्यन्त तुच्छ पादटिप्पणी के रूप में अंकित हो गए हैं क्योंकि वे ईर्ष्या और आक्रोश से भरे हुए हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को भला-बुरा कहने में लगे हैं लेकिन वह अपने प्रयोजन में सफल नहीं हो पाएंगे।

यही बात बैंकिंग पर भी लागू होती है जो संसदीय जांच का विषय नहीं है। यदि, जैसा कि मेरा विश्वास है और श्री जार्ज फर्नान्डीज भी इससे सहमत हैं, बैंकों को संसदीय जांच के दायरे में ले लिया जाता, तो 1977 और 1989 में, जब वह दो बार मन्त्री बने, तो इस मामले में कुछ न कुछ अवश्य करते। अब मुझे उम्मीद है कि संयुक्त संसदीय समिति के परिणामों में से एक परिणाम ऐसा होगा जिस पर हम संयुक्त रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकेंगे।

यह बात बैंक रसीदों पर भी उतनी ही लागू होती है। बैंक रसीदें 21 जून 1991 से शुरू नहीं हुई। यदि बैंक रसीदें नहीं होतीं तो यह घोटाला भी नहीं होता। मैं समझता हूं कि दिसम्बर 1984 से जनवरी, 1987 तक भारत के वित्त मन्त्री रहे महानुभाव सहित पिछले वित्त मन्त्रियों का कर्तव्य बन जाता है कि वे इस तरह की बैंक रसीदों की व्यवस्था, जैसी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने हमें दिखाई है जिसके बिना ऐसा घोटाला हो ही नहीं सकता था की अनुमति देने की जिम्मेवारी स्वयं कबूल करें।

इसी प्रकार इस मामले में चार विदेशी बैंकों का लिप्त होने का मामला सभी विदेशी बैंकों के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि इन विदेशी बैंकों के अपराध के बारे में जो इस घोटाले में इतना अधिक लिप्त हो गए थे, पिछले कुछ सप्ताहों के बजाय पहले ही जानकारी थी तो इन बैंकों को उसी समय बन्द कर दिया जाना चाहिए था जिस समय इन बैंकों की इस प्रकार की गतिविधियों का पता चला। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पिछली दो सरकारों द्वारा उन्हें अपना कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई। मैं नहीं समझता कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड अथवा किसी अन्य के गुनाहों के लिए वित्त मंत्री को किस तरह जिम्मेवार ठहराया जा सकता है।

इसके साथ-साथ एक आरोप यह भी लगाया गया कि इन विदेशी बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये विदेशी बैंक सरकारी अधिकारियों के बच्चों अथवा अन्य संबंधियों को अपने बैंकों में रोजगार देते हैं। पिछली दो सरकारों के कार्यकाल के दौरान ये संबंधी इन विदेशी बैंकों के कर्मचारी थे। यदि यह कोई अपराध है जैसा कि भारत सरकार के कुछ सचिवों के बारे में कहा जा रहा है जिनके बच्चे सिटी बैंक अथवा चार्टर्ड बैंक में नियोजित हैं, तो ठीक है यह उनकी जिम्मेवारी थी, जो उस समय सत्ता में थे जब यह अपराध प्रारम्भ में किया जा रहा था, कि वे इस अपराध को रोक देते।

उन्होंने ऐसा होने दिया। अगर उन्होंने इतनी संख्या में अपने अधिकारियों को अपने बच्चों को इन बैंकों में काम करने की अनुमति न दी होती; तो वे आज यह कहने की स्थिति में न होते कि "जब हम इन बच्चों को काम करने की अनुमति देते हैं, तब हम गलती नहीं करते किन्तु जब आप काम करने की इजाजत देते हैं तब आप उनसे सांठ-गांठ करते हैं।"

यही बात श्री कृष्णामूर्ति पर लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। पहले हमें बताया गया कि जिस दिन उन्होंने त्यागपत्र दिया, उन्होंने सात कम्पनियां स्थापित कीं। इसमें

संशोधन करके बाद में यह कहा गया कि जिस दिन उन्होंने त्यागपत्र दिया; उस दिन सात कम्पनियां सामने आईं। अगर ये कम्पनियां सामने आई थीं···

[हिन्दी]

यदि उस दिन ये सात कम्पनियां उस सरकार के सामने आ गई थीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस समय की सरकार ने क्यों तुरन्त और फौरन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की ? क्योंकि ये मासूम थे, इसलिए नहीं की। आज यहां उठकर इस किस्म के गलत इल्जाम एक व्यक्ति के ऊपर लगाना जो कि न केवल इस सदन में मौजूद नहीं, मगर जिन्होंने बड़ी वफादारी से इनकी, जबकि आप मंत्री थे आपके सचिव रहे, सेवा की। इस किस्म की बेवफाई की वजह से आप वहां है और हम यहां है। हम वफादार हैं। हम जानते हैं कि अपने सिद्धान्तों पर सेनापति कैसे बन सकते हैं और हमारे सिद्धान्तों के सेनानी कैसे बना सकते हैं। आप इन दोनों को नहीं जानते और एक व्यक्ति जिन्होंने कि आपकी सेवा की, उसको पकड़कर उसके ऊपर ऐसे गलत इल्जाम लगाना, मुझे लगता है कि···(व्यवधान)···

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : सरकार की सेवा की या इनकी सेवा की ?

श्री मणिशंकर अय्यर : इनकी सेवा की, सरकार की केवल नहीं।

श्री हरि किशोर सिंह : बता दीजिए कि इनकी क्या सेवा की।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं बताऊंगा। जिस दिन जार्ज फर्नान्डीज साहब अपनी स्ट्रीप-टीज खत्म करते हैं, उस दिन मैं भी अपनी खत्म कर दूंगा। मैं जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने ओ०एन०जी०सी० के पिछले दो वर्ष के हिसाब-किताब का उल्लेख किया है। उन्होंने स्वयं यह कहा था कि वे पिछले दो वर्षों का उल्लेख कर रहे हैं। हम केवल एक वर्ष से सत्ता में हैं तथा अप्रैल 1992 में आरम्भ हुए वर्ष के लिए अभी तक लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। लेखा उन्हीं की सरकार को प्रस्तुत किया गया था। श्री जार्ज फर्नान्डीज के अनुसार इससे पता चलता है कि उनकी सरकार ओ० एन० जी० सी० अधिनियम को तोड़ने में मिलीभगत करने की दोषी थी। उन्हें पहले इस बात का पता क्यों नहीं चला ? उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का पहले ज्ञान नहीं था तथा आज ही उन्हें किसी ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी। किस तरह के मंत्री वह रहे हैं ? वर्ष 1977 से 1979 तक वे मंत्री रहे। अब ओ०एन०जी०सी० अधिनियम लागू था। वर्ष 1989-90 के दौरान वे मंत्री रहे तब भी ओ०एन०जी०सी० अधिनियम लागू था। आज उन्हें इस बात की चिन्ता हुई है क्योंकि उन्हें आज ही इस बात का पता चला है। महोदय, क्या आपको आश्चर्य हो रहा है कि भारत के लोगों ने उन्हें नकार दिया ? हम ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को सहन नहीं कर सकते। अब प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। उन्होंने ओ०एन० जी०सी० 'सेल, पोर्ट ट्रस्ट सभी का उल्लेख किया है। यह बात स्पष्ट है कि सभी सार्वजनिक उपाय अपनी फालतू राशि दलालों के माध्यम से शेयर बाजार में लगा रहे थे। क्या यह कोई व्यक्तिगत असफलता थी या प्रणालीगत दोष था ? मेरे विचार में यह कोई प्रणालीगत दोष था। पहले हमें इस दोष का पता लगाना होगा फिर उसके निवारण का प्रयत्न करना होगा। एक बार जब हम इस त्रुटि का निवारण कर देंगे तब हम जान पायेंगे कि इस घोटाले में कौन-कौन लोग संलिप्त हैं और किन लोगों के अपराधियों के साथ आपराधिक संबंध हैं। उनके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही की जानी चाहिए।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

केवल पत्रकार सम्मेलनों में यह कहना कि "मेरे पास नामों की सूची है; मेरे पास सात मंत्रियों के नाम हैं; मैं उनके नामों की कल घोषणा कर दूंगा; मैं परसों उनके नामों की घोषणा कर दूंगा;" इस प्रकार की नौटंकी किसी फिल्म अभिनेत्री के लिए तो ठीक लगती है; परन्तु इस सदन के माननीय सदस्य को यह बात शोभा नहीं देती।

महोदय, मैं सदन का ध्यान श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा राजीव गांधी न्यास के सम्बन्ध में लगाए एक बहुत ही गंभीर तथा निराधार आरोप की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले जब उन्होंने यह आरोप लगा कर कि राजीव गांधी न्यास ने श्री टी०बी० रुइंया तथा अन्य लोगों से शेयर घोटाले के प्रकाश में आने के बाद राशि वसूल की, यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि सरकार तथा राजीव गांधी न्यास के बीच कोई सांठ-गांठ है। वह यह साबित करने का प्रयत्न कर रहे थे कि राजीव गांधी न्यास के लिए दिया गया धन वास्तव में भारत सरकार को दी गई रिश्वत है। संस्थागत स्तर पर तथा व्यक्तिगत स्तर पर मैं इस पर गहरी आपत्ति करता हूं क्योंकि यद्यपि श्री जार्ज फर्नान्डीज यह नहीं जानते कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति निष्ठावान कैसे रहा जाता है, जो कि आपके प्रति सद्भावना रखता हो; फिर भी मैं अपने इस सिद्धांत से पीछे नहीं हट सकता कि अपने से अच्छाई का व्यवहार करने वाले के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए।

मैं उस स्वर्गीय व्यक्ति तथा उनकी विधवा, जो कि इस राजीव गांधी न्यास की अध्यक्ष है, की प्रतिष्ठा को लांछन लगाने वाले आधारहीन आरोपों को चुपचाप नहीं सहूंगा।...(**व्यवधान**)। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है।

जब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने विवियन बोस जांच आयोग से कुछ अंशों को उद्धृत किया उसमें भी इस घोटाले में संलिप्त लोगों द्वारा कांग्रेस फंड में योगदान देने की बात का उल्लेख किया गया। जब उन्होंने यह अंश पढ़ा तथा फिर एक रहस्यपूर्ण बनावटी मुस्कराहट चेहरे पर लाकर बैठ गये तो उससे हमें पता चला कि जिन भ्रामक हथकंडों के लिए वह जाने जाते हैं, उसी के अनुरूप वह यह साबित करने का प्रयत्न कर रहे है कि राजीव गांधी न्यास वास्तव में कांग्रेस फंड ही है। ऐसा नहीं है। यह न्यास इस शताब्दी के एक महान भारतीय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया है। अगर श्री जार्ज फर्नान्डीज का इरादा कांग्रेस फंड तथा राजीव गांधी न्यास में कोई समानता स्थापित करने का नहीं था, तो राजीव गांधी न्यास को दी गई धन राशि का उल्लेख करने का उनका और क्या प्रयोजन था; मुझे इसकी समझ नहीं आई।

राजीव गांधी न्यास कोई सी०बी०आई० का कार्य नहीं कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जो उसमें अंशदान देता है उसके पूर्व वृत्त की जांच कराना इसका कार्य नहीं है। राजीव गांधी न्यास एक ही चैक अस्वीकार करेगा। यह वह चैक है जो कि श्री जार्ज फर्नान्डीज के अपराधी हाथों से मिलेगा।

मैं इन हाथों को अपराधी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे विचार में जब संयुक्त संसदीय समिति प्रणालीगत असफलता के पहलू की जांच करेगी तो उसे उस प्रणालीगत असफलता की भी जांच करनी चाहिए जिसके कारण न्यू इंडिया को-ओपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ जिसके कीचड़ में श्री जार्ज फर्नान्डीज घुटनों तक नहीं, कमर तक भी नहीं, गर्दन तक ही नहीं बल्कि सिर तक डूबे हुए हैं तथा अगर उनके सगे भाई नहीं तो उनके कम से कम राजनैतिक भाई श्री रणजीत भानु इस बैंक के अध्यक्ष हैं। अगर श्री मनमोहन सिंह द्वारा चलाई जा रही प्रणाली असफल न होती तो श्री

जार्ज फर्नान्डीज तथा उनके मित्र न्यू इण्डिया कोप्रेटिव बैंक में आपराधिक मामलों में संलिप्तता के बावजूद इस प्रकार नहीं छूट जाते।

मेरा यह सुझाव है कि अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त संसदीय समिति को श्री जार्ज फर्नान्डीज के इस बैंक तथा भूपेन दलाल के साथ सम्बन्धों की भी जांच करनी चाहिए।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मुझे दो बातें कहनी हैं। एक बात सफाई के तौर पर और एक बात जो अन्तिम कही गई है उसके बारे में सफाई के तौर पर मुझे यह कहना है, क्योंकि सदन में जब लोग अपने भाषण देते हैं तो कई चीजें मजाक में भी होती हैं तो मैं एक बात के बारे में सफाई करना चाहता हूं चूंकि आपने बार-बार यहां पर भूपेन दलाल और जार्ज फर्नान्डीज की दोस्ती, मित्रता कनफिडिऐलिटी और कई शब्दों का इस्तेमाल करके बात बताई।

भूपेन दलाल मुझे आज एक हफ्ते के पहले जेल से छूटने के बाद मिलने के लिए आया। (व्यवधान) इस कांड के बारे में जो भी बात उनको मुझसे कहनी थी वह बात मुझसे कही, इसके पहले मेरा भूपेन दलाल से न कोई पहचान, न कोई संबंध रहा है और इस बात को मैं केवल रिकार्ड के वास्ते कहना चाहता हूं बाकी इसकी बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात न्यू इंडिया कोआपरेटिव बैंक के बारे में इन्होंने कही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी जांच इस सरकार को करनी है और ज्वाइन्ट पार्लियामेंटरी कमेटी के अन्तर्गत उसको करनी है तो मेरी चुनौती है, आपका पुरुषार्थ है आप करिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम काफी लम्बे समय से एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं तथा मेरा विचार है कि यह चर्चा आज ही समाप्त हो जानी चाहिए। अभी तक हमने सदस्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने से नहीं रोका है और न ही हमारी ऐसी कोई इच्छा है परन्तु क्योंकि इस चर्चा को आज ही समाप्त करना है। इसलिए मुझे आशा है कि सदस्य इस संबंध में मुझसे सहयोग करेंगे।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को इस संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त करने का अनुरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे ऐसे समय में बोलने के लिए कह रहे हैं जबकि आपने पहले ही एक सीमा निर्धारित कर दी है। बेशक मैं दो घंटे 20 मिनट तक बोलना नहीं चाहता। परन्तु मुझे आशा है कि कम से कम मुझे 20 मिनट का समय अवश्य ही दिया जायेगा। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति का गठन होने ही वाला है; इसके विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है; तथा इसके गठन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। महोदय, आपने जो पहल की है, उसके परिणामस्वरूप मुझे आशा है कि यह कार्य एक दो दिन में सम्पन्न हो जाएगा तथा फिर संयुक्त संसदीय समिति अपना कार्य आरम्भ कर सकती है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं कि कोई जाने-अनजाने अपने भाषण अथवा चर्चा द्वारा संयुक्त संसदीय समिति के कार्य में बाधा डाले क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति सारे सदन का सांझा संगठन है तथा हम सबने मिल कर इसकी कार्य प्रणाली निर्धारित की है और यहां पर प्रत्येक यह समझता है कि संयुक्त संसदीय समिति इस मुद्दे की संसद द्वारा व्यापक जांच के लिए हमारे द्वारा बनाया गया सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाला तथा निष्पक्ष उद्देश्यपूर्ण माध्यम है। मैं ऐसा एक कारण से कह रहा हूं। प्रधान मंत्री के लिए किसी असम्मान की भावना के बगैर मैं यह कहना चाहूंगा कि

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जो वक्तव्य प्रधान मंत्री महोदय ने दिया; वह संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए मुद्दों के अनुरूप नहीं है। निस्संदेह मैं उनकी मजबूरियों को समझता हूं क्योंकि समाचार पत्रों तथा प्रेस में…

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ न्याय करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव भी सरकार की ओर से ही आया है अथवा हो सकता है कि यह प्रधान मंत्री की ओर से, ही आया हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सच है। कुछ दिनों से प्रैस में कुछ मंत्रियों के नामों की चर्चा थी।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह जो कहा कि मेरे कहने पर इसका गठन हुआ है, यह आपका बड़प्पन है। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सुझाव सरकार की ओर से आया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत से मंत्रियों पर उनका नाम बताये बिना इस घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया जा रहा था। पिछले कुछ सप्ताह से क्या हो रहा था? मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश के काफी लोग तथा बड़ी संख्या में समाचार पत्र पढ़ने में रुचि रखने वाले लोगों के मन में एक शंका थी। ऐसे मामलों में ऐसी स्थिति स्वाभाविक है तथा इसीलिए मेरे विचार में प्रधान मंत्री ने यहां आकर यह कहना उचित समझा कि जो भी सूचना वे एकत्रित कर पाने में सफल हुए हैं तथा जो भी जांच उन्होंने की है, उसके आधार पर उन्हें विश्वास है कि उनका कोई भी मंत्री इस घोटाले में संलिप्त नहीं है। परन्तु मेरे विचार में, महोदय, यह निर्णय संयुक्त संसदीय समिति पर छोड़ दिया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में सबूत इकट्ठे करना सारे मामले के संपर्क सूत्रों की जांच करके यह पता लगाना कि कोई मंत्री इस घोटाले में संलिप्त है या नहीं, यह कार्य संयुक्त संसदीय समिति का है। यह कार्य संयुक्त संसदीय समिति के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। देश की वर्तमान स्थिति में प्रधान मन्त्री के इस पूर्ण आश्वासन से कोई भी सहमत नहीं होगा कि कोई भी मन्त्री इस घोटाले में संलिप्त नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (दार्जिलिंग) : उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि मंत्रियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह ऐसा कह गई हैं। यह वक्तव्य संक्षिप्त है…**(व्यवधान)**

5.00 म० प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यह आशा नहीं है कि प्रत्येक मंत्री श्री चिदम्बरम की तरह होगा। मुझे यह आशा नहीं है कि प्रत्येक मन्त्री यह स्वीकार करेगा कि वह किसी भी तरह से इस मामले से सम्बद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा होगा कि जिन मंत्रियों ने अपने निर्दोष होने का आश्वासन दिया है वे प्रधान मन्त्री को यह आश्वासन दिया है वे कोई शपथ पत्र भी दें। क्या वे कोई शपथ पत्र देने को तैयार हैं और क्या वे इसे प्रधान मन्त्री को देंगे या सभा को उपलब्ध करायेंगे? जिस तरह से यह किया गया है मैं यह नहीं कहूंगा कि यह विशेषाधिकार का हनन है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अप्रत्यक्ष रूप से यह संसदीय समिति के कार्य करने और सोचने के तरीके को पहले से ही प्रतिबन्धित करना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं तो माननीय सदस्य को यह कहूंगा कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सभा में कोई सम्पत्ति संबंधी विवरण दें। लेकिन कार्य संबंधी नियमों के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह अपनी चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करे और यह लेखा

जोखा एक तो पहले मन्त्री बनने के वक्त और दूसरे प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को पेश करना होता है। अत: मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों से यह अपेक्षित होता है कि वह लेखा जोखा प्रधान मन्त्री को देंगे और यही प्रक्रिया राज्यों में भी अपनाई जाती है। अत: मैं यह जरूरी नहीं समझता कि प्रधान मन्त्री को मन्त्रियों को यह कहना चाहिए कि वे इस संबंध में विवरण प्रस्तुत करें क्योंकि प्रधान मन्त्री के पास उनके कार्यालय में पहले से ही अपनी मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य की सम्पत्ति का प्रत्येक वर्ष का विवरण होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता कि श्री फोतेदार क्यों 'अपेक्षित होता है" शब्दों पर जोर दे रहे हैं। उनसे यह अपेक्षित है उनसे वह अपेक्षित है आदि। क्या उनका कहने का तात्पर्य यह है कि वह वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

श्री एम० एल० फोतेदार : नहीं, नहीं। मंत्रियों के लिए यह जरूरी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : ऐसा करना बिल्कुल जरूरी है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) **:** लेकिन कितने मंत्रियों ने दिया ? वन-फोर्थ मिनिस्टर्स ने भी नहीं दिया है।

श्री एम० एल० फोतेदार : आपने नहीं दिया होगा अपने कार्यकाल में।

श्री राम विलास पासवान : कल सीताराम केसरी जी ने कहा था कि हमें मालूम भी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : श्री राम विलास ठीक नहीं कह रहे हैं। श्री केसरी ने कहा है कि उन्होंने कुछ बातों के संबंध में प्रधान मन्त्री को विवरण नहीं दिया है। उन्होंने यह विवरण दे दिया होगा।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपका कहना ठीक है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि श्री फोतेदार ने यह मामला और भी खराब कर दिया है लेकिन खैर, यह उन पर निर्भर है। ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि प्रधान मन्त्री का वक्तव्य उनके मंत्रियों के द्वारा उन्हें कही गई बातों के आधार पर एक तरह का प्रथमदृष्ट्या निर्णय है। यह ठीक है। उन्हें इस प्रकार का वक्तव्य देने का अधिकार है। उन्हें अपने मंत्रियों पर कुछ विश्वास तो करना ही है और उन्होंने एक प्रथमदृष्टया विवरण दिया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब सभा में अन्य लोग प्रथमदृष्टया टिप्पणी करते हैं तो आपत्तियां की जाती हैं। यहां तक कि गृह मन्त्री ने भी कुछ सप्ताह पहले अयोध्या में उन्होंने जो देखा है उसके बारे में ऐसा किया था। जब उन्होंने कहा है कि प्रथमदृष्टया उनका विचार यह है कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है तो इस सभा में काफी शोर शराबा हुआ कि जब यह मामला न्यायालय में चल रहा है तो उन्हें इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए जिससे न्यायालय पर दबाव पड़े। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि जब प्रधान मन्त्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यह टिप्पणी की है, जो कि वह अपने मंत्रियों के आचरण के बारे में करने के पूर्व अधिकारी है तो यदि संयुक्त संसदीय समिति अपना कार्य आरम्भ करने वाली होती तो मैंने आपत्ति नहीं की होती। लेकिन जब संयुक्त संसदीय समिति अपना कार्य

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

आरम्भ करने वाली है जिसका सुझाव और प्रस्ताव स्वयं प्रधान मन्त्री ने किया तथा जिसे सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया हो तो मैं समझता हूं कि उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था और इस मामले को संयुक्त संसदीय समिति के लिए छोड़ देना चाहिए।

दूसरे हमने अब समाचार पत्रों में पढ़ा है यदि यह गलत है तो इसका खंडन किया जाना चाहिए और मुझे इससे प्रसन्नता होगी कि रिजर्व बैंक ने अधिकृत लेखापालों की एक निजी फर्म को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण की जांच करने और इसके कार्यकरण को पुनः परिभाषित करने के लिए नियुक्त करने का फैसला किया है।

वित्त मन्त्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं समझता हूं कि कुछ गलतफहमी हो गयी है। जहां तक मैं समझता हूं कि यह एक प्रबन्धन फर्म है जिसे रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रबन्धन संबंधी मशीनीकरण को सुव्यवस्थित करने में सहायता देने के लिए रखा गया है। रिजर्व बैंक के कार्यकरण को पुनः परिभाषित करने से इसका कुछ लेना देना नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन यह इसी समय क्यों किया जाए ? रिजर्व बैंक के कार्यों को या किसी वाणिज्यिक बैंक या किसी सरकारी बैंक के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के बारे में संयुक्त संसदीय समिति निश्चित रूप से अवलोकन करेगी और अपनी सिफारिशों में उसका उल्लेख करेगी। संयुक्त संसदीय समिति के इस बैंक के समक्ष कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने, सुधार और कुशलता से कार्य करने के वास्ते विशेष सिफारिशें करने के बाबत विचारार्थ विषय रखे गए हैं। इस समय किसी निजी फर्म को इस कार्य के लिए क्यों नियुक्त किया जाना चाहिए ?

श्री मनमोहन सिंह : यह आशा नहीं कीजिए। एक बार किसी बात का पता चलने पर क्या प्रबन्धक मंडल का यह उत्तरदायित्व नहीं हो जाता है कि वह इसमें सुधार करने के तरीकों का पता लगायें ? इससे संयुक्त संसदीय समिति के कार्य का कोई अतिक्रमण नहीं होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह एक विशिष्ट स्थिति है।

श्री रविराय : जो कुछ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है मैं उसे आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं 'स्टेट्समेन' से उद्धृत कर रहा हूं।

> "रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री एस० वेंकटीरमणन ने आज कहा कि एक अग्रणी प्रबन्ध परामर्शदात्री फर्म ए० पी० फरग्यूसन एंड कम्पनी को तेजी से बदले आर्थिक परिवेश को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित आन्तरिक कार्यबल को सहायता देने के लिए कहा गया है ताकि इसके कार्यकरण में दक्षता लायी जा सके।
>
> श्री वेंकटीरमणन ने कहा कि सरकार के नए आर्थिक सुधार और उदारीकरण कार्यक्रम को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि नवीनतम स्थिति का जायजा ले लिया जाय ताकि बैंकिंग प्रणाली को बेहतर ढंग से विनियमित किया जा सके और भारतीय रिजर्व बैंक की भावी भूमिका को और अधिक प्रभावी बना सकें।
>
> इसी प्रयोजन से 24 अधिकारियों का एक आन्तरिक कार्यबल एक वर्ष पहले बनाया गया था और इस फर्म से प्रबन्धन संबंधी विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अनुमति दी गई थी।" अतः आप नीति परिवर्तन करने वाले हैं।

श्री मनमोहन सिंह : ऐसा नहीं किया जा रहा है ।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : जो कुछ वित्त मंत्री ने कहा है आपको उसके मुताबिक करना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस बात का फैसला करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति है कि क्या जो कुछ उन्होंने कहा है और जो कुछ उन्होंने नहीं कहा है वे उसके मुताबिक चलेंगे । आप ऐसा क्यों कहते हैं ?

श्री रविराय : क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का वक्तव्य है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्ततः जो कुछ संयुक्त संसदीय समिति कहेगी हम तो उसका अनुसरण करेंगे उन्होंने इसकी स्थापना क्यों की है ? आप इसे क्यों स्थापित कर रहे हैं ?

खैर, सभी चीजें कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जा रही हैं । इस चर्चा के सभी कार्यवाही वृत्तान्त भी संयुक्त संसदीय समिति को उपलब्ध कराये जायेंगे ।

यहां कई बातें कही गई हैं । कई नामों का जिक्र किया गया है । कई आरोप लगाए गए हैं । कई प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं । यदि आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से संयुक्त संसदीय समिति रिकार्ड देखकर इसकी जांच करेगी । संयुक्त संसदीय समिति द्वारा कई चीजों की जांच की जाएगी । अतः वित्त मंत्री ने जो कुछ यहां भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कहा है हमने उसे भी नोट किया है ।

श्री मनमोहन सिंह : आपने मुझसे पूछा था इसीलिए मैंने स्पष्ट किया ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है । यह स्पष्ट करना आपका काम है । आप एक बार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं जैसे कि श्री जार्ज फर्नान्डीज कई बार मन्त्री रहे और जिसके बारे में मेरे उस तरफ बैठे मित्र जिक्र कर रहे है । आप रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी पदभार संभाल चुके हैं, वही रिजर्व बैंक जो कि हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण रखता है । मैं नहीं समझता कि जो बातें अब सामने आ रही हैं और जिन्हें आप प्रणाली का असफल होना कह रहे है, वे एक ही रात में पैदा नहीं हो जाती हैं । ये तो वर्षों से चल रही थी । मुझे विश्वास है कि आप तब गवर्नर थे । ये चीजें पहले से ही चल रही थी । **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : मैं समझता हूं कि आप मुझ पर पुनः आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं । आपने स्वयं कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति को इसका पता लगाने दीजिए । मैंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के पद को आठ वर्ष पहले छोड़ दिया था । अब आप बगैर कुछ जाने आरोप मढ़ रहे हैं । आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को यह कहना शोभा नहीं देता है कि जब मैं रिजर्व बैंक का गवर्नर था तो ये सब चल रहा था । यदि आपके पास जरा सा भी सबूत है तो आप उसे यहां पेश करें ।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : क्या उस समय कोई अलग प्रणाली थी ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया है । मुझे खेद है कि आपको बुरा लगा । मैंने तो बस यही कहा है कि आप रिजर्व बैंक के गवर्नर थे ।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने आठ वर्ष पहले गवर्नर का पद छोड़ दिया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बैंक उस समय नहीं थे?

श्री मनमोहन सिंह : मैं नहीं जानता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप नहीं जानते। अतः यह पता लगाना संयुक्त संसदीय समिति का काम है। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यदि आप यह कह रहे हैं कि आप जानते हैं तो फिर आप ही यहां कहिए। बगैर जाने आप इसके पीछे उद्देश्य ढूंढ़ रहे हैं।

श्री तरित बरन तोपदार : क्या आप इससे डरते हैं ?

श्री मनमोहन सिंह : मैं आप में से किसी से नहीं डरता हूं। यह आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। पिछले 20 वर्षों, जब से मैं सरकार में रहा हूं का मेरा आचरण इसकी पुष्टि करेगा। यदि आपके पास कुछ है तो मैं कहूंगा, आपको यहां कहने की जरूरत नहीं है, आपको संयुक्त संसदीय समिति की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं, आप सभी सबूत विपक्ष के नेता को दीजिए और मैं विपक्ष के नेता के फैसले का पालन करूंगा। आपको संयुक्त संसदीय समिति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरि किशोर सिंह : आप पर किसी ने भी आरोप नहीं लगाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैं नहीं जानता कि आप डरने या न डरने की बात क्यों कर रहे हैं ? लेकिन, मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूं कि मेरे शब्दों ने आपको इतना उत्तेजित किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनके वक्तव्य में कोई व्यंग्य कथन नहीं देखे हैं। हमें सदन में इस प्रकार उकसाने वाले मामले नहीं उठाने चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्य मामला जो समाचार-पत्रों में भी छपा है—यह सब गलत हो सकता है, मैं नहीं जानता : कोई अन्य व्यक्ति भी इसका विरोध कर सकता है एक रिपोर्ट है जिसने हमें उत्तेजित किया है, उसका वित्त मंत्रालय से प्रत्यक्षतः संबंध नहीं है लेकिन यह एक संबंधित मामला है—कार्मिक विभाग कुछ इस प्रकार का मामला तैयार कर रहा है या श्री माधवन के विरुद्ध एक फाइल तैयार कर रहा है। मुख पृष्ठ पर आज यह छपा है कि एक मामला उनके विरुद्ध तैयार किया जा रहा है जिसमें उन पर शासकीय गुप्त बात अधिनियम का विरोध करने का आरोप लगाया जा रहा है। भूतलक्षी प्रभाव से कुछ मामला बनाया जा रहा है कि श्री वी० पी० सिंह के शासन के दौरान श्री माधवन ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम का उल्लंघन किया था और इस प्रकार का मामला या एक फाइल उनके विरुद्ध बनाई जा रही है। लेकिन यह अजीब बात भी है क्योंकि इतने वर्षों से इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह मामला प्रकाश में तब आया जब उन्होंने अपने कागजात को जांच के लिए सौंपा था। अतः यह बात मुझे ठीक प्रतीत नहीं होती है मैं यह सब बातें संयुक्त संसदीय समिति के कार्य शुरू करने के कुछ समय पूर्व कह रहा हूं। यह सब बातें जो कुछ हो रही हैं मुंह से बोलनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं इन्हें नहीं बोलता क्योंकि मैं किसी व्यक्ति को उत्तेजित नहीं करना चाहता।

मैं यह भी सोचता हूं कि आखिरकार हमें कुछ मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। केवल कुछ मुद्दों पर क्योंकि मैं सभी मुद्दों पर विस्तार में नहीं जा सकता। क्योंकि हम चाहेंगे कि उन पर संसदीय समिति विचार करेगी। श्री जानकी रमण की अन्तरिम रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं पृष्ठ संख्या 8 से एक उदाहरण दे रहा हूं जो इस प्रकार है :—

"नेशनल हाऊसिंग बैंक' द्वारा अधिकांश भुगतान 'अकाउंट पेयी चेक' से रिजर्व बैंक

आफ इंडिया पर ड्रा करके और काउंटर (प्रतिपक्षी) पार्टी के बैंक के पक्ष में चैक जारी करके कनेक्शन किया गया तथा उसे हर्षद मेहता के चालू खातों में जमा दिया गया जो स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा ए० एन० जेड ग्रिंडले बैंक में थे।"

अब, यह बात सामने आती है कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि किसके कहने पर यह सब किया गया। जब इतनी बड़ी धनराशि अर्थात् करोड़ों रुपये की अदायगी 'नेशनल हाउसिंग बैंक' द्वारा हर्षद मेहता के निजी खाते में 'अकाउट पेयी चेक' द्वारा डाल दी; ऐसा वे किसके कहने पर कर रहे थे; किसी ने बैंक को जरूर कहा होगा डा० मनमोहन सिंह जी, क्या ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लगाना चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : मैं पता लगाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शायद आप पहले से ही जानते हैं, मैं नहीं जानता।

श्री मनमोहन सिंह : क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह भी चाहता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति का बैंकों के सांविधिक लेखा परीक्षण की भूमिका का भी गहन अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक बैंक का एक सांविधिक लेखा परीक्षक होता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट हमेशा प्रभावित करती है, एक सामान्य कालम होता है वे हमेशा अन्त में हस्ताक्षर करने से पहले लिखते हैं कि उन्होंने खातों की जांच कर ली है और खातों में दर्शाया जाता है कि "सब कुछ सही व उचित है" दर्शाते हैं। प्रमाणित लेखा परीक्षकों सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह स्टेन्डर्ड प्रारूप इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह लिखने के बावजूद उनके सन्तुलन पत्र की सत्यता को कारण दर्शाने के लिए बैंक को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उदाहरण के लिए—बैंक आफ कराड की प्रत्येक वर्ष सांविधिक लेखा परीक्षा में यह दर्शाया जाता रहा था। ऐसी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बावजूद रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा इस बैंक को बन्द कर दिया जाना चाहिए। यह एक गम्भीर मामला है। ये सब आडिटर इन्स्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट आफ इंडिया के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। या चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया इन्स्टीट्यूट इस संसद द्वारा स्थापित किया गया था। उनसे ईमानदारी से कार्य करने की आशा की जाती है। अब जो कुछ हो रहा है, उसे तथा तथ्य को ध्यान में रखते हुए यहां तक कि जानकीरमण रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें लापरवाही से लेखा परीक्षा की गई है, विभिन्न बैंकों की बहुत सी शाखाओं की लेखा परीक्षा नहीं की जाती, लेखा परीक्षकों द्वारा बैंकों का दौरा नहीं किया जाता, उनके बही खातों की जांच नहीं की जाती है और निःसन्देह ये सन्तुलन पत्र लेन-देन के तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे तथ्यों को प्रदर्शित नहीं कर सके हैं। उदाहरण के लिए सन्देहप्रद ऋणों की इतनी बड़ी राशि का ऋण जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता है। इन सबको कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है और उसके बाद अब कई बैंकों में इस प्रकार की बातों का पता चला है। यह बहुत आवश्यक है कि यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि वे सांविधिक लेखा परीक्षक कौन से थे जो ऐसा प्रयास कर रहे थे। जब उन्होंने सन्तुलन पत्रों की जांच की, तो वे धोखे का पता नहीं चला सके, वे खातों में हेराफेरी का पता नहीं लगा सके, वे नकली बैंकर रसीदों का पता नहीं लगा सके वे 'प्रेयी अकाउंट्स' के व्यक्तिगत खातों से करोड़ों रुपये की जमा का पता नहीं लगा सके। तथा इन रिपोर्टों को बैंकों को भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया और निःसन्देह उनको ज्यों का त्यों मान लिया गया। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया और उन्होंने केवल लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर देखे और यहीं तक सीमित रहे।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

5.17 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मेरे विचार से इस प्रकार के मामले बहुत ही खतरनाक हैं। अन्य कम्पनियों में भी ऐसा होता होगा। लेकिन इस समय हम बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित बात कर रहे हैं जिनमें पब्लिक ऐसा धन रखती है, जबकि आम आदमी बैंकों में धन सुरक्षित रखने के लिए जमा करता है जबकि यह कौन जानता है कि अब लोगों द्वारा गुप्त रूप से धन का दुरुपयोग किया जाता है और ठगों को शेयर बाजार में सट्टेबाजी के लिए दे दिया जाता है।

श्री जानकी रमण नेशनल हाऊसिंग बैंक बोर्ड में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नामजद सदस्य थे। वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया के प्रतिनिधि थे। वह स्टेट बैंक आफ इंडिया बोर्ड में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की ओर से प्रतिनिधि थे। इस समिति की अध्यक्षता में उनकी अधिकारिता कितनी है। जिसके लिए उन्हें कार्य सौंपा गया है।

गैर निष्पादित सम्पत्तियां नहीं दर्शायी गई हैं। मैंने कहा है कि अशोध्य ऋण तथा जिसके वसूल होने में सन्देह, जिनके वसूल होने की कोई आशा नहीं है, को नहीं दर्शाया गया है। इसकी अनुमति दी जाती रही है। निःसंदेह संयुक्त संसदीय समिति इन सब बातों का अध्ययन करेगी। नरसिम्हम समिति ने कहा है कि बैंक ऋण का कम से कम 20 प्रतिशत अशोध्य तथा जिनके वापिस मिलने की आशा नहीं है। लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर कहते हैं कि निःसन्देह धोखेबाजी के कोई संकेत नहीं हैं जिससे कि उचित समय के अन्दर सतर्कता बरती जा सकती। मैं नहीं जानता कि वे किस प्रकार के संकेत के लिए कह रहे हैं। मेरे विचार से रिजर्व बैंक आफ इंडिया का यह कहना कि वे एक जासूसी एजेन्सी की तरह कार्य नहीं कर सकते, उन्होंने इसको दूसरी तरह से ले लिया है। यह शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं हम देश के प्रत्येक बैंक के कार्यों की विस्तार से जानकारी नहीं रख सकते। ये बातें ऐसे बहुत से लोग जानते हैं। वे अब सामने आ रहे हैं और यह आशा नहीं की जा सकती। रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कभी रिपोर्ट नहीं मिली और उसने किसी रिपोर्ट की जांच करने की कभी चिन्ता नहीं की और इसलिए अब कहते हैं कि किसी धोखाधड़ी का पूर्वानुमान सम्भव नहीं है। ये सब बातें कैसे हुई और इसलिए हाल ही में मैंने कहा था कि इसे अन्यथा न लें। आपके द्वारा अनिच्छा से किए गए कार्य से बैंकिंग व्यवस्था में जनता का विश्वास टूट गया है जिसके बिना बैंकिंग प्रणाली कभी भी फलफूल नहीं सकती। यह पूरी तरह जनता के विश्वास पर निर्भर करती है।

जुलाई 1991 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसके बारे में सब जानते हैं इसमें बताया गया था कि संतुलन पत्र बनाने के लिए एक नया स्टेण्डर्ड फोरमेट (प्रारूप) तैयार किया जा रहा है क्योंकि वे जान गये थे कि जो अब गवर्नर कहते हैं उसको जानने के बावजूद उन्हें पता था कि अधिकतर बैंकों में बहुत गलत कार्य हो रहा था।

इसलिए जून 1991 में एक नया प्रारूप तैयार किया गया, एक 'स्टेन्डर्ड फोरमेट' जो सभी बैंकों को वितरित किया गया था, जिसमें अधिक सुस्पष्ट ढंग से सन्तुलन पत्र तैयार करने के बारे में बताया गया था। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि इसे सभी बैंकों को भेजने के बावजूद इस 'मॉडल फोरमेट' का अधिकांश बैंकों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। और यदि ऐसा है तो रिजर्व बैंक ने ऐसा करने की इजाजत क्यों दी। अतः रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सफाई दी है कि मेरे

विचार से जालसाजी का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, यह एक बोगस दावा है, यह कोई ठीक दलील नहीं है । चूंकि प्रतिभूतियां खरीदी गयीं और बेची गयीं, मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता । बैंक रसीदें, बिना धन भेजे और केवल सिक्योरिटी पत्र तथा सर्टीफिकेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक बैंक से दूसरे बैंक को हस्तांतरित किए गए । मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के कार्य की जानकारी रिजर्व बैंक आफ इंडिया को हुई होगी । लेकिन इसे रोकने या इसकी जांच करने के लिए कुछ नहीं किया गया ।

उदाहरण के लिए नेशनल हाऊसिंग बैंक, आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए स्थापित किया गया था । उन्होंने हाऊसिंग के लिए क्या किया कृपया सदन को बताया जाना चाहिए । मेरे विचार से उन्होंने हाऊसिंग के लिए कुछ नहीं किया है । लेकिन उन्होंने स्टेट बैंक आफ इंडिया से 707 करोड़ रुपये लिए और जिसे बाद में कतिपय दलालों के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया गया था । आरोप लगाया जा रहा है कि वास्तव में वित्त मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के मेनेजमेंट को प्रभावित किया था । बेहतर होगा कि उनका नाम मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि आपत्ति उठाई जा सकती है । मेरे पास उनका नाम है । स्वयं जानकीरमन ने यह 707 करोड़ रुपये की धनराशि राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास संबंधी कार्यों के लिए नहीं बल्कि किसी और ऐसे उद्देश्य के लिए दी जो श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता और यह धनराशि अंततः हर्षद मेहता के खाते में जमा हो गई ।

दूसरा उदाहरण लीजिए, स्टेट बैंक आफ पटियाला का । किसके दबाव में आकर अथवा किसकी सलाह पर स्टेट बैंक आफ पटियाला ने, 6 करोड़ और 50.57 लाख अर्थात् साढ़े छह करोड़ रुपये से कुछ अधिक की धनराशि ऋण लेकर मद्रास की एक कम्पनी मैसर्स डायनाविजन को अग्रिम राशि के रूप में दी । यह कम्पनी अबुल रेड्डी समूह की है । इस ऋण के स्वीकृत होने के पश्चात्, महाप्रबन्धक, जो स्टेट बैंक आफ पटियाला के जमा राशि के प्रभारी थे, उस भले मानुष को जबकि वह एक कनिष्ठ व्यक्ति थे और बहुत से लोग उनसे वरिष्ठ थे पदोन्नति दे दी गई और स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रबन्ध निदेशक, श्री पांडुरंगा राव जिन्होने वास्तव में ऋण स्वीकृत किया था उसी सहायक वित्त सचिव ने स्वीकृत किया जब तक कि वह आई० आर० बी० आई० के अध्यक्ष नहीं बन गए । मैं वित्त मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें सिर्फ व्यवस्था का ही दोष है ?

मुझे यकीन है कि सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणाली असफलताओं, दोषों, खामियों और अन्य इसी तरह के दोषों से ग्रस्त है । लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि अगर व्यवस्था में कमियां और दोष अधिक मात्रा में आ जाएं तो लोगों को उसका फायदा जरूर उठाना चाहिए और भ्रष्टाचार और बेईमानी को अपना लेना चाहिए ।

श्री मनमोहन सिंह : मेरे ख्याल से व्यक्ति विशेष के खाते और नाम का उल्लेख किया गया है । मुझे खेद है कि मुझे किसी बैंक विशेष के व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी नहीं है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सभी मामलों की जांच पड़ताल के लिए समुचित तरीके हैं । अगर आपने मुझे सूचना पहले से ही दी होती तो मैं तैयार होकर आता । अब अचानक ही आपने एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत खाते का और विभिन्न लोगों की भूमिका का जिक्र किया था । मुझे दुख है कि मैं इन सभी बातों का जवाब नहीं दे सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं है । मैं यह रिकार्ड के लिए कह रहा हूं । मुझे उम्मीद है कि संयुक्त संसदीय समिति इन सभी चीजों पर विचार करेगी जिनका यहां आरोप लगाया गया है··· (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं आपसे सहमत हूं··· (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिन विचारार्थ विषयों के लिए अब सहमति हुई है वे काफी व्यापक हैं तथा उनमें व्यवस्था-संबंधी असफलताओं और साथ ही कतिपय व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी आ जाती हैं। विचारार्थ विषयों में ये दोनों चीजें आ जाती हैं। मुझे सन्तुष्टि है बशर्ते कि संयुक्त संसदीय समिति उन चीजों पर विचार करे। दूसरे बहुत से ऐसे मामले हैं ··(**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : मुझे आपत्ति यह है कि आपने बताया कि एक व्यक्ति विशेष जिम्मेदार है और फिर गलत तरीके से उसे पदोन्नति दी गई। मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों को प्रमाणित किया जाना चाहिए। जब आपके पास इन सब बातों के लिए सबूत नहीं है तो आप किस प्रकार से उन आरोपों के आधार पर जो आपने लगाए हैं इन बातों पर चर्चा जारी रख सकते है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा कहना ही इसके लिए प्रमाण नहीं हो जाता। यह एक आरोप है, संयुक्त संसदीय समिति उसकी जांच कर सकती है। मुझे आपसे भी जवाब की उम्मीद नहीं है क्योंकि स्पष्ट है कि आप नहीं जान सकते··· (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : मान लीजिए कि वह व्यक्ति बेगुनाह निकलता है, फिर क्या होगा ? आपने सभा में यह आरोप लगाया है। कल यह अखबारों में छप जायेगा और फिर मान लीजिए, परसों यह पता चलता है कि वह व्यक्ति बेकसूर है तो आपने इस सभा में उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उनका उन आरोपों से जिस प्रकार बचाव होगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसको संयुक्त संसदीय समिति निरपराध करार देगी··· (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : उसे निरपराध कैसे करार दिया जायेगा ? एक बार आरोप लगने पर उसका व्यापक प्रचार हो जाता है। मैं आपसे बुद्धि. ज्ञान और उम्र में बहुत छोटा हूं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि यह चीज इस राष्ट्र के सर्वोच्च मंच के रूप में संसद की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाती ··· (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसीलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। मैं उनका नाम बता सकता हूं··· (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : आपने श्री पांडु राव का जिक्र किया है (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह आई० आर० बी० आई० के उपाध्यक्ष नहीं हैं। आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने लिए व्यवस्था कर ली है ठीक है। केवल यही पता लगाना है कि क्या उन्होंने ही ऋण को स्वीकृति दी थी। बस और कुछ नहीं। लेकिन मेरे विचार में, वह बात, जिस पर वित्त मंत्री महोदय को अधिक चिंतित होना चाहिए, वह यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने इस तरीके से एक फर्म डायना विजन जिसकी माली हालत खस्ता थी को 6.5 करोड़ रुपये का ऋण दिया, जो पूर्णतः अशोध्य हो गया है ··(**व्यवधान**)

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विशेषकर इस चर्चा में सभी पक्षों की तरफ से व्यापक आरोप लगाए गए हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 353 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। महोदय, मैं आपसे ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं जहां कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए जाते हैं और वह अपने बचाव करने के लिए यहां मौजूद नहीं हैं अगर माननीय सदस्य कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो उन्हें प्रक्रिया नियमों का पालन करना चाहिए उन्हें वह

आरोप लगाने दीजिए और उसे वह लिखित रूप में दें और इसका जवाब मंत्री महोदय को देने दीजिए··· (व्यवधान) मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप कोई आरोप नहीं लगाते। अगर आप कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो इसे विशिष्ट बनाकर लगाइए और पीठासीन अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए··· (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : श्री पांडुराव का नाम वित्त मंत्री महोदय ने लिया था और उस नाम को कार्यवाही वृत्तांत से हटाया जाना चाहिए। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किसी का नाम नहीं लिया है। वित्त मंत्री जी ने उनका नाम लिया है··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, मैंने श्री पांडु रंगा रखकर नाम लिया है। आप यहां नहीं थे और आपने उसे सुना नहीं··· (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं आपसे विनिर्णय चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगर सभापति महोदय इसे हटाना चाहते हैं तो वह ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र हैं··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर आप सरकारी अधिकारियों अथवा सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के विरुद्ध कोई आरोप लगाना चाहते हैं तो मेरे विचार में इसकी सूचना पहले से ही दी जानी चाहिए ताकि संबंधित मंत्री उसके लिए तैयार हो सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम उन्हें पहले से ही सूचना देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि उससे सत्ता-पक्ष की ओर से जवाब आये··· (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : वह तो स्पष्ट है··· (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुद्दा यह है कि जब यह ऋण दिया गया था, तब जिन निदेशकों को कुछ व्यक्तिगत गारन्टी देनी थी और वे इस बात के लिए सहमत भी हो गए थे, लेकिन मेरी सूचना के अनुसार रिकार्ड में ऐसी कोई गारन्टी नहीं है, जिसका कि वचन दिया गया था। फिर भी अग्रिम धन अदा कर दिया गया था।

अब, एक अन्य मामला लीजिए। मुझे इस नाम का उल्लेख करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा विचार है कि वे इसमें कोई आपत्ति नहीं करेंगे। उन्हें आपके द्वारा पहले ही बरखास्त कर दिया गया है। मैं श्री मार्ग बन्धु का उल्लेख कर रहा हूं जिनको यूको बैंक से निकाल दिया गया था। उनके विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो या फिर सतर्कता आयोग की रिपोर्ट थी। वह रिपोर्ट उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि मैं उसका उल्लेख कर सकता हूं। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि उनके पास मद्रास में दो अपार्टमेंट थे और एक अपार्टमेंट बंगलौर में था तथा लॉकर में 50 लाख की राशि के शेयर और सावधि जमा थे।··· (व्यवधान)। फिर भी बाद में सतर्कता आयोग ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया। मैं नहीं जानता उन्होंने उन्हें निर्दोष कैसे बता दिया। सन् 1988 में, श्री मार्गबन्धु भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास के मुख्य महा प्रबंधक थे। उस समय, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर श्री वेंकिटरमणन वित्त सचिव थे। अब मैं कुछ श्री वेंकिटरमणन की खूबी के बारे में बता दूं। मुझे विश्वास है कि जब उन्हें पता चला कि श्री मार्गबन्धु काफी धन एकत्रित कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें मद्रास से बाहर स्थानांतरित करवाया था। यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उन्हीं श्री वेंकिटरमणन ने अब यूको बैंक में मुख्य प्रबंध निदेशक के पद पर श्री मार्गबन्धु की नियुक्ति को स्वीकृति दी है, जबकि वे इस आदमी के रिकार्ड को अच्छी तरह से जानते हैं तथा उनके विरुद्ध

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी जानते हैं तथा यह भी जानते हैं कि उन्होंने ही उन्हें मद्रास से बाहर स्थानांतरित करवाया था। तत्पश्चात् भी उन्हें मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप दुबारा नियुक्त किया। यह एक ऐसी पहेली है, जिसकी मैं चाहूंगा कि संयुक्त संसदीय समिति जांच करे और इस बात को स्पष्ट करे। मुझे विश्वास है कि बैंकों में इस प्रकार की नियुक्तियां मंत्रिमंडल की एक छोटी समिति द्वारा की जाती है जिसमें प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री होते हैं। इसलिए, उन्होंने इसे स्वीकृति प्रदान की होगी। निश्चय ही उन्होंने कागजातों तथा फाइलों की जांच अवश्य की होगी।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्री मार्गबन्धु को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अनेक लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और पहले भी गिरफ्तार किए गये हैं लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है ? वह आराम से मद्रास में यूको बैंक के अतिथि गृह में रह रहे हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।···(व्यवधान)। मुझे यह बताया गया है कि अधिकारियों से संबंधित बैंकिंग नियमों के अनुसार, यदि किसी को पुलिस हिरासत अथवा न्यायिक हिरासत में 48 घंटे से अधिक रखा जाता है तो उसे निलंबित करना अनिवार्य हो जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि नियमानुसार क्या इन लोगों में से जिनको कि हिरासत में रखा गया था किसी को निलंबित किया गया है अथवा नहीं मुझे विश्वास है कि किसी को भी निलंबित नहीं किया गया है अथवा यह जानकारी में नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने 1990 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें विदेशी बैंकों द्वारा की जा रही कुछ गम्भीर अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गई थी, यदि नहीं, तो क्यों ?

अब देखने में आया है कि कम से कम चार प्रमुख विदेशी बैंक इस घोटाले में शामिल हैं। लेकिन, उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बावजूद कुछ नहीं किया गया था। यदि समय पर कुछ निवारक कार्यवाही की गई होती, तो शायद ये विदेशी बैंक ज्यादा लाभ कमाने के लालच में न आते। शायद मंत्री महोदय यह मानते हैं कि विदेशी बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही करना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे विदेशों में कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है अथवा हो सकता है इससे विदेशी पूंजी निवेश में कमी आ जाये।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे बहुत खुशी है। तत्पश्चात् महोदय, 15 जुलाई 1992 को यानी एक महीने से भी कम समय पहले भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई के प्रबंध निदेशक श्री महादेवन ने अपने प्रिय साथियों के नाम एक परिपत्र जारी किया है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक इस मामले में पूरी तरह से फंसा हुआ है। यह बहुत खेद की बात है क्योंकि यह हमारे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक प्रमुख बैंक है। इस पत्र में उन्होंने अपने बैंक के साथियों से कहा है : "कई बार परिचालित किए जाने वाली रिपोर्टों की बहुलता मूल तथ्यों को अस्पष्ट कर देती है तथा मामलों को उलझा देती है···ये तथ्य जो कि साधारण तथा आसान है, यह दर्शाते हैं कि बैंकिंग प्रणाली के साथ धोखाधड़ी की गयी है"—वही बात वह कह रहे थे—"उस समय क्या कार्य प्रणाली बना दी गई थी जबकि प्रतिभूतियों को बेचने तथा खरीदने के निदेश जारी किए गए,

थे,"—यहां मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति उपयोगी निर्देश देगी—"लेन देन के स्तर पर एक साथ लेन-देनों को प्रस्तुत किया गया, इस धोखे को बहुत सावधानी से यह सुनिश्चित करके छिपा लिया गया कि वास्तव में जो विक्रय तथा क्रय किया गया था उनका जोड़ क्रयादिष्ट बिक्री तथा खरीद के जोड़ से मेल खाता हो" जबकि किया कुछ और ही गया था—"आदेश किए गए विक्रय तथा क्रय का मिलान करने के लिए कम्पयूटरीकृत रिकार्डों से मिलान करने के लिए एक पृथक सैट तैयार किया गया था, ताकि प्रथम दृष्टया लेन-देन शाखा के रिकार्डों का, राजकोष तथा निवेश प्रबंध विभाग केन्द्रीय कार्यालय जिन्होंने विक्रय/क्रय के आदेश दिए थे के रिकार्डों के साथ मिलान हो सके। इस धोखाधड़ी को इस तरह और सम्भव बना दिया गया।

क्योंकि काफी समय तक हमारी बैंक शाखा के खातों का, भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय के खातों के साथ मिलान नहीं किया गया। मैंने एक अन्य दिन भी इसका उल्लेख किया था। कई वर्षों से बैंक के खातों का भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय के साथ मिलान नहीं किया गया है कि क्या करना चाहिए। अब श्री महादेवन ने इस बार इस बात को स्वीकार कर लिया है।

आगे वे कहते हैं : "न केवल भारतीय स्टेट बैंक के साथ बल्कि कुछ अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के साथ भी यह धोखाधड़ी की गयी है···" कुछ क्षतिपूर्ति करते हुए मुझे कहना चाहिए कि "कुछ प्राप्तियां तथा अदायगियां विवादास्पद हैं और हमें प्रतिवाद के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को लगभग 707 करोड़ रु० की अदायगी करनी पड़ी।" इस पर विरोध क्यों किया जा रहा था ? कोई उनसे जबरदस्ती करते हुए कह रहा था कि उन्हें यह राशि राष्ट्रीय आवास बैंक को अदा करनी है···(व्यवधान)।

फिर से कहते हैं "····यह समय है जबकि हम सब समाचार पत्रों इत्यादि में दी गई रिपोर्टों से दिग्भ्रमित न हों और यह जानें कि सच क्या है, और इस कठिन समय का साहस तथा धैर्य से सामना करें। यह बहुत अच्छी साहसिक बात हैं। अपने पत्र को समाप्त करते हुए वे अन्त में कहते हैं : "हमने अपनी व्यवस्था तथा प्रक्रियाओं में आवश्यकतानुसार सुधार करने का निर्णय कर लिया है और हम इन पहलुओं पर सलाह देने के लिए किसी प्रख्यात तथा उच्चकोटि के बैंक की सेवायें प्राप्त करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।" इसका अर्थ यह है कि वह भी इसे बैंक प्रणाली की असफलता मानते हैं।

इस वर्ष अप्रैल में भी एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें बैंकों से कहा गया था कि वे कुछ जोखिम आस्तियां अनुपात की व्यवस्था रखें। महोदय, मैं समझता हूं आप इस बारे में जानते है। इससे प्रणाली को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर स्तर पर लाना है, जिस पर इन सब वर्षों में हमने ध्यान ही नहीं दिया। यह परिपत्र जोखिम आस्तियां जो कि शायद निष्पादित नहीं हो सकती है और इसके प्रति बैंकों द्वारा रखे गए धन में कुछ अनुपात व्यवस्था रखने के लिए जारी किया गया है। मैं नहीं जानता कि इसे कार्यान्वित किया जायेगा या नहीं। हम नहीं जानते कि क्या कोई निरीक्षक अथवा निगरानी करने वाली एजेंसी होगी जो कि यह देखेगा कि इसे लागू किया गया है अथवा नहीं।

मुझे विश्वास है कि संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करेगी।

ऐसी बहुत सी बातें है जिनमें से कुछेक तो ये हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति गहन जांच करेगी और जिन लोगों को इनके लिए जिम्मेदार पाया जाता है, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमें कई बार ऐसा विश्वास दिलाया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जाएगा। उनका पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें अपने कर्तव्य की अवपालना करने के लिए अथवा इस पूरे मामले में उनकी सहापराधिता के लिए सजा दी जानी चाहिये और फिर संयुक्त संसदीय समिति को इस पूरी व्यवस्था पर बारीकी से विचार कर अपनी विशिष्ट सिफारिशें देनी चाहियें कि इस नियोजित असफलता को किस तरह से दूर किया जा सकता है अथवा भविष्य में इसे किस तरह से रोका जा सकता है। क्योंकि आखिरकार खतरा इस देश के वित्तीय ढांचे को और समूची बैंकिंग प्रणाली को है और जो कुछ घटित हो चुका है, उसके बाद पहले की तरह जनता का विश्वास प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके बारे में यह माना जाता है कि बैंकों का बैंक है, मैं नहीं समझता कि इसने किसी तरह से बैंकों के बैंक की भूमिका निभाई है। बैंकों में जो कुछ हो रहा है, इसे उसकी कोई खबर नहीं है। दूसरी ओर बैंक आफ कराड़ ने अपने कर्त्तव्य का सही पालन किया जिसे दलालों के बैंक के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक तो बैंकर्ज बैंक है और दूसरा ब्रोकर्ज बैंक। निःसंदेह दलाल ही बैंक आफ कराड़ के संरक्षक हैं। इस बैंक ने दलालों की यथासंभव सहायता करने की कोशिश की और बाद में यह बैंक पकड़ से आ गया और अभी इसके समापन के आदेश दिये गये थे परन्तु अब इस बैंक को बचाने के प्रयोजन से इसे किसी दूसरे बैंक में मिलाया जा रहा है।

मुझे यही कुछ ही कहना है क्योंकि मैं समझता हूं कि विभिन्न लोगों की संदेहास्पद भूमिका के बारे में, उन पर काफी कुछ शंकाओं को लेकर काफी कुछ कहा जा चुका है; परन्तु बुनियादी तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ घटित हुआ है, कम से कम उसकी नैतिक जिम्मेदारी से सरकार और वित्त मंत्री बच नहीं सकते।

मुझे खेद है कि डा० मनमोहन सिंह ऐसे विचार करते हुए प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि हम उनके पीछे पड़े हों। ऐसा आरोप तो किसी ने भी नहीं लगाया कि वह इस मामले मे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। परन्तु नैतिक जिम्मेदारी का क्या होगा ? वह जिस पूरे ढांचे के, पूरी प्रणाली के प्रधान हैं, उसने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें किसी भी बात के लिए दोष नहीं दिया जाना चाहिए और यदि कोई उन्हें दोष देता है, तो वह स्वयं अपराधी है। उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आप इस किस्म के व्यक्ति से तर्क नहीं कर सकते। आप शायद डा० मनमोहन सिंह से तर्क कर सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से तर्क नहीं कर सकते जो कि सभी तर्कों को यह कहकर नकार दे कि "चूंकि आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो आप ही अपराधी है।" मैं नहीं जानता कि वह किस तरह के व्यक्ति हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिला और उनके बारे में जानने का सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ।

मैं सरकार को गंभीर सुझाव देना चाहता हूं कि जिन लोगों का जनता के प्रति और जन-आलोचना के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण है, उनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या वे ऐसे उच्च पदों पर कायम रहने के काबिल हैं।

जहां तक वित्त मंत्री का संबंध है, मुझे खेद है कि जो कुछ हुआ है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी से उन्हें दूर नहीं रखा जा सकता। ऐसा तो किसी ने भी नहीं कहा है कि वह स्वयं इनमें से किसी भी षडयन्त्र में संलिप्त रहे हैं अथवा उन्होंने कोई रिश्वत ली है अथवा इस तरह का कोई कार्य किया है। मेरे लिए ऐसी बात कहना बहुत दूर की बात है। परन्तु नैतिक जिम्मेदारी की बात और है जो

कि यह हमारी संसदीय प्रणाली की उच्च परम्पराओं और मानदण्डों के अनुकूल बात है। ऐसा तो होना ही चाहिए। मैं पुराने उदाहरणों को नहीं उठाना चाहता और इसलिए हम यही कहते आये हैं कि हर हिसाब से अच्छा तो तब रहता कि यदि उन्होंने इस आधार पर इस्तीफा दे दिया होता कि "भले ही मुझे कुछ पता नहीं है, और मेरा इन सभी बातों से कोई वास्ता नहीं है परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी मुझ पर है।" इससे हमारी प्रणाली पर हमारी विश्वसनीयता और भी अधिक दृढ़ हो सकती थी और इस देश की जनता का देश की संसदीय प्रणाली में और अधिक विश्वास अथवा आस्था हो सकती थी। लेकिन वह इस बात पर दुराग्रही हैं और ऐसा करने से मना कर रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं जानता हूं कि आप किस वजह से मुझसे इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर एहसान नहीं करना चाहते। मुझे तो उन दिनों की बात देखकर दुख होता है जिस समय आप सत्ता में नहीं थे और लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग सत्ता में थे। उन्होंने स्वयं कोई भी अपराध नहीं किया था परन्तु नैतिक जिम्मेदारी अपने सिर ले ली और इस्तीफा दे दिया। शायद आप कहेंगे कि वह तो मूर्ख थे और उन्हें ऐसी मूर्खता पूर्ण कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए था। आप कह सकते हैं। मैं तो नहीं जानता। परन्तु उनके इस कार्य के लिए लोगों ने सदैव उनका आदर किया है।

ऐसे और भी कई मंत्री है जो मामलों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं थे परन्तु यह महसूस कर इस्तीफा दे दिया कि इस्तीफा देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और संसदीय शासन प्रणाली में उन्हें अपना इस्तीफा ही दे देना चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : ऐसे किन लोगों ने इस्तीफा दिया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसे कौन लोग है ? आप मुझ से ही यह कहलवाना चाहते हैं कि सारी बात फिर से कहूं। एक तो आपके पूर्वाधिकारी ही थे। निःसंदेह, मैं यह मानता हूं कि इस्तीफा देने के लिए वह स्वयं आगे नहीं आये। उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया था।... (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मैं सोचता हूं आप नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। मेरे विचार से छागला आयोग की रिपोर्ट किसी विशेष लेन-देन में वित्त मंत्रालय की भूमिका की जांच करने के बारे में थी। उन्होने प्रत्यक्षतः तत्कालीन वित्त मंत्री को जिम्मेदार बना दिया था। इसमें नैतिक जिम्मेदारी की बात नहीं है। उसकी एक प्रति मेरे पास है।... (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे यकीन है कि आपको श्री वी० वी० गिरि का उदाहरण भी पता होगा।

श्री मनमोहन सिंह : मुझे खेद है। मैं नहीं जानता। लेकिन आपने तो मेरे पूर्वाधिकारी का उल्लेख किया है।.. (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री वी०वी० गिरि केन्द्रीय मंत्रीमंडल में केबिनेट मंत्री थे जो बाद में देश के राष्ट्रपति चुने गये थे।... (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : परन्तु मैं तो नही जानता। मुझे तो कुछ भी पता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निःसंदेह इसमें कोई बैंकिंग अथवा वित्तीय मामला संबद्ध नहीं था जिस पर उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी अपने सिर ली थी। यह एक अलग मामला था। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि ऐसी चीजें पहले कभी भी घटित न हुई हों। इसलिए हमने आपसे कहा कि यदि आपका विवेक कहता है कि चट्टान की तरह अडिग रहा जाये, तो आप अपने कुर्सी पर मजबूती से चिपके रहें। ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। देश को और जनता को अपने लिए स्वयं निर्णय करने दीजिये। धन्यवाद।

श्री मनमोहन सिंह : आपका धन्यवाद।

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगोडे) : सभापति महोदय, प्रतिभूति घोटाले ने देश को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। सरकार तथा इसके किसी अंग की किसी एक असफलता ने देश में ऐसी अफरा-तफरी पैदा नहीं की जैसा कि प्रतिभूति घोटाले ने पैदा की है। क्या यह वास्तव में प्रतिभूति घोटाला था? इस चतुर शब्द रचना पर शाबासी! कोप तो कुछेक अग्रणी स्टाक-दलालों पर ही उतारा जा रहा है। क्या यह सही है इस प्रकरण में केवल यही लोग ही खलनायक हैं। क्या उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के सहयोग के बिना अपने आप कोई कार्य किया है। तब बैंक, जो कि जनता के धन के संरक्षक माने जाते हैं उन्होंने ऐसी भूमिका क्यों निभाई कि दलाल उन पर हावी रहे?

महोदय, जब तक केवल स्टाक-दलालों के विरुद्ध जांच केन्द्रित होगी, तब तक सच्चाई, इस घोटाले की असली सच्चाई, सामने नहीं आ सकेगी। शेयर दलालों ने बैंक अधिकारियों की मिली-भगत और सहापराधिता से, जिनमें से कुछेक अधिकारी तो बैंकिंग उद्योग में काफी ऊंचे पदों पर आसीन हैं, किस तरह से अनेक प्रकार के घोटाले कर दिखाये और उसके परिणामस्वरूप उन्होंने सम्पूर्ण प्रणाली को निष्क्रिय करके रख दिया और बैंकिंग संस्थानों की बदनामी करायी है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तब क्या किया जाए।

बैंक अधिकारी जिनकी इस समूचे प्रतिभूति घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका है, अपनी संदिग्ध भूमिका के जरिए, लेन-देनों का तुरन्त-अग्रेषण करके, बिलों का समाशोधन करके, काल-मनी लेन देनों के जरिए, विनिमय बिलों पर दोबारा डिस्काऊंट देकर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट घोटाले के जरिए और सबसे बढ़कर प्रतिभूति सामान्य खाता घोटाला के जरिए बैंकों से काफी बड़ी धनराशि अवैध रूप से निकाल ली और गिने-चुने शेयर दलालों को दे दी और उन दलालों ने, अपनी ओर से स्टाक-बाजार मे तेजी पैदा कर दी।

29 फरवरी, 1992 को मुम्बई स्टाक एक्सचेंज सूचकांक जो 3017 था, बढ़कर जब 2 अप्रैल, 1992 को आश्चर्यचकित कर देने वाले 4387 अंक तक हो गया, तो सरकार उस समय चुप्पी साधे रही कि आर्थिक सुधारों के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई हैं और यह कहती रही कि यदि लोगों के पास धन है और वे स्टाक मार्केट में धन का निवेश करना चाहते हैं तब सरकार को उसमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिये जबकि सरकार को यह पता नहीं था कि स्टाक-बाजार में जो तेजी है, इसके पीछे अर्थव्यवस्था का अर्थक्षम्य होना ही वास्तविक कारण नहीं है।

यह कहना कि बैंकों के साथ धोखाधड़ी हुई है, यह तो सच्चाई का उपहास करने वाली बात है। बैंकों से जो बहुत बड़ी धन राशि निकाल ली गई, वही बात ही इस पूरी चाल में असली शरारत है।

अब प्रश्न यह है: क्या केवल अपने वार्षिक प्रतिवेदन और तुलन-पत्र को ही ठीक-ठाक करने के लिए बैंकों ने दलालों के साथ इस तरह के गलत और अवैधानिक लेन-देन किए ? क्या इन लेन देनों से उन्हें कोई विशेष व्यक्तिगत आर्थिक लाभ नहीं हुआ ? बैंक अधिकारियों की व्यक्तिगत आस्तियों के बारे में एक व्यापक जांच करना बहुत जरूरी है।

इस तरह का प्रभाव पैदा करने का प्रयत्न किया गया कि वास्तव में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोटाले को उजागर किया है, परन्तु ऐसी बात नहीं हैं चूंकि स्टेट बैंक आफ इंडिया के फरवरी के अंत तक किए गए तमाम लेन देनों का भारतीय रिजर्व बैंक के पी. डी. ओ. के खातों से सही मिलान नहीं हो सका, तो स्टेट बैंक आफ इंडिया ने लेन-देनों का प्रत्यक्ष सत्यापन और मिलान क कार्यवाही शुरू कर दी।

उस समय लगभग 500 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी धनराशि के मिलान न हो पाने पर स्टेट बैंक आफ इंडिया लड़खड़ा गया और इस प्रकार घोटाले में छिपी सच्चाई बाहर आ गई। दुःख इस बात का है कि इस समय हर कोई सच्चाई का पर्दाफाश करने का श्रेय अपने सिर लेना चाहता है बजाए इसके कि मामले की तह तक पहुंचा जाए।

यदि मैं इस घोटाले में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका का जिक्र नहीं करूंगा, तो मैं अपने कथन के साथ न्याय नहीं कर सकूंगा। क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जो कि बैंकिंग प्रणाली के संचालन का संरक्षक और उस पर निगरानी रखने वाला बैंक है, ने सही अर्थों में अपनी भूमिका निभाई हैं। जी नहीं महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी घोटाला किया है। एस. जी. एल. के मिलान करने और उसे तैयार करने में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो ढिलाई बरती है, वह उसकी सबसे बड़ी असफलता है जिसके परिणाम स्वरूप बैंकों ने स्टाक-दलालों के साथ मिलकर अवैध लेन-देन किये। मैं यह बात इस माननीय सदन के विवेकपूर्ण निर्णय पर छोड़ता हूं कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने कर्तव्यों को सही तरह से न निभा पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोगी राष्ट्रीय आवास बैंक को भी आरोपों से मुक्त नहीं रखा जा सकता क्योंकि बहुत बड़े षडयंत्रकारियों की चाल में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास न तो लेन-देन का कोई अधिकार था, न ही उसने लेन-देनों के बारे में किसी किस्म की पुष्टि की और न ही उसके पास दलालों के बारे में, उनके असंख्य लेन-देनों के बारे में कोई रिकार्ड था। फिर भी इसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया और एक विदेशी बैंक को सैंकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान किया। लेकिन विडम्बना तो इस बात की है कि उसे यह भी पता नहीं था कि भुगतान क्यों किया जाना है। राष्ट्रीय आवास द्वारा अपनी धन-राशि को सबसे पहले बचा लेने के पीछे एकमात्र कारण यही है कि इस पर भारतीय रिजर्व बैंक की छत्र-छाया थी जो कि अब अपने आपको इस घोटाले की पकड़ से पृथक करने के लिए काफी हताश हैं।

श्री मेहता के मामले में विलम्बित और अनमने ढंग से कार्रवाई करने के कुछेक संकेत हैं, लेकिन जहां तक भूपेन दलाल के विदेशी-कारोबार का संबंध है, पूर्ण निष्क्रियता बरती गई प्रतीत होती है।

गुप्तचर-विभाग के स्रोतों के अनुसार मध्य-पूर्व में एक ट्रेवल-एजेंसी सहित उसके विदेशी-कारोबार के बारे में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास कुछ जानकारी उपलब्ध है। लेकिन इस पर महत्वपूर्ण सुराग के बारे में कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है न इस दलाल के लन्दन में लेन-देन

[डा० (श्रीमती के० एस० सौन्दरम]

के बारे में शासकीय तौर पर पता है और वह जानकारी अग्रिम जांच के आधार के रूप में कार्य कर सकती थी।

इस बारे में एक और गलती भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और वित्त मंत्रालय की ओर से श्री मेहता द्वारा विदेशों में भेजी गई धनराशि के स्रोतों को बताने के बारे में ए. एन. जैड. ग्रिंडलेस बैंक पर दबाव डालने में हुई है।

इन दस्तावेजों से यह सुस्पष्ट है कि बड़ी मात्रा में धन कनारी द्वीप नामक, स्थान से जो करवंचकों का आश्रय स्थल है, प्राप्त हुआ है और इसके बारे में एक न्यूयार्क शाखा का भी उल्लेख है। बम्बई की प्रवर्तन शाखा विदेशी बैंकों पर विदेशों से धनराशि के भारी हस्तांतरण से संबंधित सभी ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाल सकती थी।

यद्यपि कुछ प्रवर्तन अधिकारी भी उतने ही ईमानदार हैं और श्री माधवन वैसी ही जांच-कलाएं जानते हैं, परन्तु अब समूचे निदेशालय को अस्थिर करने के प्रयास चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी कनिष्ठ अधिकारी इतना शक्तिशाली अथवा दुःस्साहसी नहीं हो सकता जो इस प्रकार की घोर लापरवाही कर सकता। प्रश्न यह है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर कारंवाई में विलम्ब करने के लिए दोषी वह अदृश्य-व्यक्ति कौन थे?

अतः महोदय, मैं कहूंगा कि यह व्यवस्था की असफलता नहीं है, बल्कि यह असफलता व्यवस्था के पीछे उन लोगों की है, जिनकी धनलिप्सा और लालचपन ने बैंकिंग-प्रणाली को बदनामी दिलाई है। उन सभी दोषी व्यक्तियों, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाये जिससे कि निवेशकर्ताओं का फिर से विश्वास बन सके।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं सुझाव देता हूं कि भविष्य में घोटालों की पुनर्वृत्ति न हो, इसके लिए हमें स्टॉक एक्सचेंजों और मुद्रा-बाजारों के संचालन हेतु एक एकीकृत-ढांचे का विकास करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एस० एम० लालजान बाशा (गुन्टूर) : सभापति महोदय, स्वतंत्रता के बाद देश में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है जितना बड़ा अब हुआ है। इसलिए हम सब लोगों को पार्टी से ऊपर उठकर इस देश के इतने बड़े घोटाले में लिप्त हर्षद मेहता जैसे ब्रोकर को फिर पैदा नहीं होने देना चाहिए। हम लोगों को विचार करके सरकार को बताना चाहिए कि देश की गरीब जनता का बैंक में जो पैसा रखा गया है। उसकी भी हिफाजत नहीं हैं। आज देश में यह अफसोस की बात है कि आम आदमी का विश्वास बैंक के ऊपर से हट गया है। सरकार को किसी भी प्रकार से पुनः इस विश्वास को पैदा करना है।

हमारे आंध्र प्रदेश के अन्दर भी इस स्कैम में प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिना सिक्यूरिटी का 60 करोड़ रुपया है। एम. पी. ले सकता है तो कांग्रेस के बहुत से एक्स. एम. पी. इसमें इनवॉल्व होकर किस प्रकार से बैंकों को लूटते हैं यह हमारे मनमोहन सिंह जी भी जानते हैं। हमने उनको कितनी चिट्ठियां लिखीं लेकिन उनका कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया है। आज माधवन जैसे ईमानदार अधिकारी को दबाने के लिए भी काम हो रहा है। सच्चाई को बाहर निकालने के लिए सी. बी. आई. के आफिसर कितने ईमानदार हैं, उनको आज इस सच्चाई को और स्कैण्डल को बाहर

निकालने का काम करना होगा। ऐसे मौके पर हमें पार्टीबाजी से ऊपर उठकर देश में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा घोटाला फिर न हो, इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। हमारे गुण्टूर जिले में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है। किसान लोगों ने अपना सोना गिरवी रखकर शेयर खरीदे थे। यह 200 करोड़ रुपया तो एकाउंटेड है और अनएकाउंटेड न जाने कितना होगा। आज देश में हर्षद मेहता जैसे लोगों के पीछे पोलिटिकल आदमी रहते हैं और उनका पैसा बिना रसीद के बाहर जा रहा है। उसको रोकने का काम भी फाइनेंस मिनिस्टर का है।

आज हर्षद मेहता जैसे लोग जो दस साल पहले कुछ भी नहीं थे, वह सालाना 40-50 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में जमा करता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या हमें सभा का समय एक घण्टे लिए और बढ़ाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

सभापति महोदय : फिलहाल, मैं सभा का समय एक घण्टे के लिए ही बढ़ाता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, यह मुद्दा हमें आज ही निबटाना होगा।

[हिन्दी]

श्री एस० एम० लालजान बाशा : हर्षद मेहता जैसा आदमी जो सालाना 40-50 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स पे करता है, तो सरकार के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि इसका इनवेस्टिगेशन करे। कोई भी इनकम टैक्स जमा करता है और सरकार नहीं देखती है कि यह पैसा कहां से आ रहा है, हमारे ही बैंक को लूटकर कोई हमें धोखा देता है। यह देखने का काम भी सरकार का हर्षद मेहता जैसे आदमी को सरकार और बैंक के बड़े-बड़े अधिकारियों— चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे लोगों ने रास्ता बताया कि कैसे बैंक से पैसा निकालना है। ये लोग मिलकर इस प्रकार करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। जो अनइंप्लॉइड है, उसको लोन देने के लिए एक लाख रुपया भी बैंक से नहीं मिलता है।

6.00 म० प०

लेकिन दूसरी ओर करोड़ों रुपए, एक ऐसा धूर्त किस्म का आदमी, हर्षद मेहता जैसा आदमी, बैंकों से आसानी के साथ निकाल लेता है, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारे बैंकों की कार्य-प्रणाली में कितना दोष है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। ऐसा निवेदन है कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और आइंदा के लिए ऐसी व्यवस्था बनाये कि कोई भी आदमी बैंकों में घोटाला न करने पाये। गवर्नमेंट को इसमें काफी सोच-विचार करके कदम उठाने चाहिए। सी. बी. आई. के जो आफिसर, ईमानदार आफिसर हैं, उन्हें आप किसी भी तरह से दबाने का काम न करें बल्कि सच्चाई को बाहर निकालने में उनकी हर तरह से मदद करें। बेईमान आदमी को पकड़ना और ईमानदार आफिसर्स को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है।

हमारे यहां जितने आपके कांग्रेस के भूतपूर्व एम. पी. हैं, वे एक-एक आदमी आज बैंकों में कितने बड़े-बड़े घोटाले करके बैठे हैं, उनके विरुद्ध भी आपको जल्द से जल्द कार्यवाही करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक बार कांग्रेस का एम. पी. हो गया, उसके लिए बैंकों से 50-100 करोड़ रुपए निकालना आसान हो जाए, खाली सिर्फ एम. पी. बन गया तो वह बैंकों को लूटने

[श्री एस० एम० लालजान बाशा]

का काम आरम्भ कर दे, उसे खुला मौका मिलने लग जाए। मैं चाहता हूं कि इसमें जितने कांग्रेस के एम. पी. इन्वाल्व पाये जाएं, हमारे आन्ध्र प्रदेश के बारे में, मनमोहन सिंह जी ने उसको देखा है, वे जानते हैं मगर कुछ अभी तक उनके विरुद्ध कदम नहीं उठाए गए हैं। आइन्दा आप देखिए कि कोई भी चाहे व्यक्ति हो, एम. पी. हो, मिनिस्टर हो, सी. बी. आई. की इंक्वायरी में किसी को फ्री होकर घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। गलत किस्म के लोगों को पकड़ने का काम करना बहुत जरूरी है, इसका आइन्दा आप ध्यान रखें।

मैं यह भी चाहता हूं कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए लोकपाल के बिल में आवश्यक संशोधन किए जाएं। इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं श्री जसवन्त सिंह जी का बैंक लेन-देन में अनियमितताओं और धोखाधड़ी पर वक्तव्य और अन्य वित्तिय संस्थान, जिन्हें कि प्रेस द्वारा स्कैम नाम दिया गया है, पर चर्चा उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यद्यपि श्री सोमनाथ चटर्जी इसके लिए वित्त मंत्री को दोषी ठहराते हैं, लेकिन उन्होंने यहां दिए गए अपने भाषण में कहीं भी घोटाला शब्द का प्रयोग किया ही नहीं है और न ही इसका किसी सरकारी दस्तावेज में उल्लेख किया गया है।

वास्तव में, इण्डिया टुडे ने इसे घोटाले की जननी कहा है। जैसाकि सद्दाम हुसेन खाड़ी-युद्ध को युद्ध की जननी कहते थे, यह घोटाले की जननी है। श्री जसवन्त सिंह जी भी इसे बहुत बडा घोटाला, चकित करने वाला घोटाला, ऐतिहासिक घोटाला, अपमानजनक, रक्षा बजट के बराबर घोटाला और देशव्यापी-आयाम वाला घोटाला कहा है। मैं उनसे सहमत हूं। एक सैनिक हमेशा निष्कपट बात करता है और मुझे खुशी है कि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि यह इससे कम नहीं है।

बैंकरों, दलालों, ठगों और नौकरशाहों की मिलीभगत से हुए इस बड़े घोटाले के कारण उत्पन्न संकट पर इस सभा में प्रचुर मात्रा में चर्चा हुई है। मुझे श्री जार्ज फर्नान्डीज को भी इस विषय पर उनके प्रभावशाली गृह कार्य और उनके अनुसंधान के लिए उनको बधाई देनी ही चाहिए। यहां अपने तर्क को उचित ठहराने के लिए उन्होंने जिस निपुण तरीके से अपनी जानकारी खोज कर दी है, उसके लिए वास्तव में मैं उनको बधाई देता हूं।

लेकिन इसमें आशा की एक किरण है। माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तर्क-वितर्कों से हमें अवश्य ही निष्कर्ष निकालने चाहिएं। इससे हमें भविष्य में सहायता मिलेगी और साथ ही साथ मुझे विश्वास है कि इससे संयुक्त संसदीय समिति का कार्य आठ घंटे से अधिक संसदीय बहस के जानकारी के खजाने से और अधिक लाभदायक और आसान हो जाएगा। यद्यपि संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि इस बहस में 27 दिन लगे हैं और 27 दिन के लिए उन्होंने तीन-लाइन का एक व्हिप जारी किया है तथा मैं शनिवारों और रविवारों को भी दिल्ली से बाहर नहीं गया हूं क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था कि संसद की बैठक कब हो जाए।

रोजाना सायं 7.00 बजे मैं घर जाता हूं। पिछले तीन दिन से हम यह बहस कर रहे हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। मेरे विचार से यह असफलताओं का एक बेजोड़ मामला है।

वित्त मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह एक व्यवस्था की असफलता है। मैं कहूंगा कि यह एक संगठनात्मक-असफलता, प्रबंधन-असफलता और प्रशासनिक विफलता है, जिसमें प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को दर किनार कर दिया गया था। यह जिम्मेदारी निभाने की विफलता है और व्यक्तिगत नीति भी इसमें असफल रही है। मैं नहीं जानता कि संयुक्त संसदीय समिति के पास इतना समय होगा अथवा वह अपने जांच के दायरे में बैंकिंग प्रणाली में समूचे कार्मिक प्रबन्ध और कार्मिक विकास भर्ती और पदोन्नति को भी ले पाएगी अथवा नहीं क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं, चाहे यह कंप्यूटर का युग हो अथवा प्रागऐतिहासिक काल हो अथवा बैलगाड़ी युग हो, सेना में, शस्त्र के साथ सैनिक का अपना महत्व होता है और कार्य विशेष में मनुष्य और मानवीय पहलू अपने आप में अत्यन्त महत्व-पूर्ण है। यह घोटाला, जिसका कि पर्दाफाश हुआ है, यह पर्याप्त साक्ष्य प्रकट करता है कि सम्भवतः हमारी व्यक्तिगत-नीति की छानबीन अथवा इसकी और अधिक बारीकी से समीक्षा करने की जरूरत है। मैं महसूस करता हूं कि यह विश्वास का भंग करना है क्योंकि यहां हम सभी, साथ ही साथ जो सरकार में हैं और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तैनात अधिकारी लोगों के विश्वास के न्यासी हैं। इसी प्रकार हम यहां संसद में लोगों के विश्वास के न्यासी हैं बैंक अधिकारी भी लोगों के विश्वास के न्यासी हैं।

इस षडयन्त्र और धोखेबाजी से विश्वास का एक संकट पैदा हो गया है। हमारी सतर्क प्रेस ने इसको रोमानी बनाया है। इसका रहस्योद्घाटन करते समय, उन्होंने हर्षद मेहता को रोमानी बनाया है। महोदय, मेरा नम्र निवेदन यह है कि न केवल हर्षद मेहता अथवा समूची बैंकिंग प्रणाली कसौटी पर है, बल्कि यह हमारे संसदीय लोकतंत्र, यहां इस सभा में और राज्य सभा में बठे हम सभी सदस्यों का भी परीक्षण है।

यहां श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा श्री शरद पर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे मन में एक बात यह आती है कि जब हम भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन पर बहस करते हैं और जब हम अनुदानों की मांगें पारित करके धनराशि स्वीकृत करते है, तो मैं नहीं जानता कि हम कितना दिमाग लगाते है। हम समुचित संवीक्षा करते हैं अथवा नहीं, इसके बारे में हमें अवश्य विचार करना चाहिए। अतः, मैं समझता हूं कि—हर्षद मेहता के बारे में कुछ कहने का प्रयास करने की बजाय—वह प्रतिभा सम्पन्न है अगर एक व्यक्ति जो कि पूरे राष्ट्र और उत्तरोत्तर सरकारों विद्यमान सरकार की ही नहीं, बल्कि पिछली सरकारों की भी आंखों में धूल झोंकता रहा था। हमें विदित नहीं है कि कब से ये अनियमितताएं चल रही हैं। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाएगा और इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इसे 1990 के आगे तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा। यह मेरा प्रथम नम्र निवेदन है। यह केवल बक-वाद करना ही है कि यह समूची घटना कैसे घटी। शायद यहां संसद में हमें बैंकों के कार्यकरण अथवा दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों अथवा नियमों अथवा आंतरिक व्यवस्था के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इस देश में बैंकिंग प्रणाली में अनुभवी लोग और विशेषज्ञ हैं। जब नवम्बर के आरम्भ इनमें सहसा वृद्धि हुई थी, जिसके बारे में श्री पाल अपने हस्तक्षेप में उल्लेख कर रहे थे, उस समय भी इस देश के अधिकतर अर्थशास्त्रियों, बैंकिंग विशेषज्ञों, जिन्होंने कम्पायमान स्टॉक मार्किट के एक कदम के रूप में इसे लिया था, को इसने विस्मय में डाल दिया था।

अब, मैं उठाए गए मुद्दों पर बताना चाहूंगा। भारतीय रिजर्व बैंक और साथ ही साथ वित्त मन्त्रालय की भूमिका के लिए सर्वप्रथम वित्त मंत्री जी को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। हम देखें कि वित्त मंत्रालय अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या कोई कदम उठाये हैं, क्या उन्हें पता था

[श्री के० पी० सिंह देव]

कि कुछ घटित हो रहा था। यदि कोई घटनाक्रम को उल्टे क्रमानुसार देखें, तो श्री मनमोहन सिंह जी जून, 1991 में सरकार में आए थे। दो सप्ताहों में ही, अपने समग्र रूप से आर्थिक-पुनर्गठन को लागू करते समय, वित्तीय-पहलू को देखने के लिए उन्होंने नरसिम्हन समिति नियुक्त की थी।

सभापति महोदय (श्री शरद दिघे) : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मुझे अपनी बात समाप्त करने में थोड़ा समय और लगेगा। अन्यथा, मुझे बैठना पड़ेगा।

सभापति महोदय : मैंने आपको दस मिनट का समय दिया है।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं इसे दस मिनट में समाप्त नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब हरेक को दस मिनट का ही समय दिया जायेगा।

श्री के० पी० सिंह देव : मुझे विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों का उत्तर देना है। महोदय, दस मिनट में मैं ऐसा नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : मैं कोई सहायता नहीं कर सकता।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं बैठ जाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इस बहस को हम आज समाप्त करना चाहते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : यह बिल्कुल सही है। महोदय, मुझे अपनी पूरी बात अवश्य कहने दिया जाना चाहिए। अक्तूबर 1991 में बैंक घपलों के खतरों को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्री के कहने पर ही भारतीय रिजर्व बैंक ने घपलों और गड़बड़ी के पहलुओं की जांच हेतु अपने उप गवर्नर श्री ए० घोष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसकी रिपोर्ट 3 जुलाई को पेश की गई थी।

30 जनवरी, 1992 को जब वह संसद में आए तो भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना उनका पहला कार्य था क्योंकि यह एक अध्यादेश के माध्यम से किया गया था और तब संसद का सत्र नहीं चल रहा था। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड क्या है :

> "इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार के नियमित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना और निदेशकों की सुरक्षा था।"

मैं इस पूरे मुद्दे का उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि इसे संसद में ही प्रस्तुत किया गया था। इसलिए क्रियात्मक शब्द "निवेशकों की सुरक्षा" है। उस समय समाचार पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं छपा था और ऐसा कोई घोटाला भी उजागर नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने स्वयं ही यह पहल की।

फिर, फरवरी 1992 में घोटाला उजागर होने से बहुत पहले आयकर अधिकारियों ने कतिपय चुनिंदा दलालों के यहाँ छापे मारे। माननीय वित्त मन्त्री की पहल पर भारतीय रिजर्व बैंक भी भारतीय स्टेट बैंक में प्रतिभूतियों के लेनदेन से सम्बद्ध कुछ सूत्रों की जांच पृथक रूप से कर रहा था।

मार्च, 1992 में यह समस्या पहली बार उस समय प्रकट हुई जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के लेन-देन की जांच करते समय इसके पास प्रतिभूतियों में कमी का पता लगाया। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने सतर्क किया। क्रियात्मक भाग यह है :

"भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धकों को सतर्क किया कि एक दलाल हर्षद मेहता के माध्यम से 649 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां प्राप्त नहीं हुई थी।"

जब यह विसंगति सामने आई तो हर्षद मेहता ने 13 अप्रैल, 1992 और 24 अप्रैल 1992 के बीच 622.72 करोड़ रुपये की अदायगी की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जांच से पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक को हर्षद मेहता द्वारा दी गई राशि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ए० एन० जैड० ग्रिन्डलेज बैंक को दी गई राशि थी जो मेहता के खाते में जमा कर दी गई थी।

अब यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक तो भारतीय रिजर्व बैंक का ही एक संगठन है। मैं कहूंगा कि इस जांच से पूर्व इसका पता लगाने में न सिर्फ ढील दी गई बल्कि कोताही भी बरती गई क्योंकि इससे पता चलता है कि पूर्ण रूप से विफलता मिली चाहे आप इसे व्यवस्थागत विफलता कहे या मिलीभगत या कुछ भी कहें। वह यह पता लगाने में विफल रहा कि राष्ट्रीय आवास बैंक और ए० एन० जैड० ग्रिन्डलेज के बीच क्या हो रहा था जो वे मेहता के खाते में राशि जमा कर रहे थे। चूंकि प्रथमदृष्ट्या दलालों और बैंक अधिकारियों के बीच गठजोड़ के सबूत प्रकट हो रहे थे, इसलिए प्रतिभूति जांच का दायरा बढ़ाया गया। इसके फलस्वरूप और अधिक जांच हुई तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने गम्भीर गड़बड़ियों का पता लगाया जिनके तहत यह पता चला कि जो बैंक राशि एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी क्षेत्र के बांड, यूनिटों या ऐसे प्रपत्रों को खरीदने के लिए थी, वह दलालों के खातों में डाल दी गई थी और सम्भवतः स्टाक बाजार में सट्टे के काम में उपयोग की गई थी और इस बारे में अब हमारे पास यह जानकारी है कि ऐसा ही किया गया था। अप्रैल के अन्त और मई के शुरू में यह मुद्दा संसद में उठा था। वित्त मन्त्री ने उस समय उपलब्ध जानकारी से सभा को अवगत कराया था और आश्वासन दिया था कि इस गड़बड़ी में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। दिनांक 30 अप्रैल, 1992 को वित्त मन्त्री के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा की गई विभिन्न प्रतिभूति-लेनदेनों की जांच के लिए जानकीरमण समिति गठित की। इस समिति ने दो रिपोर्टें पहले ही पेश कर दी हैं जिनसे सभी माननीय सदस्य विगत कुछ दिनों से उद्धृत कर रहे हैं। दिनांक 9 जुलाई से आज तक अर्थात् 27 दिन तक हम जो कुछ उद्धृत करते रहे है उसका अधिकांश भाग जानकीरमन रिपोर्ट से ही है।

प्रारम्भिक जांच से पुष्टि होती है कि बेईमान दलालों और व्यक्तियों ने कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सुस्थिर नियमों और निदेशों का स्पष्ट उल्लंघन करके अनेक प्रकार से अपने स्वार्थ हेतु लेनदेन किया। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण विकास इत्यादि के मामले में कितनी राज्य सरकारें केन्द्र के निदेशों का उल्लंघन कर रही हैं? उड़ीसा सरकार ने गत कुछ माह के दौरान 25 करोड़ रुपये जमा किए हैं। कथित घोटाले के पता लगने के बाद से और यदि आपको घोटाला शब्द पसन्द नहीं है तो आप इसे गड़बड़ी कह सकते हैं, उड़ीसा औद्योगिक प्रोत्साहन और निवेश निगम लिमिटेड और उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम ने भी आन्ध्र बैंक फाइनेंसियल सर्विसिस लिमिटेड में 25 करोड़ रुपये जमा किए हैं। आज के समाचार पत्र में यह समाचार छपा है कि नैलको-राष्ट्रीय अल्यूमिनियम कम्पनी 1000 करोड़ रुपये का लाभ दर्शा रही है यह तीन दिन पूर्व छपा था। उन्होंने गड़बड़ी पता चलने के बाद भी 148 करोड़ रुपये जमा किए हैं और विद्युत वित्त निगम ने 394 करोड़ रुपये जमा किए। यह सूची बहुत बड़ी है। मैं यह बताने और जांच उन्मुख पत्रकारिता के लिए सतर्क समाचार माध्यमों को बधाई देता हूं। श्री जसवंत सिंह ने वित्त मन्त्री के वक्तव्य को एक लेखाकार की रिपोर्ट बताया। वह स्वयं जानते हैं, विलिंगटन स्टाफ कालेज में रहे हैं, कि कोई भी रिपोर्ट बहुत ही शुष्क रिपोर्ट होती है। कोई रिपोर्ट सनसनीखेज खबर के साथ

[श्री के० पी० सिंह देव]

दिलचस्प नहीं बन सकती। इसलिए जांच और जानकीरमण रिपोर्ट के आधार पर वित्त मन्त्री ने हमें जो बताया है वह बहुत सच और स्पष्ट वक्तव्य है कि क्या हो रहा था। एक अलग तरह की हेरा-फेरी के तहत दलालों को बिल में कटौती के नाम पर लेनदेन करके ऋण दिया गया जो कि 3542.79 करोड़ रुपये का और इसमें से 1967.84 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आवास बैंक, सौराष्ट्र स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक कैपिटल मार्किट और स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा दिए गए थे। स्टैन्डर्ड चार्टर्ड, केनरा बैंक फाइनेन्सियल सर्विस, केनरा बैंक म्यूचुअल फंड में 1470.12 करोड़ का लेनदेन हुआ जिसके द्वारा बैंक रसीद, एस० जी० एल० के बदले प्रतिभूति खरीदने के लिए बैंक आफ कराड और मैट्रोपोलिटन कोआपरेटिव बैंक की बैंक रसीदों के लिए कोई जमानत राशि दिए बगैर ही लेनदेन किया गया। इस राशि को पुनः दलालों को सौंप दिया गया। सुस्थिर नियमों और विनियमों तथा मार्ग-निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन के अलावा, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विफल रही है और वरिष्ठ बैंक प्रबन्धक संलिप्त रहे हैं और बैंकिंग के तीनों प्रकारों—राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंकों में पूर्ण रूप से मिलीभगत रही है। इन पूर्णतः अनियमित लेनदेन की कार्य शैली यह थी कि बैंक रसीदों का दुरुपयोग जमानत राशि दिए बगैर ही अति वाणिज्यन वापस क्रय करने की व्यवस्था बट्टे पर हुंडी लेने और समन्वय करने तथा अन्तः बैंक चैक दलालों के खाते में से निकालने, नकली बैंक रसीदों और यूनिट प्रमाण पत्र बनाने, धोखा, घपला मिलीभगत और गड़बड़ी करने वालों के बीच गठजोड़ इत्यादि होता था।

इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि यह जांच पूरे वेग से जारी रहनी चाहिए क्योंकि अगर इस जांच पर उचित रूप से कार्यवाही नहीं की गई तो इसका प्रभाव संसद में महसूस होगा; यहां पर अनेक सदस्यों ने कहा है कि अनेक मन्त्री और अधिकारी इसमें लिप्त हो सकते हैं। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं यह मानते हैं कि प्रधान मन्त्री को वह वक्तव्य नहीं देना चाहिए था ताकि संयुक्त संसदीय समिति के कार्य के समाप्त होने तक ये मन्त्री और सांसद तथा अधिकारी शक के घेरे में रहते। यह वास्तव में देश के लिए विध्वंसक होगा। यह तो भ्रामक सूचना, व्यंग्य कथन, अर्धसत्य और अर्धसुझाव मात्र हैं। समाचार माध्यम ऐसी सनसनीखेज बातों को पसन्द कर सकते हैं और इसे व्यापक तौर पर प्रसारित करेंगे। लेकिन हमारे लोगों के नैतिक बल पर इन अर्ध-सत्य और गलत टिप्पणियों का गलत प्रभाव चीन या पाकिस्तान या किसी अन्य के आक्रमण से अधिक होगा—ये देश पहले ही हम पर आक्रमण कर चुके हैं—क्योंकि यह हमारी सुरक्षा के लिए आंतरिक खतरा है। ये लोग इस भ्रामक प्रचार, बदनाम करने और चरित्र हनन के प्रचार को जारी रखना चाहते हैं। जिससे हरेक व्यक्ति बचाव की स्थिति में रहे ताकि वे अपना स्वार्थ पूरा कर सकें। उनका स्वार्थ क्या है? यह और कुछ नहीं, बल्कि माननीय वित्त मन्त्री द्वारा साहसिक तरीके से शुरू की गई उदारीकरण प्रक्रिया को आहत करना मात्र है।

महोदय, अब जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं मनु श्रोफ द्वारा लिखित और '**दि इकानामिक टाइम्स**' में प्रकाशित "क्राइसिस एंड आफ्टर रिफोर्म मोर अर्जेन्ट देन एवर" शीर्षक के तहत एक लेख से कुछ वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा :

> "प्रतिभूति घोटाले के कारण कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भारत आर्थिक उदारीकरण के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। अन्य लोगों ने भी ऐसी उदारता के कारण ही इस घोटाले का आरोप लगाया है, ऐसे अविश्वसनीय माहौल में एक सन्तोषजनक और साझा मत लेना कठिन है और इस पक्के तथ्य के बावजूद कि इसमें लिप्त मुख्य संस्थाएं सरकारी क्षेत्र में हैं, घोटाले

का उपयोग निजीकरण की कार्यवाही को नकारने के लिए किया जा रहा है। ऐसी अनियमितताओं और घपलों की पुनरावृत्ति रोकने और बकाया दावों का निपटान सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने के लिए नीति-निर्माताओं पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। लेकिन उनके सम्मुख और भी कठिन कार्य है अर्थात इस आर्थिक संकट से आर्थिक सुधार प्रक्रिया को समाप्त करने से रोकना।

मैं यही आशा करता हूं कि यह इतना शैतानी प्रयास नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने अपने प्रभावी भाग को तो अभी तक शुरू ही नहीं किया है।

सभापति महोदय : मैं गत दस मिनट से घंटी बजा रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। मैं श्री निर्मल चटर्जी को बुला रहा हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं तो मुश्किल से दस मिनट ही बोला हूं।

सभापति महोदय : आप इस प्रकार अध्यक्षपीठ की उपेक्षा नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए।

श्री के० पी० सिंह देव : तब आपको मुझे सभा से बाहर निकालना पड़ेगा।

सभापति महोदय : कृपया भाषण शीघ्र समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तुरन्त समाप्त कर रहा हूं। अगर आप घंटी बजाते रहेंगे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरा ध्यान बंटा रहे हैं। महोदय, फिर भी मैं समाप्त कर रहा हूं।

अब, सरकार की भूमिका क्या रही है ? इसने तुरन्त कार्यवाही की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 11.5.92 को एक मामला दर्ज किया था। जानकीरमण समिति ने 2 जून को प्रथम और 6 जुलाई को दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट दी।

सरकार का विशेष अध्यादेश 6 जून को जारी किया गया। इस संबंध में कानून बनाया जाना है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका की विस्तृत जांच अभी की जानी है।

हमें जो सबसे महत्वपूर्ण कायम रहने वाले मूल्य ध्यान में रखने हैं उनमें हमारी बैंकिंग प्रणाली की शुद्धता हमारे बैंकों की विश्वसनीयता है सरकार की पहल, बैंकरों की सार्थक और सक्रिय राशि तथा विदेशों में हमारी छवि शामिल है। मैंने विदेशों में छवि का उल्लेख इसलिए किया है कि 'इंडियन एक्सप्रेस' में एक लेख छपा है और मैं इसे उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि श्री निर्मल चटर्जी और उनके साथियों के लिए यह अधिक सार्थक होगा। मैं इसे उद्धृत करता हूं :

"घोटाले द्वारा निवेशक भारत में पूंजी निवेश करने से घबराने लगे हैं और इससे चीन लाभान्वित हो रहा है—

मुख्यतः विद्युत उत्पादन और मूलभूत क्षेत्र के सभी मे कम्पनियां चीन की भूमि पर कार्यरत दो स्टाक एक्सचेंज पुनः चालू किए गए शंघाई स्टाक एक्सचेंज और शेनझेन मे नए स्टाक एक्सचेंज में से किसी एक में सूचीबद्ध हैं।

चीनी कम्पनियां भी अन्तर्राष्ट्रीय लेखा प्रथा अपनाती हैं जो कि भारत की कम्पनियों को

[श्री के० पी० सिंह देव]

बजाय विश्वव्यापी लेखा प्रक्रिया के अधिक अनुकूल है। चीन में मौजूदा मुद्रास्फीति दर केवल 3 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में भारत में यह दर 12.5 प्रतिशत है। इसके अलावा, बी० जेड० डब्ल्यू० निवेश प्रबन्धन ने चीनी स्टॉक बाजारों को सुसंगठित कहा है जहां पर कम्प्यूटरीकृत लेनदेन होती है और सरकार कम्पनियों को सूचीबद्ध करने पर अत्यधिक सुव्यवस्थित नियन्त्रण रखती है।"

मैं आशा करता हूं कि आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण का विरोध नहीं करेंगे क्योंकि चीन की जनसंख्या भारत से भी अधिक है और इसने वहां किसी को बेरोजगार नहीं किया है।

हमारी अर्थव्यवस्था का विकास अत्यंत आवश्यक है। गलत तरीकों के उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन अग्रेतर विकास में कोई बाधाएं भी नहीं आनी चाहिए। इस घोटाले के दुष्प्रभाव से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है? यह हमारी व्यवस्था पर एक कलंक है। इसके बारे में दो राय नहीं है। यह समय कुछ करने का है। दोषी व्यक्ति को दंडित किया जाए, इसके लिए दायित्व निर्धारित किया जाए और जिन व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय किया जाए। हमें एक-दूसरे पर दोष मढ़ने के कार्य की बजाय वित्तीय सुधारों को जारी रखना चाहिए। ऐसा हम अभी कर लें अन्यथा हम कभी नहीं कर पाएंगे।

मैं इस कथन से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि दो व्यक्ति जेल की सलाखों से बाहर देख रहे थे, उनमें से एक मिट्टी देख रहा था और दूसरा तारे अर्थात् प्रत्येक बात के पीछे अथवा अंधेरे के पीछे आशा की किरण होती है। हम स्थिति को समझते हुए अपेक्षित सुधार लाए जाएं।

मैं लोकपाल की भूमिका के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सभा में 1 दिसम्बर, 1967 को लोकपाल विधेयक पारित किया था। बैंकिंग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों में भ्रष्टाचार के कारण आम व्यक्ति अपनी शिकायतों का निवारण नहीं कर सकता है इसके लिए संसद ही एकमात्र मंच नहीं है और न ही न्यायालय। वर्ष 1966 के प्रशासनिक सुधार समिति ने लोकपाल के पद को सृजित किया था और इसे श्री पी०के० देव द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी विधेयक के रूप में 1 दिसम्बर, 1967 को पारित किया गया था। आज इस देश के प्रधान मंत्री भी स्वयं को उसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि यद्यपि मेरे गृह राज्य उड़ीसा में लोकपाल कार्य कर रहा था लेकिन जब इसने तीन मंत्रियों के बारे में जांच पड़ताल शुरू की तो लोकपाल को एक अध्यादेश द्वारा बर्खास्त कर दिया गया। अतः भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र लोकपाल का पद सृजित किया जाना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने घोटाले की जांच हेतु तत्काल कार्यवाही की और सभा की भावनाओं से सहमत होते हुए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने के आदेश दिए और मुझे आशा है कि यह समिति अपना कार्य करने में विलम्ब नहीं करेगी क्योंकि पूरा राष्ट्र, बैंकिंग प्रणाली, राजनीतिज्ञ, नौकरशाह तथा सरकारी अधिकारी इसकी काली छाया के अन्तर्गत आते हैं। इसे शीघ्रातिशीघ्र अपना कार्य पूरा करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति को केवल वर्ष 1990 तक ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच नहीं करनी चाहिए बल्कि इसके बाद के मामलों की भी जांच करनी चाहिए।

महोदय, आपके सहयोग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं दो कारणों से विस्तार में नहीं जाऊंगा, पहला कारण है कि काफी ब्यौरा दिया जा चुका है और दूसरे, संयुक्त संसदीय समिति द्वारा और अधिक ब्यौरा सामने आएगा।

लेकिन, पहले से दिए गए ब्यौरों के आधार पर मैं कुछ प्रश्न उठाना चाहता हूं और वित्त मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, अपराधों की सूची लम्बी है। उनका अलग-अलग उल्लेख करना आवश्यक है। एक पत्र ने सही कहा है कि व्यवस्था में इतनी अधिक अराजकता है कि यदि आप सोना खरीदना चाहते हैं तो गेहूं का परेषण कर देते हैं और किताबों में किसी और ही वस्तु की बिक्री का उल्लेख होता है। इस प्रकार कार्य होता है और इसके बारे में सभी जानते हैं। एक पार्टी के नाम के चैक दूसरी पार्टी के नाम में जमा कर दिए जाते हैं। अनुबन्धानुसार वस्तुएं नहीं दी जाती थी लेकिन वादा किया जाता था और धन एकत्र किया जाता था। बैंक रसीदें व्यापक रूप से जारी की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का एक समूह इस प्रकार का कार्य करेगा तो बैंक समाज की प्रतिक्रिया क्या होगी? इसके लिए प्रतिक्रिया यही होगी कि उन्हें सजा दी जाए। क्या ऐसा होता है?

यदि दोषी व्यक्ति एक 'क्लब' के हैं और उनके विभिन्न स्थानों पर संपर्क हैं तब क्या प्रतिक्रिया होगी? इसकी प्रतिक्रियास्वरूप वे विशिष्ट मार्ग निर्देश जारी करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जुलाई को ऐसा ही किया। जब सजा देने की मांग की गई थी तब मार्गनिर्देश जारी किए गए। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारी व्यवस्था में कुछ खराबियां हैं लेकिन शायद इस शब्द के अलग-अलग अर्थ हैं। यदि आप किसी 'क्लब' से जुड़े हुए हैं, आपके कुछ संपर्क सूत्र हैं और आप ऐसी बातों पर गोल्फ लिंक में चर्चा करते हैं तो ऐसी बातें हो सकती हैं और ऐसा ही हुआ है। यह प्रश्न पूछा गया कि इसकी जानकारी कब मिली थी, न कि यह प्रश्न पूछा गया था कि यह कार्य प्रारम्भ कब हुआ था। मुझे याद है कि एक दिन डा० सिंह ने इस सभा में कहा था कि वह यह नहीं जानते हैं कि शेयर के मूल्यों में ऐसा क्यों हो रहा है। श्री सिंह एक अर्थशास्त्री के रूप में बोल रहे थे और फिर भी उन्हें इस क्षेत्र विशेष की जानकारी नहीं है। वह उस समय वित्त मंत्री के रूप में नहीं बोल रहे थे।

वित्त मंत्री को यह जानकारी थी कि शेयर बाजार में क्या हो रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में उन्होंने उन मुद्दों का उल्लेख किया था जिन्हें जानकीरमण समिति ने अपनी दो अंतरिम रिपोर्टों में बताया था।

वह यह जानते थे कि क्या हो रहा था जबकि अर्थशास्त्री यह नहीं जानते थे कि शेयर बाजार में ऐसा कैसे हो रहा है। प्रश्न यह है कि यह कब शुरू हुआ था? क्या नई आर्थिक नीति का इस प्रकार की घटनाओं से कुछ संबंध है? मैं जानता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए लेकिन मुझे इस बारे में कुछ आशंका है। डा० मनमोहन सिंह इसलिए यह महसूस करते हैं कि वह धोखा खा गए हैं क्योंकि इस सारी बात को उनकी नई आर्थिक नीति से जोड़ा जा सकता है। मुद्दा यह नहीं है कि यह इस नीति के कारण शुरू हुआ है; हमें इस बात में अन्तर करना चाहिए; स्वतंत्रता प्राप्ति के एकदम बाद से नहीं बल्कि कुछ समय पश्चात् से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलापों में ही इसका कारण खोजा जाएगा। इसके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। मुझे किसी

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

व्यक्ति विशेष के दोष में कोई रुचि नहीं है। वे महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति विशेष को सजा दी जानी ही चाहिए। लेकिन अन्य बातें इससे भी महत्वपूर्ण हैं।

निजी क्षेत्र ने सरकारी क्षेत्र को लूटने का एक माध्यम बनाया हुआ था। इसका यही अर्थ है। निजी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र, चाहें वह औद्योगिक क्षेत्र है अथवा वित्तीय क्षेत्र, लूटने की अनुमति मिली हुई थी। यह बात स्वतंत्रता के बाद की हैं। क्या कोई व्यक्ति इसको नकार सकता है।

हमने कुछ संगठनों का उल्लेख किया है। हमने आज भी कुछ का उल्लेख किया है। "नेस्को" का उल्लेख किया गया था। आप कल्पना करें कि जब यह सब हो रहा है तब नेस्को की निधि को उस दर पर निवेश किया जा रहा था जो अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों से उपलब्ध दर से भी कम थी। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें किसी बैंक विशेष को दिया गया जो दलालों को यह धन दे रहे थे और इस बारे में कोई सौदा अवश्य हुआ होगा। आप आंकड़े देखिए, इनका आज के समाचार पत्रों में भी उल्लेख है। इस प्रकार के सात या आठ बैंक हैं। आंध्र के पहले दो बैंकों में 20 प्रतिशत धन है, और अगली बार 25 प्रतिशत धन दिया गया। उन्होंने आंध्र बैंक को 20 प्रतिशत धन क्यों दिया? शायद संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करेगी। इस सन्दर्भ में सरकारी क्षेत्र ने इस प्रकार कार्य किया और 1980 के दशक में इसकी गति कुछ तेज हो गई।

उदारीकरण के बारे में डा० मनमोहन सिंह ने एक बार बिल्कुल सही वक्तव्य दिया था। उन्होंने हमारे सामने कांग्रेस घोषणा पत्र रखते हुए कहा था कि आप यह कैसे कहते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के कारण है। चुनाव घोषणा पत्र में इसका उल्लेख कैसे किया गया था। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं।

यह प्रक्रिया चल रही थी जिसके आधार पर चुनाव घोषणा पत्र में विवरण दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने वर्तमान नीति बनाने के लिए दबाव डाला था और इस नीति ने घोषणा के लिए रास्ता बनाया, इसने इस कार्य को और अधिक बढ़ाया। ऐसा ही कार्य हुआ है और इसका संकल्प भी इसी प्रकार का है। क्या मैं सही बात बोल रहा हूं, हम इसकी जांच करें? डा० सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम उस चरण पर आ गए हैं जब सरकारी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पहले की तरह की प्रमुखता नहीं है। इससे किस बात को बढ़ावा मिलता है?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मुझे यह बात याद नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपने स्पष्ट रूप से यही बात कही थी। हमने जब आपसे प्रश्न पूछा था तब आपने यही कहा था। यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो ठीक है। लेकिन पूरी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी क्षेत्र को समाप्त करना है। 1980 के दशक से ऐसा ही चल रहा है। उदारीकरण का अर्थ और क्या है? प्रतिस्पर्धा का अर्थ और क्या है? आपकी समस्त गतिविधियों का अर्थ हर प्रकार से लाभ कमाने का है। नई आर्थिक नीति से ही यह मनोवृत्ति, छूट और वातावरण बना है। इसने बैंकों को भी प्रभावित किया है।

नरसिम्हन समिति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा इस सरकार ने बारम्बार कहा था कि बैंक अकुशल हैं। उस अकुशलता का प्रमाण क्या है? सही अर्थ है कि आप अधिक लाभ नहीं कमा रहे हैं। बैंक कर्मियों, चेयरमैनों तथा अन्य व्यक्तियों ने यही साबित करने का प्रयास किया कि

वे बैंकिंग क्षेत्र तथा स्वयं के लिए लाभ कमा सकते हैं। बात केवल यही है। हमने श्री जसवंत सिंह को धन्यवाद देकर शुरू किया। आपने उनको धन्यवाद देकर ही क्यों शुरू किया ? एक-दूसरे मंच से मैंने कहा था कि हमें श्री हर्षद मेहता को धन्यवाद देना चाहिए, जिसने उस समाज की प्रक्रियाएं उजागर की हैं जिसका आप देश में सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी नीति क्या है ? आपकी नई आर्थिक नीति क्या है ? आपको डर है क्योंकि विदेशी बैंकों का नाम पहली अन्तरिम रिपोर्ट में नहीं अपितु दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट से आया। ऐसा होना ही था लेकिन फिर भी सरकार के मन में डर है कि कहीं उन्हें मुश्किल स्थिति का सामना न करना पड़े। क्यों ? यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के उनके नजरिए का एक नकारात्मक पक्ष है। हमें विदेशी निधि चाहिए, यही वह विकल्प है जिस पर वह गौर कर रहे हैं। अगर विदेशी बैंकों पर पड़ा पर्दा उठ गया है, तो विदेशी निधि नहीं आएगी। नई आर्थिक नीति के साथ इसका यह संबंध है। यदि यह नजरिया सार्वजनिक क्षेत्र में भी है तो वह अपनी निधि का निवेश कहां करेंगे। वित्त विकास निगम तथा उससे जुड़े लोग तभी तक आजादी देते हैं जब तक मुनाफा कमा सकते हैं। नेहरू के दिनों की पुरानी विचारधारा कि हमारी आर्थिक गतिविधियां वह समाज के कमजोर लोगों को दृष्टिगत रखते हुए परिचालित होंगी, अब छोड़ दी गई है। क्या यही वातावरण है ? ऐसा प्रतीत होता है कि श्री मणि शंकर अय्यर इन मूल्यों के रक्षक हैं। क्या वह आज ऐसा महसूस करते हैं कि वर्तमान आर्थिक नीति के अन्तर्गत इन्हीं मूल्यों का अनुसरण हो रहा है ? कोई भी इसका उत्तर न देगा। यही वह पाठ है जो हमें सीखना चाहिए। क्या हमें अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय निजी क्षेत्र पर निर्भर रहकर अधिकतम लाभ के उद्देश्य को ही मार्गदर्शक मानना होगा। उस निजी क्षेत्र पर जो सार्वजनिक क्षेत्र की लूट के आधार पर सम्पन्न हुआ है।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य केवल समाजवादी ढांचा ही नहीं था, इसका तात्पर्य निजी क्षेत्र को बनाना था और वह भी सार्वजनिक क्षेत्र के मूल्य पर।

इस घोटाले ने और क्या किया है ? इसका जिक्र नहीं हुआ है और न ही इस पर अधिक बल दिया गया है। एक ही झटके में यह स्पष्ट हो गया है कि हम वामपंथी जो कुछ बार-बार कहते रहे हैं, वह ठीक है कि अगर कर वसूली के उपायों को ठीक से लागू किया जाए तो राजस्व घाटे को पूरा किया जा सकता है। हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आपने कर को घटाकर चालीस प्रतिशत कर दिया है, ठीक है, परन्तु वसूली पूरी करिए। एक ही झटके में हर्षद मेहता ने दिखा दिया है, कि कितना धन कर के जाल से बच रहा है और आप कितना कर जमा रहे हैं। ऐसा क्यों है कि एक ऐसा महल जहां पर वह रह रहा था। सबको इसकी जानकारी थी पर कर नहीं लगाया गया ? वह कितना कर दे रहा था ? तीन करोड़, चार करोड़, पांच करोड़ का अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर आसानी से वसूल किया जा सकता था। इस घोटाले से यह बात सामने आयी है। अगर ऐसा है तो फिर अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता उत्पाद कर से कटौती, और प्रत्यक्ष करों पर निर्भर न रहने का अर्थ पूरा सिद्धान्त प्रश्नवाची हो जाता है।

यह जो हैरानकुन बातें इसके पहलू का सम्बन्ध है सरकार के दायित्व से है विशेषकर अस्सी के दशक में। क्या आप इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं कि यह सब ऐसे तरीके से हुआ जिससे यह सबकी आलोचनात्मक दृष्टि से दूर रहा। यह किसने किया था। हमने यह मुद्दा बार-बार उठाया है, और बार-बार आपने इसकी प्रतिक्रिया में अपने सभी बैंकिंग अधिनियमों में गोपनीयता खण्ड का समावेश किया है।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

क्यों, क्योंकि निजी क्षेत्र के कार्य सदैव गुप्त तरीके से किए जाते हैं। इनमें सदैव चालाकी से काम लिया जाता है, आप नहीं चाहते एक के भेद दूसरे को पता चलें।

हमने जिस मुद्दे पर चर्चा शुरू की थी उससे बहुत दूर हट गए हैं। हम कहते हैं कि आपकी नीतियां इसके लिए उत्तरदायी हैं। अस्सी के दशक के दौरान आपने अपने सभी अधिनियमों में यह संशोधन शामिल किए हैं। उदारीकरण की दिशा में आपने अपने कदम आज नहीं उठाए है। आई०एम०एफ० से पहला ऋण आज नहीं मिल रहा। यह प्रक्रिया अस्सी के दशक के शुरू में आरम्भ हुई थी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र का विकास करने तथा उन्हें मजबूत बनाने की आपकी गतिविधियां हमें इस अनिवार्य स्थिति की ओर ले जा रही थीं।

श्री सिंह ने इसका जिक्र किया है। वह चाहते हैं कि हमारे उद्योगपति स्वयं को विश्व की मौजूदा स्थिति के साथ एकीकृत करें। उनके विचार में हमारे उद्योगपति काफी परिपक्व हो गए हैं। इस घोटाले से यह सिद्ध होता है। हमारे पूंजीपति औद्योगीकरण के कंटीले पथ पर नहीं चलते। वह सेवा क्षेत्र में चले जाते हैं, वह आर्थिक क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि वहां आपको रोज ही दो प्रतिशत प्रतिलाभ मिलता है।

आप परेशानी मोल क्यों लेते हैं? यहां कामगार हैं, श्रमिक संघ हैं, संघर्ष होते हैं, प्रबन्धन संबंधी समस्यायें हैं। फिर भी भारतीय [illegible] की इस [illegible] की वजह से वह उन पर गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि वे विदेश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तुल्य हैं। और नवीनतम समाचार क्या है? घोटाले के बाद, जिसका मजा हर्षद मेहता जैसे गैर उद्योगपतियों ने लिया है, अब बिड़ला घराने भी बैंकिंग प्रणाली में शामिल हो रहे हैं। नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक उद्योगपति अब यह समझ रहे हैं कि वित्तीय क्षेत्र अब ज्यादा फायदेमंद है, इससे जल्दी मुनाफा प्राप्त होता है। अतः वे इन क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कोशिश जारी है।

महोदय, मेरा सरकार पर यह आरोप है कि इस घोटाले से न केवल बैंक या शेयर बाजार ही प्रभावित है बल्कि इससे वे सरकारी उपक्रम भी प्रभावित है जिनके शेयर बेचे गए थे। मेरे पास यह जानकारी है कि सरकारी प्रतिष्ठानों के कितने शेयर बेचे गए थे। कुछ ब्यौरे तो जानकारीमन समिति की रिपोर्ट में भी दिये गये हैं। मेरा यह भी आक्षेप है कि "इसमें मंत्रालय" उसी तरह से शामिल नहीं है जिस तरह श्री जोर्ज ने कहा है। मेरे पास एक सूची है। मैं आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। एक कम्पनी जिसकी प्रदत्त पूंजी 65 करोड़ रुपये है, ने 150 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है और इसका शेयर पिछले मूल्य पर बेचा गया है। आपने सरकारी प्रतिष्ठानों के शेयर बेच कर पिछले वर्ष बाजार में 3000 करोड़ रुपये एकत्र किये थे। यदि वे शेयर सीधे ही बेचे जाते तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितने पैसे एकत्र कर सकते थे? इसमें एक अनुपात चलता है जिसे 'पी' अनुपात कहते हैं। हमें यह देखकर धक्का लगा कि यह 'पी' अनुपात आज शेयर बाजार में 55 है जोकि लगभग एक विश्व रिकार्ड है। जबकि कीमत आये संबंधी अनुपात जिस पर शेयर बेचे गये थे वह केवल आठ थी। ये सभी लाभकारी कम्पनियां थी। जब शेयर बाजार 55 की बात करता है तो इसमें हमारे [illegible] कम्पनियों के साथ-साथ [illegible] कम्पनियों की भी बात करता है। अनुमानतः उन शेयरों का वर्तमान मूल्य जोकि [illegible] बाजार में बेचे जाते थे उनकी मूल्य आय सम्बन्धी अनुपात 250 होगी। इससे 3000 करोड़ रुपये एकत्र करने की बजाय आप न केवल 6000 करोड़ रुपये एकत्र कर सकते थे बल्कि आप समस्त राजस्व बजट और वित्तीय घाटे को दूर

कर सकते थे। यह आरोप व्यक्तिगत रूप से नहीं है। यह आरोप तो सरकार पर है जिसने एक विशेष माहौल पैदा किया। जहां यह सब किया जा सके। मैं जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि यह तो घोटाले का ही एक अंश है कि ये शेयर इस तरह से बेचे गये। जानकी रमन समिति की रिपोर्ट में कुछ ब्यौरे दिये गये हैं। बाकी जानकारी शायद संयुक्त संसदीय समिति में उभरकर सामने आयेगी। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि इसमें अकेले हर्षद मेहता ही शामिल नहीं है। परन्तु कुल मिलाकर यह नीति, यह रवैया जो आप अपनाये हुए हैं वह इस तरह के घोटाले को उत्पन्न करता है। इन शेयरों को बेचने के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या यह हर्षद मेहता है ? क्या यह भारतीय रिजर्व बैंक है ? केवल आठ के मूल्य आय अनुपात पर बेचकर हमारे राजस्व को 10,000 करोड़ रुपये के घाटे के लिए कौन जिम्मेदार है ? क्या यह घोटाला इससे कम है ? क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ?

1980 से हम विभिन्न समितियों के जरिए यह कहते रहे हैं कि वे बैंक खाते जोकि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक तक के हैं उनका मिलान नहीं किया जा रहा है। इन खातों का सामंजस्य स्थापित नहीं होता है। आपने अपनी नीतियों द्वारा बैंकों के लालच को बढ़ावा दिया है। हम सरकार का ध्यान बैंकिंग पद्धति की इस मिलान न कराने वाली भारी विसंगति की तरफ दिला रहे हैं। उस पर कार्यवाही न करने के कारण क्या सरकार को भी अपराधी करार नहीं दिया जायेगा ?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं केवल दो साधारण टिप्पणियों के साथ समाप्त करूंगा। वित्त सचिव का जिक्र किया गया है। यदि योजना आयोग का कोई सदस्य उनके साथ मुलाकात निश्चित कर देते हैं तो वित्त सचिव क्या कर सकते हैं ? क्या वह इससे इन्कार कर सकते हैं ? **(व्यवधान)** मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। काफी समय पहले जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि किसी भी उद्योगपति को उनके कक्ष में आने की अनुमति नहीं होगी। एक दिन मेरी उनसे मुलाकात तय हुई थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके एक उद्योगपति से बात करने की वजह से मुझे प्रतीक्षा करवाई गयी जब मुझे मिलने का मौका दिया गया तो मैंने उन्हें बताया कि आप तो ऐसे लोगों को मिलने की अनुमति नहीं देते हैं तो उनका उत्तर था कि मैं उनका इन्कार नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक संसद सदस्य थे और वह अपना अधिकार जता रहे थे। **(व्यवधान)** उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की। क्या वित्त मंत्री इस तरह का माहौल पैदा करने में सफल हुए ? **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें याद होगा कि मैंने उनसे इस सम्बन्ध में बात की थी लेकिन उन्होंने ...

सभापति महोदय : इसके बाद कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने केवल 15 मिनट के लिए कहा था। मैंने आपको 25 मिनट से भी अधिक दिये ...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं समझता हूं कि आपकी घड़ी ठीक नहीं है। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : महोदय, प्रतिभूति घोटाले पर यह वाद-विवाद लगभग एक माह से चल रहा है। इसने राष्ट्र की नींव हिला दी है। यह शायद देश का सबसे बड़ा कांड है और विश्व का भी सबसे बड़ा कांड है।

इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली, हमारे पूंजी बाजार, हमारे सेंट्रल बैंक की विनियमनकारी भूमिका की साख को चकनाचूर कर दिया है, वस्तुतः इससे भारतीय वित्तीय क्षेत्र की परिपक्वता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है।

7.00 म० प०

यह जालसाजी इतने व्यापक रूप से हुई है कि सभी तरह के वित्तीय संस्थान इसमें या तो गलत कार्य करने में शामिल हैं या इससे प्रभावित हैं · (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट रुकिए। हम सभा का समय एक घंटे और बढ़ाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, 7.30 म. प. पर उपाध्यक्ष महोदय ने हमें निमन्त्रण दिया है।

सभापति महोदय : इसे आज समाप्त करना है और सभा का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत सादर निमंत्रित किया है। क्या आप चाहते हैं कि हम उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करें?

सभापति महोदय : संसद सदस्यों के लिए सबसे पहली आवश्यकता संसदीय कार्य है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, आज साढ़े सात बजे हमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय की ओर से रात्रि-भोज के लिए बुलाया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें इस बारे में सूचित तो कर दिया जाए कि सदन आठ बजे तक चलेगा।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, निजी बैंक भी इसमें शामिल हैं, राज्यों के बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं, विदेशी बैंक, म्युचुअल फंड, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें, निजी वित्तीय कम्पनियां और सरकारी उपक्रम भी शामिल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कुछ अपराधियों ने बैंकरों के जरिए और शायद कुछ नौकरशाहों के जरिए साधारण नागरिकों से हजारों करोड़ रुपए ऐंठ लिए हैं।

न केवल इस देश के लोग बल्कि सारा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बड़ी उत्सुकता से इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया और लूटे गए धन को वसूल करने, दोषियों को दंड देने और प्रभावी उपचारात्मक उपाय करने संबंधी इस राष्ट्र की क्षमता और राजनैतिक व्यवस्था की दक्षता की तरफ देख रहे हैं।

भारत के लोगों के मन में सर्वप्रथम तो यही प्रश्न आता है कि "यह कैसे हो सकता है" "एक नियन्त्रणकारी व्यवस्था के इतने बुरी तरह से असफल होने के क्या कारण थे।"

विपक्ष के इस आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसके लिए आर्थिक नीतियों का

उदारीकरण और नियंत्रण हटाना गैर जिम्मेदार है बल्कि इसके विपरीत यह तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार में विलंब की वजह से हुआ है।

सुधार अत्यावश्यक हैं। वे काफी समय पहले किए जाने चाहिए थे। हमें अपनी वित्तीय संस्थाओं को सुधारना है। पूंजी बाजार को सुसंगत बनाने की आवश्यकता है। 'सेबी' को अधिक स्वायत्तता, अधिक प्रतिकार देने की आवश्यकता है। आंतरिक सौदेबाजी, स्वतन्त्र लेखा परीक्षा के मामलों में कानूनों की आवश्यकता है और हमारे मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है।

यदि आप तटस्थ रूप से, निष्पक्ष रूप से इस सारे मामले पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस कांड की उत्पत्ति का कारण यह अस्थिर राजनैतिक स्थिति है जो कि 1989 के चुनावों के बाद उत्पन्न हुई। मेरी मंशा किसी राजनैतिक दल या किसी विपक्षी नेता को दोषी ठहराने की नहीं है। लोगों ने एक अलग ही ढंग से मतदान किया इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सच यह है कि 1990 और 1991 में जिन दो गैर कांग्रेसी सरकारों ने शासन किया है वे दुर्भाग्य से दिन गिन-गिनकर ही शासन करती रही है। राष्ट्र का ध्यान विकास नीतियों और अर्थव्यवस्था से हटाकर मंडल और मन्दिर की ओर लगा दिया गया। अशांत सामाजिक परिस्थितियों ने अर्थव्यवस्था की अनदेखी कर दी किसी को भी तेजी की परवाह नहीं थी। और इस अस्थिर व्यवस्था का फायदा दलाल, बैंक अधिकारियों और नौकरशाहों ने मिलकर उठाया।

जब अपराधियों ने यह महसूस किया कि पुरानी प्रक्रिया तथा खातों के मिलान में देरी के कारण ये व्यवस्था चरमरा रही है तब उन्होंने नियमों का अपनी सुविधानुसार प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। सरकार द्वारा कार्यवाही करने में देरी के कारण जब किसी को भी इसकी भनक भी नहीं लगी, तब वे निर्भीक हो गए और अन्ततः उन्होंने हेराफेरी शुरू कर दी और बड़े पैमाने पर राष्ट्र को लूटने लगे।

यहां एक सबक मिलता है। जब कभी केन्द्र में गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो ऐसे घोटालों के पुनः होने की काफी सम्भावनाएं होती हैं।

निःसन्देह, हमारी आर्थिक नीतियों के कारण यह घोटाला नहीं हुआ है। तथापि उन्होंने इस प्रणाली को समाप्त होने की स्थिति में पहुंचा दिया। भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय को इसका पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए था।

हमारी सरकार को तुरन्त उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए थी। कुछ निर्णय अनिवार्य थे—जैसे कठोर मुद्रा एवं ब्याज दर में बदलाव ऊंची एस. एल. आर/सी. आर. आर. आवश्यकताएं ऋण पत्रों पर उच्च मार्जिन मनी। इन सब बातों से नकद मुद्रा की भारी कमी हो गई। प्रतिभूतियों की मांगें, 'कॉल मनी' दरों में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई थी। मुद्रा-बाजार में गतिविधियां तेज थी। सरकार ने कुछ प्रतिभूतियों पर कूपन दर में वृद्धि कर दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि इस कूपन-दर के मामले को संयुक्त संसदीय समिति को भी विचार करना है। इसकी वजह से बैंकों ने कम लाभ वाली प्रतिभूतियों का लेन-देन बन्द करके उच्च लाभ वाली प्रतिभूतियों का लेन-देन आरम्भ कर दिया। इससे लेन-देन में वृद्धि होना अनिवार्य था। नौ लाख करोड़ रुपए जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है, वे इस स्तर पर पहुंच गए थे। 'काल मनी' दर इतनी बढ़ गई थी कि बैंकों ने 'रेडी फारवर्ड' प्रतिभूतियों के सौदों का बहाना बनाकर कमजोर 'काल-मनी में धन लगाया। 'बी० आर०' का प्रयोग कल्पित मुद्रा के रूप में किया गया।

[श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण]

मेरा यह कहना कि भारतीय रिजर्व बैंक के 'पब्लिक डिपार्टमेंट आफिस' प्रतिभूतियों के लेन-देन में इतनी तेजी और देरी से खातों के मिलान के कार्य के लिए तैयार नहीं था। उस समय रिजर्व बैंक को 'पी. डी. ओ' का कार्य तेज बढ़ाना चाहिए था और स्वयं ही इस प्रकार के जोड़-तोड़ कर पर्दाफाश करना चाहिए था। ऐसा करना ही होगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि धोखाधड़ी और अनियमितताएं 1990 के आरम्भ में हो शुरू हो गई थी लेकिन यह हमारी सरकार ही थी, जिसने इसका पर्दाफाश किया। यद्यपि हम सब इस बात से सहमत हैं कि ऐसा पहले ही होना चाहिए था। इस घोटाले का पता लगाने का श्रेय इस सरकार को अवश्य दिया जाना चाहिए (व्यवधान)।

श्री श्रीकान्त जेना : आपको यह श्रेय पत्रकार सुचेता दलाल को देना चाहिए, जोकि इसको सामने लाने के लिए जिम्मेदार है। (व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : कृपया मेरी बात सुनिए।

अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस घोटाले का पता लगने के बाद क्या सरकार ने शीघ्रता से कार्यवाही की है—और उसका उत्तर हां है। मैं उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनका पहले ही जिक्र किया जा चुका है क्योंकि सदन को स्थिति की पूरी जानकारी दी जा चुकी है इस बारे में सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की गई है उसकी भी जानकारी दी गई है। जानकी रमण समिति रिपोर्ट तथा विशेष न्यायालयों का गठन और उसकी स्थापना केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई गिरफ्तारियों और इस बारे में मारे गए छापे और और अब संयुक्त संसदीय समिति का गठन इन सबसे स्पष्ट होता है कि नरसिंह राव सरकार ने इस बारे में ईमानदारी तथा गम्भीरता से कार्यवाही की है।

क्या कोई इस जांच को रुकवाने का प्रयास कर रहा है ? यह स्वाभाविक है कि जो लोग इसमें लिप्त हैं वे निश्चय ही इसमें रुकावटें डालेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने सदन मे तथा सदन के बाहर भी अनेक बार यह आश्वासन दिया हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही ऊंचे पद क्यों न हो उसे बख्शा नहीं जायेगा और जांच में नरमी नहीं आने दी जाएगी।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस काम को छोटा न समझा जाए। हजारों लेन-देन का पता लगाना, समस्त कांड के हिस्सों को जोड़ना, कम्प्यूटर फ्लोपीज की डिकोडिंग करना—यह एक विशाल कार्य है—विशेष तौर पर 21वीं सदी के इस आधुनिक धोखाधड़ी को सुलझाने के लिए जबकि हमारे पास अपर्याप्त तंत्र व्यवस्था है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उनको प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अब बैंक ऑफ कराड़ के विचित्र मामले पर आता हूं। कराड से निर्वाचित सदस्य होने के कारण, मैं बैंक के 1,97000 जमाकर्ताओं के प्रति विशेष जिम्मेदारी महसूस करता हूं क्योंकि उनको इस लेन-देन के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वे लोग छोटे-छोटे किसान, तांगे वाले रिक्शा वाले आदि हैं जिनकी जीवन भर की पूंजी इस बैंक में हुई हेराफेरी के कारण बर्बाद हो गयी है। उनका कोई कसूर नहीं था फिर भी उनका सब कुछ लुट गया। बैंक के 360 कर्मचारियों का भविष्य अन्धकारमय है। कुछ कर्मचारियों तथा कुछ निदेशकों की मिलीभगत

से कराड शहर का नाम बदनाम हो गया है। मुझे इसका बहुत अफसोस है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्हें उन लोगों का पता लगाना चाहिए जो इसमें शामिल थे।

महोदय, जमाकर्ता बीमा निगम ने 30,000 तक की राशि का भुगतान कर दिया है और लगभग 90 प्रतिशत जमाकर्ताओं को 30,000 रुपये तक का भुगतान किया जा चुका है। लेकिन बाकी जमाकर्ताओं का क्या होगा जिन्होंने 30,000 रुपये से ऊपर की राशि जमा कराई हुई है। इसमें से अधिकतर ट्रस्ट की निधियां हैं। उदाहरण के लिए 'मथादी कामगार आफ बम्बई' अधिकतर वे लोग जो इस बैंक के खातेदार हैं; उन्होंने करोड़ों रुपये इस बैंक में जमा कराए हुए हैं। यह उनका भविष्य निधि उपदान आदि का धन है। कराड और कोल्हापुर नगरपालिकाओं की भी बैंक में जमा राशि है। वह राशि 30,000 रु० से अधिक की है। उन्हें कुछ भी वापिस नहीं मिला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले की छानबीन करें तथा सुनिश्चित करे कि इन छोटे कर्मचारियों को अपने जीवन भर की जमा पूंजी, जो कि इस बैंक में जमा थी, से हाथ न धोना पड़े।

11 जुलाई को दूरदर्शन ने अपने शाम के समाचार बुलेटिन में घोषणा की थी कि बैंक आफ कराड का अधिग्रहण किया जा रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको अधिकार में लेने की स्वीकृति दे दी है। हम सभी यह समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसा कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है कि बैंक आफ इंडिया इसका अधिग्रहण कर लेगा। उस समाचार बुलेटिन में मेरे पास इसकी एक प्रति भी है—कहा गया था कि दो लाख जमाकर्ताओं को अब इस अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों ने मिठाइयां बांटी और जमाकर्ताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया। अचानक दूसरे दिन हमें पता चला कि ऐसा नहीं है। अतः मैं वित्त मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि जिससे छोटे जमाकर्ताओं को बिना किसी कारण के अपनी जमाराशि से हाथ धोना पड़ रहा है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने 50,000 रुपये या इससे अधिक जमा कराए हुए हैं। उन्हें इस घोटाले से काफी धक्का लगा है। उनका धन वापिस लौटाया जाना चाहिए। उनका धन वापिस लौटाने के लिए आपको कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए। मुझे आशा है वित्त मन्त्री अपने उत्तर में इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन देंगे। मैं आशा करता हूं कि दूरदर्शन और भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिकाओं की भी जांच की जानी चाहिए जिससे वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में हुई खामी का पता लगाया जा सके (व्यवधान) 30,000 रुपये तक का भुगतान किया जा चुका लेकिन हमें शेष बड़ी धनराशि की चिन्ता है। वित्त मन्त्री ने आश्वासन दिया है कि वह इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मुझे आशा है कि कोई समाधान निकलेगा जिससे कि सारा धन लौटाया जा सके।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। विशेष न्यायालयों की और खंडपीठें स्थापित की जायें जिससे कि शीघ्रतम न्याय मिल सके और अपराधियों द्वारा बाधाएं उत्पन्न न की जा सकें 'सेबी' को और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। हमारे पास पहले ही एक विधेयक है, लेकिन कुछ और अधिकार दिए जाने चाहिए। 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के विरुद्ध कठोर कानून की आवश्यकता है। समूचे पश्चिमी देशों में 'इनसाइडर ट्रेडिंग' एक आम प्रणाली है, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका में तथा अन्य पश्चिमी देशों में इसके विरुद्ध कठोर कानून है। हमारे देश में 'इनसाइडर ट्रेडिंग' के लिए कोई कानून नहीं है। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि किस अधिकारी, सांसद या मंत्री का स्वार्थ किन संस्थानों में निहित है और उसकी कुल सम्पदा कितनी है तथा विभिन्न व्यापार प्रतिष्ठानों तथा बैंकों, विदेशी बैंकों में उनके

[श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण]

कितने संबंधी कार्यरत है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्पदा का ब्योरा देना चाहिए और संसद को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

महोदय, पश्चिमी देशों की तरह कर-अपवंचन को एक दण्डनीय अपराध माना जाना चाहिए नौकरशाहों की सेवा शर्तों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि वे सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद किसी संदिग्ध वित्तीय संस्था में काम न कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार भी आवश्यक है। इसके लिए उपग्रह नेटवर्क की सहायता से पूरे देश के प्रत्येक बैंक से परस्पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है जिससे कि खातों के मिलाने में महीने की बजाय कुछ सैकण्ड ही लगा करेंगे। केवल तभी, हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। जो लेखा परीक्षक संदिग्ध संस्थाओं की लेखा परीक्षा कर रहे हैं उन्हें और सरकारी काम नहीं दिया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के शेयर 'स्टाक एक्सचेंज' में दर्ज होने चाहिए हम सभी को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के अपनिवेशन में बड़े पैमाने पर जालसाजी होने की आशंका है। इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और मुझे आशा है संयुक्त संसदीय समिति निश्चय ही इस विचारणीय विषय पर प्रकाश डालेगी और वास्तविक स्थिति सामने आएगी बैंकों की गैर-वित्तीय संस्थानों की वित्तीय रिपोर्टें तथा तुलन पत्र स्पष्ट होने चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि इन संस्थाओं में क्या हो रहा है वित्तीय व्यवस्था में, हेराफेरी के मामलों में विशेष आडिट तथा स्वतः प्रवर्तन लागू किया जाना चाहिए। बी० आई० एस० की सिफारिशों के अनुसार सभी वित्तीय संस्थाओं के पूंजी आधार में वृद्धि किए जाने हेतु कुछ कदम उठाए गए है। जोखिम भरी सम्पत्तियां जमा पूंजी का आठ प्रतिशत होनी आवश्यक की जानी चाहिए। यह एक स्वागत योग्य कदम है।

बड़े घरानों द्वारा छोटे बैंकों को अपने अधिकार में लिया जाना भी एक चिन्ता का विषय है। हमारे यहां कई छोटे बैंक हैं जैसे मेरे क्षेत्र में सांगली बैंक, जिन्हें धमकी दी गई है। सदन को ऐसे अनेक छोटे बैंकों की जानकारी है जिनको बड़े घरानों द्वारा अपने अधिकार में लिया जा रहा है। इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा जैसा कि इन्दिरा जी ने सोचा हम सभी को इस पूरे मामले पर गम्भीरता से विचार करना होगा। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के ऊपर संसद का नियंत्रण एक और मुद्दा है जिसे बार-बार इस सदन के अन्दर और बाहर उठाया जाता है। इसके लिए उपयुक्त समय आ गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि संयुक्त संसदीय समिति इस पर विचार करेगी। नरसिंहम समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी परन्तु यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्रांति ला दी लेकिन उन बैंकों के सामने नियंत्रित ब्याज-दर, उच्च एस० एल० आर०/सी० एल० आर० अपेक्षाए, सामाजिक कारणों से ऋण दिए जाने का निदेश कर्ज-माफी, सरकारी क्षेत्रों की कार्य-संस्कृति, पुराने श्रम कानून और आधुनिकीकरण का विरोध आदि जैसी समस्यायें भी हैं। इन चीजों के कारण भारतीय बैंकिंग तन्त्र विश्व प्रतिस्पर्धा में पीछे और अनुपयुक्त हो गया है। इस सन्दर्भ में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध स्वार्थ-सिद्ध करने के आरोप लगाए गए हैं। यह बहुत ही अनुचित है। 'सर्फ एक ही बात कि वित्त मंत्रालय के कुछेक अधिकारियों ने कुछ दलालों से मुलाकात की, बार-बार दुहराया जा रहा है। हम सभी मानते हैं कि इस तरह की चीज से बचना चाहिए। लेकिन साथ ही मैं यह कहूंगा कि वित्त मंत्रालय के किसी अधिकारी या भारत सरकार के किन्हीं अधिकारी के लिए इस बात को जानने का कोई तरीका नहीं है कि अमुक व्यक्ति से मिलने के एक या दो महीने के बाद उस पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। अगर इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है तो पूरी नौकरशाही हतोत्साहित हो जायेगी।

अधिकारी लोग निजी नागरिकों से मिलना बन्द कर देंगे। वे लोग केवल सरकारी बैठकों में ही मिल सकेंगे। वे गैर-सरकारी लोगों से मिलना बन्द कर देंगे।

सभी बहसों के दौरान विश्व बैंक के भूतपूर्व कर्मचारियों का बार-बार उल्लेख करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के कुछ नागरिकों ने विश्व-बैंक में जाकर कार्य किया है। वे वहां से आकर सरकारी पद ग्रहण करते हैं तो उनके पास काफी अनुभव हो गया रहता है। उनके विरुद्ध स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर सदन ऐसा महसूस करता है कि विश्व बैंक में कार्य करना अपराध है तो उसमें कार्य करने से रोकने हेतु कानून बनाए जाने चाहिए। लेकिन हम दोहरी नीति पर नहीं चल सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही अनुचित है। अगर सदन को ऐसा लगता है कि भारत को विश्व बैंक का सदस्य बने रहना आवश्यक नहीं है तो ऐसा कानून बनाने का स्वागत है। लेकिन अभी तो विश्व-बैंक के हम सदस्य हैं। हमारे यहां के लोग वहां प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं और अनुभव हासिल करके लौटते हैं तथा देश की सेवा करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस प्रकार के लांछन लगाया जाना रुकना चाहिए।

सदन में श्री जार्ज फर्नान्डीज ने बेहतरीन भाषण दिया है जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उनके द्वारा बहुत काम किया गया है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने बैंकर्स रिसीट का दुरुपयोग किए जाने की बात कही है। इस रिसीट का प्रयोग भारत में ही शुरू किया गया है। आधुनिक संचार प्रणाली के अभाव में ही हमने इसे शुरू किया है। प्रतिभूतियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना असम्भव है क्योंकि कहीं कलकत्ता में पड़े होते हैं तो कहीं बम्बई में उस दौरान बैंकिंग रिसीट जारी किया जाता है। इसलिए बैंकर्स रिसीट अपने-आप में कोई समस्या नहीं है बल्कि समस्या नियम की अवहेलना किये जाने की है। मान लीजिए कि आज मैं बिना बैलेंस के ही 100 रुपये का चैक काट देता हूं। कोई दूसरे आदमी इसका भुगतान करता है। यह कोई समस्या नहीं है। यह तो चेक-सुविधा देने की बात है। बैंकर्स रिसीट जैसी प्रणाली को समुचित ढंग से नियंत्रित करने की बात है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। हमने कराड बैंक के एक मामले के बारे में सुना है जिसमें उस बैंक के एस० जी० एल० खाते में पड़े रकम से अधिक की निकासी की जा चुकी है। एक साधारण नागरिक भी खाते में पड़े रकम से अधिक की चेक काटता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ऐसा कराड बैंक के मामले में क्यों नहीं किया गया इस बात की जांच होनी चाहिए।

इस पूरे घोटाले के तीन अलग-अलग आयाम हैं, हालांकि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ दलालों द्वारा स्टॉक बाजार में हेराफेरी इनका पहला आयाम है। बैंक धोखाधड़ी दूसरा आयाम है। सरकारी उपक्रमों के शेयरों का अपनियोजन और उनमें जमाराशि इसका तीसरा आयाम है।

ये तीनों आयाम आपस में जुड़े हुए हैं किन्तु इनकी जांच अलग-अलग की जानी चाहिए और उनके लिए अलग-अलग नियंत्रण व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि संसद की राजनीतिक इच्छा के तहत सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए अगर हम प्रणाली को साफ-सुथरा बनाना चाहते हैं और भारत के वित्तीय संस्थाओं में विश्वास कायम चाहते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के सामने दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और सजा दिलाने तथा सुधार के उपाय सुझाने का ऐतिहासिक चुनौती है। इसे सिर्फ जांच-एजेंसी के रूप में ही कार्य करना नहीं है बल्कि इसे एक सुधार समिति के रूप में भी कार्य करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि संसद तथा संयुक्त संसदीय समिति इस चुनौती के समक्ष खरा उतरेगी।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाडा) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं सभापति जी, मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। हमारे मन में एक तकलीफ है और वह तकलीफ यह है कि संसद की जो आत्मा होती है एग्जिक्यूटिव की जवाबदेही, एकाउन्टेबिलिटी, हमको लगता है कि इस कांड के चलते जिस तरीके से हमारे सेन्ट्रल कैबिनेट की जवाबदेही इस सदन के प्रति होनी चाहिए उसमें बहुत कमी हुई है। मैं यह चीज इसलिए कह रहा हूं हमारे सामने जिनको सारे सदन के लोगों का प्यार और सम्मान है, वित्त मंत्री जी बैठे हैं, सभापति जी, मैं यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि हमारे देश में और लोग कहते हैं कि दुनिया में इस तरह का घोटाला शायद सुनने को नहीं मिला है। मैं इसलिए कहता हूं, क्योंकि कुछ तर्क चल पड़ा और मनमोहन जी खड़े होकर के कहें, लेकिन मैं उनको इतना आश्वासन दे सकता हूं क्योंकि इस तरह के कांड में यह जिम्मेदारी मनमोहन सिंह जी के ऊपर है, क्योंकि वे वित्त मंत्री हैं और मैं उम्मीद करता था इसलिए कि यह कांग्रेसी कल्चर में पले नहीं हैं और यह एक दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं, यह इस घोटाले के बाद तुरन्त इस्तीफा दे देते मैंने यह आशा की थी और इसलिए की थी कि उनके समक्ष लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एक उदाहरण है वह रहता।

सभापति जी, असल में मैं इसलिए इसके बारे में कह रहा हूं कि देश में प्रजातन्त्र के प्रति और संसदीय प्रजा के प्रति यह बहुत सेवा करते, यदि इस्तीफा देते क्योंकि यह इनकी जवाबदेही है इसलिए कि यह वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं। लेकिन जब यह नहीं किया गया संसदीय प्रजातन्त्र इसी तरह, इसी अनुपात में नहीं किया तो यह कमजोर हो गए और मैं इसलिए कहना चाहता हूं और बहुत तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं जिस तरीके से वित्त मन्त्री, उनको शोभा नहीं देता था कि आर० बी० आई० गवर्नर को संसद के बाहर भिन्न-भिन्न तर्क करके उनको डिफेंड करने की कोशिश की उनको तो निकाल देना चाहिए था। यह चीज नहीं होने से, मेरी राय है, हमको लगता है और इस संसद के माननीय सदस्य हमसे सहमत होंगे कि संसदीय प्रजातन्त्र जिस तरीके से देश में मजबूत होना चाहिए था यह नहीं हो पाया और इसी वजह से यह कमजोर हो गया।

सभापति जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व० जवाहर लाल नेहरू जी की जो नीति है, इस तरह के बहुत से लोग हैं जोकि उसके खिलाफ शुरू से हैं लेकिन मैं एक जिक्र करना चाहता हूं, इस सदन में उनके जमाने में एक संसद सदस्य थे मुद्गल और एक घोटाले में उनका नाम आया था, वे दलाली किए था और जब प्रमाण मिला जवाहर लाल जी इस सदन में बैठ करके वे प्रस्ताव लाए—टरमिनेशन आफ मेम्बरशिप का, यह इस सदन में हुआ है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो निर्मल जी बोले मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं देख रहा हूं जिस तरीके से 91-92 बजट के साथ मनमोहन सिंह जी जो तथाकथित उदारवादी अर्थ-नीति को लाए और नई नीति को अपनाए, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि उपभोक्तावाद का बकायदा भारत सरकार की तरफ से पूरा प्रचार किया गया और लोगों को कहा गया कि आप उपभोक्तावाद की तरफ चलो, कंज्यूमरिस्ट कल्चर की तरफ चलो।

मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा 91-92 इकनोमिक सर्वे में जो कहा गया है मैं उसकी तरफ इसलिए ध्यान खींचूंगा कि किस तरीके से भारत सरकार की ओर से बाकयदा योजनाबद्ध तरीके से उपभोक्तावाद को, कंज्यूमरिस्ट कल्चर को लोगों प्रचार करने का और उन चीजों को पकड़ने का किया गया,

जिसके चलते यह हर्षद मेहता कांड वगैरह-वगैरह हुए। यह 91 इकनौमिक सर्वे में है। सभापति जी, आप सुनिए और मैं मणिशंकर जी से कह रहा हूं कि आप सुनिए :—

[अनुवाद]

"कर अपवंचकों को मौका देने के लिए सरकार ने एक योजना की घोषणा की जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 30 नवम्बर 1991 तक अपनी रकम राष्ट्रीय आवास बैंक में जमा करा सकता था। उस जमा की गई रकम को जांच के दायरे से पूर्णतया बाहर रखने की बात कही गई थी। सेटलमेंट कमिश्नर के द्वारा आवेदनों को निपटाने में हुई विलम्ब की भरपाई करने हेतु उस योजना की अवधि जनवरी 1992 के अन्त तक बढ़ा दी गई। आवेदनों को स्वीकार करने में संबंध में जांच का जो प्रावधान था, उसे खत्म कर दिया गया ..."

सभापति जी, आप देखेंगे कि सरकार की तरफ से उपभोक्तावाद को, बड़े लोगो की विलासिता को इस तरीके से बढ़ा दिया गया है। मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं, वजह मैं सोच रहा था कि मैं सदन में क्या बोलूं, आप देख रहे हैं कि ये 4 लड़के, जो बाउंडेड लेबरर हैं, उनको आज मुक्ति दी गई है। ये कौन हैं, ये हैं—दाहरू ओरांव 10 साल, बिनोद मेहतो 11 साल, फगुन राम 10 साल, शंबू चेरो 13 साल।

ये 31 जुलाई तक कारपेट लूम में काम करते थे, उनकी रिहाई की गई। इसी प्रकार मिर्जापुर और भदोई उत्तर प्रदेश में 1 लाख 50 हजार बच्चे बाउंडेड लेबरर की तरह काम कर रहे हैं, जिनमें से 4 बच्चों को मुक्ति दी गई है। मैं कहना चाहता हूं कि इन बच्चों और 1 लाख 50 हजार बच्चों और अन्य करोड़ों बच्चे जो इस तरह से काम कर रहे हैं और हर्षद मेहता, जिनके बारे में आज बहस चल रही है, इनका क्या ताल्लुकात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उपभोक्तावाद का ही यह नतीजा है, विलासिता का ही यह नतीजा है, जिस तरीके से सरकार उपभोक्तावाद और विलासिता को बढ़ावा दे रही है और सरकार प्रत्येक नीति से इन चीजों को जो बढ़ावा दे रही है, उसका यह नतीजा है। ये चीजें हुई, तो मेरा कहना यह है कि इन चीजों को भी सामने रखना चाहिए।

सभापति महोदय, श्री लाल बहादुर शास्त्री के समय में एक रेल-दुर्घटना हुई थी, 500 लोग मारे गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद, मैं उस वक्त सदन में नहीं था, एक और रेल मंत्री ने इस्तीफा देने का ढोंग किया था, लेकिन इस्तीफा दिया नहीं, एक रेल दुर्घटना के समय उन्होंने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को इस्तीफा सौंप दिया और कहा गया कि प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस्तीफा नहीं देना है, इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। बसुदेव आचार्य जी बता रहे हैं कि उस रेल दुर्घटना में 600 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन मंत्री महोदय को सब जानते हैं, अभी भी केबीनेट में

[हिन्दी]

मंत्री हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मेरा कहना है कि हम लोगों के देश के समक्ष एक आदर्श रखना चाहिए, यदि डेमाक्रेसी की भलाई चाहते हैं, प्रजातंत्र की सेवा हम तब तक कर सकते हैं जब तक "महाजनों जिन गतस पंथा" के अनुसार चलेंगे। इस नीति को लेकर जिस तरीके से एक नेतृत्व देना चाहिए था देश को, वित्त मंत्री उस नेतृत्व को देने में असफल रहे हैं, इस वजह से मैंने कहा कि प्रजातंत्र कमजोर हो गया है।

[श्री रवि राय]

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अप्रैल 30 को मनमोहन सिंह जी इस सदन में बोले थे कि :—

[अनुवाद]

मैं इस घोटाले के कारण अपनी नींद हराम नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

मैंने जो आज इस्तीफा देने की बात कही और आर०बी०आई० के गवर्नर को निकालने की बात कही, इस वजह से कही। इसका जे०पी०सी० के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जे०पी०सी० का ऐलान कर दिया है, जे०पी०सी० मुकरर कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजों का समाधान हो गया, यह सोचकर शायद लोग खुश हैं, लेकिन हम जो मनमोहन सिंह जी से इस्तीफा मांग रहे हैं, वह एक स्नेह है और हम आशा करते थे कि वे इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए ये चीजें कहनी पड़ रही हैं। अभी भी मौका है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आर०बी०आई० गवर्नर को निकाल दीजिए तो देश में आप एक नई नजीर पेश कर सकते हैं। (व्यवधान)

जार्ज साहब बता रहे हैं कि पिछले आर०बी० आई गवर्नर को निकालिए, फिर इस्तीफा दीजिए, दोनों चीजें सायमलटेनियसली होंगी तो ठीक होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि बैंकिंग सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, इसके बारे में आपके समक्ष एक चीज रखना चाहता हूं। पार्लियामेंट्री कमेटी आन गवर्नर एश्योरेंसेस के तहत 1991 का जो इंटर बैंक री कंसोलेशन स्टेटमेंट दिया गया, 2 लाख 31 हजार करोड़, इसके बारे में सरकार का क्या कहना है, यह मैं जानना चाहता हूं। बैलेंस शीट जो है, उसमें जो चीजें खोज करने के बाद आई हैं, वे यह हैं कि केनरा बैंक ने जो प्राफिट दिखाया था 156 करोड़ 1991-92 का,

[अनुवाद]

कनारा बैंक ने 554 शाखाओं, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई थी, के आंकड़ों को हिसाब में नहीं लिया। देखिए, यह जो प्राफिट दिया गया है, प्राफिट होने के साथ-साथ यह भी प्रश्न है कि 554 ब्रांचिस अन-आडिटिड हैं। केनरा बैंक आडिट नहीं हुआ है। अर्थ मंत्रालय को, आर०बी०आई० को पता नहीं है कि क्या स्थिति है।

बेंक ऑफ बड़ौदा के पास कहीं ज्यादा मजबूत बॉटम-लाइन है जिसने 95 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है और जिसकी 915 शाखाएं हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है जबकि छोटा सा बेंक, हैदराबाद की 262 शाखाएं ऐसी हैं जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं हुई है जिनके रिटर्न को प्रबंधन के द्वारा ही प्रमाणित कर दिया जाता है। 9 करोड़ का लाभ अर्जित करनेवाला भारतीय ओवरसीज बेंक भी अपने 492 शाखाओं के खातों का परीक्षण करवाने में चूक गया तथा 3049 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने वाला सेंट्रल बेंक की 1495 ऐसी शाखाएं हैं जिनके खातों की लेखा-परीक्षण नहीं करवाई गई हैं।

कलकत्ता स्थित जो तीन बड़े प्रतिष्ठान हैं उनकी अपनी ही गौरव-गाथा है। युको बेंक जिसे वर्ष 1991-92 के दौरान 2098 करोड़ रुपये का घाटा है तथा 119 रुपये का घाटा पहले से ही है, की 852 ऐसी शाखाएं हैं जिनमें लेखा-परीक्षण का कार्य नहीं हुआ है जबकि 668 करोड़ रुपये वाला युनाइटेड बेंक ऑफ इन्डिया ने अपने 660 शाखाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है।

इलाहाबाद बैंक जिसका 28 करोड़ रुपये का अच्छा खासा लाभ है, की 950 ऐसी शाखाएं हैं।

मुद्दा यह है कि यह श्री मार्गबन्धु की बिना लेखा-परीक्षित सेंट्रल बैंक हो या युको बैंक हो, इनके वार्षिक प्रतिवेदन समान रूप से गलत हैं। उदाहरण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला लें। निःसंदेह यह एक अच्छे बैंकों में एक है जिसका लाभ 1992 के 31 मार्च तक 56.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 95 करोड़ हो गया है। वह भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के भांति ही अपने खाते एवं लेखा-परीक्षणों के संतुलन में विश्वास नहीं करता है और बगैर ऐसा किये ही लाभ को घोषणा कर देता है।

मैं समाचार-पत्रों में प्रकाशित राष्ट्रीयकृत बैंकों के 31 मार्च, 1992 को खत्म हुई 2 वर्ष की विभिन्न लेखा-परीक्षित लेखाओं को पढ़ता रहता हूं। मैंने उनमें यह पाया कि कुछेक लेखा-परीक्षित लेखाओं/लिखा-टिप्पणी तो एक समान हैं। जाँच करने पर पता चला ये लेखा-परीक्षा टिप्पणियाँ तो कई वर्षों से ही ऐसे ही दी जा रही हैं। मिसाल के तौर पर 31 मार्च, 1992 को पूरा हुए वर्ष में जो लेखा-परीक्षित खाते प्रकाशित हुए, उनमें से मैं एक बड़े, एक मध्यम, एक छोटे और स्टेट बैंक समूह के बैंकों की लेखा-परीक्षित टिप्पणी/लेखा-परीक्षाओं पर टिप्पणी पेश कर रहा हूं। ये टिप्पणिया स्टॉक-बैंक शेयर बैंक घोटाला और राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रतिदिन हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 1986-91 के बीच में 9496 धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आये। ये लेखा-परीक्षा टिप्पणियाँ राष्ट्रीयकृत बैंकों की खातों की दुखद दशा भी बतलाते हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा (जमा रकम—19,049 करोड़ रुपये)

> "बैंक की कुछेक शाखाओं के तुलन कार्य, नियंत्रित खातों का सहायक बहियों/सूचियों (डिपॉजिट, ड्राफ्ट, एडवांस, सस्पेंस खाता, अन्तरों को मिलाना आदि सहित) से मिलाना और दूसरे बैंकों (भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और विदेशी बैंक सहित) के खातों के साथ मिलान करने का कार्य लगातार प्रगति पर है, बैंक के पास विदेशी खातों में पड़े बैलेंस सहित विभिन्न मदों में मसलन अन्तर-शाखा लेन-देन बिना एडवाईज की भुगतान किए गए ड्राफ्ट, भुगतान योग्य ड्राफ्ट, दूसरे अन्तर-शाखा खाते, डिवाइडेन्ड/ब्याज/भुगतान कर दिए गए या भुगतानयोग्य रिफंड ऑर्डर बैलेंस सहित पुराने क्रेडिट एवं डेबिट है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, इसी तरह से यह जो मैंने पढ़ा, बैंक ऑफ बड़ौदा को हर साल दिया जाता है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया (डिपोजिट 5369 करोड़) बैलेंसिंग बुक्स उसी तरह है, पारमेंट उसी तरह है।

[अनुवाद]

देना बैंक (डिपॉजिट 3423 करोड़ रुपये)

> "भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्तर बैंक मिलान करना, भुगतान की जानेवाली डिमांड ड्राफ्ट सहित अन्तर-शाखा का मिलान करना, पूर्व एडवाइस पर भुगतान किये गये ड्राफ्ट्स, ट्रांजिट के मद, पुराने मदों का सस्पेंस एकाउंट में निकासी आदि···"

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (डिपॉजिट 3178 करोड़ रुपये)

[श्री रवि राय]

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्या मैं प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक एवं इसके सहयोगी बैंकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता हूं। जवाब में कृपया उन शाखाओं के जिनके लेखा-परीक्षण इस और उन शाखाओं के जिनके लेखा-परीक्षण नहीं हुए के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े दें :

(क) उन खातों में शामिल सकल रकम (व्यय और जमा की गई रकमों का अलग-अलग ब्यौरा) कितना है जिनसे उपरोक्त लेखा-परीक्षण/खाता-आलेख सम्बन्धित है।

(ख) किस तिथि तक उपरोक्त लेखा-परीक्षण/खाता-आलेखों में उल्लेखित खातों का मिलान, निकासी और/या समायोजन किया गया है।

उल्लेख किये गये इस प्रकार के खातों की इस तरह के मिलान करने पर पिछले पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार आंकड़ा) कितने सकल रकमों का राजस्व खाता में समायोजन किया गया (व्यय और जमा की रकमों का अलग-अलग ब्यौरा)

पिछले पांच वर्षों के दौरान जब-जब ऐसे लेखा-परीक्षण/खाता-आलेखों के साथ वार्षिक खाते प्राप्त किए तब समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और/या वित्त मंत्रालय ने कौन-कौन-सी कार्यवाही की।

क्या रिजर्व बैंक या सरकार ने उपरोक्त खातों को सही करने की लक्ष्य पूरा करने के खातिर कोई तिथि निर्धारित की है ?

क्या इस प्रकार के अनियमित खातों में फंसे 10 हजार करोड़ रुपयों का समाचार-पत्रों द्वारा किया गया आकलन सही है ?

उपरोक्त बैंकों के लेखा-परीक्षित खातों को देखने से यह भी पता चलता है कि ऐसे बैंकों के लगभग 40 प्रतिशत शाखाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया गया है। इस संदर्भ में क्या मैं निम्नलिखित प्रश्न कर सकता हूं :

31 मार्च 1992 को बीते वर्ष में प्रत्येक बैंक के ऐसे शाखाओं जिनकी लेखा-परीक्षण नहीं हुई है, में जमा की गई रकमों, ऋणों और ब्याज की मात्रा क्या है ?

प्रत्येक वर्ष लेखा-परीक्षकों द्वारा इतनी अधिक हो रही अनियमितताओं की रिपोर्ट देने तथा धोखाधड़ी के आधिकारिक रिपोर्ट देने के बावजूद भी इन बैंकों का लेखा-परीक्षण क्यों नहीं किया जाता है ?

इस घोटाले और प्रेस में तथा अन्यथा बताई गई अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार 31 मार्च, 1993 को समाप्त वर्ष एवं उसके आगे प्रत्येक बैंक की हरेक शाखा की लेखा-परीक्षा करवाने का विचार कर रही है ?

इन प्रकाशित लेखा-परीक्षित लेखाओं को देखने पर मैंने पाया है कि लगभग सभी बैंक डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के बारे में निम्नलिखित टिप्पणी करते हैं :

"ऋणों में केंद्रीय/राज्य कानूनों के अन्तर्गत अधिगृहित औद्योगिक इकाइयों, रुग्ण/कमजोर इकाइयों तथा चूक-कर्त्ता उधारकर्ताओं पर बकाया राशियां सम्मिलित हैं। ये राशियां बैंक द्वारा प्राप्तकर्त्ताओं/कुछ मामलों में प्राप्त तदर्थ भुगतानों के विरुद्ध अपीलों/याचिकाओं, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित मामलों, विद्यमान अथवा प्रस्तावित

पुनर्वास/नैदानिक कार्यक्रमों, विद्यमान और भावी प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य, गारन्टी देने वालों और ऋण प्राप्तकर्ताओं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई, सरकार की विभिन्न गारंटी परियोजनाओं और वसूली के आसारों के अन्तर्गत उपलब्ध (दर्ज करवाये गये और दर्ज करवाये जाने वाले) दावों को ध्यान में रखते हुए वसूली योग्य मानी गयी हैं।"

इस सम्बन्ध में, क्या मैं प्रत्येक बैंक के विषय में निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता हूं ?

31-3-1992 तक दिए गए ऋणों की राशि। बैंक-प्रबंधन द्वारा ऐसे ऋणों के बारे में (क) जमीन, शैड और भवन आदि, (ख) प्लांट और मशीनरी, (ग) औजार और भण्डार, (घ) कच्चे माल, (ङ) तैयारशुदा माल, (च) बुक किए गए ऋणों और (छ) कोई अन्य अधिग्रहीत प्रतिभूति के ब्यौरे सहित अधिग्रहीत प्रतिभूति का मूल्य क्या है।

[हिन्दी]

मैंने आपके समक्ष यह बात रखी कि किस तरीके से पार्लियामेंट की रिकेमन्डेशन के बावजूद एक-एक बैंक को चार सौ-पांच सौ ब्रांचेज का आडिट नहीं हुआ। जिनका आडिट हुआ, उनकी दशा मैंने आपको बता दी है। इस सारे कांड के सिलसिले में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उपभोक्तावाद के चलते यह चीज हुई। जब इन्द्रजीत गुप्त जी ने इस सवाल को उठाया तो मेरे मन में कोई संदेह नहीं है-जबकि मनमोहन सिंह जी हमसे सहमत होंगे। जब बहस चल रही है तो आर० बी० आई० गवर्नर को उस वक्त जरूरी नहीं था। बम्बई के [illegible] में निकलता है, वह मैं पढ़कर बताता हूं :

[अनुवाद]

यू० एन० आई० की खबर के अनुसार

"भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री एस० वेंकटारमन ने आज कहा है कि एक अग्रणी प्रबंधन सम्बन्धी परामर्शदात्री फर्म, ए० एफ० फरगुसन एंड कंपनी को आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकरण को मजबूत करने के लिए स्थापित एक आंतरिक एक कार्य-दल की सहायता करने के लिए कहा गया था।"

श्री वेंकटारमनन ने कहा है कि बैंकिंग-प्रणाली के बेहतर कार्यकरण और भारतीय रिजर्व बैंक की भावी भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए सरकार के नये आर्थिक सुधार और उदारीकरण कार्यक्रम के फलस्वरूप अद्यतन स्थिति का जायजा लेना अनिवार्य हो गया था।

इसी प्रयोजन से एक वर्ष पूर्व 24 अधिकारियों के एक आंतरिक कार्य-दल का गठन किया गया था...

[हिन्दी]

आर० बी० आई० गवर्नर को यह हिम्मत है कि पार्लियामेंट को पूछे बगैर इस तरह का काम किया जो कि उपभोक्तावाद का भी द्योतक है। इस चीज के बारे में वित्त मन्त्री प्रकाश डालें। मैं आखिरी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

इससे पूरे वित्तीय क्षेत्र की साख को गम्भीर नुकसान हुआ है। इसका परिणाम तथा प्रभाव बहुत गहरा है तथा सी० बी० आई०/आर० बी० आई० द्वारा केवल छोटे प्रक्रियात्मक/आपराधिक पहलुओं की ही जांच की जा रही है। यह केवल 'व्यवस्था की विफलता' नहीं है।

[श्री रवि राय]

वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक अपने प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। राजनैतिक जवाबदेही का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जन-जीवन में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा लाने के लिए अनौपचारिक सत्ता-ढांचों की जाँच किए जाने की जरूरत है। छोटे निवेशकों को गुमराह करने में एन० ई० पी० की अदा की गई भूमिका की जाँच करने की जरूरत है।

अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम उन सभी मुद्दों और पहलुओं का पूर्णतयः जाँच करना चाहते हैं, तो फिर इस उद्देश्य को पूरा करने का केवल एकमात्र कारगर ढंग यह है कि एक ऐसी खुली और उच्च स्तरीय न्यायिक जाँच कराई जाये जो उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे वर्तमान न्यायाधीश द्वारा की जाये जो ख्याती-प्राप्त और अनुभवी हो। इसकी जाँच कार्यपालिका के प्रशासनिक नियंत्रण वाले निम्न-स्तरीय और संकीर्ण जाँच एजेंसियों द्वारा नहीं की जानी चाहिए जिसमें स्वयं खुद दोषमुक्त करार कर है।

[हिन्दी]

सभापति जी, मेरा आखिर में कहना है कि इस सदन की राय में जिस तरीके से आज यहाँ सदन में बताया गया कि माधवन के खिलाफ कुछ भी नहीं है और शायद हमको लगता है कि भारत सरकार कृत्रिम रूप से चार्जेज गठित कर उनके खिलाफ साजिश कर रही है। अब इस सदन की ओर से जे० पी० सी० बनने जा रही है तो मेरा सुझाव है कि माधवन् जैसे साधू, कर्मठ और ईमानदार आफिसर के खिलाफ जान-बूझकर भारत सरकार की तरफ से कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अब सारे देश में यह जनमत बन गया है कि माधवन् एक ईमानदार व्यक्ति है और ईमानदारी से सारे मामले की इन्क्वायरी कर रहे है लेकिन सरकार नहीं करने देना चाहती है तो मेरा सरकार से सुझाव है कि माधवन् की सर्विसेज को रिटेन किया जाये ताकि जे० पी० सी० सुचारू रूप से काम कर सके। बस मेरा यही कहना है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान (अमरोहा) : सभापति महोदय, मैं श्री जसवन्त सिंह को, इस घोटाले, प्रतिभूति घोटाले, जिसने पिछले तीन महीने से हरेक का ध्यान आकर्षित किया हुआ है, पर बहस शुरू करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस घोटाले के कारण बैंकों की साख समाप्त हो गई है। यह भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और कुछ लोगों के मुताबिक शायद यह संसार का सबसे बड़ा घोटाला हो। लोगों की मेहनत से कमाई धनराशि डूब गई है; जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बैंकों की साख समाप्त हो गई है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों में कार्य करने वाले चतुर प्रबंधकों और कार्यकारी अधिकारियों ने धोखे से योजनायें बनाकर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है, बैंकों के नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। बैंकरों और दलालों के बीच घटिया लेन-देन से निधियों का दुरुपयोग और गबन किया गया है। बी० एस० ई० सूचकांक 1991 में 1209 से बढ़कर अप्रैल, 1992 में 4387 हो गया। इस वर्ष कुल व्यापार 60,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपये हो गया है। धोखाधड़ी अधिकतर बैंकर्स-पावतियाँ और सामान्य प्रतिभूति लेजर के माध्यम से की गई है।

वित्त मन्त्री महोदय यह बार-बार कह रहे हैं कि यह घोटाला, व्यवस्था की असफलता का परिणाम है। बैंकिंग उद्योग में 20 वर्षों से अधिक कार्य करने के कारण, मैं वित्त मन्त्री से सहमत

नहीं हूं क्योंकि प्रतिभूति का जो लेन-देन होता है, उनका लेखा-जोखा भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजनिक ऋण कार्यालय द्वारा रखा जाता है। प्रतिभूतियों के बारे में सभी प्रकार के लेन-देन का रिकार्ड प्रतिभूति संबंधी सामान्य लेजर में रखा जाता है तथा बैंकों द्वारा जारी की गई बैंकर्स—पावतियों का भी रिकार्ड रखा जाता है। बैंकों के बीच लेन-देन में आमतौर पर 15 से 30 दिन के अन्दर किया जाता है। श्री हर्षद मेहता ने इसका पूरा फायदा उठाया। यही कारण है कि करोड़ों रुपयों का उपयोग किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की व्यवस्था से परिचित होने तथा जैसा कि मैंने कहा है, बैंक का अनुभव होने के कारण, हम भारतीय रिजर्व बैंक को साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, और त्रैमासिक विवरणियां भेजते हैं। मुझे यह भी कहना ही चाहिए कि भारतीय बैंक और उसके विभाग काफी काफी निपुण हैं। कुछ मामलों में, जब विवरणियां नहीं भेजी जाती, तो वे लगभग 15 दिन की रियायत अवधि देते हैं और हमें 15 दिनों का एक नोटिस मिल जाता है। आमतौर पर नोटिस उच्चाधिकारियों को भेजे जाते हैं। यदि शाखा अथवा आंचलिक कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती, तो मुख्यालयों औक अध्यक्षों को नोटिस भेजे जाते हैं और तत्काल कार्रवाई की जाती है। बैंकों का उत्तरदायित्व और पर्यवेक्षण तथा बैंकिंग लेन-देन सभी कुछ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। अतः, मैं भारतीय रिजर्व बैंक को इस घोटाले के लिए पूर्णतयः दोषी ठहराता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक को घोटाले के बारे में निश्चित रूप से जानकारी थी। इसीलिए, जुलाई, 1991 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र जारी किया था। मैं बैंकर्स पावतियों का उपयोग करने से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई चेतावनी को पढ़कर सुनाता हूं :

> "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बैंक प्रतिभूतियों का विक्रय-व्यापार उन्हें वास्तव में प्राप्त किए बिना न करें और बैंकर्स-पावतियां तब तक जारी न करें जब तक कि वे एक उचित अवधि में प्रतिभूतियां देने की स्थिति में न हों। हमारी उपर्युक्त अपेक्षा के प्रतिकूल बैंक मुक्त रूप से बैंकर्स-पावतियां जारी करते रहे हैं (बिना यह विचार किए कि एक उचित अवधि में वे इन बैंकर्स-पावतियों के विरुद्ध प्रतिभूतियां देने की अवधि में वे इन बैंकर्स-पावतियों के विरुद्ध प्रतिभूतियां देने की स्थिति में होंगे) और एक प्रारम्भिक बकाया बैंकर्स-पावती के विरुद्ध, आगे बैंकर्स-पावतियां जारी करके अनेक लेन-देन किए जाते हैं तथा अन्तिम विश्लेषण में केवल बैंकर्स-पावतियों का विनिमय किया जाता है एवं कोई प्रतिभूति नहीं दी जाती है।"

यह व्यापार चलता रहता है। लेकिन इसके साथ ही मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक को चल रहे इस अस्वस्थ व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी थी।

जब यहां बजट पेश किया जा रहा था, एस० एल० आर० जो कि 39 प्रतिशत के लगभग हुआ करती थी, उसके बाद घट गई। एक बार यह राशि कम हुई थी, एस० एल० आर० घट कर 35 प्रतिशत रह गई थी और अब यह 30 प्रतिशत है। बैंकों के पास अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध थी। एक बार बैंकों के पास अतिरिक्त धनराशि हो जाती थी, तो उस अतिरिक्त राशि को निवेश करना पड़ता था। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मन्त्रालय और अन्य विभागों ने निश्चित रूप से यह योजना बनाई होगी इन निधियों को बैंकों द्वारा कहां निवेश किया जायेगा क्योंकि अगर बैंकों ने ऋण दे भी दिए है, तो भी उनकी कुछ सीमाएं हैं और ऋणों की सीमाएं रातोंरात बढ़ाई नहीं जा सकती ···(व्यवधान)

महोदय, बैंकर्स पावतियों का अत्यधिक अथवा गलत इस्तेमाल किया गया है और उनकी धनराशि 1417.12 करोड़ रुपये बनती है। जैसा कि मैंने कहा है, इसके कारण बैंकों की साख

[श्री चेतन पी० एस० चौहान]

समाप्त हो गई है। कुछ समय पहले भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए एल० सी० को विदेश में विदेशी बैंकों ने स्वीकार नहीं किया और आप हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। भारत के बाहर आम निवेशकों को भारत की बैंकिंग व्यवस्था और बैंकिंग उद्योग में विश्वास नहीं रहा है और इसके परिणामस्वरूप बहुत-से अनिवासी भारतीयों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। स्थिति इस कदर बिगड़ गई है कि राष्ट्रीय आवास बैंक, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्णतयः स्वामित्व पूरक है, वायदों को पूरा करने में असफल रही थी अथवा जो चैक प्रस्तुत किए गए थे और बिल का भी एक विशेष दिन को भुगतान नहीं किया जा सका था। महोदय, हमें यह नहीं भूल सकते कि उपलब्ध रिकार्ड से और हमारे पास जो जानकारी विद्यमान है, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों और दलालों के विरुद्ध कार्रवाई की है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने किसी अधिकारी अथवा किसी नौकरशाह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। मेरे पास लगभग 17 वरिष्ठ नौकरशाहों के नामों की सूची है जिसका सम्बन्ध वित्त से था और जिनमें बैंकों में कार्यरत अधिकारियों के बच्चे विदेशी बैंकों में कार्यरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यह संदेह है कि नौकरशाहों के विदेशी बैंकों के साथ इन सम्बन्धों के कारण कुछ महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना लीक हो गई थी। इस बात का जिक्र किया गया है कि कूपन की दरें बढ़ा दी गई हैं और अचानक रातोंरात विदेशी बैंकों ने बाजार में प्रवेश कर लिया था और बड़ी मात्रा में प्रतिभूतियों की खरीद कर ली है जिसके कारण उन्हें बहुत लाभ हुआ। मेरा सुझाव है कि भविष्य में प्रभावशाली व्यक्तियों की दखलन्दाजी को रोकने और गुप्त सूचना को बाहर जाने से रोकने के लिए एक अलग विनियम बनाया जाये।

एस० एल० आर० के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने कहा है, बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 150 लाख करोड़ रुपये की राशि जमा है। लेकिन अब एस० एल० आर० में कमी तथा बैंकों को उपलब्ध अतिरिक्त निधि को देखते हुए भी कोई योजना नहीं बनाई गई। हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री अटल ने, जब वह बजट पर बोल रहे थे, यहां बताया था कि उदारीकरण की नीति अपनाई जा रही है और रियायतें भी दी जा रही है। लेकिन क्या लोग और यह व्यवस्था इस उदारवाद को अपनाने के लिए तैयार है? और इस प्रतिभूति घोटाला होने के कारणों में से एक यह भी है। इस अतिरिक्त धनराशि का, जो बैंकों के पास उपलब्ध थी, निवेशित किया जाना था और दलालों की सांठ-गांठ से इसे गलत ढंग से प्रयोग में लाया गया।

एक और अन्य महत्वपूर्ण बात जिसका यहां जिक्र किया गया है, 'पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम' के बारे में है। मेरी जानकारी यह है कि राज्य और केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा इसके अन्तर्गत लगभग 40,000 करोड़ रुपये का निवेश दिया गया है। यह अधिक भी हो सकता है परन्तु पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई प्रणाली नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत यह निवेश केवल बैंकों द्वारा उन्हीं प्रतिभूतियों में किया जा सकता है जिनका सरकार ने अनुमोदन किया है।

सामान्य प्रथा यह है कि अधिकतर बैंकों में वित्तीय सेवाओं के नाम पर धनराशि ली जाती है और इन वित्तीय सेवाओं के माध्यम से दलालों को उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार से शेयर बाजार में इस धनराशि का प्रयोग होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के विरुद्ध है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पहले मैं भी इस प्रणाली का एक हिस्सा था और हम भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से धन एकत्र किया करते थे। मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि ये सौदे किस प्रकार

होते हैं और मैं वित्त मन्त्री महोदय को चेतावनी देना चाहूंगा कि वे इन पहलुओं की जाँच कराये क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। दलाली का लेन-देन होता है और जो बैंक कुछ प्रोत्साहन देते हैं उन्हें धन दिया जाता है।

मैं यहाँ एक अन्य बात भी बताना चाहूंगा। सरकार विदेशी बैंकों को क्यों प्रोत्साहित कर रही है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्राथमिक क्षेत्र को 40 प्रतिशत तक उधार देने की जिम्मेदारी के सामान इन विदेशी बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं हैं जबकि इन विदेशी बैंकों को पहली बार केवल 10 प्रतिशत ही देना होता है। इस प्रकार से हो यह रहा है कि विदेशी बैंक उद्योग से अधिकांश फायदा स्वयं लेते हैं और शेष राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए छोड़ देते हैं। मेरा सुझाव है कि वित्त मन्त्रालय नियम इस प्रकार से बनाये कि इन विदेशी बैंकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कारबार न कर सके। उन्हें केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से ही कारबार करना चाहिए।

प्रमुख सट्टेबाज हर्षद मेहता के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं चाहता हूं कि वित्त मन्त्रालय मंदडिये दलालों के बारे में भी पूछताछ करें। यह एक तथ्य है कि मंदडिये दलालों को भी इसमें बहुत नुकसान हुआ है। वे किसी से वित्तीय सहायता चाहते हैं। इनमें कलकत्ता के श्री अजय कय्यन सबसे प्रमुख हैं। उनके फर्म समूह सारे देश में फैले हुए हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक पैरा पढ़ना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

"तथापि मंदडिये दलाल समूहों को बहुत नुकसान हुआ है लेकिन उनका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए समूह के एक सदस्य को फरवरी 1992 में अपोलो टायर्स के शेयरों में 30 लाख का घाटा हुआ। उसने इन शेयरों को 150 रुपये के विक्रय मूल्य के विरुद्ध 275 रुपये पर खरीदा, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अपने 37.5 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए धन कहाँ से लिया। जहाँ तक कय्यन का सवाल है, वह सिर्फ यह कहते हैं, "हमारी स्थिति बहुत अच्छी है" जो कि सम्भव ही लगता है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिभूति घोटाले में लिप्त स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक को अभी तक 1,055 करोड़ रुपयों का पता लगाने में सफलता नहीं मिली है और ऐसा लगता है कि यह धनराशि गायब हो गई है। वह धनराशि कहाँ गई। मंदडिये दलालों ने अपने विशाल घाटे पर अनायास ही पर्दा डाल लिया। यह पैसा कहाँ से आया? और क्या इन दोनों प्रश्नों के बीच कोई सम्बन्ध होने की सम्भावना है?

इसके उत्तर अजय कय्यन, मनु मानेक जैसे मंदडिये दलालों के पास हैं जिन्होंने उनका वित्त-पोषण किया और हितेन दलाल के माध्यम से स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक का पैसा बाहर गया। अन्य कोई भी नहीं जानता कि दलाल समूह के पीछे पूर्ण सच्चाई क्या है।"

मैं चाहूंगा कि इन पहलुओं के बारे में पूछताछ हो। धन्यवाद। (व्यवधान)

8.00 म० प०

श्री श्रीकान्त जैना : महोदय, आपसे अनुरोध है कि मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : नहीं। जनता दल ने अन्य दलों की तुलना में अधिक समय पहले ही ले लिया है। मैं इस चर्चा की अवधि मन्त्री महोदय के उत्तर के पूर्ण हो जाने तक के लिए बढ़ाने की सभा से अनुमति ले रहा हूं।

अनेक सदस्य : जी, हाँ ।

श्री मनमोहन सिंह : सभापति महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया । वित्तीय प्रणाली में जो कुछ हुआ है, वह दलगत मुद्दा नहीं है । सच्चाई का पता लगाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है । हमारी सरकार पूर्ण सत्य का पता लगाने में अपना पूर्ण सहयोग देगी । प्रधान मन्त्री महोदय ने इस सभा को आश्वासन दिया है कि जो कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, उसे सजा दी जायेगी चाहे वह कितने ही ऊँचे पद पर क्यों न हो और उसी बात के कारण हमारा यह दृढ़ निश्चय है कि हम इस समस्या की जड़ में जाकर यह पता लगाये कि यह किस प्रकार हुआ और इस धोखाधड़ी के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं । इस सम्बन्ध में हमारे दृढ़ निश्चय के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए । (व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आप बोल रहे थे तो वित्त मन्त्री शान्ती पूर्वक सुन रहे थे और अब आपको उनकी बात सुननी चाहिए ।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुश) : महोदय, नैतिक आधार पर वित्त मन्त्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिए ।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, अगर संयुक्त संसदीय समिति को ही हर चीज का हिसाब रखना पड़े और दोषी कौन है, वही इसका पता लगावे तो फिर इस वित्त मन्त्रालय और वित्त मन्त्री के होने का क्या फायदा है । उन्हें इस्तीफा देने दीजिये । और संयुक्त संसदीय समिति की यह स्पष्ट रिपोर्ट मिलने के पश्चात् कि वह मामले में संलिप्त नहीं है, पुनः मन्त्रालय सम्भालने दिया जाये । संयुक्त संसदीय समिति की जांच पूरी होने तक, उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : यह बहुत ही गलत है ।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, उन्हें इसी का देना चाहिए ।

श्री वसुदेव आचार्य : यह पूर्णतः वैध है । उन्हें त्यागपत्र देने दीजिये ।

श्री श्रीकान्त जेना : अगर नौ घंटे तक चली चर्चा के उपरांत भी वित्त मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति इसका पता लगायेगी कि कौन-कौन इसमें शामिल थे और इस बारे में वह कुछ नहीं कर सकते तो फिर यह चर्चा करवाने का क्या फायदा हुआ ? मुद्दा क्या है ? इस सभा में नौ घंटे तक चर्चा चलाने और आखिर में अगर वह यह कहते हैं कि वह संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशें मिलने के पश्चात् ही कार्यवाही करेंगे, तो इसकी आवश्यकता ही क्या थी ?

सभापति महोदय : यह ठीक नहीं है कि आप इतनी लम्बी चर्चा के पश्चात् वित्त मन्त्री महोदय का उत्तर नहीं सुनना चाहते । अगर आपका कोई मुद्दा है तो मैं मन्त्री महोदय के उत्तर के पश्चात् आपको अनुमति दूंगा । भले ही आप उनसे सहमत नहीं हों, लेकिन आपको उनकी बात अवश्य सुननी चाहिए । मैं आपको उनका उत्तर पूरा होने के बाद बोलने की अनुमति दूंगा ।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने 8 जुलाई के अपने संक्षिप्त वक्तव्य में कहा था कि इस घोटाले का कोई एकमात्र कारण नहीं है । हम इससे इन्कार नहीं करते कि यह एक व्यवस्थागत विफलता थी । (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं, महोदय। व्यवस्था विफल नहीं हुई बल्कि उसे जानबूझकर विफल किया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कोई तरीका नहीं है कि आप हरेक वाक्य के बाद उठकर व्यवधान पहुंचाये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपको अनुमति नहीं दूंगा। आपको नियमों का पालन करना होगा। मन्त्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें। इसी बात से कि आप सहमत नहीं हैं, आपको व्यवधान नहीं पहुंचाना चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : इसके अलावा मैंने बताया है कि बैंकिंग व्यवस्था के कुछ अधिकारियों और साथ ही शेयर बाजार के व्यवस्थापकों के बीच सांठ-गांठ थी।

श्री वसुदेव आचार्य : वित्त मन्त्री महोदय नहीं।

श्री मनमोहन सिंह : मैं उस मुद्दे पर भी आ रहा हूं; मैं उस पर भी कहूंगा। आप आश्वस्त रहिये, इन सभी मामलों में सच्चाई का पता लगाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे और जो दोषी हैं, हम उन्हें सजा अवश्य देंगे।

अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो वित्त मन्त्री के दायित्व के बारे में उठाया गया है। मैं समझता हूं कि इस सभा और इस देश के लिए मुझे आचरण स्पष्ट करना चाहिए तथा मुझे संयुक्त संसदीय समिति की उद्घोषणा को इन्तजार नहीं करना है; इस बारे में संयुक्त संसदीय समिति अपना निर्णय देगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आरम्भ में मुझे इस मामले में अपनी भूमिका के सम्बन्ध में सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

इस समस्या के तीन पहलू है। एक है बैंकिंग प्रणाली के बारे में दूसरा, शेयर बाजार की समस्या है, तीसरी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध और उसमें अपनियोजन के बारे में। इन तीनों मामलों का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में अपनी भूमिका के सम्बन्ध में आपको बता दूं कि हमारी सरकार 21 जून को सत्ता में आई थीं। एक महीने के अन्दर मैंने बजट प्रस्तुत किया और मैं आदर-पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि किसी भी वित्त मन्त्री ने सात माह के छोटे से अंतराल में दो बजट प्रस्तुत नहीं किए। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं समझता हूं कि मैं बैंकिंग प्रणाली के संबंध में चिंतित था। 18 अगस्त को मैंने एक टिप्पण की थी जिसमें कहा गया था कि समूचे विश्व में धोखाधडी हो रही है अतएव हमें सावधान रहना चाहिए और भारतीय रिजर्व बैंक को एक दल की नियुक्ति करनी चाहिए जो इस पहलू, पर गौर करें। यदि मुझे ठीक से याद है तो मेरी यादाशत के अनुसार 18 सितंबर को रिजर्व बैंक ने इस दल में डा. माधवन इसके सदस्य में इस दल ने वित्तिय प्रणाली में धोखाधड़ी के मामलों की जाँच की और इसका प्रतिवेदन अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। अतः ऐसा नहीं है कि मैं सक्रिय नहीं था। इसके अलावा मैंने क्या किया ? मैं बैंकिंग प्रणाली वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित था।

श्री रविराय ने अंतर-ब्रांच कारोबार (लेनदारी-देनदारी) में विसंगति का उल्लेख किया है। यह कोई एक वर्ष की समस्या नहीं है यह समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। बैंकिंग प्रणाली की कमजोरियां, निरीक्षणात्मक व्यवस्था का असरदार न होना—यदि आप नरसिंहमन समिति व जिसे मेरे द्वारा हमारी सरकार के सत्ता में आने के एक माह के भीतर नियुक्त किया गया था के समक्ष विचारार्थविषयों को पढ़ें तब आप देख सकेंगे कि उसमें क्या लिखा है। एक विषय में लिखा है :

[श्री मनमोहन सिंह]

"वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों, विशेषकर वाणिज्यिक बैंक, सावधि ऋण प्रदान करने वाले संस्थानों की वर्तमान पर्यवेक्षी व्यवस्था का मूल्यांकन/समीक्षा और उचित और प्रभावी पर्यवेक्षण लागू करने के लिए सुझाव देना/अनुमोदन करना।"

समिति ने क्या पता लगाया ? समिति के प्रतिवेदव का उपलब्ध किया गया था। श्री रवि राय जी ने विसंगति, अपर्याप्त पर्यवेक्षण, अप्राप्य लेनदारी जैसी समस्याओं का उल्लेख किया था। ये समस्यायें हमारी बैंकिंग प्रणाली के साथ है इन समस्याओं का हल निकाला जाना आवश्यक है और इसी कारण इस समिति की नियुक्ति की गई थी। अतः मैं समझता हूं कि जो आरोप लगाये गये हैं कि वित्त मंत्री के रूप में बैंकिंग मामलों में मेरी लापरवाही रही, उनके लिए मैं अपने आपको दोषी नहीं समझता। श्री जार्ज फर्नांडीज ने कार्य संचालन नियमों का उल्लेख किया था। मैं काफी समय से सरकार में हूं। आप कह रहे हैं कि जैसे गृह मंत्री कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है; जैसे कि एक क्षेत्र विशेष में एक हत्या होती है, क्या आप इसके लिए गृह मंत्री को जिम्मेदारी ठहरायेंगे ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया तुलना मत कीजिए। आप तुलना क्यों कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये (व्यवधान) कृपया व्यवधान मत डालिए (व्यवधान) आप शोर न करें।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : वह केवल तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : श्री चन्द्रशेखर जी यहाँ मौजूद है। वह मन्त्री के उत्तरदायित्वों की बात कर रहे हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष अप्रैल में एक जघन्य दुर्घटना हुई थी जिसमें एक भावी प्रधानमंत्री हत्यारों की गोलियों का निशाना बने। उस समय गृह मंत्री कौन था। उस समय प्रधानमंत्री कौन था ? क्या आप यह कहेंगे कि वह व्यक्ति इस दुखद घटना के लिए उत्तरदायी थे। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन श्री चन्द्रशेखर और उनके वामपंथी साथी जो तर्क दे रहे हैं मैं उन पर यही कहूंगा कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि यदि गाँव में चोरी हुई हो, तो उसके मेयर से इस्तिफा मांगा जाना चाहिए। यह विचार पुराने पड़ चुके हैं और मैं समझता हूं कि इसी कारण हमारे कम्युनिस्ट साथी भी आज पुराने पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, ऐसा कब तक चल सकता है मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही इस प्रकार नहीं चल सकती है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये अब जब वह चुपचाप बैठे हैं आप शोर क्यों मचा रहे हैं ? कृपया शोर मत मचाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जी हाँ, कृपया जारी रखिये।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज भी वह देश के वित्त मंत्री और कैबिनेट मंत्री है। अतः उस देश के आंतरिक मामलों में वह इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : मैं सदन में व्याप्त तनाव को दूर करना चाहता हूं। मैं किसी देश की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल एक मजाक का उल्लेख कर रहा हूं जो मास्को में आजकल आम है। एक स्कूल में स्कूल की अध्यापिका बच्चों से अमुक देश के लिए उस देश की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर चंदा मांगती है। मीशा उस स्कूल का एक बच्चा है। वह कहता है, "कि मुझे अफसोस है कि मैं यह चन्दा नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया है कि उस देश में कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। अगली बार वह अध्यापिका कहती है "कि अमुक देश के मजदूर संघों के लिए हमें धन एकत्र करना चाहिए"। मीशा कहता है कि मैं इसके लिए धन नहीं दूंगा क्योंकि उस देश में कोई मजदूर संघ नहीं है। तीसरी बार अध्यापिका कहती है कि अमुक देश के गरीब लोगों के लिए धन एकत्र करना चाहिए। लेकिन मीशा कहता है मैडम मैं इसमें अपना योगदान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पिता कहते हैं कि उस देश में कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, कोई मजदूर संघ नहीं है अतः वहां गरीबी नहीं हो सकती।"

कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में लोगों की ऐसी धारणा है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, इस जोक पर नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर पर ही हंसी आती है।

[**अनुवाद**]

श्री भोगेन्द्र झा : एक कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए।

श्री गुलामनबी आजाद : आपको सिखाने के लिए निजी शिक्षक रखने चाहिए। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : ठीक है, यह केवल एक मजाक था। कृपया बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जार्ज फर्नांडीज : अमीरों के क्लब के लिए ठीक है यह सदन के लिए शोभा देने वाला नहीं है। (**व्यवधान**) बड़े लोगों के क्लब में इसको चलाइए, यहाँ पर मत चलाइए, यह सदन के लिए ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री मनमोहन सिंह : आप हमें यह मत बताइए कि देश के लिए क्या ठीक है। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री जार्ज फर्नांडीज : इन लोगों में थोड़ी सी**···नहीं है। (**व्यवधान**)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

श्री भोगेन्द्र झा : जोक के नाम पर हमारे वित्त मंत्री राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : क्या वह यह कहना चाहते हैं कि कोई समाजवादी आंदोलन नहीं होना चाहिए और मजदूर संघों की क्या आवश्यकता है ? (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर (मईला दुतुराई) : सोवियत संघ कम्युनिस्टों को नहीं चाहता है और भारत भी कम्युनिस्टों को नहीं चाहता है। यह···**···दल समुचे विश्व में। आप ** विश्व का एक दल है। आप केवल **···।

श्री बसुदेव आचार्य : वित्त मन्त्री हमारा मजाक उठा रहे हैं। हम विरोध में सदन से बाहर जा रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : यह जो यहाँ बोल रहे हैं वह···* *···भारत के वित्त मंत्री नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : आप सभी जान सकते हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया शान्ति बनाए रखिये।

श्री भोगेन्द्र झा : यह जो बोल रहे हैं वह वित्त मंत्री नहीं है अपितु···* *···उनके मुख से बोल रहे हैं। (व्यवधान)···* *···बोल रहे हैं।

सभापति महोदय : व्यवस्था बनाए रखिए।

8.19 म० प०

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : हमें वास्तव में इस बात का अफसोस है कि वित्त मंत्री चर्चा को इतने हल्के रूप में ले रहे हैं और न ही वह इसे गम्भीर रूप से ले रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्हें त्यागपत्र देकर चले जाना चाहिए। (व्यवधान) इस सदन को हर्षद मेहता और भूपेन दलाल का क्लब मत बनाइए।

श्री भोगेन्द्र झा : हम इस सभा में नहीं बैठना चाहते। हम विरोध में सभा से बहिर्गमन कर रहा है।

8.20 म० प०

तत्पश्चात् श्री भोगेन्द्र झा और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए। (व्यवधान)

(इस समय श्री श्रीकांत जेना और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : अब विपक्ष के नेता बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : सभापति जी, मुझे इस बात का खेद है कि यह चर्चा इस प्रकार से समाप्त हो रही है और मैं समझता हूं कि यूं तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मेरे भी कुछ विचार होंगे, लेकिन जिस विषय की आज चर्चा हो रही है, उसमें यह प्रासंगिक नहीं था। अनावश्यक

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

रूप से प्रोवोकेटिव बात हो गई, जो नहीं होती तो अच्छा होता, इतना ही मुझे निवेदन करना है। इस समय सरकार एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है और एक बहुत बड़े रैकेट को डिफेंड कर रही है। इस समय इस प्रकार की बात करके उनको एक अवसर दे दिया आपने वाक-आउट करने का, यह उपयुक्त नहीं था। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए। मैं समझता हूं कि इस बारे में आपको मालूम नहीं है। आप यहां नहीं थे। मैं उस समय यहां उपस्थित था। उन्होंने दो घंटे पहले का निर्णय ले लिया था कि जैसे ही वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर देना आरम्भ करेंगे, हम बहिर्गमन करेंगे। वास्तव में वे परस्पर एक दूसरे से परामर्श कर रहे थे कि वित्त मन्त्री के उत्तर में त्रुटि किस प्रकार निकाली जाए ताकि वे बहिर्गमन कर सकें। उन्होंने कई बार इसका प्रयास किया और अन्ततः सभा से बहिर्गमन कर दिया। अब बात सामने आ गई है। श्री जसवन्त सिंह जी ने चर्चा 9 तारीख को शुरू की है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस सभा में विपक्षी पार्टियो का एक दल इस मामले में उत्सुक नहीं है और उन्होंने सभा का ध्यान इस मामले से हटाकर शेयर घोटाला, अयोध्या विवाद आदि अन्य विषयों की ओर दिलाया। (व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : मेरा इरादा किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं था। मैं तो तनाव कम करने का प्रयास कर रहा था। यदि मेरे उत्तर से किसी की भावनाओं को चोट पहुंची है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। मेरा इरादा यस नहीं था। मैंने तो इसे हल्का-फुलका मजाक समझा था। इससे यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं।

मैं बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र में अपनी भूमिका के बारे में बता रहा था।

यदि आप शेयर बाजार सूचकांक पर नजर डालें तो जनवरी 1990 में यह सूचकांक 750 था। अक्तूबर, 1990 में यह बढ़कर 1560 हो गया। दस माह की वृद्धि हुई। उस समय हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी। इसके पश्चात् जनवरी, 1991 में यह सूचकांक गिरकर 1,000 हो गया। इस प्रकार इसमें पचास प्रतिशत से अधिक गिरावट आई। अक्तूबर, 1991 में इसमें 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैं आपको एकदम सच कह रहा हूं कि उस समय मैं इस बात से अवश्य चिंतित हुआ। वास्तव में वित्त मन्त्री बनने के पहले ही सप्ताह में एक पत्रकार सम्मेलन में मुझसे कहा गया, "आप अर्थव्यवस्था की एक शोचनीय तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं जबकि शेयर बाजार मे खूब तेजी है।" मैंने कहा—इस बात को सत्यापित कर सकते हैं—कि एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में शेयर बाजार की तेजी कोई मायने नहीं रखती।" इसलिए मैं इस शेयर बाजार के बारे में चिंतित था। फिर भी वित्त मन्त्री के शब्दों का अनपेक्षित प्रभाव पड़ सकता है। मैंने सार्वजनिक रूप से जो कुछ भी कहा मैं उसके बारे में काफी सतर्क था। अक्तूबर में जब रिजर्व बैंक द्वारा व्यस्त अवधि के लिए ऋण नीति बनाई जा रही थी तो मैंने रिजर्व बैंक से यह सुनिश्चित करने को कहा कि धनराशि सट्टा बाजारी प्रयोजनों के लिए उपलब्ध न कराई जाए। चाहे वस्तुगत सट्टा बाजारी हो अथवा शेयर बाजार में पैसा लगता हो। यदि आप अक्तूबर, 1991 की ऋण नीति विवरण का अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि शेयर बाजार के लिए धनराशि उपलब्ध कराने वाले ऋण व्यापारियों के लिए नियम सख्त बना दिए गए थे। मैं समझता हूं यह वह अवधि थी जब सूचकांक बढ़ रहा था। जनवरी तक मेरा विचार था कि शायद जैसा विगत वर्षों में हुआ था उसी प्रकार यह सुधार हो रहा है। लेकिन जनवरी में जब सूचकांक पुनः बढ़ने लगा तो मुझे शेयर बाजार में आ रही तेजी से चिन्ता होने लगी। 30 जनवरी को 'सेबी' (भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड) के अध्यक्ष ने आर्थिक कार्य विभाग के

[श्री मनमोहन सिंह]

सचिव को एक पत्र लिखा जिसमें यह बताया गया कि शेयर बाजार के मूल्य जिस दर से बढ़ रहे हैं वह अच्छा नहीं है। जवाब में वित्त मन्त्रालय ने लिखा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को पूरे अधिकार दिए गए हैं वह जो आवश्यक हो करे।

लेकिन मैं इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। मैंने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया और उनके सुझाव पर 28 मार्च को एक बैठक बुलाई। यह बैठक बहुत पहले बुलाई गई थी लेकिन मेरी संसदीय व्यवस्तता के कारण इस बैठक को दो बार स्थगित करना पड़ा। अन्ततः 28 मार्च को मेरे कार्यालय में स्टाक एक्सचेंज के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के साथ यह बैठक हुई। मैंने उनके साथ शेयर बाजार की घटनाओं, व्यापारिक कारोबार और अन्य सम्बन्धित मुद्दों पर बातचीत की। बैठक में उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे यह सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे कि शेयर बाजार का कारोबार असामान्य तरीके से न चले, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि उस समय मैं यह नहीं जानता था कि जनवरी में शेयर बाजार में धनराशि के प्रवाह का स्रोत क्या था क्योंकि अक्तूबर, 1991 की ऋण नीति को इतना कठोर बना दिया गया था कि इससे शेयर बाजार में इतनी अधिक राशि नहीं लगाई जा सकती थी। ऋण नीति को और अधिक कठोर बनाया गया। और मैंने फरवरी-मार्च में रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ यह बातचीत की कि वह यह पता लगाए कि इस शेयर बाजार की सट्टेबाजी में धनराशि लगाने का स्रोत क्या है कुछ सूचना यह मिली कि इसमें लगाने के लिए धनराशि विदेशों से प्राप्त हो रही हैं। यह एक सुराग था जिसकी हमने छानबीन की लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं मिल पाया। और आगे इसी प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली की छानबीन शुरू की। उन्होंने पाया कि बैंक आफ कराड पुनः वही कुछ कर रहा था जिसका पदाफाश वे मार्च, 1991 में कर चुके थे। 4 मार्च, 1991 को रिजर्व बैंक के गवर्नर ने फाइल पर यह टिप्पणी की, जो मैंने भी देखी है, कि बैंक आफ कराड के विरु कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि इसने रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन नहीं किया है। यह एक आन्तरिक टिप्पणी थी। रिजर्व बैंक में इस बात पर चर्चा की गई और अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि बैंक आफ कराड को एक चेतावनी और दी जानी चाहिए और ऋण नीति की घोषणा किए जाने तक इसके विरुद्ध अन्तिम कार्यवाही स्थगित रखी जाए। मैं समझता हूं कि श्री जसवन्त सिंह जी ने यह सवाल पूछा था कि कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को मार्च, 1992 में बैंक आफ कराड के विरुद्ध कार्यवाही करने से किसने रोका। मैंने इस मामले पर गवर्नर के साथ बातचीत की। मुझे उनसे एक लिखित उत्तर भी प्राप्त हुआ है कि इस विशेष मामले के बारे में उन पर कोई राजनैतिक दबाव नहीं था। मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि बैंक आफ कराड के विरुद्ध कार्यवाही करने अथवा इसे स्थगित करने सम्बन्धी रिजर्व बैंक के काम में मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मुझे विश्वास दिलाया कि इस मामले में उन पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं था।

आगे मैं बता रहा था कि ठीक इसी समय आयकर कार्यालय भी सक्रिय हो गया। 28 फरवरी को आयकर कार्यालय ने आठ दलालों के समूह पर छापा मारा। दुर्भाग्यवश आयकर कार्यालय को उनसे जो कुछ भी मिला उसमें काफी समय लग गया क्योंकि वे संकेत शब्द तक नहीं पहुंच पाए, उसके करदाताओं ने आयकर अधिकारियों के साथ कोई सहयोग नहीं किया। वास्तव में, मेरा ख्याल है कि आयकर अधिकारियों को मई के मध्य अथवा उसके पश्चात् ही इस पूरे मामले का पता चल पाया। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि शेयर बाजार और बढ़ते हुए मूल्यों के साथ बैंकिंग प्रणाली

की समस्याओं से निपटने के बारे में वित्त मन्त्रालय में नीतिगत स्तर पर जो भी सम्भव था मैं उसके प्रति सजग था। इस प्रकार जो कुछ भी घटित हुआ है, मैं यह नहीं कह रहा हूं मुझे सबकुछ जानकारी थी, लेकिन वित्त मन्त्री के स्तर पर मानवीय रूप से जो भी सम्भव हो पाया मैंने किया और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया।

इसके पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की बात उठाई गई थी। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हमें विनिवेश की आवश्यकता है। यह वायदा हमने नहीं किया था बल्कि पिछली सरकार ने किया था। इस सभा में श्री चन्द्र शेखर ने घोषणा की थी कि वे उनका 2500 करोड़ रुपया तक विनिवेश करने का एक कार्यक्रम बनाएंगे। हमारा बजट घाटा बहुत अधिक था और हमने महसूस किया कि हमें इसे पूरा करना चाहिए। वह सही निर्णय था। लेकिन सार्वजनिक रूप से मैंने भी कहा था कि हम एक नई शुरूआत करने जा रहे हैं जिसका हमें कोई अनुभव नहीं है। मैं इस बात को भी जानता हूं कि कई अन्य देशों में इसी प्रकार की घटनाओं ने वहां के वित्त मन्त्री को मुसीबत में डाल दिया था।

इसलिए मैंने कहा कि हमें ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो हमें इस प्रकार की कठिनाइयों में न डाले। इसलिए प्रत्येक यूनिट के शेयर को अलग-अलग बेचने की बजाय हमने निर्णय लिया कि हम इन्हें एक चुनींदा यूनिट में एकत्र कर लें, हम इन्हें बाजार में न बेचें क्योंकि ऐसा करने पर सट्टा-बाजारी का आरोप लग जाएगा, हम इन्हें म्युचुअल फन्डस को बेचें क्योंकि म्युचुअल फन्डस से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत होते हैं और इस प्रकार यदि सरकार को घाटा भी होता है तो भी धनराशि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत म्युचुअल फन्ड्स के तहत अर्जित की जा सकेगी। यदि सरकार मूर्खतापूर्ण कार्य करती है तो भी भारत की जनता फायदे में ही रहेगी। हमने इन्हीं लक्ष्यों के तहत उपनिवेश का यह विशेष मार्ग चुना।

जानकीरमन समिति यह बात प्रकाश में लाई है कि इलाहाबाद बैंक और एस० बी० आई० केपिटल ने ये शेयर बोली के समय निर्धारित किए गए मार्ग-निदेशों का उल्लंघन करके बेचे। मैंने वे मार्गनिदेश देखे हैं। मुझे संदेह है कि, अगर सही ढंग से देखा जाए, इन दो बैंकों ने ऐसा कोई उल्लंघन किया है। लेकिन हम इसकी जांच करेंगे और यदि बोली से सम्बन्धित उक्त मार्गनिदेशों या बोली सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो हम इस मामले में कार्यवाही करेंगे। इसलिए मैं पुनः यह बात दोहराना चाहता हूं कि चाहे शेयरबाजार का पहलू हो अथवा बैंकिंग पहलू हो या सरकारी क्षेत्र में अपनिवेश का मामला हो, मैं समझता हूं कि माननीय रूप से जो भी सम्भव था वित्त मन्त्रालय ने किया।

अब मैं उन कतिपय सवालों की बात करूंगा जो वादविवाद के दौरान उठाए गए। वित्त मन्त्रालय में नौकरशाहों की भूमिका की बात उठाई गई है। श्री वी० पी० सिंह यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि हर्षद मेहता को वित्त मन्त्रालय में किसलिए आमंत्रित किया गया था। मैंने कल कहा था और मैं पुनः दोहराता हूं कि हमने हर्षद मेहता को किसी भी बैठक के लिए नहीं बुलाया था। जो कुछ भी हुआ था वह यह था कि वे तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य से मिले थे और उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसी योजना है जिससे कि हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी और यह कि उनके पास वैकल्पिक नीति है। सदस्य ने वित्त सचिव को यह सुझाव दिया था कि हो सकता है उनके विचारों को सुनना वित्त सचिव के लिए हितकर हो। वित्त सचिव उससे भी मिले जैसा कि वे अनेक अन्य सदस्यों से मिलते हैं। उस समय वित्त मन्त्रालय का कोई अन्य

[श्री मनमोहन सिंह]

अधिकारी उपस्थित नहीं था। यह कोई संगोष्ठी नहीं था, यह कोई बठक नहीं थी। बल्कि वित्त सचिव ने सही कदम उठाया था। यदि उस समय हर्षद मेहता ने, भारत के एक नागरिक के रूप में मुझसे मुलाकात की मांग की होती तों मैं नहीं जानता कि वे क्या कर रहे थे—हो सकता है मैंने उन्हें मुकाकात का भी मौका दे ही दिया होता। इसलिए, मैं समझता हूं कि वित्त सचिव का आचरण बिल्कुल सही है और जो कुछ भी उन्होंने किया, मैं उससे सहमत हूं।

श्री जार्ज फर्नांडीज यहाँ उपस्थित नहीं हैं। मेरा विचार है कल उन्होंने वित्त मन्त्रालय के एक सचिव की पत्नी का उल्लेख किया था कि वे कैनफाना के ट्रस्टियों के बोर्ड में शामिल थीं। इसने उच्च नौकरशाही के नैतिक पतन को पूरा बढ़ावा दिया। ऐसे आरोप वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ लोग इस प्रकार के बेसिर-पैर के अरोपों के विरुद्ध कोई पूर्ति नहीं कर सकते हैं अथवा उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने विचारों को कार्यवाही वृतान्त में रखना चाहता हूं। उन्होंने वित्त मन्त्रालय के एक विशिष्ट उच्चाधिकारी की पत्नी का यह कहते हुए सुस्पष्ट उल्लेख किया है कि उन्होंने कैन बेंक मयुचुअल फंड पर असर डाला है। वे कैनकीना के ट्रस्टियों की बोर्ड की सदस्य हैं और थीं, बल्कि वे तब भी उसकी ट्रस्टी थी जबकि वह विशिष्ट अधिकारी श्री वी० पी० सिंह के साथ कार्य कर रहा था। यह महिला तब ट्रस्ट्री नहीं बनी जब इस व्यक्ति ने वित्त मन्त्रालय में कार्य-भार संभाला। यदि आप उस महिला की शैक्षणिक योग्यता की ओर ध्यान दें तो आप पायेंगे कि वे एम० आई० टी० से पी० एच० डी० की उपाधि प्राप्त है। वे हमारे देश की एक एक योग्य अर्थशास्त्री हैं और मैं पूरे अधिकार के साथ कहता हूं कि अस्सी के दशक में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में जो कार्य किए गए हैं, वे इन्हीं महिला द्वारा किए गए हैं। अब यदि आप उस महिला की निन्दा करें तो उनके पास कोई विकल्प नहीं हैं। मैं समझता हूं माननीय वक्ता यह कह रहे थे और यदि यह सभा में कहा गया है तो मैं समझता हूं यह वास्तव में दुःख पहुंचता है। इसने वित्त मन्त्रालय के उच्चाधिकारियों का नैतिक पतन किया है और मैं समझता हूं कि सभा श्री जार्जफर्नांडीज जैसे वरिष्ठ सदस्य द्वारा लगाए गए ऐसे असम्य आरोपों के परिनामों पर अवश्य विचार करेगी।

मैंने कल कहा था और मैं दोहराता हूं कि यदि किसी के पास मेरे अथवा मेरे अधिकारियों के विरुद्ध सूचना है तो मैं अपने अधिकारियों के आचरण की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, चाहे उन्होंने वह कार्य मेरी जानकारी में किया है अथवा बिना मेरी जानकारी में किया है। आपको इस मामले को सुलझाने में संयुक्त संसदीय समिति के फैसले का इन्तजार नहीं करना पड़ेगा। उनको वह मामला विपक्ष के नेता तक ले जाने दें और मैं उनके इस बारे में दिए गए निर्णय का पालन करूंगा कि क्या कोई गलत कार्य हुआ है या नहीं। (व्यवधान)

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसे समझ सकता हूं यदि एक व्यक्ति, एक नौकरशाह अथवा एक परिवार के सदस्य का नाम लिया जा रहा हो। लेकिन जब 17 से 20 नौकरशाहों के नामों की सूची हो जिनके सम्बन्धी विदेशी बैंकों अथवा अन्य बेंकों में कार्य कर रहे हैं, तो इससे शंका उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ रहे हैं। लेकिन वह निश्चय ही शंक उत्पन्न करता है। कुछ गोपनीय कागज़ातों के लीक होने की सम्भावना है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने कूपन-दरों के लीक होने का प्रश्न

उठाया है । इसके बारे में मुझे यह कहना है कि मैंने भी ऐसा ही सुना था कि घोटाले के जनता के सामने आ जाने से बहुत पहले एक बातचीत हुई थी और मैंने यह भी सुना था कि कूपन रेट लीक होने के बारे में एक चर्चा हो रही है । मैंने इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को प्रतिभूतियों के नमूने चेक करने के लिए कहा था । उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिभूतियों के लेन-देन के नमूने देखे थे । उस दौरान यह पता चला कि भारतीय स्टेट बैंक ने उस अवधि के दौरान जब कूपन दर की घोषणा की जा चुकी थी अथवा की जाने वाली थी, 400 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां खरीदी थी । तत्पश्चात हमने स्टेट बैंक से पूछताछ की । स्टेट बैंक ने यह बताया कि उन्हें एस० एल० आर० के उद्देश्य हेतु इन प्रतिभूतियों की आवश्यकता थी इसलिए उन्हें प्रतिभूतियां खरीदनी पड़ी ।

मैं यह मानता हूं कि बात यहीं खत्म नहीं हो जाती । सयुक्त संसदीय समिति इस सम्बन्ध में आगे जांच कर सकती है लेकिन जहां तक मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल चार व्यक्तियों को ही कूपन दर के बारे में जानकारी थी । मेरे अतिरिक्त वित्त सचिव, सचिव (आर्थिक विभाग) और अतिरिक्त सचिव (बैंकिंग) ही इस बारे में जानते थे और हममें से किसी का भी पुज अथवा पूंजी किसी विदेशी बैंक में कार्यरत नहीं करता । मैंने वह दस्तावेज देखें हैं जो कि केन्द्रीय कक्ष में परिचालित किए गए हैं जिसमें कहा गया है कि मेरा एक बेटा है जो कि सिटी बैंक में कार्य कर रहा था और वास्तव में मेरा कोई बेटा नहीं है फिर किसी ने कहा मेरी एक बेटी है जोकि विदेशी बैंक में कार्य कर रही है । मेरी तीन बेटियां हैं लेकिन उनमें से कोई भी बैंकिंग प्रणाली में कार्य नहीं कर रही हैं और यही बात मेरे अधिकारियों पर भी लागू होती है । जहां तक कि अन्य अधिकारियों का सम्बन्ध है मैं यह महसूस करता हूं कि अधिकारियों को इतना अधिकार नहीं होता है जबकि उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो कुछ भी उनके बच्चे करते हैं, वे उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । इसलिए, वह बहुत दुखद दिन होगा जहां यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार का अधिकारी बन जाता है इसलिए, उनके बच्चे जो कुछ भी उनके हित में हैं वह नहीं कर सकते हैं । इसलिए मैं इस तर्क को नहीं मानता हूं कि उनके बच्चों के किसी विशिष्ट बैंक में होने के कारण उन्होंने कोई जुर्म किया है । लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पर मैंने केबिनेट सचिव को जांच करने के लिए कहा ताकि इन आरोपों में सच्चाई कि जांच हो सके । मुझे केबिनेठ सचिव से जांच की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया, मैं आपको आश्वासन देता हूं और सभा को आश्वासन देता हूं कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा ।

यह कूपन दर के सम्बन्ध में है । अनेक अन्य मुद्दों का भी उल्लेख किया गया है । मुझे उनका भी उत्तर देना है ।

श्री जसवन्त सिंह ने हमारे देश में नैतिक मूल्यों के ह्रास के मुद्दों को उठाया है । मैं व्यतिगत रूप से उनसे पूर्णतः सहमत हूं । जब लोग उद्योगपतियों राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के बीच सम्बन्ध की बात करते हैं, तो यह कैसे उत्पन्न होता है ? यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के प्रबंध में सरकार का बहुत अधिक विवेक पूर्ण नियंत्रण हैं । अगर नौकरशाहों के पास आर्थिक अधिकार नहीं है ? कोई भी व्यक्ति नौकरशाहों के बच्चों की ओर ध्यान क्यों देता है । कोई भी व्यक्ति राजनीतिज्ञों के पुत्रों की ओर ध्यान क्यों देता है ? यदि राजनीतिज्ञों के कार्य लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं अथवा किसी विशिष्ट औद्योगिक घरानों की किस्मत का निर्णय नहीं लेते हैं ? हम इसमें सुधार करके सही करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे विचार से देश में आर्थिक विकास में बाधाओं को दूर करने के लिए हम आर्थिक नीतियों के उपयोग में स्व-विवेकाधिकार के क्षेत्र को कम करने और इस लाइसेंस राज

[श्री मनमोहन सिंह]

को समाप्त कर रहे हैं। मेरा विचार है कि हम इस प्रणाली में आ गई इस प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

पक्षपात किया भी जाता है और पक्षपात का लाभ भी उठाया जाता है। मेरा विचार है यह जीवन का सत्य है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम एक ही दिन में सुधार ला सकते हों। हमें नैतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है। मेरे विचार से हमें आवश्यकता है प्राचीन मूल्यों पर जोर देने की जिसके लिए हमारा देश जाना जाता था लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। हमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था से निपटना होगा जो कि इस प्रकार के व्यवहार को बढ़ावा देती है और वो आर्थिक सुधार हमने लागू किए हैं उनका यही उद्देश्य है। इस दृटिकोण से इस प्रतिभूति घोटाले का उदारीकरण संबंधी नीतियों से कोई संबंध नही है। वास्तव में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थमितीय गणना की है। मैंने पहले ही यह उल्लेख कर दिया है कि शेयर बाजार की कीमतों में जनवरी, 1990 और अक्तूबर, 1990 के दौरान 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मेरा अनुमान है कि इस बैंकिंग फंड को शेयर बाजार की ओर मोड़ने की व्यवस्था उस समय भी परिचालित थी। रिजर्व बैंक को बैंक आफ कराड़ का घोटाले में लिप्त होने का पता मार्च, 1991 में लगा। उस समय हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी। इसलिए, किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा। मैं श्री वी० पी० सिंह अथवा प्रो० मधु दंडवते पर आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने यह कार्य किया अथवा ऐसा उनकी जानकारी में था। लेकिन यह एक तथ्य है कि ऐसा हो रहा था जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बेंक थोड़ा अधिक सर्तक रहना चाहिए था। भारतीय विजर्व बैंक ने जुलाई 1991 में परिपत्र जारी करके बेंकों से अनुपालन सम्बन्धी रिपोर्टें मांगी थी। मैंने स्वयं भारतीय स्टेट बेंक की अनुपालन रिपोर्ट देखी है। यदि भारतीय स्टेट बेंक ने मुझे लिख कर दिया होता, तो मैंने उस पर पूरी तरह विश्वास कर लिया होता। भारतीय स्टेट बेंक भारत का गौरव है। मैं भारतीय स्टेट बैंक के बयान पर कभी शक नहीं करता और जब भारतीय स्टेट बेंक के चेयरमैन लिखकर दे कि जुलाई, 1991 के परिपत्र में निहित सभी शर्तों का पूरी तरह से पालन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर पर आरोप लगाना उचित प्रतीत नहीं है।

इसी प्रकार मैंने स्टेंडर्ड चार्टर्ड बेंक के प्रबंधकों द्वारा हस्ताक्षरीत अनुपालन रिपोर्ट भी देखी है। यह सच है कि भारतीय रिजर्व बेंक को विशेष लेखा-परीक्षा के आदेश देने चाहिए थे। लेकिन, मेरा विचार है कि मानवीय मामलों में आपको दोषपूर्ण सूचना के आधार पर कार्य करना होता है और इसीलिए इस विशेष मामले में भारतीय रिजर्व बेंक ने सोचा कि बेंक आफ कराड़ एक छोटा बैंक है। इसकी कोई बड़ी भूमिका नही है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि बैंक आफ कराड़ द्वारा इस लेन-देन में कितनी अपार राशि लगाई गई है। इसलिए उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जनवरी-फरवरी में जब बेंक आफ कराड़ और बेंक आफ मदुरै तथा एक अन्य बेंक को जांच की गई तो ये अनियमितताएं सामने आई और तभी भारतीय स्टेट बेंक द्वारा प्रतिभूतियों के मामले में भी की गई अनियमितताओं का पता चला।

इस बीच जब उन्होंने भारतीय स्टेट बेंक में विसंगतियों का पता लगाया तो मैं समझता हूं कि उस समय यह समस्या और बड़ी हो गई और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सबको मालूम है।

इसलिए मैंने अपने पहले के वक्तव्य में कहा था कि भारतीय रिजर्व बेंक में पी० डी० ओ० के

कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। यदि पूरी व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण कर दिया जाता है तो एस० जी० एल० खातों के सामंजस्य की इस प्रक्रिया, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, को पखवाड़े के आधार पर न किया जाए बल्कि इसे दैनिक आधार पर किया जाएं। परन्तु मुझे मालूम है कि हमारी यूनियनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उदाहरण के लिए कम्प्यूटरीकरण में इन सब समस्याओं का हल नहीं है परन्तु इससे निश्चित रूप से इस धोखाधड़ी का बहुत पहले पता लगाने में सहायता मिलती। मैंने यह भी उल्लेख किया था कि पिछली घटनाओं को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक में पर्यवेक्षकीय प्रबन्धों को और कड़ा किए जाने की आवश्यकता है और यही बात मैंने 8 जुलाई को दिए अपने वक्तव्य में कही थी कि हम बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण पर गौर करने के लिए एक सशक्त पर्यवेक्षकीय एजेंसी की स्थापना करने जा रहे हैं। यह नरसिम्हन समिति की सिफारिशों में से एक थी और हम इसे कार्यान्वित करने जा रहे हैं।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय रिजर्व बैंक को बचाने के लिए मेरी आलोचना की है। मेरी जो मंशा थी उसे मैं सभा को बताना चाहता हूं। भारतीय स्टेट बैंक के किसी तरह से इस लेन-देन में शामिल होने के कारण मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय स्टेट बैंक पर हमें गर्व रहा है और अब यदि पर्याप्त साक्ष्यों के बिना मैं यह कहूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की उसी श्रेणी में है तो आप हमारी ऋण लेने की साख पर पड़ने वाले प्रभावों का अन्दाजा लगा सकते हैं। ऋण का आधार सामान्यतः भरोसा है। हमारी बैंकिंग प्रणाली में अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं। परन्तु यदि एक प्रभाव निरन्तर चलता रहे या उत्पन्न किया जाए कि बैंकिंग प्रणाली में कार्य कर रहा हरेक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़ा तक, धोखेबाज है तो मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी आलोचना करेंगे परन्तु यदि मैंने कोई दूसरा रास्ता अपनाया होता तो यह कृत्य हमारे देश की ऋण साख को बनाए रखने के लिए एक बड़ी हानि होती। मेरा रिजर्व बैंक में किसी को बचाने का इरादा नहीं है। यदि किसी को भी अपने कर्तव्यों का पालन न करने का दोषी पाया जाता है तो संयुक्त संसदीय समिति इस बात का पता लगाएगी और यही मेरा इरादा था।

मुझे सूचना कहां से मिली? यह बात तो स्पष्ट है कि घोटाला हुआ है। मुझे सच्चाई का पता केवल भारतीय रिजर्व बैंक से चला। मैंने शुरू से ही कहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक पर भी सन्देह है फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक ने हमें बहुत ही सही रिपोर्ट भेजी है, यह भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए एक प्रसंशा की बात है कि रिजर्व बैंक पर इन सभी आक्षेपों के बाद भी उन्होंने सच्चाई का पता लगाया और यदि अन्य लोगों के साथ मैं भी यह कहने लगूं कि भारतीय रिजर्व बैंक में भी धूर्तों का बोलबाला है तो हम इन सब बातों पर बहुत अच्छा वाद-विवाद तो कर सकते हैं परन्तु हम कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा सकते हैं।

मैं इस सम्मानीय सभा से विनम्र निवेदन करता हूं कि रिजर्व बैंक के बचाव में मैंने जो कुछ कहा वह कर्तव्यपरायणता थी और यह किसी तरह से स्वयं को बचाने का प्रयास नहीं था जैसा कि कल श्री चन्द्रशेखर ने कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी गुप्त भेद की कई बातें हैं और इसीलिए मैं रिजर्व बैंक के गवर्नर की आलोचना करने से डर रहा हूं। मैं एक बार फिर दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे पास कोई गुप्तभेद नहीं हैं। मैंने कल उन्हें और हरेक व्यक्ति को चुनौती दी थी कि यदि वे मेरे आचरण के बारे में कुछ जानते हैं तो उन्हें यह बात विपक्ष के नेता तक पहुंचाने दो। मैं उस निर्णय का पालन करूंगा।

विदेशी बैंकों की भूमिका का हवाला दिया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि मैंने विदेशी बैंकों

[श्री मनमोहन सिंह]

के साथ नरमी बरती है। हमारी स्थिति यह है कि हमारे देश में जितने भी बैंक है चाहे वह भारतीय बैंक हों या विदेशी बैंक हों सब हमारे देश के कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं - मैं यह कहूंगा और मैंने ऐसा पहले कहा भी था कि बदली हुई परिस्थितियों में विदेशी समुदाय की हमारे देश में बड़ी तादाद में उपस्थिति हमारे लिए फायदेमंद है। आप गौर करें चीन में आज क्या हो रहा है। यदि आप अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं ? पहली बात आयातक यह पूछते हैं कि निर्यातक विशेष की वित्तीय स्थिति अच्छी है या नहीं और यदि यह प्रमाणित करने के लिए आपके पास बैंक है जो यह कह दे कि "यह एक बहुत अच्छी पार्टी है," तो मैं समझता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में एक बाधा पार कर ली। हम इस देश में और अधिक विदेशी निवेश चाहते हैं। जब कोई विदेशी उद्योगपति हमारे देश में कुछ निवेश करना चाहता है तो वह हमारे बैंकों के पास नहीं आता है, वह अपने बैंकर्स के पास जाता है और वह हमारी ऋण साख का मूल्यांकन करता है, वह हमारे आर्थिक भविष्य का मूल्यांकन करता है और यदि इनमें से कुछ बैंक हमारे यहां हैं तो मैं समझता हूं और मैं ईमानदारी से यह महसूस करता हूं कि हमारे निष्पादन और हमारी अर्थव्यवस्था की संभावना के बारे में उनका मूल्यांकन बहुत अधिक रचनात्मक होगा। आज भारत का नाम 'फार्चून' के मुख्य पृष्ठों पर अकारण नहीं आ रहा है। मैं यह मानता हूं कि पिछले एक वर्ष में हम सभी समस्याओं को नहीं सुलझा पाए हैं परन्तु हमने शेष विश्व में एक ऐसा माहौल बनाया है कि भारत अब जागरूक हो गया है, इस देश में अपार क्षमता है, लोग रूस की बात करते हैं। लोग चीन की बात करते हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि जब आप कोई दीर्घकालिक विचार करते हैं तो अनेक लोग कहते हैं कि यदि किसी देश पर दीर्घकालिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है तो वह भारत है। यह मैंने इस सन्दर्भ में कहा है कि हमें विदेशी बैंकों की भूमिका पर गौर करना होगा, यदि किसी विदेशी बैंकों हमारे कानूनों का उल्लंघन किया है तो मैं ऐसे बैंक को नहीं बचाना चाहता हूं मैंने पहले ही कह दिया है कि रिजर्व बैंक चार विदेशी बैंकों की प्रतिभूति लेन-देनों की विशेष लेखापरीक्षा करने के आदेश दे दिए हैं। महोदय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझ से पूछा है कि क्या वह लेखापरीक्षा शुरू हो गई है। मैं आपके माध्यम से उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि यह लेखापरीक्षा चल रही है। परन्तु हमें एक दम निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए, वर्ष 1991-92 में प्रतिभूति लेन-देनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। परन्तु यह क्यों हुआ ? मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री चव्हाण ने इसका सही स्पष्टीकरण किया है, आपको स्मरण होगा कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले विगत सरकार ने आयात की स्थिति कठिन बना रखी थी। मैं श्री चन्द्रशेखर से सम्बद्ध रहा हूं। वह पुरानी मात्रात्मक नियन्त्रण प्रणाली की ओर वापस जाना चाहते थे। मैंने कहा कि वह नियन्त्रण प्रणाली अप्रचलित है, हमें ऋण प्रक्रिया पर भरोसा रखना चाहिए, अतः ऋण प्रक्रिया को सख्त बनाया गया, मामूली जरूरतों को सुदृढ़ बनाया गया, अतः जिन उद्योगपतियों को बैंकिंग प्रणाली से अधिक धन मिल रहा था उन्होंने महसूस किया कि वह अब धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे इसलिए आयात कम हो गया। ऋण की स्थिति बहुत कठिन थी। इन हालात में बैंकों ने निधि की कमी महसूस की, अतः पूंजी बाजार में धन की तंगी के कारण सांविधिक परिवर्तनीयता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों के बीच प्रतिभूति लेन-देनों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। मुझे कहना चाहिए कि बैंकर्स ससीदें वापस-खरीदं व्यवस्थाएं हैं। इस में कुछ भी अनैतिक नहीं है, ये वित्तीय नवीनताओं के तरीके हैं। मैंने इस शब्द का प्रयोग ठीक ही किया है, मैं समझता हूं कि वह वित्तीय परिणाम के लिए सकारात्मक साधन है। यदि इनका दुरूपयोग होता है तो मैं समझता हूं कि वह बैंक हमारी व्यवस्था को इस तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसा कि उन्होंने अब किया है।

परन्तु इसकी पृष्ठभूमि में कठोर वित्त नीति थी, यह तथ्य था कि बैंकों को अधिक धन की आवश्यकता थी, अविलम्ब राशि के बाजार भाव बढ़ रहे थे अतः इस प्रक्रिया में उन्हें अधिक प्रतिभूतियां रखनी पड़ी और प्रक्रिया में दुरूपयोग का अवसर था। इसका कारण यह है कि यदि अविलम्ब-राशि की बाजार दरें 60 प्रतिशत तक हैं तो उन्होंने शीघ्र ही इसका उपाय ढूंढा और बैंकों के धन को शेयर बाजार में लगा दिया। अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप आसान तरीके ढूंढ सकते हैं। परन्तु यह सब कहने के बाद मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इन सभी मामलों की जांच करेंगे। चाहे वह लोग भारतीय बैंकों से सम्बन्धित हों या विदेशी बैंकों से, केवल सुनीसुनाई बातों या बिना ठोस साक्ष्यों के आधार पर किसी एक बैंक या व्यक्ति के विरूद्ध आरोप लगाना बहुत बुरी बात है क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें कानून का शासन है और जिस पर हमें गर्व है, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार है जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है।

महोदय, जब मैंने विदेशी व्यवसायों से बातचीत की तो उन्होंने एक बत यह भी कही। उन्होंने एक बात यह भी कही। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि चीन काफी कुछ कर रहा है। चीन आज किसी भी विदेशी निवेश के लिए हम से बहुत अधिक बेहतर शर्तें रख रहा है, परन्तु हरेक व्यक्ति कहता है कि उसे मालूम है कि भारतीय कानून पद्धति व्यवस्थित है। हमारे देश में कानून का शासन है। मैं समझता हूं कि हमें वह प्रतिष्ठा नहीं गंवानी चाहिए। अतः चाहे विदेशी बैंकों से या भारतीय बैंकों से निपटना हो या किसी दलाल से निपटना हो मैं समझता हूं कि विभिन्न लोगों/संस्थाओं की आलोचना करते समय हमें कुछ हद तक आत्मसंयम बरतना चाहिए। मेरा किसी को बचाने का इरादा नहीं है। जिस किसी ने भी अपराध किया है, चाहे वह विदेशी बैंक हों या भारतीय बैंक हों या कोई कर्मचारी हो चाहे वह कर्मचारी किसी बैंक में हो या सरकार में हों, चाहे वह पुरुष हो या महिला उन्हें वास्तविक रूप से दण्डित किया जाएगा।

महोदय, कल श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 28 फरवरी को मारे गए छापों के बारे में कुछ प्रश्न उठाए हैं। मैंने उल्लेख किया है कि हालांकि 28 फरवरी को दलालों के एक समूह पर छापे मारे गए थे, परन्तु कम्प्यूटर रिकोर्डिंग में अधिक समय लगा। अतः केवल मई के आरम्भ तक ही कुछ जानकारी उपलब्ध हो सकी। उस जानकारी के आधार पर आयकर विभाग ने निरंजन शाह नामक व्यक्ति के यहां छापा मारा और वह जानकारी आगे प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई थी। श्री जसवन्त सिंह ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या कार्रवाई की गई है। मैं समझता हूं "फेरा" का उल्लंघन करने के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने तीन या चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आगे कार्रवाई चल रही है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जिस किसी ने भी हमारे 'फेरा' कानूनों का उल्लंघन किया है, जो भी धन देश से बाहर ले गया है, मुझे आज इसकी कुल राशि के बारे में जानकारी नहीं है, और उस अपराध में जो कोई भी शामिल होगा उसे दंडित किया जाएगा।

श्री वी० पी० सिंह ने कहा कि आयकर के एक विशेष आयुक्त को क्यों बदला गया और क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य था। मैंने इन फाइलों को पढ़ लिया है। मैं संतुष्ट हूं कि यह विशेष अधिकारी उन कुछ व्यक्तियों में से एक था जो कुछ मामलों को देख रहे थे। जब हर्षद मेहता ग्रुप के मामले अधिक बड़े हो गए तो प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने महसूस किया कि इन सभी मामलों को एक प्राधिकारी के हाथों में केंद्रित कर देना चाहिए। इसी की वजह से उनका केन्द्रीकरण हुआ, किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नहीं जैसा कि श्री वी० पी० सिंह ने आरोप लगाया है।

मुझे विश्वास है कि मैंने इस वाद-विवाद के दौरान उठाए गए अधिकांश प्रश्नों के जवाब दे

[श्री मनमोहन सिंह]

दिए हैं। मैंने किसी प्रश्न को नहीं छोड़ा है। इस सम्बन्ध में और स्पष्टीकरण देने में मुझे प्रसन्नता होगी। मैं इस सभा को पुनः आश्वस्त करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारी सरकार संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के काम को बहुत गम्भीरता से ले रही है। श्री जसवन्त सिंह को यह विश्वास करना चाहिए कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हम संयुक्त संसदीय समिति को हर सम्भव सहायता देना चाहते हैं और पूरी सच्चाई का पता लगाया जाएगा और जो व्यक्ति भी इन कुकृत्यों के लिए दोषी या उत्तरदायी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैंने एक मुद्दा उठाया था कि क्या मंत्रियों ने प्रधान मंत्री को अपने पत्र दे दिए हैं, जिनमें यह कहा गया हो कि वे इस घोटाले में शामिल नहीं हैं। यह उत्तर नहीं मिला कि क्या ऐसे पत्र दिये गये हैं और अगर दिये गये हैं, तो उनकी विषय वस्तु क्या है। मैंने इस मुद्दे को उठाया था, परन्तु कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री मनमोहन सिंह : यह प्रश्न प्रधान मंत्री को सम्बोधित है। प्रधान मंत्री ने कल अपने वक्तव्य में अपनी स्थिति स्पष्ट की थी कि जो जांच उन्होंने की है, उसके आधार पर, वह सन्तुष्ट हैं कि उनका कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : जैसा कि सूचना मिली है बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंक आफ कराड के अधिग्रहण सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

श्री मनमोहन सिंह : बैंक आफ कराड के बारे में स्थिति यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ कराड के सम्बन्ध में परिसमापन मुकदमा दायर किया था। मैं माननीय सदस्यों द्वारा जमाकर्ताओं और बैंक आफ कराड के कर्मचारियों के भविष्य के बारे में व्यक्त की चिन्ता से सहमत हूं। इस वजह से भारतीय रिजर्व बैंक इस मानवीय समस्या का मुकाबला करने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। प्रारम्भ में हमने सभी जमाकर्ताओं को तीस हजार रुपये दिए हैं। मेरे विचार में, 90 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि में से लगभग 45 करोड़ रुपये की जमा राशि का भुगतान किया जा चुका है। जहां तक शेष पैसे का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक आफ इंडिया को बैंक आफ कराड की कुछ शाखाओं का अधिग्रहण करने के लिए कहा है। परन्तु इसके लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि जब ऐसा हो जायेगा तो कर्मचारियों के हितों और परिसम्पत्तियों, जोकि काफी अधिक है, की रक्षा होगी, और जमाकर्ताओं के हितों की भी रक्षा होगी। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति यह है। (**व्यवधान**)

श्री राम नाईक : मैंने यह मुद्दा उठाया था। जहां कुछ शाखाओं का अधिग्रहण किया जा सकता है, वहां सभी शाखाओं का अधिग्रहण किया जा सकता है। एक शाखा का अधिग्रहण क्यों किया और दूसरी शाखा का क्यों नहीं ? ऐसा अनावश्यक भेद-भाव क्यों हो ? आखिरकार दोष कर्मचारियों का नहीं है, दोष जमाकर्ताओं का नहीं है।

जो कुछ भी किया जाये वह सबके साथ समान रूप से किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक को ऐसा सुझाव दिया जाना चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने उस सुझाव को नोट कर लिया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : मंत्री ने अपने उत्तर के पहले भाग

में कहा है कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को अक्तूबर, 1991 में निर्देश दिया था या उन्होंने यह बताया था कि सिट्टेबाजी के व्यापार में लगाने हेतु कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा या

9.00 म० प०

हम जानते हैं कि बहुत-सा पैसा इसमें लगाया गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुदेशों का उल्लंघन किया गया या भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष अनुदेश जारी किये थे और विभिन्न बैंकों ने इनका उल्लंघन किया।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने पहले भी यह जिक्र किया है कि कानूनी तौर पर बैंकिंग व्यवस्था से बड़े पैमाने पर पैसा स्टाक बाजार में नहीं जा सकता। चूंकि पैसा बैंकिंग व्यवस्था से स्टाक बाजार में गया है ऐसा करना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों का उल्लंघन था, और मार्च के महीने में उन्हें इस बात का पता चला था कि ऐसा बहुत पड़े पैमाने पर हो रहा है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : मेरा मुद्दा यह था कि आपने कहा है कि दिशानिर्देश अनुदेश जुलाई में दिए गए थे। इसके बाद, आपने अक्तूबर, 1991 में, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा था कि इस व्यापार के लिए कुछ भी पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बावजूद, पैसा गया है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं—मैं जुलाई, 1991 के दिशानिर्देशों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं अक्तूबर, 1991 के आपके दिशानिर्देशों के बारे में बात कर रहा हूं—क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को विशिष्ट निर्देश न देकर उनका उल्लंघन किया गया था, क्या अक्तूबर, 1991 के आपके निर्देश के बाद जारी किये गये विशिष्ट अनुदेशों के बावजूद अन्य बैंकों द्वारा उनका उल्लंघन किया गया है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, मैंने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का सम्बन्धित बैंकों द्वारा उल्लंघन किया गया है।

सभापति महोदय : अब, सदन कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होता है।

9.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 अगस्त, 1992, 14 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली—110053

पी०एल०एस०—48/14/20/92(एन०)
250

© 1992 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स,
दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित